SUNPRIME HOME INFRA LLP

we build tomorrow....

Regd. Office :
103-103A, 1st Floor, J.D. Arcade
Medical College Road, Near Jaljog Circle
Jodhpur (Raj.)
Tel. : 0291-2772737 Email : info@sunprimeinfra.com
Web : www.sunprimeinfra.com

Plot No.	Size In Sqaure Yard	Size In Square Mtr.
Plot No. 1	122.5	102.5
Plot No. 2	80	66.9
Plot No. 3	80	66.9
Plot No. 4	80	66.9
Plot No. 5	80	66.9
Plot No. 6	80	66.9
Plot No. 7	80	66.9
Plot No. 8	80	66.9
Plot No. 9	80	66.9
Plot No. 10	80	66.9
Plot No. 11	80	66.9
Plot No. 12	80	66.9
Plot No. 13	80	66.9
Plot No. 14	80	66.9
Plot No. 15	80	66.9
Plot No. 16	80	66.9
Plot No. 17	80	66.9
Plot No. 18	80	66.9
Plot No. 19	80	66.9
Plot No. 20	80	66.9
Plot No. 21	80	66.9
Plot No. 27	80	66.9
Plot No. 28	80	66.9
Plot No. 29	80	66.9
Plot No. 30	80	66.9
Plot No. 31	80	66.9
Plot No. 32	80	66.9
Plot No. 33	80	66.9
Plot No. 34	80	66.9
Plot No. 35	80	66.9
Plot No. 36	80	66.9
Plot No. 37	80	66.9
Plot No. 38	80	66.9
Plot No. 39	80	66.9
Plot No. 40	80	66.9
Plot No. 41	80	66.9
Plot No. 42	80	66.9
Plot No. 43	80	66.9
Plot No. 44	80	66.9
Plot No. 45	80	66.9
Plot No. 46	80	66.9
Plot No.49	90.66	75.9
Plot No.50	90.66	75.9
Plot No.51	90.66	75.9
Plot No.52	90.66	75.9
Plot No.53	90.66	75.9
Plot No.54	90.66	75.9
Plot No.55	90.66	75.9
Plot No.56	90.66	75.9
Total Area	**Sq.Yrd. 4047.78**	**Sq.Mtr. 3385.7**

Sunprime Home Infra LLP

Partner.

Scanned by CamScanner

Ramesh Kumawat
Advocates
Open Air Chamber Block No.1,
Raj. High Court, Jodhpur

: 94148-50112

Office :-K-40 Color's Tile Show-Room,
Subash Marg Main Pal Masuriya,
Jodhpur

LEGAL SCRUTINY REPORT

Sub :-Legal Scrutiny Report in respect of the file of SUNPRIME HOME INFRA LLP Through Partner Shri Raghav Rathi.

Legal scrutiny report in respect of the Property (Describe in Part I hereto) by **SUNPRIME HOME INFRA LLP** Through Partner Shri Raghav Rathi.

Part I Description of The Property :

Plot No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, in Kh-300/3 Village - Pal, & District-Jodhpur.

Part II List of Documents submitted before me/us for scrutiny and legal Opinion: **(Spicy the documents are Original or Xerox)**

* Original Patta Vilekh issued by J.D.A., Jodhpur in favour of SUNPRIME HOME INFRA LLP Through Partner Shri Raghav Rathi S/o Shri Inder Mal Rathi, Registered on dated 17.04.2018, book No 01, Jild No 940, Page No166 Serial No.201803053104191 in SR-Third, Jodhpur Rajasthan **(Plot No 01)**
* Original Patta Vilekh issued by J.D.A., Jodhpur in favour of SUNPRIME HOME INFRA LLP Through Partner Shri Raghav Rathi S/o Shri Inder Mal Rathi, Registered on dated 17.04.2018, book No 01, Jild No940, Page No149 Serial No.201803053104174 in SR-Third, Jodhpur Rajasthan **(Plot No 02)**
* Original Patta Vilekh issued by J.D.A., Jodhpur in favour of SUNPRIME HOME INFRA LLP Through Partner Shri Raghav Rathi S/o Shri Inder Mal Rathi, Registered on dated 17.04.2018, book No 01, Jild No940, Page No176 Serial No.201803053104201 in SR-Third, Jodhpur Rajasthan **(Plot No 03)**
* Original Patta Vilekh issued by J.D.A., Jodhpur in favour of SUNPRIME HOME INFRA LLP Through Partner Shri Raghav Rathi

RAMESH KUMAWAT
ADVOCATE

Sunprime Home Infra LLP
Partner

Scanned by CamScanner

S/o Shri Inder Mal Rathi, Registered on dated 17.04.2018, book No 01, Jild No940, Page No170 Serial No.201803053104195 in SR-Third, Jodhpur Rajasthan **(Plot No 04)**

* Original Patta Vilekh issued by J.D.A., Jodhpur in favour of SUNPRIME HOME INFRA LLP Through Partner Shri Raghav Rathi S/o Shri Inder Mal Rathi, Registered on dated 17.04.2018, book No 01, Jild No940, Page No160 Serial No.201803053104185 in SR-Third, Jodhpur Rajasthan **(Plot No 05)**
* Original Patta Vilekh issued by J.D.A., Jodhpur in favour of SUNPRIME HOME INFRA LLP Through Partner Shri Raghav Rathi S/o Shri Inder Mal Rathi, Registered on dated 17.04.2018, book No 01, Jild No940, Page No157 Serial No.201803053104182 in SR-Third, Jodhpur Rajasthan **(Plot No 06)**
* Original Patta Vilekh issued by J.D.A., Jodhpur in favour of SUNPRIME HOME INFRA LLP Through Partner Shri Raghav Rathi S/o Shri Inder Mal Rathi, Registered on dated 17.04.2018, book No 01, Jild No940, Page No155 Serial No.201803053104180 in SR-Third, Jodhpur Rajasthan **(Plot No 07)**
* Original Patta Vilekh issued by J.D.A., Jodhpur in favour of SUNPRIME HOME INFRA LLP Through Partner Shri Raghav Rathi S/o Shri Inder Mal Rathi, Registered on dated 17.04.2018, book No 01, Jild No940, Page No167 Serial No.201803053104192 in SR-Third, Jodhpur Rajasthan **(Plot No 08)**
* Original Patta Vilekh issued by J.D.A., Jodhpur in favour of SUNPRIME HOME INFRA LLP Through Partner Shri Raghav Rathi S/o Shri Inder Mal Rathi, Registered on dated 17.04.2018, book No 01, Jild No940, Page No154 Serial No.201803053104179 in SR-Third, Jodhpur Rajasthan **(Plot No 09)**
* Original Patta Vilekh issued by J.D.A., Jodhpur in favour of SUNPRIME HOME INFRA LLP Through Partner Shri Raghav Rathi S/o Shri Inder Mal Rathi, Registered on dated 17.04.2018, book No 01, Jild No940, Page No165 Serial No.201803053104190 in SR-Third, Jodhpur Rajasthan **(Plot No 10)**
* Original Patta Vilekh issued by J.D.A., Jodhpur in favour of SUNPRIME HOME INFRA LLP Through Partner Shri Raghav Rathi S/o Shri Inder Mal Rathi, Registered on dated 17.04.2018, book No 01, Jild No940, Page No152 Serial No.201803053104177 in SR-Third, Jodhpur Rajasthan **(Plot No 11)**
* Original Patta Vilekh issued by J.D.A., Jodhpur in favour of SUNPRIME HOME INFRA LLP Through Partner Shri Raghav Rathi

Sunprime Home Infra LLP
Partner

RAMESH KUMAWAT
ADVOCATE

Scanned by CamScanner

S/o Shri Inder Mal Rathi, Registered on dated 17.04.2018, book No 01, Jild No940, Page No169 Serial No.201803053104194 in SR-Third, Jodhpur Rajasthan **(Plot No 12)**

* Original Patta Vilekh issued by J.D.A., Jodhpur in favour of SUNPRIME HOME INFRA LLP Through Partner Shri Raghav Rathi S/o Shri Inder Mal Rathi, Registered on dated 17.04.2018, book No 01, Jild No940, Page No180 Serial No.201803053104105 in SR-Third, Jodhpur Rajasthan **(Plot No 13)**
* Original Patta Vilekh issued by J.D.A., Jodhpur in favour of SUNPRIME HOME INFRA LLP Through Partner Shri Raghav Rathi S/o Shri Inder Mal Rathi, Registered on dated 17.04.2018, book No 01, Jild No940, Page No173 Serial No.201803053104198 in SR-Third, Jodhpur Rajasthan **(Plot No 14)**
* Original Patta Vilekh issued by J.D.A., Jodhpur in favour of SUNPRIME HOME INFRA LLP Through Partner Shri Raghav Rathi S/o Shri Inder Mal Rathi, Registered on dated 17.04.2018, book No 01, Jild No940, Page No145 Serial No.201803053104170 in SR-Third, Jodhpur Rajasthan **(Plot No 15)**
* Original Patta Vilekh issued by J.D.A., Jodhpur in favour of SUNPRIME HOME INFRA LLP Through Partner Shri Raghav Rathi S/o Shri Inder Mal Rathi, Registered on dated 17.04.2018, book No 01, Jild No940, Page No177 Serial No.201803053104202 in SR-Third, Jodhpur Rajasthan **(Plot No 16)**
* Original Patta Vilekh issued by J.D.A., Jodhpur in favour of SUNPRIME HOME INFRA LLP Through Partner Shri Raghav Rathi S/o Shri Inder Mal Rathi, Registered on dated 17.04.2018, book No 01, Jild No 940, Page No179 Serial No.201803053104204 in SR-Third, Jodhpur Rajasthan **(Plot No 17)**
* Original Patta Vilekh issued by J.D.A., Jodhpur in favour of SUNPRIME HOME INFRA LLP Through Partner Shri Raghav Rathi S/o Shri Inder Mal Rathi, Registered on dated 17.04.2018, book No 01, Jild No 940, Page No159 Serial No.201803053104184 in SR-Third, Jodhpur Rajasthan **(Plot No 18)**
* Original Patta Vilekh issued by J.D.A., Jodhpur in favour of SUNPRIME HOME INFRA LLP Through Partner Shri Raghav Rathi S/o Shri Inder Mal Rathi, Registered on dated 17.04.2018, book No 01, Jild No 940, Page No 168 Serial No.201803053104193 in SR-Third, Jodhpur Rajasthan **(Plot No 19)**
* Original Patta Vilekh issued by J.D.A., Jodhpur in favour of SUNPRIME HOME INFRA LLP Through Partner Shri Raghav Rathi

Supreme Home Infra LLP
Partner

RAMESH KUMAWAT
ADVOCATE

Scanned by CamScanner

S/o Shri Inder Mal Rathi, Registered on dated 17.04.2018, book No 01, Jild No 940, Page No136 Serial No.201803053104160 in SR-Third, Jodhpur Rajasthan **(Plot No 20)**

* Original Patta Vilekh issued by J.D.A., Jodhpur in favour of SUNPRIME HOME INFRA LLP Through Partner Shri Raghav Rathi S/o Shri Inder Mal Rathi, Registered on dated 17.04.2018, book No 01, Jild No940, Page No134 Serial No.201803053104159 in SR-Third, Jodhpur Rajasthan **(Plot No 21)**
* Original Patta Vilekh issued by J.D.A., Jodhpur in favour of SUNPRIME HOME INFRA LLP Through Partner Shri Raghav Rathi S/o Shri Inder Mal Rathi, Registered on dated 17.04.2018, book No 01, Jild No 940, Page No133 Serial No.201803053104158 in SR-Third, Jodhpur Rajasthan **(Plot No 27)**
* Original Patta Vilekh issued by J.D.A., Jodhpur in favour of SUNPRIME HOME INFRA LLP Through Partner Shri Raghav Rathi S/o Shri Inder Mal Rathi, Registered on dated 17.04.2018, book No 01, Jild No940, Page No141 Serial No.201803053104166 in SR-Third, Jodhpur Rajasthan **(Plot No 28)**
* Original Patta Vilekh issued by J.D.A., Jodhpur in favour of SUNPRIME HOME INFRA LLP Through Partner Shri Raghav Rathi S/o Shri Inder Mal Rathi, Registered on dated 17.04.2018, book No 01, Jild No940, Page No143 Serial No.201803053104168 in SR-Third, Jodhpur Rajasthan **(Plot No 29)**
* Original Patta Vilekh issued by J.D.A., Jodhpur in favour of SUNPRIME HOME INFRA LLP Through Partner Shri Raghav Rathi S/o Shri Inder Mal Rathi, Registered on dated 17.04.2018, book No 01, Jild No940, Page No140 Serial No.201803053104165 in SR-Third, Jodhpur Rajasthan **(Plot No 30)**
* Original Patta Vilekh issued by J.D.A., Jodhpur in favour of SUNPRIME HOME INFRA LLP Through Partner Shri Raghav Rathi S/o Shri Inder Mal Rathi, Registered on dated 17.04.2018, book No 01, Jild No940, Page No 142 Serial No.201803053104167 in SR-Third, Jodhpur Rajasthan **(Plot No 31)**
* Original Patta Vilekh issued by J.D.A., Jodhpur in favour of SUNPRIME HOME INFRA LLP Through Partner Shri Raghav Rathi S/o Shri Inder Mal Rathi, Registered on dated 17.04.2018, book No 01, Jild No940, Page No144 Serial No.201803053104169 in SR-Third, Jodhpur Rajasthan **(Plot No 32)**
* Original Patta Vilekh issued by J.D.A., Jodhpur in favour of SUNPRIME HOME INFRA LLP Through Partner Shri Raghav Rathi

RAMESH KUMAWAT
ADVOCATE

Scanned by CamScanner

S/o Shri Inder Mal Rathi, Registered on dated 17.04.2018, book No 01, Jild No940, Page No 164 Serial No.201803053104189 in SR-Third, Jodhpur Rajasthan **(Plot No 33)**

* Original Patta Vilekh issued by J.D.A., Jodhpur in favour of SUNPRIME HOME INFRA LLP Through Partner Shri Raghav Rathi S/o Shri Inder Mal Rathi, Registered on dated 17.04.2018, book No 01, Jild No940, Page No172 Serial No.201803053104197 in SR-Third, Jodhpur Rajasthan **(Plot No 34)**
* Original Patta Vilekh issued by J.D.A., Jodhpur in favour of SUNPRIME HOME INFRA LLP Through Partner Shri Raghav Rathi S/o Shri Inder Mal Rathi, Registered on dated 17.04.2018, book No 01, Jild No940, Page No146 Serial No.201803053104171 in SR-Third, Jodhpur Rajasthan **(Plot No 35)**
* Original Patta Vilekh issued by J.D.A., Jodhpur in favour of SUNPRIME HOME INFRA LLP Through Partner Shri Raghav Rathi S/o Shri Inder Mal Rathi, Registered on dated 17.04.2018, book No 01, Jild No940, Page No174 Serial No.201803053104199 in SR-Third, Jodhpur Rajasthan **(Plot No 36)**
* Original Patta Vilekh issued by J.D.A., Jodhpur in favour of SUNPRIME HOME INFRA LLP Through Partner Shri Raghav Rathi S/o Shri Inder Mal Rathi, Registered on dated 17.04.2018, book No 01, Jild No940, Page No158 Serial No.201803053104183 in SR-Third, Jodhpur Rajasthan **(Plot No 37)**
* Original Patta Vilekh issued by J.D.A., Jodhpur in favour of SUNPRIME HOME INFRA LLP Through Partner Shri Raghav Rathi S/o Shri Inder Mal Rathi, Registered on dated 17.04.2018, book No 01, Jild No940, Page No148 Serial No.201803053104173 in SR-Third, Jodhpur Rajasthan **(Plot No 38)**
* Original Patta Vilekh issued by J.D.A., Jodhpur in favour of SUNPRIME HOME INFRA LLP Through Partner Shri Raghav Rathi S/o Shri Inder Mal Rathi, Registered on dated 17.04.2018, book No 01, Jild No940, Page No137 Serial No.201803053104162 in SR-Third, Jodhpur Rajasthan **(Plot No 39)**
* Original Patta Vilekh issued by J.D.A., Jodhpur in favour of SUNPRIME HOME INFRA LLP Through Partner Shri Raghav Rathi S/o Shri Inder Mal Rathi, Registered on dated 17.04.2018, book No 01, Jild No940, Page No138 Serial No.201803053104163 in SR-Third, Jodhpur Rajasthan **(Plot No 40)**
* Original Patta Vilekh issued by J.D.A., Jodhpur in favour of SUNPRIME HOME INFRA LLP Through Partner Shri Raghav Rathi

Sunprime Home Infra LLP

RAMESH KUMAWAT
ADVOCATE

Scanned by CamScanner

S/o Shri Inder Mal Rathi, Registered on dated 17.04.2018, book No 01, Jild No940, Page No136 Serial No.201803053104161 in SR-Third, Jodhpur Rajasthan **(Plot No 41)**

* Original Patta Vilekh issued by J.D.A., Jodhpur in favour of SUNPRIME HOME INFRA LLP Through Partner Shri Raghav Rathi S/o Shri Inder Mal Rathi, Registered on dated 17.04.2018, book No 01, Jild No940, Page No132 Serial No.201803053104157 in SR-Third, Jodhpur Rajasthan **(Plot No 42)**
* Original Patta Vilekh issued by J.D.A., Jodhpur in favour of SUNPRIME HOME INFRA LLP Through Partner Shri Raghav Rathi S/o Shri Inder Mal Rathi, Registered on dated 17.04.2018, book No 01, Jild No940, Page No151 Serial No.201803053104176 in SR-Third, Jodhpur Rajasthan **(Plot No 43)**
* Original Patta Vilekh issued by J.D.A., Jodhpur in favour of SUNPRIME HOME INFRA LLP Through Partner Shri Raghav Rathi S/o Shri Inder Mal Rathi, Registered on dated 17.04.2018, book No 01, Jild No940, Page No139 Serial No.201803053104164 in SR-Third, Jodhpur Rajasthan **(Plot No 44)**
* Original Patta Vilekh issued by J.D.A., Jodhpur in favour of SUNPRIME HOME INFRA LLP Through Partner Shri Raghav Rathi S/o Shri Inder Mal Rathi, Registered on dated 17.04.2018, book No 01, Jild No940, Page No 175 Serial No.201803053104200 in SR-Third, Jodhpur Rajasthan **(Plot No 45)**
* Original Patta Vilekh issued by J.D.A., Jodhpur in favour of SUNPRIME HOME INFRA LLP Through Partner Shri Raghav Rathi S/o Shri Inder Mal Rathi, Registered on dated 17.04.2018, book No 01, Jild No940, Page No163 Serial No.201803053104188 in SR-Third, Jodhpur Rajasthan **(Plot No 46)**
* Original Patta Vilekh issued by J.D.A., Jodhpur in favour of SUNPRIME HOME INFRA LLP Through Partner Shri Raghav Rathi S/o Shri Inder Mal Rathi, Registered on dated 17.04.2018, book No 01, Jild No940, Page No156 Serial No.201803053104181 in SR-Third, Jodhpur Rajasthan **(Plot No 49)**
* Original Patta Vilekh issued by J.D.A., Jodhpur in favour of SUNPRIME HOME INFRA LLP Through Partner Shri Raghav Rathi S/o Shri Inder Mal Rathi, Registered on dated 17.04.2018, book No 01, Jild No940, Page No 171 Serial No.201803053104196 in SR-Third, Jodhpur Rajasthan **(Plot No 50)**
* Original Patta Vilekh issued by J.D.A., Jodhpur in favour of SUNPRIME HOME INFRA LLP Through Partner Shri Raghav Rathi

Partner

RAMESH KUMAWAT
ADVOCATE

Scanned by CamScanner

S/o Shri Inder Mal Rathi, Registered on dated 17.04.2018, book No 01, Jild No940, Page No 150 Serial No.201803053104175 in SR-Third, Jodhpur Rajasthan **(Plot No 51)**

* Original Patta Vilekh issued by J.D.A., Jodhpur in favour of SUNPRIME HOME INFRA LLP Through Partner Shri Raghav Rathi S/o Shri Inder Mal Rathi, Registered on dated 17.04.2018, book No 01, Jild No940, Page No162 Serial No.201803053104187 in SR-Third, Jodhpur Rajasthan **(Plot No 52)**
* Original Patta Vilekh issued by J.D.A., Jodhpur in favour of SUNPRIME HOME INFRA LLP Through Partner Shri Raghav Rathi S/o Shri Inder Mal Rathi, Registered on dated 17.04.2018, book No 01, Jild No940, Page No147 Serial No.201803053104172 in SR-Third, Jodhpur Rajasthan **(Plot No 53)**
* Original Patta Vilekh issued by J.D.A., Jodhpur in favour of SUNPRIME HOME INFRA LLP Through Partner Shri Raghav Rathi S/o Shri Inder Mal Rathi, Registered on dated 17.04.2018, book No 01, Jild No940, Page No 161 Serial No.201803053104186 in SR-Third, Jodhpur Rajasthan **(Plot No 54)**
* Original Patta Vilekh issued by J.D.A., Jodhpur in favour of SUNPRIME HOME INFRA LLP Through Partner Shri Raghav Rathi S/o Shri Inder Mal Rathi, Registered on dated 17.04.2018, book No 01, Jild No940, Page No178 Serial No.201803053104203 in SR-Third, Jodhpur Rajasthan **(Plot No 55)**
* Original Patta Vilekh issued by J.D.A., Jodhpur in favour of SUNPRIME HOME INFRA LLP Through Partner Shri Raghav Rathi S/o Shri Inder Mal Rathi, Registered on dated 17.04.2018, book No 01, Jild No940, Page No153 Serial No.201803053104178 in SR-Third, Jodhpur Rajasthan (Plot No 56)

PART III Flow of Title of Property - (HISTORY OF TITLE)

Inititally a Patta Vilekh issued by J.D.A, Jodhpur issued Patta Vilekh in favour of SUNPRIME HOME INFRA LLP Through Partner Shri Raghav Rathi S/o Shri Inder Mal Rathi, J.D.A., Jodhpur in favour of SUNPRIME HOME INFRA LLP Through Partner Shri Raghav Rathi S/o Shri Inder Mal Rathi, Registered on dated 17.04.2018, book No 01, Jild No 940, Page No166 Serial No.201803053104191 in SR-Third, Jodhpur Rajasthan **(Plot No 01),** J.D.A., Jodhpur in favour of SUNPRIME HOME INFRA LLP Through Partner Shri Raghav Rathi

Sunprime Home Infra LLP
Partner

RAMESH KUMAWAT
ADVOCATE

Scanned by CamScanner

S/o Shri Inder Mal Rathi, Registered on dated 17.04.2018, book No 01, Jild No940, Page No149 Serial No.201803053104174 in SR-Third, Jodhpur Rajasthan **(Plot No 02)**, J.D.A., Jodhpur in favour of SUNPRIME HOME INFRA LLP Through Partner Shri Raghav Rathi S/o Shri Inder Mal Rathi, Registered on dated 17.04.2018, book No 01, Jild No940, Page No176 Serial No.201803053104201 in SR-Third, Jodhpur Rajasthan **(Plot No 03)**, J.D.A., Jodhpur in favour of SUNPRIME HOME INFRA LLP Through Partner Shri Raghav Rathi S/o Shri Inder Mal Rathi, Registered on dated 17.04.2018, book No 01, Jild No940, Page No170 Serial No.201803053104195 in SR-Third, Jodhpur Rajasthan **(Plot No 04)**, J.D.A., Jodhpur in favour of SUNPRIME HOME INFRA LLP Through Partner Shri Raghav Rathi S/o Shri Inder Mal Rathi, Registered on dated 17.04.2018, book No 01, Jild No940, Page No160 Serial No.201803053104185 in SR-Third, Jodhpur Rajasthan **(Plot No 05)**, J.D.A., Jodhpur in favour of SUNPRIME HOME INFRA LLP Through Partner Shri Raghav Rathi S/o Shri Inder Mal Rathi, Registered on dated 17.04.2018, book No 01, Jild No940, Page No157 Serial No.201803053104182 in SR-Third, Jodhpur Rajasthan **(Plot No 06)**, J.D.A., Jodhpur in favour of SUNPRIME HOME INFRA LLP Through Partner Shri Raghav Rathi S/o Shri Inder Mal Rathi, Registered on dated 17.04.2018, book No 01, Jild No940, Page No155 Serial No.201803053104180 in SR-Third, Jodhpur Rajasthan **(Plot No 07)**, J.D.A., Jodhpur in favour of SUNPRIME HOME INFRA LLP Through Partner Shri Raghav Rathi S/o Shri Inder Mal Rathi, Registered on dated 17.04.2018, book No 01, Jild No940, Page No167 Serial No.201803053104192 in SR-Third, Jodhpur Rajasthan **(Plot No 08)**, J.D.A., Jodhpur in favour of SUNPRIME HOME INFRA LLP Through Partner Shri Raghav Rathi S/o Shri Inder Mal Rathi, Registered on dated 17.04.2018, book No 01, Jild No940, Page No154 Serial No.201803053104179 in SR-Third, Jodhpur Rajasthan **(Plot No 09)**, J.D.A., Jodhpur in favour of SUNPRIME HOME INFRA LLP Through Partner Shri Raghav Rathi S/o Shri Inder Mal Rathi, Registered on dated 17.04.2018, book No 01, Jild No940, Page No165 Serial No.201803053104190 in SR-Third, Jodhpur Rajasthan **(Plot No 10)**, J.D.A., Jodhpur in favour of SUNPRIME HOME INFRA LLP Through Partner Shri Raghav Rathi S/o Shri Inder Mal Rathi, Registered on dated 17.04.2018, book No 01, Jild No940, Page No152 Serial No.201803053104177 in SR-Third, Jodhpur Rajasthan **(Plot No 11)**, J.D.A., Jodhpur in favour of SUNPRIME HOME INFRA LLP Through Partner Shri Raghav Rathi

Sunprime Home Infra LLP
Partner

RAMESH KUMAWAT
ADVOCATE

Scanned by CamScanner

S/o Shri Inder Mal Rathi, Registered on dated 17.04.2018, book No 01, Jild No940, Page No169 Serial No.201803053104194 in SR-Third, Jodhpur Rajasthan **(Plot No 12)**, J.D.A., Jodhpur in favour of SUNPRIME HOME INFRA LLP Through Partner Shri Raghav Rathi S/o Shri Inder Mal Rathi, Registered on dated 17.04.2018, book No 01, Jild No940, Page No180 Serial No.201803053104105 in SR-Third, Jodhpur Rajasthan **(Plot No 13)**, J.D.A., Jodhpur in favour of SUNPRIME HOME INFRA LLP Through Partner Shri Raghav Rathi S/o Shri Inder Mal Rathi, Registered on dated 17.04.2018, book No 01, Jild No940, Page No173 Serial No.201803053104198 in SR-Third, Jodhpur Rajasthan **(Plot No 14)**, J.D.A., Jodhpur in favour of SUNPRIME HOME INFRA LLP Through Partner Shri Raghav Rathi S/o Shri Inder Mal Rathi, Registered on dated 17.04.2018, book No 01, Jild No940, Page No145 Serial No.201803053104170 in SR-Third, Jodhpur Rajasthan **(Plot No 15)**, J.D.A., Jodhpur in favour of SUNPRIME HOME INFRA LLP Through Partner Shri Raghav Rathi S/o Shri Inder Mal Rathi, Registered on dated 17.04.2018, book No 01, Jild No940, Page No177 Serial No.201803053104202 in SR-Third, Jodhpur Rajasthan **(Plot No 16)**, J.D.A., Jodhpur in favour of SUNPRIME HOME INFRA LLP Through Partner Shri Raghav Rathi S/o Shri Inder Mal Rathi, Registered on dated 17.04.2018, book No 01, Jild No 940, Page No179 Serial No.201803053104204 in SR-Third, Jodhpur Rajasthan **(Plot No 17)**, J.D.A., Jodhpur in favour of SUNPRIME HOME INFRA LLP Through Partner Shri Raghav Rathi S/o Shri Inder Mal Rathi, Registered on dated 17.04.2018, book No 01, Jild No 940, Page No159 Serial No.201803053104184 in SR-Third, Jodhpur Rajasthan **(Plot No 18)**, J.D.A., Jodhpur in favour of SUNPRIME HOME INFRA LLP Through Partner Shri Raghav Rathi S/o Shri Inder Mal Rathi, Registered on dated 17.04.2018, book No 01, Jild No 940, Page No 168 Serial No.201803053104193 in SR-Third, Jodhpur Rajasthan **(Plot No 19)**, J.D.A., Jodhpur in favour of SUNPRIME HOME INFRA LLP Through Partner Shri Raghav Rathi S/o Shri Inder Mal Rathi, Registered on dated 17.04.2018, book No 01, Jild No 940, Page No136 Serial No.201803053104160 in SR-Third, Jodhpur Rajasthan **(Plot No 20)**, J.D.A., Jodhpur in favour of SUNPRIME HOME INFRA LLP Through Partner Shri Raghav Rathi S/o Shri Inder Mal Rathi, Registered on dated 17.04.2018, book No 01, Jild No940, Page No134 Serial No.201803053104159 in SR-Third, Jodhpur Rajasthan **(Plot No 21)**, J.D.A., Jodhpur in favour of SUNPRIME HOME INFRA LLP Through Partner Shri Raghav Rathi

Sunprime Home Infra LLP
Partner

RAMESH KUMAWAT
ADVOCATE

Scanned by CamScanner

S/o Shri Inder Mal Rathi, Registered on dated 17.04.2018, book No 01, Jild No 940, Page No133 Serial No.201803053104158 in SR-Third, Jodhpur Rajasthan **(Plot No 27)**, J.D.A., Jodhpur in favour of SUNPRIME HOME INFRA LLP Through Partner Shri Raghav Rathi S/o Shri Inder Mal Rathi, Registered on dated 17.04.2018, book No 01, Jild No940, Page No141 Serial No.201803053104166 in SR-Third, Jodhpur Rajasthan **(Plot No 28)**, J.D.A., Jodhpur in favour of SUNPRIME HOME INFRA LLP Through Partner Shri Raghav Rathi S/o Shri Inder Mal Rathi, Registered on dated 17.04.2018, book No 01, Jild No940, Page No143 Serial No.201803053104168 in SR-Third, Jodhpur Rajasthan **(Plot No 29)**, J.D.A., Jodhpur in favour of SUNPRIME HOME INFRA LLP Through Partner Shri Raghav Rathi S/o Shri Inder Mal Rathi, Registered on dated 17.04.2018, book No 01, Jild No940, Page No140 Serial No.201803053104165 in SR-Third, Jodhpur Rajasthan **(Plot No 30)**, J.D.A., Jodhpur in favour of SUNPRIME HOME INFRA LLP Through Partner Shri Raghav Rathi S/o Shri Inder Mal Rathi, Registered on dated 17.04.2018, book No 01, Jild No940, Page No 142 Serial No.201803053104167 in SR-Third, Jodhpur Rajasthan **(Plot No 31)**, J.D.A., Jodhpur in favour of SUNPRIME HOME INFRA LLP Through Partner Shri Raghav Rathi S/o Shri Inder Mal Rathi, Registered on dated 17.04.2018, book No 01, Jild No940, Page No144 Serial No.201803053104169 in SR-Third, Jodhpur Rajasthan **(Plot No 32)**, J.D.A., Jodhpur in favour of SUNPRIME HOME INFRA LLP Through Partner Shri Raghav Rathi S/o Shri Inder Mal Rathi, Registered on dated 17.04.2018, book No 01, Jild No940, Page No 164 Serial No.201803053104189 in SR-Third, Jodhpur Rajasthan **(Plot No 33)**, J.D.A., Jodhpur in favour of SUNPRIME HOME INFRA LLP Through Partner Shri Raghav Rathi S/o Shri Inder Mal Rathi, Registered on dated 17.04.2018, book No 01, Jild No940, Page No172 Serial No.201803053104197 in SR-Third, Jodhpur Rajasthan **(Plot No 34)**, J.D.A., Jodhpur in favour of SUNPRIME HOME INFRA LLP Through Partner Shri Raghav Rathi S/o Shri Inder Mal Rathi, Registered on dated 17.04.2018, book No 01, Jild No940, Page No146 Serial No.201803053104171 in SR-Third, Jodhpur Rajasthan **(Plot No 35)**, J.D.A., Jodhpur in favour of SUNPRIME HOME INFRA LLP Through Partner Shri Raghav Rathi S/o Shri Inder Mal Rathi, Registered on dated 17.04.2018, book No 01, Jild No940, Page No174 Serial No.201803053104199 in SR-Third, Jodhpur Rajasthan **(Plot No 36)**, J.D.A., Jodhpur in favour of SUNPRIME HOME INFRA LLP Through Partner Shri Raghav Rathi

Sunprime Home Infra LLP
Partner

RAMESH KUMAWAT
ADVOCATE

Scanned by CamScanner

S/o Shri Inder Mal Rathi, Registered on dated 17.04.2018, book No 01, Jild No940, Page No158 Serial No.201803053104183 in SR-Third, Jodhpur Rajasthan **(Plot No 37)**, J.D.A., Jodhpur in favour of SUNPRIME HOME INFRA LLP Through Partner Shri Raghav Rathi S/o Shri Inder Mal Rathi, Registered on dated 17.04.2018, book No 01, Jild No940, Page No148 Serial No.201803053104173 in SR-Third, Jodhpur Rajasthan **(Plot No 38)**, J.D.A., Jodhpur in favour of SUNPRIME HOME INFRA LLP Through Partner Shri Raghav Rathi S/o Shri Inder Mal Rathi, Registered on dated 17.04.2018, book No 01, Jild No940, Page No137 Serial No.201803053104162 in SR-Third, Jodhpur Rajasthan **(Plot No 39)**, J.D.A., Jodhpur in favour of SUNPRIME HOME INFRA LLP Through Partner Shri Raghav Rathi S/o Shri Inder Mal Rathi, Registered on dated 17.04.2018, book No 01, Jild No940, Page No138 Serial No.201803053104163 in SR-Third, Jodhpur Rajasthan **(Plot No 40)**, J.D.A., Jodhpur in favour of SUNPRIME HOME INFRA LLP Through Partner Shri Raghav Rathi S/o Shri Inder Mal Rathi, Registered on dated 17.04.2018, book No 01, Jild No940, Page No136 Serial No.201803053104161 in SR-Third, Jodhpur Rajasthan **(Plot No 41)**, J.D.A., Jodhpur in favour of SUNPRIME HOME INFRA LLP Through Partner Shri Raghav Rathi S/o Shri Inder Mal Rathi, Registered on dated 17.04.2018, book No 01, Jild No940, Page No132 Serial No.201803053104157 in SR-Third, Jodhpur Rajasthan **(Plot No 42)**, J.D.A., Jodhpur in favour of SUNPRIME HOME INFRA LLP Through Partner Shri Raghav Rathi S/o Shri Inder Mal Rathi, Registered on dated 17.04.2018, book No 01, Jild No940, Page No151 Serial No.201803053104176 in SR-Third, Jodhpur Rajasthan **(Plot No 43)**, J.D.A., Jodhpur in favour of SUNPRIME HOME INFRA LLP Through Partner Shri Raghav Rathi S/o Shri Inder Mal Rathi, Registered on dated 17.04.2018, book No 01, Jild No940, Page No139 Serial No.201803053104164 in SR-Third, Jodhpur Rajasthan **(Plot No 44)**, J.D.A., Jodhpur in favour of SUNPRIME HOME INFRA LLP Through Partner Shri Raghav Rathi S/o Shri Inder Mal Rathi, Registered on dated 17.04.2018, book No 01, Jild No940, Page No 175 Serial No.201803053104200 in SR-Third, Jodhpur Rajasthan **(Plot No 45)**, J.D.A., Jodhpur in favour of SUNPRIME HOME INFRA LLP Through Partner Shri Raghav Rathi S/o Shri Inder Mal Rathi, Registered on dated 17.04.2018, book No 01, Jild No940, Page No163 Serial No.201803053104188 in SR-Third, Jodhpur Rajasthan **(Plot No 46)**, J.D.A., Jodhpur in favour of SUNPRIME HOME INFRA LLP Through Partner Shri Raghav Rathi

Sunprime Home Infra LLP
Partner

RAMESH KUMAWAT
ADVOCATE

Scanned by CamScanner

S/o Shri Inder Mal Rathi, Registered on dated 17.04.2018, book No 01, Jild No940, Page No156 Serial No.201803053104181 in SR-Third, Jodhpur Rajasthan **(Plot No 49)**, J.D.A., Jodhpur in favour of SUNPRIME HOME INFRA LLP Through Partner Shri Raghav Rathi S/o Shri Inder Mal Rathi, Registered on dated 17.04.2018, book No 01, Jild No940, Page No 171 Serial No.201803053104196 in SR-Third, Jodhpur Rajasthan **(Plot No 50)**, J.D.A., Jodhpur in favour of SUNPRIME HOME INFRA LLP Through Partner Shri Raghav Rathi S/o Shri Inder Mal Rathi, Registered on dated 17.04.2018, book No 01, Jild No940, Page No 150 Serial No.201803053104175 in SR-Third, Jodhpur Rajasthan **(Plot No 51)**, J.D.A., Jodhpur in favour of SUNPRIME HOME INFRA LLP Through Partner Shri Raghav Rathi S/o Shri Inder Mal Rathi, Registered on dated 17.04.2018, book No 01, Jild No940, Page No162 Serial No.201803053104187 in SR-Third, Jodhpur Rajasthan **(Plot No 52)**, J.D.A., Jodhpur in favour of SUNPRIME HOME INFRA LLP Through Partner Shri Raghav Rathi S/o Shri Inder Mal Rathi, Registered on dated 17.04.2018, book No 01, Jild No940, Page No147 Serial No.201803053104172 in SR-Third, Jodhpur Rajasthan **(Plot No 53)**, J.D.A., Jodhpur in favour of SUNPRIME HOME INFRA LLP Through Partner Shri Raghav Rathi S/o Shri Inder Mal Rathi, Registered on dated 17.04.2018, book No 01, Jild No940, Page No 161 Serial No.201803053104186 in SR-Third, Jodhpur Rajasthan **(Plot No 54)**, J.D.A., Jodhpur in favour of SUNPRIME HOME INFRA LLP Through Partner Shri Raghav Rathi S/o Shri Inder Mal Rathi, Registered on dated 17.04.2018, book No 01, Jild No940, Page No178 Serial No.201803053104203 in SR-Third, Jodhpur Rajasthan **(Plot No 55)**, J.D.A., Jodhpur in favour of SUNPRIME HOME INFRA LLP Through Partner Shri Raghav Rathi S/o Shri Inder Mal Rathi, Registered on dated 17.04.2018, book No 01, Jild No940, Page No153 Serial No.201803053104178 in SR-Third, Jodhpur Rajasthan **(Plot No 56)**

TITLE & ENCUMBRENCES CERTIFICATE

This is to certify that I have examined all the relevant documents of aforesaid Property situated are Plot No 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 46, Kh-300/3 Village - Pal, & District-Jodhpur Rajasthan which belongs to SUNPRIME HOME INFRA LLP Through Partner Shri Raghav

Sunprime Home Infra LLP
Partner

RAMESH KUMAWAT
ADVOCATE

Scanned by CamScanner

Rathi S/o Shri Inder Mal Rathi Title of ownership of the said property is clear, free marketable and free from all kind of encumbrances and chain of title is complete property is marketable and mortgage-able.

Place :- Jodhpur.
Dated 18.04.2018

Ramesh Kumawat
Advocate

RAMESH KUMAWAT
ADVOCATE

Sunshine Home Infra LLP
Partner

Scanned by CamScanner

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : JODHPUR-III

Fee Receipt
Appendix I (Form No. 9 (Rule 25 & 131) Print Date: 17-05-2018 9:41 AM

Fee Receipt No.	: 20180035360081 73	Receipt Date	: 17/05/2018
Name	: SUNPRIME HOME INFRA LLP TH PARTNER RAGHAV RATHI	Document S. No.	: 2018/0035360085 29
Address	: 05 PRATAPA NAGAR JODHPUR JODHPUR		
Document Type	: Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security cheques advanced in addition to the rent		
Face Value	: ₹ 19000	Calculated Value	: ₹ 3914575
Ord Registration Fee	: ₹ 522	Fee for Memorandum (Us_61_67)	: ₹
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 522	Stamp Duty	: ₹ 3908
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 3950
		Total Amount	: ₹ 3950

Mode of Payment (Mode No.(s)/ Amount ₹)
e-Challan Challan 12270005 ₹ 3950

Signature of presenter or person authorised for copy or Search certificate

Cashier

Signature of recipient and date of return receipt

SUB-REGISTRAR
उप पंजीयक (तृतीय
जोधपुर

Sunprime Homes Infra LLP
Partner

Scanned by CamScanner

मूल्य : 100/-

2812

जोधपुर विकास प्राधिकरण

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

5002 13/11/18

पट्टा विलेख

यह विलेख आज वर्ष ..... के माह ..... के ..... वें दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री मेसर्स अन्नपूर्णा होम इन्फ्रा प्रा. लि. द्वारा पार्टनर :- राघव राठी

जाति माहेश्वरी व्यवसाय व्यापार निवासी 05, गणपति नगर, जोधपुर (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इकरारनामे में जहां कहीं प्रसंग से विरुद्ध अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि और मुख्तकिल अर्थात् भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की राशि जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा की जा चुकी है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का यह समस्त भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना स्कीम - समृद्धि राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 300/3 क्षेत्रफल 122.50 में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित समस्त व प्रत्येक अपवादों, सरणाणें, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात :-

1. लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रेल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (सड़ती जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रूपये 9800/- अंकों में नौ हजार आठ सौ मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक वार्षिक नगरीय निर्धारण (सड़ती जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि से आठ गुना के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के सदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
2. एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दावी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
3. पट्टे की अवधि :- पट्टाभूमि अधिकार 99 वर्ष के लिए होगे।
4. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासिय प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
5. इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावे, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
6. लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तें और अन्य उपबंध, यथापेक्षित परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
7. उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रूपये प्रति वर्गफीट की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी, परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामले में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।
8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति पश्चादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलनीय होगा।
9. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि [illegible] दुरभिसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्व्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के

(कृ.प.अ.)

Partner.

Sunshine Home Infra LLP

Partner.

Scanned by CamScanner

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहृत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को आदित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार कृणदात्री संस्था/एम.जी.एफ.सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत कृणदात्री संस्थाओं के पास बंधक निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

नहीं लागू नहीं तो उसे काट देवें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम :
राजस्व ग्राम : पाल
खसरा नम्बर : 30013
योजना का नाम : बेल्स रेजीडेंसी
निवल्ड सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
246 X 45 = 12250

सीमा पूर्व पालि सीमा पश्चिम प्लॉट नं.-02
सीमा उत्तर 25 30FT सीमा दक्षिण 30FT. wide मार्ग संलग्न है।
भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो 01

इसके साक्षी के रूप में इसके पक्षकारों ने इसके बाद उल्लेख दस्तावेज में निर्दिष्ट स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय विकास की ओर से

सन् 20 माह के 13/4/18 को दिन
श्री राकेश शर्मा (SRAJ)
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

उपायुक्त (दक्षिण) एवं
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

साक्षी :-

1. नाम
पिता/पति का नाम LDC
व्यवसाय JDA
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

दिनांक सन् 20 के माह के
के दिन की निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
सहायक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये गये।

Supreme Home Infra LLP
Partner
लीजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

1. नाम रघुवीर जोशीला
पिता/पति का नाम [illegible]
व्यवसाय व्यापार
निवास स्थान 96, तारसेल भवन A रोड [illegible]

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम [illegible]
पिता/पति का नाम [illegible]
व्यवसाय व्यापार
निवास स्थान [illegible]

साक्षी के हस्ताक्षर

Partner

Scanned by CamScanner

" J.D.A. "

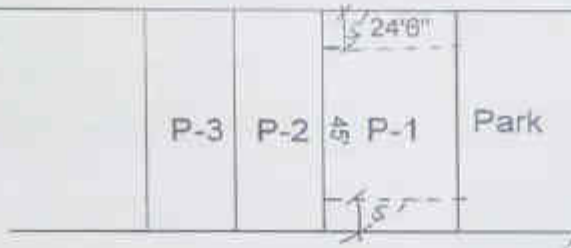
SITE PLAN FOR LEASE DEED FOR PLOT NO.1

KHASARA NO. 300/3 VILLAGE PAL AT JODHPUR

PLOT SIZE 24'6"X45 AREA = 122.50 SQYDS.

Scale :-1"30'

ROAD 30 FT WIDE



उप नगर नियोजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

उपायुक्त (दक्षिण)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

Sunprime Home Infra LLP

Partner.

Sunprime Home Infra LLP

Partner.

Scanned by CamScanner

Registration Endorsement

आज दिनांक 17/04/2018 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 940 में
पृष्ठ संख्या 166 क्रम संख्या 201803053104191 पर पंजीबद्ध किया गया तथा
अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 3756 के
पृष्ठ संख्या 443 से 450 पर चस्पा किया गया ।

201801053006529

उप पंजीयक, JODHPUR (Urban)
उप पंजीयक (तृतीय)
जोधपुर

Lease deed issuec in favour of first allotte for the purpose of estab[illegible]ownship under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, institutional, industries, tourism purpose) if the lease deed is presented for reg stration within two month.

कार्यालय उप पंजीयक (तृतीय)
जोधपुर

Sunprime Home Infra LLP
Partner

Scanned by CamScanner

Endorsement of Execution

अनु क्र.	पक्षकारों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	पक्षकारों का हस्ताक्षर
1	श्री/श्रीमती/सुश्री COMMISSIONER , पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री COMMISSIONER, व्यवसाय जाति Jodhpur Development Authority			Executant Age : 0 Signature
2	श्री/श्रीमती/सुश्री SUNPRIME HOME INFRA LLP TH PARTNER RAGHAV RATHI, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री S/O INDER MAL RATHI, व्यवसाय Businessजाति MAHESWARI House No. 05, Colony: PRATAPA NAGAR , Area: GANPATI NAGAR EXT, City: JODHPUR, Pin code: 342001, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN			Executant Age : 30 Signature

मे रेडमपदर Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose), if the lease deed is presented for registration within two month. को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया ।

दस्तिमत राशि रु 13030/- मुझे मे / मेरे समक्ष / मे से रु 13030/- मुझे मे ———— से मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया ।

उक्त निष्पादन करने की पहचान निम्न व्यक्तियों ने की है , जिनके हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान मेरे समक्ष किए गए है।

अनु क्र.	गवाहों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	हस्ताक्षर
1	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री RAMESHKUMAWAT, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री S/O MOHAN LAL, जाति KUMHAR Age: 37 Add: House No. 06, Colony: RHC, Area: RHC, City: JODHPUR, Pin code: 342001, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN			Signature

201801053006529

उप पंजीयक, JODHPUR-III

उप पंजीयक (तृतीय) जोधपुर

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose), if the lease deed is presented for registration within two month.

Sunprime Home Infra LLP
Partner

Scanned by CamScanner

Under 54 Endorsement

धारा 54 के तहत प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि इस लेख पत्र की स्टाम्प ₹ 594576 मालते हुए 5% रु
टेस कमी मुल्क राशि ₹ 2600 पर कमी गजीयम मुल्क ₹ 522, मालते राशि 522 कुल ₹ 3660 रमाए सरकार
20180203000173 दिनांक 17-04-2018 से जमा किये गये हैं।
अन्य एडमेंट को ₹ 2600 के मुद्रांक पर निष्पादित माना जाता है।

20180103006529

उप पंजीयक, JODHPUR (दक्षिण)

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establishment township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, institutional, Industries, tourism purpose), if the lease deed is presented for registration within two month.

उप पंजीयक (दक्षिण)
जोधपुर

Registration Endorsement

आज दिनांक 17/04/2018 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 940 में
पृष्ठ संख्या 166 क्रम संख्या 201803053104191 पर पंजीबद्ध किया गया तथा
अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 3756 के
पृष्ठ संख्या 443 से 450 पर उद्धरण किया गया।

20180103006529

उप पंजीयक, JODHPUR (दक्षिण)

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establishment township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, institutional, Industries, tourism purpose), if the lease deed is presented for registration within two month.

उप पंजीयक (दक्षिण)
जोधपुर

Sunshine Home Infra LLP

Partner

Scanned by CamScanner

Presentation Endorsement

आज दिनांक 17 माह 04 सन् 2018 को 09:50 AM बजे

श्री/श्रीमती/कुमारी SUNPRIME HOME INFRA LLP TH PARTNER

RAGHAV RATHI पुत्र/पुत्री/पत्नि/वधि श्री S/O INDER MAL RATHI

उम्र 30 वर्ष, जाति MAHESWARI , व्यवसाय Business

निवासी House No. 05, Colony: PRATAPA NAGAR , Area: GANPATI NAGAR EXT, City: JODHPUR, Pin code: 342001, District: JOODHPUR, State: RAJASTHAN

ने मेरे समक्ष दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया ।

दस्तावेज प्रस्तुतकर्ता

स्वीकार उप पंजीयक

JODHPUR-III

उप पंजीयक (तृतीय) जोधपुर

2018010530065129

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month.

Fees Receipt Endorsement

रसीद नं.	2018020530005173
दिनांक	17-04-2018
पंजीयन शुल्क ₹	522
फोटोग्राफी शुल्क ₹	0
पृष्ठांकन शुल्क ₹	200
अन्य शुल्क ₹	0
कमी स्टाम्प शुल्क ₹	2606
कमी अरबाडे शुल्क ₹	522
कुल योग	3850

2018010530065129

स्वीकार उप पंजीयक

JODHPUR-III

उप पंजीयक (तृतीय) जोधपुर

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month.

कार्यालय उप पंजीयक (तृतीय) जोधपुर

Sunprime Infra LLP

Partner

Scanned by CamScanner

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : JODHPUR-III

Fee Receipt
Appendix-I Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 17-04-2018 9:53 AM

Fee Receipt No	: 20180203300617A	Receipt Date	: 17/04/2018
Name	: SUNPRIME HOME INFRA LLP TH PARTNER RAGHAV RATHI	Document S. No	: 2018010930006930
Address	: 00 ,PRATAP NAGAR , JODHPUR, JODHPUR		
Document Type	: Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	: ₹ 8310	Evaluated Value	: ₹ 432900
Ord-Registration Fee	: ₹ 341	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 340	Stamp Duty	: ₹ 1702
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_35_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 2583
		Total Amount	: ₹ 2583

Mode of Payment (EMode Number Amount)
e-Gras Challan 22373419 ₹ 2583

Signature of presenter or applicant for copy or Search certificate ( )

Cashier

Signature of recipient and date of return receipt

SUB-REGISTRAR

उप पंजीयक (तृतीय
जोधपुर

Sunprime Home Infra LLP
Partner.

Scanned by CamScanner

क्रमांक : 2813

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

5407
13/9/18

यह विलेख आज वर्ष _____ के माह _____ के _____ दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिसे इसके बाद नगर निकाय कहकर सम्बोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री अनन्त प्रकाश, हीरा, इन्द्रा पत्र प्राप्त, पी, 103 जे डी आवास प्रथम मंजिल, जलजोग अपार्टमेन्ट के पास, जोधपुर जरिए पार्टनर साधन शाही

जाति इंजीनियर

व्यवसाय व्यापार निवासी 85, रामापीर नगर, जोधपुर (जिसको इसके बाद लीजधारक सम्बोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इकरार में जहां कहीं प्रसंग से विरुद्ध अर्थ निकले, उसमें उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रबन्धक प्रतिनिधि और पुनर्ग्रहिता आदेश भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्षात्कित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की राशि जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और बातों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इसके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह समान भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर सम्बोधित किया गया है) प्रदान और डीज करती है जो योजना नवन - जामड़ि राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 300/3 क्षेत्रफल 80.00 में स्थित है और जो आवेदन पत्र और आवंटन के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णतयोन वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इसमें संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व सम्बन्धी समस्त सहित किन्तु निम्नलिखित प्रावधान व प्रतिबंध अध्यधीन, सरकारी, प्रतिबन्धों, बंधनों, शर्तों और बातों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखकर, अर्थात :-

1. लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अग्रिम के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के सम्बन्ध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (वार्षिक जमाबन्दी या भूमि का किराया) के मद पर सम्पूर्ण 6400/- अंकों में छह हजार चार सौ मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक साथ नगरीय निर्धारण (वार्षिक जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुना के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के भुगतान से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
2. एक बार निर्धारित किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 10 वर्ष के पश्चात् और विकास या ढाल या अन्यथा द्वारा ऐसी अन्तराल पर भी पुनर्निर्धारण का दावी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनर्निर्धारण या, यथास्थिति, अन्तराल के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
3. पट्टे की अवधि :- पट्टापुर्ति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगी।
4. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
5. इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जाये, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
6. लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथापरिवर्तक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रत्यनुज्ञा उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि सक्षम द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
7. उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस सौ रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निर्धारित की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।
8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति पारदेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या आवास, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूलनीय होगा।
9. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख किसी तथ्य की तुलनीय या उसके प्रस्तुतन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्व्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या प्रीमियम या पट्टा विलेख के

(कृ.पृ.3)

Scanned by CamScanner

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहृत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को धारित किसी भी प्रकार की तुलसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा नितेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिडयूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ.सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट देवें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम :
राजस्व ग्राम : पाल
खसरा नम्बर : 3006/3
योजना का नाम सन सम्पदा
विस्तृत माप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर 16' X 45 = 80.00

सीमा पूर्व प्लॉट नं. 01 सीमा पश्चिम प्लाट नं. 03
सीमा उत्तर रोड 30 Ft सीमा दक्षिण अन्य भूमि मानचित्र संलग्न है।
भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो 02

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकैन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 ..... माह के 17/4/18 वें दिन
श्री राकेश शर्मा (TEAS)
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

उपायुक्त (वित्त) द्वितीय पक्ष
जोधपुर विकास प्राधिकरण (मोहर)
जोधपुर

साक्षी :-

1. नाम .....
पिता/पति का नाम LDC
व्यवसाय JDA
निवास स्थान .....

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम .....
पिता/पति का नाम .....
व्यवसाय .....
निवास स्थान .....

साक्षी के हस्ताक्षर

Sunprime Home Infra LLP

आज दिनांक ..... सन् 20 ..... के माह ..... की .....
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री .....
लीजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये गये।

Partner
लीजधारक द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

1. नाम रघुवीर अरावाल
पिता/पति का नाम [illegible] अरावाल
व्यवसाय नं. 10, तारक भवन, A रोड, रातानाडा जोधपुर
निवास स्थान व्यापार

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम रामाराम भेरावाल
पिता/पति का नाम पुखराराम भेरावाल
व्यवसाय व्यापार
निवास स्थान ग्राम पाल, जोधपुर

रामाराम

साक्षी के हस्ताक्षर

Scanned by CamScanner

" J.D.A. "

SITE PLAN FOR LEASE DEED FOR PLOT NO.2

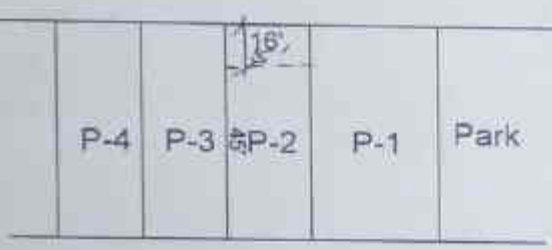
KHASARA NO. 300/ 3 VILLAGE PAL AT JODHPUR

PLOT SIZE 16'X45 AREA = 80.00 SQYDS

N W E S

Scale :-1"30'

ROAD 30 FT WIDE



Other Land

उप नगर नियोजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

उपायुक्त (दक्षिण)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

Sunprime Home Infra LLP

Partner

Sunprime Home Infra LLP

Partner

Scanned by CamScanner

Registration Endorsement

आज दिनांक 17/04/2018 को

पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 940 में

पृष्ठ संख्या 149 क्रम संख्या 2018030531041174 पर पंजीबद्ध किया गया तथा

अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 3756 में

पृष्ठ संख्या 307 से 314 पर चस्पा किया गया ।

2018010530065530

उप पंजीयक (तृतीय
जोधपुर

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan towensh p policy, 2010 (for residential, institutional, Industries, tour , if the lease deed is presented for registration within two month.

Surprime Home (I) LLP

Partner

Scanned by CamScanner

Sunprime Home Infra LLP

Partner

Presentation Endorsement

आज दिनांक 17 अप्र 04 अप्र 2018 को 09:51 AM बजे

श्री/श्रीमती/कुमारी SUNPRIME HOME INFRA LLP TH PARTNER RAGHAV RATHI पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री S/O INDER MAL RATHI उम्र 30 वर्ष, जाति MAHESWARI , व्यवसाय Business निवासी House No.:00, Colony: PRATAP NAGAR , Area: 5 GANPATI NAGAR EXT, City: JODHPUR, Pin code: 342001, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN

ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया ।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता

20180405300653O

उप पंजीयक
JODHPUR-III

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, institutional, industries, tourism purpose), if the lease deed is presented for registration within two month.

उप पंजीयक (तृतीय)
जोधपुर

Fees Receipt Endorsement

रसीद नं.	20180205300617 4
दिनांक	17-04-2018
पंजीयन शुल्क ₹	341
प्रतिलिपि शुल्क ₹	0
पृष्ठांकन शुल्क ₹	200
अन्य शुल्क ₹	0
कमी स्टाम्प शुल्क ₹	1702
कमी सरचार्ज शुल्क ₹	340
कुल योग	2583

20180105300653O

उप पंजीयक
JODHPUR-III

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, institutional, industries, tourism purpose), if the lease deed is presented for registration within two month.

उप पंजीयक (तृतीय)
जोधपुर

Scanned by CamScanner

Endorsement of Execution

अनु क्र.	पक्षकारों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	पक्षकारों का प्रकार
1	श्री/श्रीमती/कुमारी COMMISSIONER पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री COMMISSIONER, व्यवसाय जाति Jodhpur Development Authority			Executant Age : 0 Signature
2	श्री/श्रीमती/कुमारी SUNPRIME HOME INFRA LLP TH PARTNER RAGHAV RATHI, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री S/O INDER MAL RATHI, व्यवसाय Businessजाति MAHESWARI House No. 00, Colony: PRATAP NAGAR , Area: S GANPATI NAGAR EXT. City: JODHPUR, Pin code: 342001, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN			Claimant Age : 30 Signature

ये लेखपत्र Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose), if the lease deed is presented for registration within two month. को पढ़ सुन व समझाकर निष्पादन करना स्वीकार किया ।

दस्तिवज फीस ₹ 8510/- मुद्रांक ₹ / बीड़ समझ / में से ₹ 8510/- मुद्रांक में ———— से सेट समझ पाना करना स्वीकार किया ।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान निम्न व्यक्तियों ने की है , जिनके हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान मेरे समक्ष लिए गए है।

अनु क्र.	साक्षी का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	हस्ताक्षर
1	Name: श्री/श्रीमती/कुमारी RAMESH KUMAWAT, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री MOHAN LAL KUMAWAT जाति KUMHAR Age: 30 Add: House No :00, Colony: RHC, Area: RHC, City: JODHPUR, Pin code: 342001, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN			Signature

20180105300S330

उप पंजीयक, JODHPUR-III

उप पंजीयक (प्रथम)

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose), if the lease deed is presented for registration within two month.

Sunprime Home Infra LLP

Partner

Scanned by CamScanner

Under 54 Endorsement

धारा 54 के तहत प्रमाणित किया जाता है कि इस लीज पत्र की अतिरिक्त रु 463800 मालगी इस पत्र के
टेप वाली मुद्रांक राशि रु 1702 एवं बाकी एडीशनल मुद्रांक रु 341, अरावली राशि 340 कुल रु 2383 राशि मात्र
201802053096174 दिनांक 17-04-2018 से जमा किये गये है।
अतः इकरारनामा की रु 1702 के मुद्रांकों पर लिखापढ़ित मान्य जाता है।

उप पंजीयक, JODHPUR-III

201801053006530

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, institutional, industries, tourism purpose) if the lease deed is presented for registration within two month.

Registration Endorsement

आज दिनांक 17/04/2018 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 940 में
पृष्ठ संख्या 149 क्रम संख्या 201803053104174 पर पंजीबद्ध किया गया तथा
अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 3756 के
पृष्ठ संख्या 307 से 314 पर चस्पा किया गया।

उप पंजीयक, JODHPUR-III

201801053006530

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, institutional, industries, tourism purpose) if the lease deed is presented for registration within two month.

Scanned by CamScanner

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : JODHPUR-III

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 [Rule 75 & 131) Print Date : 17-04-2018 9:49 AM

Fee Receipt No	: 20180205300517Z	Receipt Date	: 17/04/2018
Name	: SUNSHINE HOME INFRA LLP TH PARTNER RAGHAV RATHI	Document S. No.	: 2018010530065Z8
Address	: 05 ,PRATAP NAGAR J ,JODHPUR		
Document Type	: Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	: ₹ 8512	Evaluated Value	: ₹ 493600
Ord-Registration Fee	: ₹ 341	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 340	Stamp Duty	: ₹ 1702
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 2583
		Total Amount	: ₹ 2583

Mode of Payment (#Mode Number Amount(₹))
e-Gras Challan 22378514 ₹ 2583

Signature of presenter or applicant for copy or Search certificate

Signature of recipient and date of return receipt

SUB-REGISTRAR

उप पंजीयक (तृतीय
जो

Sunshine Home Infra LLP
Partner

Scanned by CamScanner

मूल्य : 100/-

2814







जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (भूमि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए रूपान्तरण की
अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 11 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

यह विलेख आज दि. _____ के माह _____ के _____ दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
जिसे इसके बाद मात्र विकास प्राधिकरण लिखा गया है, द्वारा एक ओर श्री/श्रीमती/मैसर्स/मैसर्स _____
_____ आदि _____
(जिसको इसके बाद
पट्टाधारक लिखा गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस प्रकरण में उक्त वर्णी दोनों या दोनों अथवा निम्नांकित, उनके उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक
प्रतिनिधि और मुख्तारनामा आदि भी सम्मिलित हुआ, के मध्य निम्नांकित हुआ है:

यह विलेख साक्षात्कारित करता है कि प्रतिफल तथा विकास शुल्क की पावती का लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी पावती मात्र विकास के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों को लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के पश्चात् मात्र विकास इसके द्वारा लीजधारक को उपरोक्त का यह मकान भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड अथवा सम्पत्ति लिखा गया है) उसके और सीध वाली है या कालोनी _____ योजना/स्कीम _____
के खसरा नम्बर _____ क्षेत्रफल _____ में स्थित है और जो आसपास सीमा और क्षेत्रफल से साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णतया वर्णित है तथा जिसका आवंटन विलेख साथ में इसके संलग्न मानचित्र में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्थायित्व सम्पत्ति स्थायी पक्षियों सहित किन्तु निम्नलिखित सम्पत्ति के प्रावधान अभ्यारण्य, सरोवरों, प्रतिबंधों, खदानें, शर्तों और करारों के अधीन पट्टाधारक अपने उत्तराधिकार, उत्तराधिकार और हस्तान्तरण के लिए अपने अधिकार में सहेजता, अर्थात :-

1. लीजधारक मात्र विकास के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे मात्र विकास समय-समय पर इस हेतु नियत करे दे, प्रत्येक वर्ष अग्रिम के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के सम्बन्ध में उक्त नियमों के नियम 23 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये वार्षिक निर्धारण (शासी जमानदारी या भूमि का किराया) के रीत पर सम्पत्ति ₹ 6400/- अंक छः हजार चार सौ _____
_____ रुपये पहली अग्रिम वार्षिक, मात्र विकास, यदि चाहे तो एक वार्षिक वार्षिक निर्धारण (शासी जमानदारी या भूमि का किराया) को परिवर्तित करता रहेगा, जो उक्त वर्ष, नियमों यदि उक्त जमानदारी जारी है, को अधिनियम करता हुआ, पूर्व वार्षिक वार्षिक निर्धारण की तारीख से अगला पूरा वर्ष प्रारम्भ होगी और इस प्रकार उक्त प्रत्येक नयी वार्षिक निर्धारण की तारीख से पश्चात्वर्ती लीजधारक उक्त निर्धारण की तारीख से पहले के पहले के दौरान के दौरान के पूरा प्रारम्भ होने का अधिकारी होगा;

2. ऐसे कार्य निर्धारण किया वार्षिक निर्धारण या भूमि का किराया प्रारंभ से वर्ष के पश्चात् और विलंब या देय न अन्यथा इसके ऐसे अन्यथा पर की दुगनी दिनांक का दावी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे दुगनीकरण पर, पश्चात्वर्ती, अन्यथा के समय वार्षिक निर्धारण या भूमि के किराया का 25 प्रतिशत होगी;

3. पट्टा की अवधि – पट्टाधारी अधिकतम 100 वर्ष के लिए होगे;

4. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल _____ प्रयोजन, जिसके लिए मात्र विकास द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड का भवन का निर्माण किया जायेगा;

5. इस पट्टा विलेख की तारीख से 1 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-24 के अन्तर्गत बढ़ा दी जाये, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण प्रारम्भ कराया जायेगा;

6. लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा, उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबन्धन और शर्तों और अन्य उपबंध, उपान्तरण सहित, अन्तरिती या उप-पट्टाधारक पर इस प्रकार लागू होंगे मानो उक्त भूखण्ड मात्र विकास द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है; लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि मात्र द्वारा अन्तरित की जायगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी; उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबन्धनों और शर्तों पर किसी पृथक आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मानकों में जारी किये जायें, शासित होंगे;

7. उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में मात्र के अन्तरण के लिए मात्र विकास को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या समीक्षा या अन्य भूखण्ड हस्तान्तरण प्रस्तुत किये जायेंगे; प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण शीघ्र निर्धारण की जायगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई शीघ्र अन्तरित नहीं की जायगी;

8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति भवनांश प्रीमियम या वार्षिक निर्धारण या भाग, आवासीय/व्यापार विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के _____

9. यदि अवसान या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवेदन या पट्टा विलेख किये गये दुर्घटनाओं या उसके उपान्तरण में अन्तर्वस्तु उपबंधों के आधार पर दुर्घटनापूर्वक द्वारा अभिप्राय किया गया है, तो आवेदन या पट्टा विलेख में

(पृष्ठ 1/2)

Scanned by CamScanner

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहृत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/हिंदुस्तान बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ.सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

~~जो लागू नहीं हो उसे काट देवें।~~

परिशिष्ट

कस्बे का नाम :
राजस्व ग्राम : पाल
खसरा नम्बर : 300/3
कॉलोनी का नाम : रान- स्पर्श
विस्तृत माप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
16' x 45' = 80.00

सीमा पूर्व प्लॉट नं. 02 सीमा पश्चिम प्लॉट नं. 04
सीमा उत्तर रोड 30 ft सीमा दक्षिण अन्य भूमि मानचित्र संलग्न है।
भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो 03

इसके साक्षी के रूप में इसके परोक्षेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्दिष्ट स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 ..... माह के 13/4/18 वें दिन
श्री राकेश शर्मा (टेनेन्ट)
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

नगर निकाय/प्रथम पक्ष
(सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)
उपायुक्त (दक्षिण)
जोधपुर विकास प्राधिकर
जोधपुर

साक्षी :-

1. नाम .....
पिता/पति का नाम .....
व्यवसाय .....
निवास स्थान .....

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम .....
पिता/पति का नाम .....
व्यवसाय .....
निवास स्थान .....

साक्षी के हस्ताक्षर

Sunprime Home Infra LLP

आज दिनांक ..... सन् 20 ..... के माह ..... के .....
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री .....
लीजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये गये।

Partner
लीजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

1. नाम रोहित अग्रवाल
पिता/पति का नाम सत्या नारायण अग्रवाल
व्यवसाय व्यापार
निवास स्थान 70 नेमत भवन सरदारपुरा जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम पुरखा राम मेघवाल
पिता/पति का नाम रवीना राम
व्यवसाय कृषि
निवास स्थान पाल जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

Sunprime Home Infra LLP
Partner

Scanned by CamScanner

" J.D.A. "

SITE PLAN FOR LEASE DEED FOR PLOT NO.3

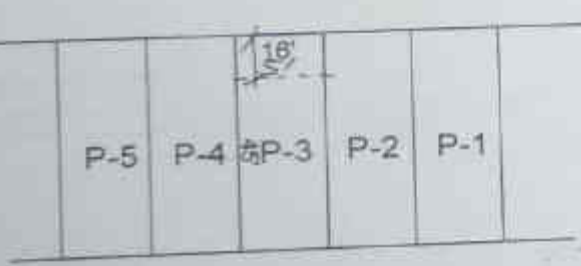
KHASARA NO. 300/ 3 VILLAGE PAL AT JODHPUR



PLOT SIZE 16'X45 AREA = 80.00 SQYDS

Scale :-1"30'

ROAD 30 FT WIDE



उपनगर निवेशक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

उपायुक्त (वस्तिच)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

Sunprime Home Infra LLP

Partner

Sunprime Home Infra LLP

Partner

Scanned by CamScanner

Registration Endorsement

आज दिनांक 17/04/2018 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 940 में
पृष्ठ संख्या 176 क्रम संख्या 201803053104201 पर पंजीबद्ध किया गया तथा
अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 3757 के
पृष्ठ संख्या 57 से 64 पर चस्पा किया गया ।

201801053006528

उपपंजीयक (तृतीय)
जोधपुर

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purposes) if the lease deed is presented for registration within two month.

Scanned by CamScanner

Presentation Endorsement

आज दिनांक 17 माह 04 सन् 2018 को 09:47 AM बजे
श्री/श्रीमती/कुमारी SUNPRIME HOME INFRA LLP TH PARTNER
RAGHAV RATHI पुत्र/पुत्रीमत्नि श्री S/O INDER MAL RATHI
उम्र 37 वर्ष, जाति MAHESWARI , व्यवसाय Business
निवासी House No. 05, Colony: PRATAP NAGAR , Area: GANPATI NAGAR EXT, City: J, Pin code: 342001, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया ।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता

हस्ताक्षर उप पंजीयक,
JODHPUR-III

उप पंजीयक, जोधपुर

201801053006528

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish ... Rajasthan township policy, 2010 (for residential, institutional, industries, tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month.

Fees Receipt Endorsement

रसीद नं.	201802053006172
दिनांक	17-04-2018
पंजीयन शुल्क ₹	341
प्रतिलिपि शुल्क ₹	0
पृष्ठांकन शुल्क ₹	200
अन्य शुल्क ₹	0
कमी स्टाम्प शुल्क ₹	1702
कमी सरचार्ज शुल्क ₹	340
कुल योग	2583

201801053006528

उप पंजीयक,
JODHPUR-III

उप पंजीयक, जोधपुर

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establis... township policy, 2010 (for residential, institutional, industries, tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month.

Scanned by CamScanner

Endorsement of Execution

अनु क्र.	पक्षकारों का नाम व पता	अंगूठा	पक्षकारों का प्रकार
1	श्री/श्रीमती/सुश्री COMMISSIONER पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री COMMISSIONER, सरकार जाति Jodhpur Development Authority		Executant Age : 0 Signature
2	श्री/श्रीमती/सुश्री SUNPRIME HOME INFRA LLP TH PARTNER RAGHAV RATHI, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री S/O INDER MAL RATHI, सरकार Businessजाति MAHESWARI House No. 05, Colony PRATAP NAGAR , Area: GANPATI NAGAR EXT. City: J, Pin code: 342001, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN		Claimant Age : 37 Signature

ने लेखपत्र Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose), if the lease deed is presented for registration within two month. की पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया ।

अतिरिक्त राशि रु 8510/- पूर्ण रो / रो समक्ष / मे से रु 8510/- पूर्ण मी ———— से मेरे समक्ष जमा कराना स्वीकार किया ।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान निम्न व्यक्तियों से की है , जिनके हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान मेरे समक्ष किए गए हैं।

अनु क्र.	गवाही का नाम व पता	अंगूठा	हस्ताक्षर
1	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री RAMESH KUMAWAT, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री MOHAN LAL जाति KUMHAR Age: 37 Add: House No.:00, Colony: RHC, Area: RHC, City: JODHPUR, Pin code: 342001, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN		Signature

201801053006528

उप पंजीयक, JODHPUR-III

उप पंजीयक (तृतीय)
जोधपुर

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose), if the lease deed is presented for registration within two month.

उप पंजीयक (तृतीय)

Sunprime Home Infra LLP
Partner

Scanned by CamScanner

Under 54 Endorsement

धारा 54 के तहत प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि इस लेख पत्र की संलिपत रु 453600 मानते हुए इस पर देय कमी मुद्रांक राशि रु 1702 पर कमी पंजीयन शुल्क रु 341, सरचार्ज राशि 340 कुल रु 2383 रसीद संख्या 201802053008172 दिनांक 17-04-2018 में जमा किये गये है।

अतः दस्तावेज को रु 1702 के मुद्रांको पर निष्पादित माना जाता है।

201801053006528

उप पंजीयक, JODHPUR-III

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establishment township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, Tourism purpose), if the lease deed is presented for registration within two month.

Registration Endorsement

आज दिनांक 17/04/2018 को

पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 940 में

पृष्ठ संख्या 176 क्रम संख्या 201803053104201 पर पंजीबद्ध किया गया तथा

अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 3757 के

पृष्ठ संख्या 57 से 64 पर चस्पा किया गया ।

201801053006528

उप पंजीयक, JODHPUR-III

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establishment township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, Tourism purpose), if the lease deed is presented for registration within two month.

उप पंजीयक (तृतीय)
जोधपुर

Scanned by CamScanner

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : JODHPUR-II

Fee Receipt
Appendix-I (From No. 5 (A) to 7(i) & 13(i))

Fee Receipt No	: 2018202830061175	Receipt Date	: 17/04/2018
Name	: SUNSHINE HOMES INFRA LLP TH PARTNER RAGHAV PATNI	Document E. No	: 2018CY1932000531
Address	: 56 PRATAP NAGAR JODHPUR JODHPUR		
Document Type	: Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	: ₹ 5510	Computed Value	: ₹ 453600
One Registration Fee	: ₹ 341	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 340	Stamp Duty	: ₹ 1702
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 2583
		Total Amount	: ₹ 2583

Mode of Payment (Mode Number Amount ₹)
e-Gras Challan 2201820 ₹ 2583

Signature of presenter / applicant for copy or Search certificate

Cashier

Signature of recipient and date of return receipt

SUB-REGISTRAR

उप पंजीयक (तृतीय
जोधपुर)

Sunshine Homes Infra LLP
Partner

Scanned by CamScanner

(4)

2815



जोधपुर विकास प्राधिकरण





जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग का
अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 12 के अन्तर्गत भूमि का

5005
13/4/18

पट्टा विलेख

यह विलेख आज वर्ष _____ के माह _____ के _____ वें दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिसे इसके बाद नगर निकाय कहकर सम्बोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री Arun Prajapat Home Group एल.एल.पी. 103 जे.डी. आरकेड प्रथम मंजिल, जलदोग सर्कल के पास, जोधपुर जरिए पार्टनर राघव राही

जाति प्रोप्राइटरी

व्यवसाय व्यापार निवासी 85 उमापति नगर, जोधपुर (जिसे इसके बाद लीजधारक सम्बोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इकरारनामे में जहां जहां प्रसंग से विरुद्ध अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, समनुदेशिती और पुनर्ग्रहिता अतिरिक्त भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित कराता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और वचनों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किए जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इसके द्वारा लीजधारक को जमीन का यह तामम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर सम्बोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना सन स्मृति राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 300/3 क्षेत्रफल 20.00 में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिये गये परिसीमा में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इसमें संलग्न नक्शे में लाल रंग से दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व सम्बंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित संरक्षण व प्रत्येक अधिकारों, सरकारी, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और वचनों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात :-

1. लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत करे दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन-प्रथम भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमावन्दी या भूमि जरिए किराया) की राशि वार्षिक लगान 6400/- अर्थात रु. छह हजार चार सौ मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक वार्षिक नगरीय निर्धारण (शहरी जमावन्दी या भूमि जरिए किराया) की राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा कराई जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्व वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय से वार्षिक से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
2. एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 10 वर्ष के पश्चात् और विकास या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण कर दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
3. पट्टे की अवधि :- पट्टापूर्ति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगी।
4. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
5. इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जाये, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
6. लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, प्रशासकीय परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रकरणत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि समय द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किसी पृथक आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
7. उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ संशोधनीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति पार्सलिटर की दर से अन्तरण फीस निर्धारित की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामले में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।
8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति पारित प्रीमियम या नगरीय निर्धारण का बकाया, अन्तरित भाड़ा विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलनीय होगा।
9. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि [illegible] दुर्भावनापूर्ण या छलपूर्ण प्रलेखन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्भावपूर्वक द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख में

(कृ.पा.)

Partner

Supreme Home

Partner

Scanned by CamScanner

निबन्धनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहृत करेगा जो उसी प्रभारों से सहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को फारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/हिंदुस्तान बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ.सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

जो लागू नहीं हो उसे काट देवें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम :
राजस्व ग्राम : पाल
खसरा नम्बर : 300/3
योजना का नाम : एम - आमृष्टि
विस्तृत माप सहित क्षेत्रफल वर्गफीट/वर्गमीटर
16'x45' = 80.00

सीमा पूर्व प्लॉट नं. 03 सीमा पश्चिम प्लॉट नं. 05
सीमा उत्तर 30 फीट सीमा दक्षिण अन्य भूमि मानचित्र संलग्न है।
भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो 04

इसके साक्षी के रूप में इसके पक्षकारों ने इसके बाद प्रत्येक दस्त में निर्दिष्ट स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

सन् 20 ..... माह के 12/4/18 को दिन
श्री राहुल शर्मा (TEAM)
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

उपायुक्त (दक्षिण) पक्ष
(सक्षम अधिकारी) जोधपुर विकास प्राधिकर (भोर)
जोधपुर

साक्षी :-

1. नाम .....
पिता/पति का नाम LDC
व्यवसाय JDA
निवास स्थान .....

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम .....
पिता/पति का नाम .....
व्यवसाय .....
निवास स्थान .....

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक ..... सन् 20 ..... के माह ..... के ..... दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त को लीजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये गये।

Sunprime Home Infra LLP
Partner
लीजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

1. नाम रघुराज उगरवाल
पिता/पति का नाम सत्य नारायण उगरवाल
व्यवसाय व्यापार
निवास स्थान 70 गोकुल भवन सरदारपुरा जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम पुरुरवा राज पुरोहित
पिता/पति का नाम रवीश राज
व्यवसाय छात्र
निवास स्थान पाल गांव जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

Scanned by CamScanner

" J.D.A. "

SITE PLAN FOR LEASE DEED FOR PLOT NO.4

KHASARA NO. 300/ 3 VILLAGE PAL AT JODHPUR

PLOT SIZE 16'X45 AREA = 80.00 SQYDS.

Scale :-1"30'

ROAD 30 FT WIDE

16'

P-6 | P-5 | P-4 | P-3 | P-2

Other Land

उप नगर नियोजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

उपायुक्त (दक्षिण)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

Sunprime Home Infra LLP

Partner

Sunprime Home Infra LLP

Partner

Scanned by CamScanner

Registration Endorsement

आज दिनांक 17/04/2018 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 840 में
पृष्ठ संख्या 170 क्रम संख्या 2018030531041 05 पर पंजीबद्ध किया गया तथा
अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 3757 के
पृष्ठ संख्या 9 से 16 पर चस्पा किया गया।

2018010530006531

उप पंजीयक (मूलीय)
SUB REGISTRAR-III
उदयपुर

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establishing township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, institutional, industrial, commercial purposes), if the lease deed is presented for registration within two month.

Supreme Home Infra LLP

Scanned by CamScanner

Endorsement of Execution

क्रमांक	पक्षकारों का नाम व पता	पक्षकार का	अंगूठा	पक्षकारों का हस्ताक्षर
1	श्रीमान्/श्रीमती COMMISSIONER, पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री COMMISSIONER, व्यवसाय जाति Jodhpur Development Authority			Executant Age : 0 Signature
2	श्रीमान्/श्रीमती SUNPRIME HOME INFRA LLP TH PARTNER RAGHAV RATHI, पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री S/O INDER MAL RATHI, व्यवसाय Business/जाति MAHESWARI Address: House No: 05, Colony: PRATAP NAGAR , Area: GANPATI NAGAR EXT, City: JODHPUR, Pin code: 342001, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN			Claimant Age : 35 Signature :

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish towenship under the Rajasthan townships policy, 2010 (for residential, institutional, industries, tourism purpose), if the lease deed is presented for registration within two month. श्री यह पट्टा ये दस्तावेज़ निबन्धन कराने हेतु प्रस्तुत किया।

प्रतिफल राशि रु. 83120/- मुद्रांक शुल्क की राशि रु. 500/- पंजीयन शुल्क की राशि रु. 83120/- मुद्रांक शुल्क की राशि रु. ———— के रूप में प्रस्तुत मुद्रांक कराया जाकर लिया।

उपरोक्त निबन्धन कराने की पहचान निम्न व्यक्तियों से की है . जिनके हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान मेरे समक्ष किए गए हैं।

क्रमांक	पक्षकारों का नाम व पता	पक्षकार का	अंगूठा	हस्ताक्षर
1	Name श्रीमान्/श्रीमती RAMESH KUMAWAT, पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MOHAN LAL KUMAWAT जाति KUMAR Age: 37 Addr: House No: 05, Colony: RHC, Area: RHC, City: JODHPUR, Pin code: 342001, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN			Signature

201801003006531

उप पंजीयक JODHPUR-III

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish towenship under the Rajasthan townships policy, 2010 (for residential, institutional, industries, tourism purpose), if the lease deed is presented for registration within two month.

Partner

Scanned by CamScanner

Under 54 Endorsement

Lease deed issued in favour of first allotee for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, institutional, industrial purpose) & the lease deed is presented for registration within two month.

उपखण्डाधिकारी (तृतीय)
उदयपुर

Registration Endorsement

Lease deed issued in favour of first allotee for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, institutional, industrial purpose) & the lease deed is presented for registration within two month.

उपखण्डाधिकारी (तृतीय)
उदयपुर

Scanned by CamScanner

Presentation Endorsement

आज दिनांक 17 अप्रै 04 वर्ष 2018 को 09:53 AM बजे
श्रीमतीगतुश्री SUNPRIME HOME INFRA LLP TH PARTNER
RAGHAV RATHI पुत्रपुत्रीगनि श्री S/O INDER MAL RATHI
उम्र 30 वर्ष, जाति MAHESWARI , व्यवसाय Business
निवासी House No. 08 Colony PRATAP NAGAR , Area GANPATI
NAGAR EXT, City JODHPUR, Pin code 342001, District JODHPUR,
State RAJASTHAN
ने मेरे समक्ष दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया ।

हस्ताक्षर उप पंजीयक,
JODHPUR-III

उप पंजीयक (तृतीय)
जोधपुर

Endorsement
2018070530065S1

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish... Rajasthan township policy, 2010 (for residential, institutional, industries, tourism purpose), if the lease deed is presented for registration within two month

Fees Receipt Endorsement

रसीद नं.	2018020530065175
दिनांक	17-04-2018
पंजीयन शुल्क ₹	341
प्रतिलिपि शुल्क ₹	0
पृष्ठांकन शुल्क ₹	200
अन्य शुल्क ₹	0
बकी स्टाम्प शुल्क ₹	1702
बकी तरमीमी शुल्क ₹	340
कुल योग	2583

उप पंजीयक
JODHPUR-III

2018010330065S1

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish... Rajasthan township policy, 2010 (for residential, institutional, industries, tourism purpose), if the lease deed is presented for registration within two month

उप पंजीयक (तृतीय)
जोधपुर

कार्यालय उप पंजीयक (तृतीय)
जोधपुर

Sunprime Home Infra LLP
Partner

Scanned by CamScanner

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR - JODHPUR-III

Fee Receipt
Appendix I (Form No. 8 [Rule 15 & 131) Print Date : 17-04-2018 9:58 AM

Fee Receipt No	: 2018020533006175	Receipt Date	: 17/04/2018
Name	: SUNPRIME HOME INFRA LLP TH PARTNER RAGHAV RATHI,	Document S. No.	: 2018010533005332
Address	: 05 ,PRATAP NAGAR ,JODHPUR ,JODHPUR		
Document Type	: Lease granted for a fine or premium or money advanced or reinstatement charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	: ₹ 8510	Evaluated Value	: ₹ 453600
Crt-Registration Fee	: ₹ 341	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
Cbl	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 340	Stamp Duty	: ₹ 1700
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 2583
		Total Amount	: ₹ 2583

Mode of Payment (Mode Number Amount) :-
1 e-Dres Challan 2221868 ₹ 2583

Signature of presenter or agent for copy or Search certificate

Cashier

Signature of recipient and date of return receipt

SUB-REGISTRAR

उप पंजीयक (तृतीय
जोधपुर

Sunprime Home Infra LLP

Partner.

Scanned by CamScanner

मूल्य : 100/-

2816

जोधपुर विकास प्राधिकरण

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग का अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

5006
12/7/18

यह विलेख आज वर्ष _____ के माह _____ की _____ वें दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिसे इसमें बाद मात्र नियम प्राधिकार संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री सन प्राईम होम इन्फ्रा एल०एल०पी० 163 जे.डी. मारकेंड प्रथम मंजिल, जलजोग सर्किल के पास, जोधपुर जरिए पार्टनर राघव राही

जाति ब्राह्मण (जिसको इसमें बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इकरारनामे में जहां कहीं प्रसंग से विरुद्ध अर्थ निकले, उसके उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि और पुनर्काश्त आदि भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि दीर्घावधि तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और वचनों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इसके द्वारा लीजधारक को उपरोक्त का यह समस्त भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना सन समृद्धि राजस्व ग्राम भाल के खसरा संख्या 300/3 क्षेत्रफल 80.00 में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसमें अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णतयोन वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इसमें संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसमें पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित समस्त व प्रत्येक आरक्षणों, सरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और वचनों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात :-

1. लीजधारक नियत निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन एवं सितम्बर के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये 6400/- अंकों में रु. छह हजार चार सौ मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक वार्षिक नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुना के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संशोधन की दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

2. यह करारनामा किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनर्निर्धारण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनर्निर्धारण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।

3. पट्टे की अवधि :- पट्टापूर्ति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगी।

4. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।

5. इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावे, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।

6. लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथापरिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रारंभ उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं भूखण्ड आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जावें, शासित होंगे।

7. उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती को पक्का में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य मुताबिक दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ उस समय प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निश्चित की जायेगी, परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामले में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।

8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति पारित दीर्घावधि या नगरीय निर्धारण या भवन, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।

9. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि [illegible] किसी दुरभिसंधि या उसमें उल्लेखित में अपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्व्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवेदन या पट्टा विलेख के

(कृ.प.वि.)

Partner.

Partner.

Scanned by CamScanner

निबंधनी और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर नियोजन उक्त भूखण्ड पर उसकी किसी अभिन्यास सहित उसे प्रतिस्थापन आवेदन की सभी प्रतियों से सहित नगर नियोजन में लिखित समझे जायेंगे, और नगर नियोजन किसी भी व्यक्ति को व्यक्तिगत किसी भी प्रकार की दुकानदारी के लिए जगह नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को राजस्थान/जोधपुर सीमा विकास/विद्युतमूल बैंक/राजस्थान आवासन संस्था/एल.डी.ए. की एक भी अथवा सेवरात्त बैंक द्वारा अधिकृत आवासन संस्थाओं के पास बंधक नियोजन के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट देवें।

परिशिष्ट

भवन का नाम :	सीमा पूर्व दरवाजा नं. 04 सीमा पश्चिम दरवाजा नं. 06
भवन संख्या : 200/3	
सेक्टर का नाम अथवा : जयपुरिया	सीमा उत्तर 30 Ft सीमा दक्षिण 30 Ft चतुर्दिक संलग्न है।
विस्तृत नाम सहित क्षेत्रफल चौरस/वर्गमीटर 15 x 45 = 30.00	भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो 035

इसके साक्षी के रूप में इसके पंजीकरण से इसके बाद प्रत्येक दस्त में निर्दिष्ट स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

प्राधिकृत नियोजन की ओर से

आज सन् 20 ..... माह के 12/1/18 में दिन

श्री राकेश राणा (LDC)

जिसे को प्रतिनिधि में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

अधिकृत (सक्षम)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

साक्षी :-

1. नाम .....
पिता/पति का नाम LDC
व्यवसाय JDA
निवास स्थान .....

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम .....
पिता/पति का नाम .....
व्यवसाय .....
निवास स्थान .....

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक ..... सन् 20 ..... के माह ..... की .....
के दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री .....
नियोजक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये गये।

Sunprime Home Infra LLP
Partner
नियोजक द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

1. नाम रघुनाथ प्रजापत
पिता/पति का नाम स्वर्गीय नारायण प्रजापत
व्यवसाय दुकानदार
निवास स्थान 78 सरदार भवन सरदारपुरा जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम पुरखा राम प्रजापत
पिता/पति का नाम स्वर्गीय दास
व्यवसाय कृषि
निवास स्थान पाल गांव जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

Scanned by CamScanner

" J.D.A. "

SITE PLAN FOR LEASE DEED FOR PLOT NO.5

KHASARA NO. 300/ 3 VILLAGE PAL AT JODHPUR

PLOT SIZE 16'X45 AREA = 80.00 SQYDS

Scale - 1"=30'

ROAD 30 FT WIDE

16'

P-7 | P-6 | SP-5 | P-4 | P-3

Other Land

उपायुक्त (दक्षिण)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

Sunprime Home Infra LLP

Partner

Sunprime Home Infra LLP

Partner

Scanned by CamScanner

Registration Endorsement

आज दिनांक 17/04/2018 को

पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 940 में

पृष्ठ संख्या 160 क्रम संख्या 2018030531041B5 पर पंजीकृत किया गया तथा

अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 3756 के

पृष्ठ संख्या 395 से 402 पर चस्पा किया गया ।

2018010530065S2

उप पंजीयक, JODHPUR-II

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish ownership under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, institutional, industries, tourism purposes) if the lease deed is presented for registration within two month.

उपपंजीयक एवं पदेन सहायक कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर

Sunshine Hippie Infra LLP

Scanned by CamScanner

Endorsement of Execution

अनु क्र.	पक्षकारों का नाम व पता	अंगूठा	पक्षकारों का दस्तखत
1	श्री/श्रीमती/कुमारी COMMISSIONER पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री COMMISSIONER, व्यवसाय जाति Jodhpur Development Authority		Executant Age : 0 Signature
2	श्री/श्रीमती/कुमारी SUNSHINE HOME INFRA LLP TH PARTNER RADHAV RATHI, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री S/O INDER MAL RATHI, व्यवसाय Businessश्री MAHESWARI House No. 05, Colony PRATAP NAGAR , Area GANPATI NAGAR EXT., City JODHPUR, Pin code 342001, District JODHPUR, State RAJASTHAN		Claimant Age : 32 Signature

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, institutional, industries, tourism purpose), if the lease deed is presented for registration within two month. श्री पट्टा मूल्य के उपयुक्त दिनांकपत्र आदान प्रतीकार किया ।

प्रतिफल राशि रु 8510/- मुद्रांक शुल्क की राशि : श्री रु रु 8510/- मुद्रांक की _____ से श्री उपरोक्त लेखन आदान प्रतीकार किया ।

उपरोक्त विलेखपत्र कर्ता श्री पहचान दिनांक व्यक्तियों से की है , जिनके हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान मेरे समक्ष किए गए हैं।

अनु क्र.	गवाहों का नाम व पता	अंगूठा	हस्ताक्षर
1	Name श्री/श्रीमती/कुमारी RAMESH KUMAWAT, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री MOHAN LAL KUMAWAT जाति KUMHAR Age: 37 Add: House No. 00, Colony: RHC, Area: RHC, City: JODHPUR, Pin code: 342001, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN		Signature

201801053006532

उप पंजीयक, JODHPUR-III

उप पंजीयक (तृतीय

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, institutional, industries, tourism purpose), if the lease deed is presented for registration within two month.

Scanned by CamScanner

Under 44 Endorsement

2018010530006532

उप पंजीयक, JODHPUR-III

Lease Deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, institutional, Industries, tourism purposes) if the lease deed is presented for registration within two month.

Registration Endorsement

2018010530006532

उप पंजीयक, JODHPUR-III

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, institutional, Industries, tourism purposes) if the lease deed is presented for registration within two month.

Scanned by CamScanner

Presentation Endorsement

आज दिनांक : 17 अप्रैल 04 अप्रैल 2018 को 09:56 AM बजे

श्री/श्रीमती/कुमारी SUNPRIME HOME INFRA LLP TH PARTNER

RADHAV RATHI पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री S/O INDER MAL RATHI

उम्र 30 वर्ष, जाति MAHESWARI , व्यवसाय Business

निवासी House No. 05, Colony PRATAP NAGAR , Area GANPATI NAGAR EXT, City JODHPUR, Pin code: 342001, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN

ने यह अस्त्रावेज दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया ।

उप पंजीयक
JODHPUR-II

2018010530065332

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, institutional, industries, tourism purpose) if the lease deed is presented for registration within two month.

Fees Receipt Endorsement

रसीद नं.	2018020530006175
दिनांक	17-04-2018
पंजीयन शुल्क ₹	341
प्रतिलिपि शुल्क ₹	0
पृष्ठांकन शुल्क ₹	200
अन्य शुल्क ₹	0
कमी स्टाम्प शुल्क ₹	1702
कमी सरचार्ज शुल्क ₹	340
कुल योग	2583

2018010530065332

उप पंजीयक
JODHPUR-II

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, institutional, industries, tourism purpose) if the lease deed is presented for registration within two month.

Partner

Scanned by CamScanner

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : JODHPUR (I)

Fee Receipt
Appendix I (Form No. 9 (Rule 25 & 27))

Print Date : 17-05-2018 10:01 AM

Fee Receipt No	:	Receipt Date	: 17/05/2018
Name	: SUMITOMO HOME INFRA LLP TH PARTNER RAGHAV RATHI.	Document S. No	: 2018010500059
Address	: 05 PRATAP NAGAR JODHPUR JODHPUR		
Document Type	: Lease granted for a fee or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Fee Value	: ₹ 2510	Evaluated Value	: ₹ 453600
Crd Registration Fee	: ₹ 361	Fee for Memorandum (Ar. 51_57)	: ₹
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees (Ar. 57)	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg.Memorandum	: ₹
Surcharge	: ₹ 349	Stamp Duty	: ₹ 1703
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Ur_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 6
		Other than Cash	: ₹ 2583
		Total Amount	: ₹ 2583

Mode of Payment (Mode Number And Amount)
e-Pay(e-Challan 2018/18 ₹ 2583)

Signature of presenter or agent for copy or search certificate

Cashier

Signature of recipient and date of return receipt

SUB-REGISTRAR

उप पंजीयक (तृतीय
जोधपुर

Sumitomo Home Infra LLP
Partner.

Scanned by CamScanner

क्रमांक : 2817

मूल्य : 100/-







जोधपुर विकास प्राधिकरण

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

5007
13/7/18

यह विलेख आज वर्ष _____ के माह _____ के _____ वें दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिसको इसके बाद नगर निकाय कहकर सम्बोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री सन प्राईम होम इन्फ्रा एल॰ एल॰ पी॰, 163 जे॰ डी॰ मारकेंड प्रथम मैनिल, जलजोग सर्कल के पास, जोधपुर जरिए पार्टनर राघव राठी

जाति माहेश्वरी (जिसको इसके बाद लीजधारक सम्बोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इकरार में जहां कहीं प्रसंग से विरुद्ध अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबन्धक, प्रतिनिधि और मुनासिब अन्तरिती भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इसके द्वारा लीजधारक को जमीन का यह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर सम्बोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना सन सामुदि राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 309/3 क्षेत्रफल 80.00 में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिये गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इसमें सलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व सभी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, सरक्षणों, प्रतिबन्धों, बन्धनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात :-

1. लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रेल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के सबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि-किराया) के तौर पर रूपये 6400/- अंकों में छह हजार चार सौ मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक वार्षिक नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि-किराया) की राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि से आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के सम्बन्ध के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
2. एक बार निश्चित किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या हस्तान्तरण या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनर्निर्धारण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनर्निर्धारण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
3. पट्टे की अवधि :- पट्टाभूमि अधिकार 99 वर्ष के लिए होगी।
4. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुज्ञप्ति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
5. इस पट्टा विलेख की तारीख से 3 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावे, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
6. लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबन्धन और शर्तों और अन्य उपबन्ध, पर्यावरण परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रारम्भ उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि सक्षम प्राधिकारी की जावेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित सीमाओं और शर्तों या किन्हीं पृथक आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जावें, शासित होंगे।
7. उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जावेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ उस समय प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निश्चित की जावेगी, परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामले में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जावेगी।
8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति पश्चादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या भाटक, अन्तरिती/बंधक विक्रय प्रमाणों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूलनीय होगा।
9. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख, जिसे की दुर्गसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्भावपूर्वक द्वारा अभिप्राप्त किया गया है, तो आवंटन या पट्टा विलेख (पृ.प.२)

Scanned by CamScanner

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहृत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/वित्तपूरक बैंक/सरकार अनुदानी संस्था/एच.डी.एफ.सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट देवें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम :
राजस्व ग्राम : पाल
खसरा नम्बर : 300/3
योजना का नाम : स्व-सहायता
विस्तृत माप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
16'×45' = 80.00

सीमा पूर्व प्लॉट क्र. 05 सीमा पश्चिम प्लॉट नं. 07
सीमा उत्तर रोड 30'-0" सीमा दक्षिण अन्य भूमि मालिक संलग्न है।
भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो 06

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दस्त में निर्दिष्ट स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 ..... माह के 12/4/18 को दिन
श्री राहिरा शर्मा (I.R.A.S.)
विभव की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

उपायुक्त (प्रशिक्षु) पक्ष
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

साक्षी :-

1. नाम .....
पिता/पति का नाम LRC
व्यवसाय JDA
निवास स्थान .....

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम .....
पिता/पति का नाम .....
व्यवसाय .....
निवास स्थान .....

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक ..... सन् 20 ..... के माह ..... के ..... वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री ..... लीजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये गये।

Sunprime Home Infra LLP
Partner
लीजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

1. नाम रघुवीर उपाध्याय
पिता/पति का नाम स्व. गोपीराम उपाध्याय
व्यवसाय व्यापार
निवास स्थान 70 सोमल भवन सरदारपुरा जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम पुरखा राम मेघवाल
पिता/पति का नाम रवीरा राम
व्यवसाय कृषि
निवास स्थान पाल गाँव जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

Scanned by CamScanner

" J.D.A. "

SITE PLAN FOR LEASE DEED FOR PLOT NO.6

KHASARA NO. 300/ 3 VILLAGE PAL AT JODHPUR

PLOT SIZE 16'X45 AREA = 80.00 SQYDS

Scale :-1"30'

ROAD 30 FT WIDE

16'

P-8 | P-7 | P-6 | P-5 | P-4

Other Land

उप नगर नियोजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

उपायुक्त (दक्षिण)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

Sunprime Home Infra LLP

Partner.

Sunprime Home Infra LLP

Partner.

Scanned by CamScanner

Registration Endorsement

आज दिनांक 17/04/2018 को

पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 940 में

पृष्ठ संख्या 157 क्रम संख्या 2018030531041B2 पर रजिस्ट्रेशन किया गया तथा

अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 3750 के

पृष्ठ संख्या 371 से 378 पर संख्या किया गया।

2018010530086533

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of extension under Rajasthan lowenslop policy, 2010 (for residential, institutional, industries, tourism purposes) if the lease deed is presented for registration within two month

उप पंजीयक (तृतीय)
जोधपुर

Sunshine Home Infra LLP

Endorsement of Execution

अनु क्र.	पक्षकारों का नाम व पता	प्रकाशित	अंगूठा	पक्षकारों का हस्ताक्षर
1	श्रीमान/श्रीमती COMMISSIONER, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री COMMISSIONER, व्यवसाय अति Jodhpur Development Authority			Executant Age : 0 Signature
2	श्रीमान/श्रीमती SUNRISE HOME INFRA LLP Th PARTNER RAGHAV RATHI, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री S/O INDER MAL RATHI, व्यवसाय Businessअति MAHESWARI House No :00, Colony: PRATAP NAGAR, Area: 5 GANPATI NAGAR EXT., City: JODHPUR, Pin code: 342001, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN			Claimant Age : 32 Signature

से रेजिडेन्स Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, institutional, industries, tourism purpose). If the lease deed is presented for registration within two month. की यह सूचना व हस्ताक्षरकर्ता निष्पादन करना स्वीकार किया ।

पंजिका दस्ति व 2010- पृष्ठ से : मेरे समक्ष : से क्र व 2010- पृष्ठ से ——— के मेरे समक्ष पत्र करना स्वीकार किया ।

उक्त निष्पादन करने की पहचान निम्न व्यक्तियों ने की है , जिनके हस्ताक्षर मेरे समक्ष अंगूठा निशान मेरे समक्ष किए गए हैं।

अनु क्र.	साक्षियों का नाम व पता	प्रकाशित	अंगूठा	हस्ताक्षर
1	Name: श्रीमान/श्रीमती RAMESH KUMAWAT, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री MOHAN LAL KUMAWAT जाति KUMHAR Age: 30 Add: House No: 00, Colony: RHC, Area: RHC, City: JODHPUR, Pin code: 342001, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN			Signature

20180105300853 3

उप पंजीयक, JODHPUR-III

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, institutional, industries, tourism purpose). If the lease deed is presented for registration within two month.

उप पंजीयक तृतीय
जोधपुर

उप पंजीयक (तृतीय)
जोधपुर

Sunrise Raghav LLP
Partner

Scanned by CamScanner

Under 34 Endorsement

धारा 34 के तहत प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि इस लेख पत्र की स्टाम्पित रु 453600 मानते हुए इस पर देय कमी मुद्रांक राशि रु 1702 पर कमी पंजीयन शुल्क रु 341, सरचार्ज राशि 340 कुल रु 2383 वसूल सकारा 20180305300617 दिनांक 17-04-2018 से जमा किये गये है।

अतः दस्तावेज को रु 1702 के मुद्रांकों पर निम्नांकित समा जाता है।

20180105300853

उप पंजीयक, JODHPUR (तृतीय)

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of estab sh township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, institutional, industries, tourism purpose), if the lease deed is presented for registration within two month

Registration Endorsement

आज दिनांक 17/04/2018 को

पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 940 में

पृष्ठ संख्या 157 क्रम संख्या 20180305310418 2 पर पंजीबद्ध किया गया तथा

अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 3756 के

पृष्ठ संख्या 371 से 378 पर चस्पा किया गया ।

20180105300853

उप पंजीयक, JODHPUR (तृतीय)

Lease deed issuec in favour of first allotte for the purpose of estabi sh township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, institutional, industries, tourism purpose), if the lease deed is presentec for registration within two month

Scanned by CamScanner

Presentation Endorsement

आज दिनांक 17 माह 04 सन् 2018 को 08:59 AM बजे
श्री/श्रीमती/कुमारी SUNPRIME HOME INFRA LLP TH PARTNER
RAGHAV RATH पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री S/O /WDER MAL RATH
उम्र 30 वर्ष, जाति MAHESWARI , व्यवसाय Business
निवासी House No. 00, Colony PRATAP NAGAR, Area S GANPATI
NAGAR EXT, City JODHPUR, Pin code 342001, District JODHPUR,
State RAJASTHAN
ने यह दस्तावेज प्रस्तुतीकरण हेतु प्रस्तुत किया।

हस्ताक्षर उप पंजीयक

उप पंजीयक (तृतीय)
जोधपुर

2018[illegible]3009533

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, institutional, industrial, tourism purpose) if the lease deed is presented for registration within two month.

Fees Receipt Endorsement

रसीद नं.	201802053008177
दिनांक	17-04-2018
पंजीयन शुल्क ₹	341
एडीशिनि शुल्क ₹	0
पुनर्सत्यन शुल्क ₹	200
अन्य शुल्क ₹	0
कमी स्टाम्प शुल्क ₹	1702
कमी सरचार्ज शुल्क ₹	340
कुल योग	2583

हस्ताक्षर

2018[illegible]3009533

JODHPUR-III

उप पंजीयक (तृतीय)
जोधपुर

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establishment of township under the township policy, 2010 (for residential, institutional, industrial, tourism purpose) if the lease deed is presented for registration within two month.

Scanned by CamScanner

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR - JODHPUR-III

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 17-04-2018 12:03 AM

Fee Receipt No	: 2018030650068178	Receipt Date	: 17/04/2018
Name	: SUNPRIME HOME INFRA LLP TH PARTNER RADHAY RATHI,	Document S. No.	: 2018010650008931
Address	: 05 ,PRATAP NAGAR ,J ,JODHPUR		
Document Type	: Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	: ₹ 8510	Evaluated Value	: ₹ 4513600
Ord.Registration Fee	: ₹ 341	Fee for Memorandum Us_34_57	: ₹
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 340	Stamp Duty	: ₹ 1702
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_28_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 2583
		Total Amount	: ₹ 2583

Mode of Payment (Mode Number Amount ₹)
e-firm Challan 22278824 ₹ 2583

Signature of presenter or applicant for copy or Search certificate

Signature of recipient and date of return receipt

SUB-REGISTRAR

उप पंजीयक (तृतीय
जोधपुर

Sunprime Home Infra LLP
Partner.

Scanned by CamScanner

(1)

क्रमांक : 2818 मूल्य : 100/-



जोधपुर विकास प्राधिकरण



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

5008 13/7/18

पट्टा विलेख

यह विलेख आज वर्ष _____ के माह _____ की _____ वे दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हे इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री सन प्राईम होम इन्फ्रा एल एल पी 103 जे डी मार्केट प्रथम मंजिल, जलप्रदीप सर्कल के पास, जोधपुर जरिए पार्टनर राघव राठी

जाति माहेश्वरी

व्यवसाय व्यापार निवासी 62, गणपतिनगर, जोधपुर (जिसको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इकरार में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुनासिब आदेह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इसके द्वारा लीजधारक को जमीन का यह समाग्र भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना सन समृद्धि राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 320/3 क्षेत्रफल 80.00 में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित समाग्र व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात :-

1. लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रेल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये 6400/= अंकें छह हजार चार रुपये मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक बारीय नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा कराई जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के सदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
2. एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दावी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
3. पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगे।
4. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
5. इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढा दी जावे, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
6. लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तें और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
7. उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जावेगी : परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।
8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति पश्यदेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
9. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन [illegible] या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्व्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के

(कृ.प.उ.)

Supreme Home Infra LLP Partner

Partner

Scanned by CamScanner

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहृत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी के प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ.सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

~~जो लागू नहीं हो उसे काट देवें।~~

परिशिष्ट

कस्बे का नाम :
राजस्व ग्राम : पाल
खसरा नम्बर : 300/3
योजना का नाम आवास - आवासीय
विस्तृत माप सहित क्षेत्रफल वर्गफीट/वर्गमीटर 16'x45 = 80.00

सीमा पूर्व प्लॉट नं. 06 सीमा पश्चिम प्लॉट नं. 08
सीमा उत्तर रोड 30 ft सीमा दक्षिण अन्य भूमि मानचित्र संलग्न है।
भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो 07

इसके साक्षी के रूप में इसके फरोकेन ने इसमें बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय विकास की ओर से

आज सन् 20 ..... माह के 12/4/18 ..... के दिन
श्री राकेश शर्मा (RAS)
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

अतिरिक्त (दक्षिण)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

साक्षी :-

1. नाम .....
पिता/पति का नाम L.D.C.
व्यवसाय JDA
निवास स्थान .....

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम .....
पिता/पति का नाम .....
व्यवसाय .....
निवास स्थान .....

साक्षी के हस्ताक्षर

मुझ दिनांक ..... सन् 20 ..... के माह ..... के .....
के दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री .....
फरोकेन द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये गये।

Sunprime Home Infra LLP
Partner
फरोकेन - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

1. नाम रघुवान इणखान
पिता/पति का नाम स्व. नारायण इणखान
व्यवसाय दुकान
निवास स्थान 70 नारण भवन सरदारपुरा जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम पुरखा राम मेघवाल
पिता/पति का नाम स्व. रामा राम
व्यवसाय कृषि
निवास स्थान पाल गांव जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

Sunprime Home Infra LLP
Partner

Scanned by CamScanner

" J.D.A. "

SITE PLAN FOR LEASE DEED FOR PLOT NO.7

KHASARA NO. 300/ 3 VILLAGE PAL AT JODHPUR

PLOT SIZE 16'X45 AREA = 80.00 SQYDS.

Scale :-1"30'

ROAD 30 FT WIDE

16'

P-9 | P-8 | P-7 | P-6 | P-5

Other Land

उप नगर नियोजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

उपायुक्त (नगर)
उपनगर नियोजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

Sunprime Home Infra LLP

Partner.

Sunprime Home Infra LLP

Partner

Scanned by CamScanner

Registration Endorsement

अद्य दिनांक 17/04/2018 को

पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 940 में

पृष्ठ संख्या 155 क्रम संख्या 2018603053104180 पर पंजीबद्ध किया गया तथा

अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 3756 में

पृष्ठ संख्या 355 से 362 पर चस्पा किया गया।

2018015530066534

उप पंजीयक, ...

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish ... under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, institutional, industrial ... area). If the lease deed is presented for registration within two month.

उप पंजीयक (प्रथम)
जोधपुर

Partner

Endorsement of Execution

अनु क्र.	पक्षकारों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	पक्षकारों का प्रकार
1	श्री/श्रीमती/कु. COMMISSIONER , पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री COMMISSIONER, व्यवसाय अति Jodhpur Development Authority			Executant Age : 0 Signature
2	श्री/श्रीमती/कु. SUNPRIME HOME INFRA LLP TH PARTNER RAGHAV RATHI पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री S/O INDER MAL RATHI, व्यवसाय Business अति MAHESWARI House No. 05, Colony PRATAP NAGAR , Area GANPATI NAGAR EXT. City J, Pin code: 342001, District JODHPUR, State RAJASTHAN			Claimant Age : 30 Signature

ने निष्पादन Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, institutional, industries, tourism purpose), if the lease deed is presented for registration within two month को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया ।

प्रतिफल राशि रु 8510/- पूर्ण में / शब्दों समक्ष / में से रु 8510/- पूर्ण में ———— के शब्द समक्ष पाना कहा स्वीकार किया ।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान निम्न व्यक्तियों ने की है , जिनके हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान मेरे समक्ष लिए गए है।

अनु क्र.	गवाही का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	हस्ताक्षर
1	Name: श्री/श्रीमती/कु. RAMESH KUMAWAT, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री MOHAN LAL KUMAWAT जाति KUMHAR Age: 37 Add: House No. 03, Colony: RHC, Area: RHC, City: JODHPUR, Pin code: 342001, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN			Signature

2018010530006534

उप पंजीयक (तृतीय) JODHPUR-III

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, institutional, industries, tourism purpose), if the lease deed is presented for registration within two month.

Sunprime Home Infra LLP

Scanned by CamScanner

Under 54 Endorsement

धारा 54 के तहत प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि इस लेख पत्र की अतिरिक्त रु 453600 मानते हुए इस पर देय स्टाम्प शुल्क राशि रु 1702 पर कमी पाकीयन शुल्क रु 341, सरचार्ज राशि 340 कुल रु 2383 स्क्रोल संख्या 201803053006178 दिनांक 17-04-2018 में जमा किये गये हैं।

अतः इसलाटेज की रु 1702 की मुद्राओं पर निशानांकित लगाया जाता है।

201801053006534

उप पंजीयक, JODHPUR-III

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, institutional, industries, tourism purpose), if the lease deed is presented for registration within two month.

Registration Endorsement

आज दिनांक 17/04/2018 को

पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 940 में

पृष्ठ संख्या 155 क्रम संख्या 201803053104180 पर पंजीबद्ध किया गया तथा

अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 3756 के

पृष्ठ संख्या 355 से 362 पर चस्पा किया गया ।

201801053006534

उप पंजीयक, JODHPUR-III

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, institutional, industries, tourism purpose), if the lease deed is presented for registration within two month.

Scanned by CamScanner

Presentation Endorsement

प्रस्तुत दिनांक 17 अप्रैल 04 मिनट 2018 को 10:01 AM बजे
श्री/श्रीमती/कुमारी SUNPRIME HOME INFRA LLP TH PARTNER
RAGHAV RATH पुत्र/पुत्री/पत्नी/वि की S/O INDER MAL RATH
उम्र 30 वर्ष, जाति MAHESWARI , व्यवसाय Business
निवासी House No. 05, Colony PRATAP NAGAR , Area GANPATI NAGAR EXT, City J, Pin code 342001, District JODHPUR, State RAJASTHAN
ने मेरे समक्ष उपलेखित दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

उप पंजीयक
JODHPUR-III

20180205300534

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, institutional, industries, tourism purpose), if the lease deed is presented for registration within two month.

Fees Receipt Endorsement

रसीद सं.	20180205300617
दिनांक	17-04-2018
पंजीयन शुल्क ₹	341
अतिरिक्ति शुल्क ₹	0
पृष्ठांकन शुल्क ₹	200
प्रलेख शुल्क ₹	0
कुल स्टाम्प शुल्क ₹	1702
कुल सरचार्ज शुल्क ₹	340
कुल जोड़	2583

उप पंजीयक
JODHPUR-III

20180205300534

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, institutional, industries, tourism purpose), if the lease deed is presented for registration within two month.

Sunprime Home Infra LLP
Partner

Scanned by CamScanner

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : JODHPUR-III

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 17-04-2018 10:05 AM

Fee Receipt No	:	2018020653008179	Receipt Date	:	17/04/2018
Name	:	SUNPRIME HOME INFRA LLP Th PARTNER RAGHAV RATHI	Document S. No.	:	2018010530000035
Address	:	00 ,PRATAP NAGAR , JODH ,JODHPUR			
Document Type	:	Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent			
Face Value	:	₹ 8510	Evaluated Value	:	₹ 453600
Pre-Registration Fee	:	₹ 341	Fee for Memorandum Us_64 ,67	:	₹
CSI	:	₹ 200	Certified copying fees Us_57	:	₹ 0
Stamp (Memorandum)	:	₹	Reg (memorandum)	:	₹
Surcharge	:	₹ 340	Stamp Duty	:	₹ 1702
Penalty	:	₹ 0	Inspection fee	:	₹ 0
Us_25_34	:	₹ 0	Commission	:	₹ 0
Custody	:	₹	Others	:	₹ 0
			Cash Amount Received	:	₹ 2583
			Other than Cash	:	₹ 2583
			Total Amount	:	

Mode of Payment (Mode Number Amount) :
e-Gras Challan 2237885/2 ₹ 2583

Signature of presenter or applicant for copy or Search certificate

Cashier

Signature of resident and date of return receipt

SUB-REGISTRAR

उप पंजीयक (तृतीय
जोधपुर

(8)

मूल्य : 100/-

क्रमांक : 2819



जोधपुर विकास प्राधिकरण





जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की) अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा

5009
13/4/18

पट्टा विलेख

यह विलेख आज वर्ष ..... के माह ..... के ..... वें दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री सन प्राईम होम इन्फ्रा एल.एल.पी. 103 जे.डी. मारवेड़ प्रथम मंजिल, जलजोग रोड़ के पास, जोधपुर जरिए पार्टनर राघव राही ..... जाति माहेश्वरी ..... व्यवसाय व्यापार ..... निवासी 85, शंकपति नगर जोधपुर ..... (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से विपरीत अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुन्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना सन समृद्धि ..... राजस्व ग्राम पाल ..... के खसरा संख्या 300/3 ..... क्षेत्रफल 80.00 ..... में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिये गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीदार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात :-

1. लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये 6400/= अंके छः हजार चार सौ ..... मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक बारीय नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

एवं यह नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।

2. पट्टे की अवधि :- पट्टा अभिधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगा।

3. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय ..... प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।

4. इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावें, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।

5. लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।

6. उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।

7. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परदेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूलीय होगा।

8. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्व्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है तो आवंटन या पट्टा विलेख के (कृ.प.उ.)

Sunprime Home Infra LLP

Partner.

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सम्मिर्माण सहित उसे प्रतिसंहृत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

जो लागू नहीं हो उसे काट देवें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : .....
राजस्व ग्राम : पाल
खसरा नम्बर : 3007/3
योजना का नाम स्वप्न समृद्धि
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
16 x 45 = 80.00

सीमा पूर्व प्लॉट नं. 07 सीमा पश्चिम प्लॉट नं. 09
सीमा उत्तर रोड 30 फीट सीमा दक्षिण अन्य भूमि मानचित्र संलग्न है।
भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो 08

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 ..... माह के 13/4/18 वें दिन
श्री राकेश शर्मा (C.A.)
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

उपखण्ड अधिकारी (पश्चिम)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

साक्षी :-

1. नाम .....
पिता/पति का नाम D.D.C
व्यवसाय D.D.A.
निवास स्थान .....

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम .....
पिता/पति का नाम .....
व्यवसाय .....
निवास स्थान .....

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक ..... सन् 20 ..... के माह ..... को .....
दिन की निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री .....
लीजधारक की ओर कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये गये।

Sunprime Home Infra LLP
Partner
लीजधारक -द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

1. नाम रघुवीर कंवरपाल
पिता/पति का नाम स्वर्गीय नारायण कंवरपाल
व्यवसाय व्यापार
निवास स्थान 70 नाथल भवन सरदारपुरा जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम पुरखा राम मेघवाल
पिता/पति का नाम रवीश्वा राम
व्यवसाय कृषि
निवास स्थान पाल गांव जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

" J.D.A. "

SITE PLAN FOR LEASE DEED FOR PLOT NO.8

KHASARA NO. 300/ 3 VILLAGE PAL AT JODHPUR

PLOT SIZE 16'X45 AREA = 80.00 SQYDS.

N
W E
S

Scale :-1"30'

ROAD 30 FT WIDE

16'

P-10 | P-9 | P-8 | P-7 | P-6

Other Land

कार्यालय उप नगरीयक (दक्षिण)

उप नगर नियोजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

उपायुक्त (दक्षिण)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

Sunprime Home Infra LLP

Partner.

Registration Endorsement

आज दिनांक 17/04/2018 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 940 में
पृष्ठ संख्या 167 क्रम संख्या 201803053104192 पर पंजीबद्ध किया गया तथा
अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 3756 के
पृष्ठ संख्या 451 से 458 पर चस्पा किया गया ।

201801053008535

उप पंजीयक (तृतीय)

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month.

कार्यालय उप पंजीयक (तृतीय) जोधपुर

Endorsement of Execution

अनु क्र.	पक्षकारों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	पक्षकारों का प्रकार
1	श्री/श्रीमती/सुश्री COMMISSIONER , पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री COMMISSIONER, व्यवसाय जाति Jodhpur Development Authority			Executant Age : 0 Signature :
2	श्री/श्रीमती/सुश्री SUNPRIME HOME INFRA LLP TH PARTNER RAGHAV RATHI, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री S/O INDER MAL RATHI, व्यवसाय Otherजाति MAHESWARI House No.:00, Colony: PRATAP NAGAR , Area: GANPATI NAGAR EXT, City: JODH, Pin code: 342001, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN			Claimant Age : 30 Signature :

ने लेखपत्र Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, institutional, industries, tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month. को पढ़ सुन व समझाकर निष्पादन करना स्वीकार किया ।

प्रतिफल राशि रु 8510/- पूर्ण मे / मेरे समक्ष / मे से रु 8510/- पूर्ण मे ———— से मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया ।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान निम्न व्यक्तियों से की है , जिनके हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान मेरे समक्ष लिए गए है।

अनु क्र.	गवाहों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	हस्ताक्षर
1	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री RAMESH KUMAWAT, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री MOHAN LAL KUMAWAT जाति KUMHAR Age: 30 Add: House No.:00, Colony: RHC, Area: RHC, City: JODHPUR, Pin code: 342001, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN			Signature :

2018010530006535

उप पंजीयक, JODHPUR (प्रथम)

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, institutional, industries, tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month.

Under 54 Endorsement

धारा 54 के तहत प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि इस लेख पत्र की मालियत रु 453600 मानते हुए इस पर देय कली मुद्रांक राशि रु 1702 पर कली पंजीयन शुल्क रु 341, सरचार्ज राशि 340 कुल रु 2383 रसीद संख्या 201802053006179 दिनांक 17-04-2018 में जमा किये गये है।

अतः दस्तावेज को रु 1702 के मुद्रांकों पर निष्पादित माना जाता है।

201801053006535

उप पंजीयक, JODHPUR-III

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month.

Registration Endorsement

आज दिनांक 17/04/2018 को

पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 940 में

पृष्ठ संख्या 167 क्रम संख्या 201803053104192 पर पंजीबद्त किया गया तथा

अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 3756 के

पृष्ठ संख्या 451 से 458 पर चस्पा किया गया ।

201801053006535

उप पंजीयक, JODHPUR-III

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month.

Presentation Endorsement

आज दिनांक 17 माह 04 सन् 2018 को 10:03 AM बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री SUNPRIME HOME INFRA LLP TH PARTNER
RAGHAV RATHI पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री S/O INDER MAL RATHI
उम्र 30 वर्ष, जाति MAHESWARI , व्यवसाय Other
निवासी House No.:00, Colony: PRATAP NAGAR , Area: GANPATI NAGAR EXT, City: JODH, Pin code: 342001, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया ।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता

हस्ताक्षर उप पंजीयक,
JODHPUR-III

2018010530006535

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, institutional, industries, tourism purpose), if the lease deed is presented for registration within two month.

Fees Receipt Endorsement

रसीद नं.	201802053006178
दिनांक	17-04-2018
पंजीयन शुल्क ₹	341
प्रतिलिपि शुल्क ₹	0
पृष्ठांकन शुल्क ₹	200
अन्य शुल्क ₹	0
कमी स्टाम्प शुल्क ₹	1702
फाली सरचार्ज शुल्क ₹	340
कुल योग	2583

2018010530006535

उप पंजीयक,
JODHPUR-III

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, institutional, industries, tourism purpose), if the lease deed is presented for registration within two month.

कार्यालय उप पंजीयक (तृतीय) जोधपुर

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : JODHPUR-III

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 17-04-2018 10:07 AM

Fee Receipt No	: 201802063000180	Receipt Date	: 17/04/2018		
Name	: SUNPRIME HOME INFRA LLP TH PARTNER RAGHAV RATHI,	Document S. No.	: 201801063006536		
Address	: 05 ,PRATAP NAGAR ,JODHPUR JODHPUR				
Document Type	: Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent				
Face Value	: ₹ 8510	Evaluated Value	: ₹ 463800		
Ord Registration Fee	: ₹ 341	Fee for Memorandum Us_64_67	:	₹	
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	:	₹ 0	
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	:	₹	
Surcharge	: ₹ 340	Stamp Duty	:	₹ 1703	
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	:	₹ 0	
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	:	₹ 0	
Custody	: ₹	Others	:	₹ 0	
		Cash Amount Received	:	₹ 2583	
		Other than Cash	:	₹ 2583	
		Total Amount	:		

Mode of Payment (#Mode Number Amount)
e-Grас Challan 2237903 ₹ 2583

Signature of presenter or applicant for copy or Branch certificate

Cashier

Signature of recipient and date of return receipt

SUB-REGISTRAR

उप पंजीयक (तृतीय
जोधपुर

(1)

मूल्य : 100/-

क्रमांक : 2820



जोधपुर विकास प्राधिकरण





जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

5010
13/4/19

यह विलेख आज वर्ष ..... के ..... के ..... वे दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री सन प्राईम डेव इन्फ्रा एल.एल.पी. 1 80 जे.डी. आरेकड प्रथम मंजिल, जयजोग सर्कल के पास, जोधपुर जरिए पार्टनर राघव राठी जाति माहेश्वरी (जिनको इसके बाद व्यवसाय व्यापार निवासी 68, रणधनि नगर, जोधपुर लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुन्तकिल अलेह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का यह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और डीज करती है जो योजना सन: समृद्धि राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 300/3 क्षेत्रफल 80.00 में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिये गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आधार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात :-

1. लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमावन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये 6400/- अंके छह हजार चार सौ मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक बारीय नगरीय निर्धारण (शहरी जमावन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की प्राप्ति के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

एवं और विहित किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर पुनरीक्षण का दावी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।

3. पट्टे की अवधि :- पट्टावृत्ति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगें।
4. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल व्यावसायिक प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
5. इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जायें, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
6. लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तें और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
7. उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी: परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।
8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
9. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख किसी तथ्य को छुपाकर या गलत बयानी या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्व्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के

(कृ.प.उ.)

Sun Prime Home Infra LLP

Partner.

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहृत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ.सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट देवें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : .....
राजस्व ग्राम : पाल
खसरा नम्बर : 300/3
योजना का नाम अन्य बस्ती
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
16 X 45 = 80.00

सीमा पूर्व प्लॉट नं. 08 सीमा पश्चिम प्लॉट नं. 10
सीमा उत्तर रोड़ 30 फिट सीमा दक्षिण अन्य भूमि मानचित्र संलग्न है।
भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो .....09.....

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 18 माह के 13/4/18 वें दिन
श्री राकेश शर्मा (S.D.M.)
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

उपायुक्त (प्रशासन) प्रथम पक्ष
जोधपुर विकास प्राधिकरण (नगरीय निकाय)
जोधपुर

साक्षी :-

1. नाम .....
पिता/पति का नाम L.D.C
व्यवसाय J.D.A.
निवास स्थान .....

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम .....
पिता/पति का नाम .....
व्यवसाय .....
निवास स्थान .....

साक्षी के हस्ताक्षर

Sunprime Home Infra LLP
Partner
लीजधारक - द्वितीय पक्ष

आज दिनांक ..... सन् 20 ..... के माह ..... के .....
वें दिन की निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री .....
लीजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये

साक्षी :-

1. नाम रघुवीर अग्रवाल
पिता/पति का नाम स्वर्ण नारायण अग्रवाल
व्यवसाय हथपाट
निवास स्थान 70 पायल भवन सरदारपुरा जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम पुरखा राम मेघवाल
पिता/पति का नाम खीमा राम
व्यवसाय कृषि
निवास स्थान पाल गांव जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

" J.D.A. "

SITE PLAN FOR LEASE DEED FOR PLOT NO.9

KHASARA NO. 300/ 3 VILLAGE PAL AT JODHPUR

PLOT SIZE 16'X45 AREA = 80.00 SQYDS.

Scale :-1"30'

ROAD 30 FT WIDE

16'

P-11 | P-10 | P-9 | P-8 | P-7

Other Land

उपायुक्त (दक्षिण)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

उप नगर नियोजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

Sunprime Home Infra LLP

Partner

Registration Endorsement

आज दिनांक 17/04/2018 को

पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 940 में

पृष्ठ संख्या 154 क्रम संख्या 201803053104179 पर पंजीबद्ध किया गया तथा

अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 3756 के

पृष्ठ संख्या 347 से 354 पर चस्पा किया गया ।

201801053006536

उप पंजीयक, JODHPUR-III

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose), if the lease deed is presented for registration within two month.

कार्यालय उप पंजीयक (तृतीय)
जोधपुर

Endorsement of Execution

अनु क्र.	पक्षकारों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	पक्षकारों का प्रकार
1	श्री/श्रीमती/सुश्री COMMISSIONER , पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री COMMISSIONER, व्यवसाय जाति Jodhpur Development Authority			Executant Age : 0 Signature :
2	श्री/श्रीमती/सुश्री SUNPRIME HOME INFRA LLP TH PARTNER RAGHAV RATHI, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री S/O INDER MAL RATHI, व्यवसाय Businessजाति MAHESWARI House No.:05, Colony: PRATAP NAGAR , Area: GANPATI NAGAR EXT, City: JODHPUR, Pin code: 342001, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN			Executant Age : 30 Signature :

ने लेखपत्र Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month. को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया ।

प्रतिफल राशि रु 8510/- पूर्व में / मेरे समक्ष / में से रु 8510/- पूर्व में ———— से मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया ।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान निम्न व्यक्तियों ने की है , जिनके हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान मेरे समक्ष किए गए है।

अनु क्र.	गवाहों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	हस्ताक्षर
1	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री RAMESH KUMAWAT, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री MOHAN LAL KUMAWAT जाति MAHESWARI Age: 37 Add: House No.:00, Colony: RHC, Area: RHC, City: JODHPUR, Pin code: 342001, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN			Signature

2018010530065S6

उप पंजीयक, JODHPUR

उप पंजीयक (तृतीय)

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month.

Under 54 Endorsement

धारा 54 के तहत प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि इस लेख पत्र की मालियत रु 453600 मानते हुए इस पर देय कमी मुद्रांक राशि रु 1702 पर कमी पंजीयन शुल्क रु 341, सरचार्ज राशि 340 कुल रु 2383 रसीद संख्या 201802053006180 दिनांक 17-04-2018 में जमा किये गये है।

अतः दस्तावेज को रु 1702 के मुद्रांकों पर निष्पादित माना जाता है।

201801053006536

उप पंजीयक, JODHPUR-III

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month.

उप पंजीयक (तृतीय)
जोधपुर

Registration Endorsement

आज दिनांक 17/04/2018 को

पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 940 में

पृष्ठ संख्या 154 क्रम संख्या 201803053104179 पर पंजीबद्ध किया गया तथा

अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 3756 के

पृष्ठ संख्या 347 से 354 पर चस्पा किया गया ।

201801053006536

उप पंजीयक, JODHPUR-III

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month.

उप पंजीयक (तृतीय)
जोधपुर



Presentation Endorsement

आज दिनांक 17 माह 04 सन् 2018 को 10:05 AM बजे
श्री/श्रीमती/कुमारी SUNPRIME HOME INFRA LLP TH PARTNER
RAGHAV RATHI पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री S/O INDER MAL RATHI
उम्र 30 वर्ष, जाति MAHESWARI , व्यवसाय Business
निवासी House No.:05, Colony: PRATAP NAGAR , Area: GANPATI NAGAR EXT, City: JODHPUR, Pin code: 342001, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया ।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता
201801053006536

हस्ताक्षर उप पंजीयक
JODHPUR-III

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan townships policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purposes), if the lease deed is presented for registration within two month.

Fees Receipt Endorsement

रसीद नं.	201802053006180
दिनांक	17-04-2018
पंजीयन शुल्क ₹	341
प्रतिलिपि शुल्क ₹	0
पृष्ठांकन शुल्क ₹	200
अन्य शुल्क ₹	0
कमी स्टाम्प शुल्क ₹	1702
कमी सरचार्ज शुल्क ₹	340
कुल योग	2583

201801053006536

उप पंजीयक
JODHPUR-III

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purposes), if the lease deed is presented for registration within two month.

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : JODHPUR-III

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 151) Print Date : 17-01-2018 10:09 AM

Fee Receipt No	: 2018020853006181	Receipt Date	: 17/01/2018
Name	: SUNPRIME HOME INFRA LLP TH PARTNER RAGHAV RATHI,	Document S. No.	: 2018010538006537
Address	: 95 ,PRATAP NAGAR JO JODHPUR		
Document Type	: Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	: ₹ 8510	Evaluated Value	: ₹ 453600

Old Registration Fee	: ₹ 341	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 340	Stamp Duty	: ₹ 1702
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 2583
		Other than Cash	: ₹ 2583
		Total Amount	

Mode of Payment (Mode Number Amount) e-Challan 22379158 ₹ 2583

Signature of presenter or applicant for copy or Search certificate

Cashier

Signature of recipient and date of return receipt

SUB-REGISTRAR

उप पंजीयक (तृतीय)
जोधपुर

(10)

मूल्य : 100/-

क्रमांक : 2821



जोधपुर विकास प्राधिकरण



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

5011
12/4/18

पट्टा विलेख

यह विलेख आज वर्ष ..... के माह ..... के ..... वे दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री/श्रीमती/मैसर्स श्री राम प्राईम होम इन्फ्रा एल.एल.पी. 163 जे.डी.ए. स्कीम प्रथम मंजिल, जलजोग सर्किल के पास, जोधपुर जरिए पार्टनर राघव राठी जाति माहेश्वरी (जिनको इसके बाद व्यवसाय व्यापार निवासी 8-ई, ब्रह्मपति नगर, जोधपुर लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इयारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुन्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का यह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना ..... राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 300/3 तेजकल 80.00 में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात :-

1. लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये 6400/- अंके छह हजार चार सौ मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक बारीय नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संबंध के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
2. ऐसा बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दावी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
3. पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगें।
4. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
5. इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावें, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
6. लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तें और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
7. उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी: परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।
8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलनीय होगा।
9. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दृष्टिसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्व्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या शून्यकरणीय या पट्टा विलेख के

(कृ.प.उ.)

Sunprime Home Infra LLP
Partner.

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहृत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ.सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट देवें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : .....
राजस्व ग्राम : पाल
खसरा नम्बर : 1000/3
योजना का नाम स्वप्न - स्वसृष्टि
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
16' X 45' = 80.00

सीमा पूर्व प्लॉट नं. 09 सीमा पश्चिम प्लॉट नं. 11
सीमा उत्तर रोड़ 30 फीट सीमा दक्षिण अन्य भूमि मानचित्र संलग्न है।
भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो 10

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 ..... माह के 13/4/18 वें दिन
श्री राकेश शर्मा (रिनि)
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

नगर निकाय (प्रथम पक्ष)
(प्रथम अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर)
उपायुक्त (दक्षिण)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

साक्षी :-

1. नाम .....
पिता/पति का नाम ITC
व्यवसाय ODM
निवास स्थान .....

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम .....
पिता/पति का नाम .....
व्यवसाय .....
निवास स्थान .....

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक ..... सन् 20 ..... के माह ..... के .....
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री .....
लीजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये गये।

Sunprime Home Infra LLP
Partner
लीजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

1. नाम रघुवीर सिंह अंजनवाल
पिता/पति का नाम सत्य नारायण अंजनवाल
व्यवसाय व्यापार
निवास स्थान 70 नारायण भवन रसरकपुरा जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम पुरखा राम मेघवाल
पिता/पति का नाम रूंगा राम
व्यवसाय कृषि
निवास स्थान पाल गांव जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

" J.D.A. "

SITE PLAN FOR LEASE DEED FOR PLOT NO.10

KHASARA NO. 300/ 3 VILLAGE PAL AT JODHPUR

N
W E
S

PLOT SIZE 16'X45 AREA = 80.00 SQYDS.

Scale :-1"30'

ROAD 30 FT WIDE

16'

45'

P-12 | P-11 | P-10 | P-9 | P-8

Other Land

कार्यालय उप प्रशासनिक (प्रशासन)
जोधपुर

उप नगर नियोजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

उपायुक्त (प्रशासन)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

Sunprime Home Infra LLP

Partner.

Registration Endorsement

आज दिनांक 17/04/2018 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 940 में
पृष्ठ संख्या 165 क्रम संख्या 201803053104190 पर पंजीबद्ध किया गया तथा
अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 3756 के
पृष्ठ संख्या 435 से 442 पर चस्पा किया गया ।

201801053006537

उप पंजीयक, JODHPUR (तृतीय)
उप पंजीयक (तृतीय)
जोधपुर

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, institutional, industrial, tourism purposes), if the lease deed is presented for registration within two month.

कार्यालय उप पंजीयक (तृतीय) जोधपुर

Endorsement of Execution

अनु क्र.	पक्षकारों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	पक्षकारों का प्रकार
1	श्री/श्रीमती/सुश्री COMMISSIONER , पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री COMMISSIONER, व्यवसाय जाति Jodhpur Development Authority			Executant Age : 0 Signature :
2	श्री/श्रीमती/सुश्री SUNPRIME HOME INFRA LLP TH PARTNER RAGHAV RATHI, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री S/O INDER MAL RATHI, व्यवसाय Businessजाति MAHESWARI House No.:05, Colony: PRATAP NAGAR , Area: GANPATI NAGAR EXT, City: JO, Pin code: 342001, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN			Claimant Age : 30 Signature :

ने लेखपत्र Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, institutional, industries, tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month. को पढ सुन व समझाकर निष्पादन करना स्वीकार किया ।

प्रतिफल राशि रु 8510/- पूर्ण मे / मेरे समक्ष / मे से रु 8510/- पूर्ण मे ---------- ये मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया ।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान निम्न व्यक्तियों ने की है , जिनके हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान मेरे समक्ष लिए गए है।

अनु क्र.	गवाहों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	हस्ताक्षर
1	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री RAMESH KUMAWAT, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री MOHAN LAL KUMAWAT जाति KUMHAR Age: 30 Add: House No.:00, Colony: RHC, Area: RHC, City: JO, Pin code: 342001, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN			Signature

201801053006537

उप पंजीयक, JODHPUR-II

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, institutional, industries, tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month.

Under 54 Endorsement

धारा 54 के तहत प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि इस लेख पत्र की मालियत रु 453600 मानते हुए इस पर देय मुद्रांक राशि रु 1702 पर कुल पंजीयन शुल्क रु 341, सरचार्ज राशि 340 कुल रु 2383 एसीट संख्या 201802053006181 दिनांक 17-04-2018 में जमा किये गये है।

अतः दस्तावेज को रु 1702 के मुद्रांकों पर निष्पादित माना जाता है।

201801053006537

उप पंजीयक, JODHPUR-III

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industrial, tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month.

Registration Endorsement

आज दिनांक 17/04/2018 को

पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 940 में

पृष्ठ संख्या 165 क्रम संख्या 201803053104190 पर पंजीबद्ध किया गया तथा

अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 3756 के

पृष्ठ संख्या 435 से 442 पर चस्पा किया गया ।

201801053006537

उप पंजीयक, JODHPUR-III

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industrial, tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month.

उप पंजीयक (तृतीय) जोधपुर

Presentation Endorsement

आज दिनांक 17 माह 04 सन् 2018 को 10:07 AM बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री SUNPRIME HOME INFRA LLP TH PARTNER
RAGHAV RATHI पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री S/O INDER MAL RATHI
उम्र 30 वर्ष, जाति MAHESWARI , व्यवसाय Business
निवासी House No.:05, Colony: PRATAP NAGAR , Area: GANPATI NAGAR EXT, City: JO, Pin code: 342001, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया ।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता

2018010530006537

हस्ताक्षर उप पंजीयक
उप पंजीयक (तृतीय)
JODHPUR-III

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, institutional, industries, tourism purpose), if the lease deed is presented for registration within two month.

Fees Receipt Endorsement

रसीद नं.	201802053006181
दिनांक	17-04-2018
पंजीयन शुल्क ₹	341
अतिरिक्त शुल्क ₹	0
पृष्ठांकन शुल्क ₹	200
अन्य शुल्क ₹	0
बाणी स्टाम्प शुल्क ₹	1702
कमी सरचार्ज शुल्क ₹	340
कुल योग	2583

उप पंजीयक (तृतीय)
जोधपुर

2018010530006537

JODHPUR-III

उप पंजीयक, (तृतीय)

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, institutional, industries, tourism purpose), if the lease deed is presented for registration within two month.

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : JODHPUR-II

Fee Receipt

Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 17-04-2018 10:10 AM

Fee Receipt No	: 2018020503005162	Receipt Date	:	17/04/2018	
Name	: SUNPRIME HOME INFRA LLP TH PARTNER RAGHAV RATHI,	Document S. No.	:	2018010503006538	
Address	: 05 ,PRATAP NAGAR ,JODHPUR ,JODHPUR				
Document Type	: Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent				
Face Value	: ₹ 8510	Evaluated Value	:	₹ 453600	
Old-Registration Fee	: ₹ 341	Fee for Memorandum Us_64_67	:	₹	
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	:	₹ 0	
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	:	₹	
Surcharge	: ₹ 340	Stamp Duty	:	₹ 1702	
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	:	₹ 0	
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	:	₹ 0	
Custody	: ₹	Others	:	₹ 0	
		Cash Amount Received	:	₹ 0	
		Other than Cash	:	₹ 2583	
		Total Amount	:	₹ 2583	

Mode of Payment (#Mode Number Amount ₹)
e-Gras Challan 22375948 ₹ 2583

Signature of presenter or applicant for copy or Search certificate ?

Cashier

Signature of recipient and date of return receipt

SUB-REGISTRAR

उप पंजीयक (वृतीय
जोधपुर

मूल्य : 100/-

क्रमांक : 2822



जोधपुर विकास प्राधिकरण



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

5012
13/4/18

यह विलेख आज वर्ष ..... के माह ..... के ..... वे दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री सन प्राईम होम इन्फ्रा एल.एल.पी. 18च जे डी हारकेड प्रथम मंजिल, जलजोग सर्कल के पास जोधपुर जरिए पार्टनर राघव राठी जाति माहेश्वरी व्यवसाय व्यापार निवासी 85, प्रतापनगर जोधपुर (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुन्तकिल अलेह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का यह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना ..... राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 300/3 क्षेत्रफल 80.00 में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिये गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात :-

1. लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम सेल उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये 6400/- अंके छह हजार चार सौ ..... मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक वार्षिक नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की शर्तों के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
2. एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
3. पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगी।
4. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
5. इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावें, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
6. लीजधारक उक्त भूखण्ड पर आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तें और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
7. उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।
8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
9. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख की गुप्तिलिपि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्व्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के

(कृ.प.ऊ.)

Partner.

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित, उसे प्रतिसंहृत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ.सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट देवें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : .....
राजस्व ग्राम : पाल
खसरा नम्बर : 300/3
योजना का नाम स्वन - सहकार
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
16'X45'= 80.00

सीमा पूर्व प्लॉट नं. 10 सीमा पश्चिम प्लॉट नं. 12
सीमा उत्तर रोड 30 फीट सीमा दक्षिण अन्य भूमि मानचित्र संलग्न है।
भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो ..11.....

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 ..... माह के 13/4/18 वें दिन
श्री राकेश शर्मा (IAS)
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

उपायुक्त (वित्त एवं
अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

साक्षी :-

1. नाम .....
पिता/पति का नाम LDC
व्यवसाय .....
निवास स्थान .....

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम .....
पिता/पति का नाम .....
व्यवसाय .....
निवास स्थान .....

साक्षी के हस्ताक्षर

कार्यालय सहायक (लेखा)
जोधपुर विकास प्राधिकरण

Sunprime Home Infra LLP
Partner

3. आज दिनांक ..... सन् 20 ..... के माह ..... के .....
वें दिन नीचे निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री .....
लीजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये गये।

लीजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

1. नाम रघुवीर इन्द्रवाल
पिता/पति का नाम सत्य नारायण इन्द्रवाल
व्यवसाय दुकानदार
निवास स्थान 76 तालाब भवन सरदारपुरा जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम पुरखा राम मेघवाल
पिता/पति का नाम रवीना राम
व्यवसाय खेती
निवास स्थान पाल गांव जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

" J.D.A. "

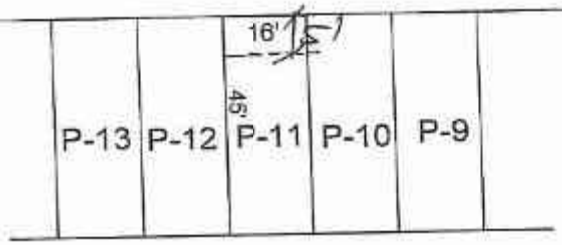
SITE PLAN FOR LEASE DEED FOR PLOT NO.11

KHASARA NO. 300/ 3 VILLAGE PAL AT JODHPUR

PLOT SIZE 16'X45 AREA = 80.00 SQYDS.

Scale :-1"30'

ROAD 30 FT WIDE



Other Land

उपखण्ड अधिकारी (पश्चिम)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

उप नगर नियोजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

Sunprime Home Infra LLP

Partner.

Registration Endorsement

आज दिनांक 17/04/2018 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 940 में
पृष्ठ संख्या 152 क्रम संख्या 201803053104177 पर पंजीबद्ध किया गया तथा
अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 3756 के
पृष्ठ संख्या 331 से 338 पर चस्पा किया गया ।

201801053006538

उप पंजीयक, JODHPUR

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of acquiring freehold under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, institutional, industries, ... purpose). if the lease deed is presented for registration within two month.

कार्यालय उप पंजीयक (तृतीय) जोधपुर

Endorsement of Execution

अनु क्र.	पक्षकारों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	पक्षकार्त का प्रकार
1	श्री/श्रीमती/सुश्री COMMISSIONER , पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री COMMISSIONER, व्यवसाय जाति Jodhpur Development Authority			Executant Age : 0 Signature :
2	श्री/श्रीमती/सुश्री SUNPRIME HOME INFRA LLP TH PARTNER RAGHAV RATHI, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री S/O INDER MAL RATHI, व्यवसाय Businessजाति MAHESWARI House No.:05, Colony: PRATAP NAGAR , Area: GANPATI NAGAR EXT, City: JODHPUR , Pin code: 342001, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN			Claimant Age : 30 Signature :

ने लेखपत्र Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose). If the lease deed is presented for registration within two month. को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया ।

प्रतिफल राशि रु 8510/- पूर्व में / मेरे समक्ष / मे से रु 8510/- पूर्व मे ———— से मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया ।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान निम्न व्यक्तियों ने की है , जिनके हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान मेरे समक्ष लिए गए है।

अनु क्र.	साक्षी का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	हस्ताक्षर
1	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री RAMESH KUMAWAT, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री MOHAN LAL KUMAWAT जाति KUMHAR Age: 37 Add: House No.:00, Colony: RHC , Area: RHC, City: JODHPUR , Pin code: 342001, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN			Signature

2018010530006538

उप खण्ड अधिकारी, JODHPUR-II

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose). If the lease deed is presented for registration within two month.

उपखण्ड अधिकारी (द्वितीय) जोधपुर

Under 54 Endorsement

धारा 54 के तहत प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि इस लेख पत्र की लागियत रु 453600 मानते हुए मुल्य पर देय कमी मुद्रांक राशि रु 1702 पर कमी पंजीयन शुल्क रु 341, सरचार्ज राशि 340 कुल रु 2383 रसीद संख्या 201802053006162 दिनांक 17-04-2018 में जमा किये गये है।

अतः दस्तावेज को रु 1702 के मुद्रांकों पर निष्पादित माना जाता है।

201801053006538

उप पंजीयक (तृतीय) JODHPUR-III

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose). if tha laase deed is presented for registration within two month.

Registration Endorsement

आज दिनांक 17/04/2018 को

पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 940 में

पृष्ठ संख्या 152 क्रम संख्या 201803053104177 पर पंजीबद्ध किया गया तथा

अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 3756 के

पृष्ठ संख्या 331 से 338 पर चस्पा किया गया ।

201801053006538

उप पंजीयक (तृतीय) JODHPUR-III

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month.

Presentation Endorsement

आज दिनांक 17 माह 04 सन् 2018 को 10:09 AM बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री SUNPRIME HOME INFRA LLP TH PARTNER
RAGHAV RATHI पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री S/O INDER MAL RATHI
उम्र 30 वर्ष, जाति MAHESWARI , व्यवसाय Business
निवासी House No.:05, Colony: PRATAP NAGAR , Area: GANPATI NAGAR EXT, City: JODHPUR , Pin code: 342001, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया ।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता

हस्ताक्षर उप पंजीयक,
JODHPUR-III

201801053006538

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, institutional, industries, tourism purpose), if the lease deed is presented for registration within two month.

Fees Receipt Endorsement

रसीद नं.	201802053006182
दिनांक	17-04-2018
पंजीयन शुल्क ₹	341
प्रतिलिपि शुल्क ₹	0
पृष्ठांकन शुल्क ₹	200
अन्य शुल्क ₹	0
नकी स्टाम्प शुल्क ₹	1702
नकी सरचार्ज शुल्क ₹	340
कुल योग	2583

201801053006538

उप पंजीयक,
JODHPUR-III

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, institutional, industries, tourism purpose), if the lease deed is presented for registration within two month.

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : JODHPUR-III

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 17-04-2018 10:13 AM

Fee Receipt No	: 2018020630008183	Receipt Date	: 17/04/2018
Name	: SUNPRIME HOME INFRA LLP TH PARTNER RAGHAV RATHI,	Document S. No	: 2018010530006530
Address	: S ,PRATAP NAGAR JODHPUR JODHPUR		
Document Type	: Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	: ₹ 8510	Evaluated Value	: ₹ 453800
Ord-Registration Fee	: ₹ 341	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 340	Stamp Duty	: ₹ 1702
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Curiocy	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 2560
		Other than Cash	: ₹ 3583
		Total Amount	: ₹ 3583

Mode of Payment (#Mode Number Amount)
e-Gras Challan 22379837 ₹ 3583

Signature of presenter or applicant for copy or Search certificate

Cashier

Signature of recipient and date of return receipt

SUB-REGISTRAR

उप पंजीयक (तृतीय)
जोधपुर

(18)

मूल्य : 100/-

क्रमांक : 2823



जोधपुर विकास प्राधिकरण





जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

5013
13/5/18

पट्टा विलेख

यह विलेख आज वर्ष ..... के माह ..... की ..... वे दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हे इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री सन प्राईम होम इन्फ्रा एल एलपीए 108 जे.डी. मारकेड प्रथम मंजिल, जलजोग सर्किल के पास, जोधपुर जरिए पार्टनर राघव राठी ..... जाति माहेश्वरी ..... व्यवसाय व्यापार ..... निवासी 68, गणपति नगर, जोधपुर ..... (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से भिन्न अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुन्तकिल अलेह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निभावित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का यह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना ..... राज-समंद ..... राजस्व ग्राम पाल्य के खसरा संख्या 300/2 क्षेत्रफल 80.00 में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात :-

1. लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रेल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रूपये 6400/- अंके "छह हजार चार सौ" मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक वार्षिय नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
2. एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
3. पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगें।
4. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय ..... प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
5. इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जायें, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
6. लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तें और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
7. उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य युक्तिसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।
8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति यथादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
9. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्व्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है तो आवंटन या पट्टा विलेख को

(कृ.प.उ.)

Sunprime Home Infra LLP

Partner

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहृत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ.सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट देवें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : .....
राजस्व ग्राम : पाल
खसरा नम्बर : 3007/3
योजना का नाम स्वन - [illegible]
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
16'X45' = 80.00

सीमा पूर्व प्लॉट नं. 11 सीमा पश्चिम प्लॉट नं. 13
सीमा उत्तर रोड 30 ft सीमा दक्षिण अन्य भूमि मानचित्र संलग्न है।
भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो 12

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 ..... माह के 12/4/18 वें दिन
श्री राकेश शर्मा (R.A.S)
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

नगर निकाय - प्रथम पक्ष
उपायुक्त (दक्षिण)
(सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

साक्षी :-

1. नाम .....
पिता/पति का नाम LDC
व्यवसाय जोधपुर
निवास स्थान .....

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम .....
पिता/पति का नाम .....
व्यवसाय .....
निवास स्थान .....

साक्षी के हस्ताक्षर

Sunprime Home Infra LLP
Partner

दिनांक ..... सन् 20 ..... के माह ..... के .....
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री .....
लीजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये गये।

लीजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

1. नाम श्री श्याम अग्रवाल
पिता/पति का नाम स्व. चांदमल अग्रवाल
व्यवसाय व्यापार
निवास स्थान 30 तोपल भवन, सरदारपुरा जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम पुरखा राम मेघवाल
पिता/पति का नाम रवीना राम
व्यवसाय कृषि
निवास स्थान पाल गांव जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

" J.D.A. "

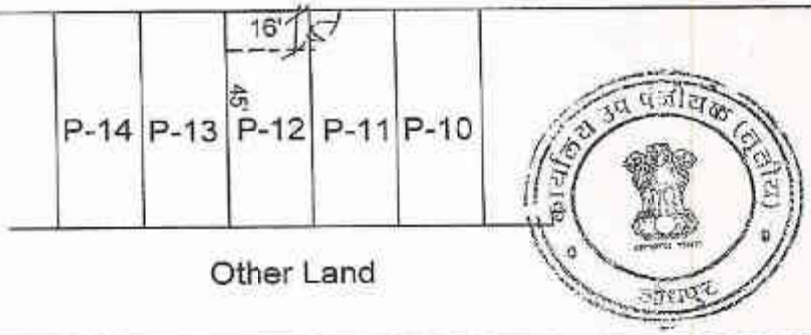
SITE PLAN FOR LEASE DEED FOR PLOT NO.12

KHASARA NO. 300/ 3 VILLAGE PAL AT JODHPUR

PLOT SIZE 16'X45 AREA = 80.00 SQYDS.

Scale :-1"30'

ROAD 30 FT WIDE



उप नगर नियोजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

उपायुक्त (दक्षिण)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

Sunprime Home Infra LLP

Partner.

Registration Endorsement

आज दिनांक 17/04/2018 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 940 में
पृष्ठ संख्या 169 क्रम संख्या 201803053104194 पर पंजीबद्ध किया गया तथा
अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 3757 के
पृष्ठ संख्या 1 से 8 पर चस्पा किया गया ।

201801053006539

उप पंजीयक, JODHPUR (तृतीय)

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish ownership under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purposes) if the lease deed is presented for registration within two month.



Endorsement of Execution

अनु क्र.	पक्षकारों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	पक्षकारों का प्रकार
1	श्री/श्रीमती/सुश्री COMMISSIONER , पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री COMMISSIONER, व्यवसाय जाति Jodhpur Development Authority	×	×	Executant Age : 0 Signature :
2	श्री/श्रीमती/सुश्री SUNPRIME HOME INFRA LLP TH PARTNER RAGHAV RATHI, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री S/O INDER MAL RATHI, व्यवसाय Businessजाति MAHESWARI House No.:5, Colony: PRATAP NAGAR , Area: GANPATI NAGAR EXT, City: JODHPUR , Pin code: 342001, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN			Claimant Age : 30 Signature :

ने लैख्यपत्र Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose). If the lease deed is presented for registration within two month. को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया ।

प्रतिफल राशि ₹ 8510/- पूर्व में / मेरे समक्ष / में से रु 8510/- पूर्व में ———— से मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया ।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान निम्न व्यक्तियों ने की है , जिनके हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान मेरे समक्ष लिए गए हैं।

अनु क्र.	गवाहों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	हस्ताक्षर
1	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री RAMESH KUMAWAT, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री MOHAN LAL KUMAWAT जाति KUMHAR Age: 36 Add: House No.:00, Colony: RHC, Area: RHC, City: JODHPUR , Pin code: 342001, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN			Signature

201801053006539

उप पंजीयक JODHPUR-II

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose). If the lease deed is presented for registration within two month.

Under 54 Endorsement

धारा 54 के तहत प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि इस लेख पत्र की स्टाम्पित रु 453800 मानते हुए इस पर देय कमी मुद्रांक राशि रु 1702 पर कमी पंजीयन शुल्क रु 341, सरचार्ज राशि 340 सहित रु 2383 रसीद संख्या 20180205300G183 दिनांक 17-04-2018 से जमा किये गये है।

अतः दस्तावेज को रु 1702 के मुद्रांकों पर निष्पादित माना जाता है।

201801053006539

उप पंजीयक, JODHPUR-III

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month.

Registration Endorsement

आज दिनांक 17/04/2018 को

पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 940 में

पृष्ठ संख्या 169 क्रम संख्या 201803053104194 पर पंजीबद्ध किया गया तथा

अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 3757 के

पृष्ठ संख्या 1 से 8 पर चस्पा किया गया ।

201801053006539

उप पंजीयक, JODHPUR-III

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month.

Presentation Endorsement

आज दिनांक 17 माह 04 सन् 2018 को 10:11 AM बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री SUNPRIME HOME INFRA LLP TH PARTNER RAGHAV RATHI पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री S/O INDER MAL RATHI उम्र 30 वर्ष, जाति MAHESWARI , व्यवसाय Business निवासी House No.:5, Colony: PRATAP NAGAR , Area: GANPATI NAGAR EXT, City: JODHPUR , Pin code: 342001, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया ।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता
201801053006539

हस्ताक्षर उप पंजीयक,
JODHPUR-III

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month.

Fees Receipt Endorsement

रसीद नं.	201802053006183
दिनांक	17-04-2018
पंजीयन शुल्क ₹	341
प्रतिलिपि शुल्क ₹	0
पृष्ठांकन शुल्क ₹	200
अन्य शुल्क ₹	0
कमी स्टाम्प शुल्क ₹	1702
कमी सरचार्ज शुल्क ₹	340
कुल योग	2583

201801053006539

उप पंजीयक,
JODHPUR-III

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month.

उप पंजीयक (तृतीय)

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : JODHPUR-III

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 17-04-2018 10:15 AM

Fee Receipt No	: 2018020853006184	Receipt Date	: 17/04/2018		
Name	: SUNPRIME HOME INFRA LLP TH PARTNER RAGHAV RATHI,	Document S. No.	: 2018010853006540		
Address	: 09 ,PRATAP NAGAR ,JODHPUR ,JODHPUR				
Document Type	: Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent				
Face Value	: ₹ 8510	Evaluated Value	: ₹ 453600		
Crd-Registration Fee	: ₹ 341	Fee for Memorandum Us_64_67	:	₹	
OSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_67	:	₹ 0	
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	:	₹	
Surcharge	: ₹ 340	Stamp Duty	:	₹ 1702	
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	:	₹ 0	
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	:	₹ 0	
Custody	: ₹	Others	:	₹ 0	
		Cash Amount Received	:	₹ 0	
		Other than Cash	:	₹ 2583	
		Total Amount	:	₹ 2583	

Mode of Payment (#Mode Number Amount,#)
e-Gras Challan 2237968# ₹ 2583

Signature of presenter or applicant for copy or Search certificate

Cashier

Signature of recipient and date of return receipt

SUB-REGISTRAR

उप पंजीयक (तृतीय)
जोधपुर

(15)

क्रमांक : 2824

मूल्य : 100/-



जोधपुर विकास प्राधिकरण





जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

5017
13/11/19

यह विलेख आज वर्ष ..... के माह ..... के ..... वे दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री सन प्राईम होम इन्फ्रा एल.एल.पी. 103 जे.पी. मार्केट प्रथम मंजिल, जयजोग सर्कल के पास, जोधपुर जरिए पार्टनर राघव राठी जाति माहेश्वरी व्यवसाय व्यापार निवासी 05, शिल्पपति नगर, जोधपुर (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुन्तकिल अलेह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना सन - समृद्धि राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 300/3 क्षेत्रफल 80.00 में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात :-

1. लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन केवल भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रूपये 6400/- अंके छः हजार चार सौ मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक वार्षिय नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
2. एक-सम नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर या पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
3. पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगें।
4. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
5. इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जाये, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
6. लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रारम्भतः उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
7. उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य युक्तिसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निर्धारित की जायेगी: परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।
8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति पश्चादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
9. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्व्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के

(कृ.प.उ.)

Supreme Home Infra LLP

Partner.

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहृत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जावेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ.सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट देवें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : .....
राजस्व ग्राम : पाल
खसरा नम्बर : 308/3
योजना का नाम अन्य - आवासीय
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
16' X 45' = 80 : 00

सीमा पूर्व प्लॉट नं. 12 सीमा पश्चिम प्लॉट नं. 14
सीमा उत्तर रोड 30 फीट सीमा दक्षिण अन्य भूमि मानचित्र संलग्न है।
भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो ...13.....

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 ..... माह के 12/4/18 वें दिन
श्री राकेश शर्मा (ए.ए.ओ)
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

नगर निकाय - प्रथम पक्ष
उपायुक्त (दक्षिण)
(सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

साक्षी :-

1. नाम .....
पिता/पति का नाम LDC
व्यवसाय JDA
निवास स्थान .....

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम .....
पिता/पति का नाम .....
व्यवसाय .....
निवास स्थान .....

साक्षी के हस्ताक्षर

Sunprime Home Infra LLP

आज दिनांक ..... सन् 20 ..... के माह ..... के .....
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री .....
सक्षम अधिकारी के कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये गये।

Partner.

तीजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

1. नाम रवुशान अग्रवाल
पिता/पति का नाम सत्य नारायण अग्रवाल
व्यवसाय टेलर
निवास स्थान 76 नामल भवन सरदारपुरा जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम पुरखा राम बैरवाल
पिता/पति का नाम रखीया राम
व्यवसाय कृषि
निवास स्थान पाल गांव जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

" J.D.A. "

SITE PLAN FOR LEASE DEED FOR PLOT NO.13

KHASARA NO. 300/ 3 VILLAGE PAL AT JODHPUR

PLOT SIZE 16'X45 AREA = 80.00 SQYDS.

Scale :-1"30'

ROAD 30 FT WIDE

16'

45'

P-15 | P-14 | P-13 | P-12 | P-11

Other Land

उप नगर नियोजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

सचिव (पश्चिम)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

Sunprime Home Infra LLP

Partner.

Registration Endorsement

आज दिनांक 17/04/2018 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 940 में
पृष्ठ संख्या 180 क्रम संख्या 201803053104205 पर पंजीबद्ध किया गया तथा
अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 3757 के
पृष्ठ संख्या 89 से 96 पर चस्पा किया गया ।

201801053006540

उप पंजीयक, JODHPUR-II
उप पंजीयक (तृतीय)
जोधपुर

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, institutional, Industries, tourism etc.), if the lease deed is presented for registration within two month.

कार्यालय उप पंजीयक (तृतीय)
जोधपुर

Endorsement of Execution

अनु क्र.	पक्षकार का नाम व पता	अंगूठा	पक्षकारों का प्रकार
1	श्री/श्रीमती/सुश्री COMMISSIONER , पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री COMMISSIONER, व्यवसाय जाति Jodhpur Development Authority		Executant Age : 0 Signature :
2	श्री/श्रीमती/सुश्री SUNPRIME HOME INFRA LLP TH PARTNER RAGHAV RATHI, पुत्र/पुत्रीपत्नि श्री S/O INDER MAL RATHI, व्यवसाय Businessजाति MAHESHWARI House No.:05, Colony: PRATAP NAGAR , Area: GANPATI NAGAR EXT, City: JODHPUR , Pin code: 342001, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN	 	Claimant Age : 30 Signature :

ने हस्तलेख Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, institutional, industries, tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month. को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया ।

प्रतिफल राशि ₹ 8510/- पूरी मे / मोर समक्ष / मे से ₹ 8510/- पूरे मे ---------- से मोर समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया ।

उक्त निष्पादन करो की पहचान निम्न व्यक्तियों ने की है , जिनके हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान मेरे समक्ष लिए गए है।

अनु क्र.	गवाही का नाम व पता	अंगूठा	हस्ताक्षर
1	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री RAMESH KUMAWAT, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री MOHAN LAL KUMAWAT जाति KUMHAR Age: 36 Add: House No.:00, Colony: RHC, Area: RHC, City: JODHPUR , Pin code: 342001, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN	 	Signature

उप पंजीयक, JODHPUR-III

20180105300654O

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, institutional, industries, tourism purpose) the lease deed is presented for registration within two month.

उप पंजीयक (तृतीय)
जोधपुर



Under 54 Endorsement

धारा 54 के तहत प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि इस लेख पत्र की स्टाम्पित रु 453600 मालते हुए इस पर देय कमी मुद्रांक राशि रु 1702 पर कमी पंजीयन शुल्क रु 341, सरचार्ज राशि 340 कुल रु 2383 रसीद संख्या 201602053006184 दिनांक 17-04-2018 में जमा किये गये है।

अतः दस्तावेज को रु 1702 के मुद्रांकों पर निष्पादित माना जाता है।

201801053006540

उप पंजीयक, JODHPUR-II

उप पंजीयक (तृतीय)
जोधपुर

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month.

Registration Endorsement

आज दिनांक 17/04/2018 को

पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 940 में

पृष्ठ संख्या 180 क्रम संख्या 201803053104205 पर पंजीबद्ध किया गया तथा

अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 3757 के

पृष्ठ संख्या 89 से 96 पर चस्पा किया गया ।

201801053006540

उप पंजीयक, JODHPUR-II

उप पंजीयक (तृतीय)
जोधपुर

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month.



Presentation Endorsement

आज दिनांक 17 माह 04 सन् 2018 को 10:13 AM बजे
श्री/श्रीमती/कुमरी SUNPRIME HOME INFRA LLP TH PARTNER
RAGHAV RATHI पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री S/O INDER MAL RATHI
उम्र 30 वर्ष, जाति MAHESHAWARI , व्यवसाय Business
निवासी House No.:05, Colony: PRATAP NAGAR , Area: GANPATI NAGAR EXT, City: JODHPUR , Pin code: 342001, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया ।

इस्तक्षर प्रस्तुतकर्ता
2018013053006540

इस्तक्षर उप पंजीयक,
JODHPUR-III

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose). If the lease deed is presented for registration within two month.

Fees Receipt Endorsement

रसीद नं.	201802053005184
दिनांक	17-04-2018
पंजीयन शुल्क ₹	341
प्रतिलिपि शुल्क ₹	0
पृष्ठांकन शुल्क ₹	200
अन्य शुल्क ₹	0
कमी स्टाम्प शुल्क ₹	1702
कमी सरचार्ज शुल्क ₹	340
कुल योग	2583

2018013053006540

उप पंजीयक,
JODHPUR-III

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose). If the lease deed is presented for registration within two month.



मूल्य : 100/-

क्रमांक : 2825



जोधपुर विकास प्राधिकरण





जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

5015
12/7/18

यह विलेख आज वर्ष ..... के माह ..... के ..... वे दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री "सन प्राईम होम इन्फ्रा एल.एल.पी.", 163 जे.डी. मार्केट प्रथम मंजिल, अखेराज सर्किल के पास, जोधपुर ...जरिए पार्टनर राघव राठी... जाति माहेश्वरी ..... (जिनको इसके बाद व्यवसाय व्यापार निवासी 62 गणपति नगर, जोधपुर लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुत्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का यह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना ...सन-समृद्धि... राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 300/3 क्षेत्रफल 80.00 मे स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात :-

1. लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमावन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये 6400/- अंके छह हजार चार सौ ..... मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक वार्षिय नगरीय निर्धारण (शहरी जमावन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा करायी गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
2. एक बार निश्चित किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
3. पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगी।
4. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल व्यावसायिक प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
5. इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावें, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
6. लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तें और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
7. उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी : परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामले में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।
8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परदेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
9. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख किसी की दुरभिसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्व्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है तो आवंटन या पट्टा विलेख के

(कृ.प.उ.)

Sunprime Home India LLP

Partner.

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहृत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित, किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ.सी. अथवा नैशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट देवें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : .....
राजस्व ग्राम : पाल
खसरा नम्बर : 388/3
योजना का नाम स्कीम आवासीय
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
16'X45' = 80.00

सीमा पूर्व प्लॉट नं. 13 सीमा पश्चिम प्लॉट नं. 15
सीमा उत्तर रोड 30 फीट सीमा दक्षिण अन्य भूमि मानचित्र संलग्न है।
भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो 14

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 ..... माह के 13/4/18 वें दिन
श्री राकेश शर्मा (RAJ)
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

उपायुक्त (दक्षिण) पक्षकार
जोधपुर विकास प्राधिकरण
(अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)
जोधपुर

साक्षी :-

1. नाम .....
पिता/पति का नाम LDC
व्यवसाय JDA
निवास स्थान .....
साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम .....
पिता/पति का नाम .....
व्यवसाय .....
निवास स्थान .....
साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक ..... सन् 20 ..... के माह ..... के .....
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री .....
लीजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये गये।

Sunprime Home Infra LLP
लीजधारक Partner

साक्षी :-

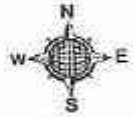
1. नाम रतन लाल अग्रवाल
पिता/पति का नाम सत्य नारायण अग्रवाल
व्यवसाय एडवोकेट
निवास स्थान C/o तायल भवन सरदारपुरा जोधपुर
साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम पुरखा राम मेघवाल
पिता/पति का नाम खीया राम
व्यवसाय कृषि
निवास स्थान पाल गांव जोधपुर
साक्षी के हस्ताक्षर

" J.D.A. "

SITE PLAN FOR LEASE DEED FOR PLOT NO.14

KHASARA NO. 300/ 3 VILLAGE PAL AT JODHPUR



PLOT SIZE 16'X45 AREA = 80.00 SQYDS.

Scale :-1"30'

ROAD 30 FT WIDE

16'

45'

P-16 | P-15 | P-14 | P-13 | P-12

Other Land

सहायक उप पंजीयक (दक्षिण)
जोधपुर

उपायुक्त (दक्षिण)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

उप नगर नियोजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

Sunprime Home Infra LLP

Partner

Registration Endorsement

आज दिनांक 17/04/2018 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 940 में
पृष्ठ संख्या 173 क्रम संख्या 201803053104198 पर पंजीबद्ध किया गया तथा
अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 3757 के
पृष्ठ संख्या 33 से 40 पर चस्पा किया गया ।

201801053C06541

उप पंजीयक (द्वितीय) JODHPUR-III

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish ...sha Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Indu...es, tour... purpose) The lease deed is presented for registration within two month.

कार्यालय उप पंजीयक (द्वितीय) जोधपुर

Endorsement of Execution

अनु क्र.	पक्षकारों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	पक्षकारों का प्रकार
1	श्री/श्रीमती/सुश्री COMMISSIONER , पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री COMMISSIONER, व्यवसाय जाति Jodhpur Development Authority			Executant Age : 0 Signature :
2	श्री/श्रीमती/सुश्री SUNPRIME HOME INFRA LLP TH PARTNER RAGHAV RATHI, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री S/O INDER MAL RATHI, व्यवसाय Businessजाति MAHESWARI House No. 05, Colony: PRATAP NAGAR , Area: GANPATI NAGAR EXT, City: JODHPUR , Pin code: 342001, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN			Claimant Age : 30 Signature :

ने लेखपत्र Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of estebllsh township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose), if the lease deed is presented for registration within two month. को पढ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया ।

प्रतिफल राशि रु 8510/- पूर्व से / मेरे समक्ष / में से रु 8510/- पूर्व में ———— से मेरे सामने प्राप्त करना स्वीकार किया ।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान निम्न व्यक्तियों ने की है , जिनके हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान मेरे समक्ष लिए गए है।

अनु क्र.	गवाहों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	हस्ताक्षर
1	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री RAMESH KUMAWAT, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री MOHAN LAL KUMAWAT जाति KUMHAR Age: 36 Add: House No: 00, Colony: RHC , Area: RHC, City: JODHPUR , Pin code: 342001, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN			Signature

20180105300654 1

उप पंजीयक, JODHPUR

उप पंजीयक, जोधपुर

Lease dead issued in favour of first allotte for the purpose of estebllsh township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose), if the lease deed is presented for registration within two month.



Under 54 Endorsement

धारा 54 के तहत प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि इस लेख पत्र की मालियत रु 463600 मानते हुए इस पर देय कमी मुद्रांक राशि रु 1702 पर कमी पंजीयन शुल्क रु 341, सरचार्ज राशि 340 कुल रु 2383 रसीद संख्या 201802053006185 दिनांक 17-04-2018 में जमा किये गये है।

अतः दस्तावेज को रु 1702 के मुद्रांकों पर निष्पादित माना जाता है।

201801053006541

उप पंजीयक, JODHPUR (पृथ्वी)

उप पंजीयक (पृथ्वी)

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, institutional, industries, tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month.

Registration Endorsement

आज दिनांक 17/04/2018 को

पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 940 में

पृष्ठ संख्या 173 क्रम संख्या 201803053104198 पर पंजीबद्ध किया गया तथा

अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 3757 के

पृष्ठ संख्या 33 से 40 पर चस्पा किया गया ।

201801053006541

उप पंजीयक, JODHPUR (पृथ्वी)

उप पंजीयक (पृथ्वी)

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, institutional, industries, tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month.

Presentation Endorsement

आज दिनांक 17 माह 04 सन् 2018 को 10:15 AM बजे

श्री/श्रीमती/सुश्री SUNPRIME HOME INFRA LLP TH PARTNER

RAGHAV RATHI पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री S/O INDER MAL RATHI

उम्र 30 वर्ष, जाति MAHESWARI , व्यवसाय Business

निवासी House No.:05, Colony: PRATAP NAGAR , Area: GANPATI NAGAR EXT, City: JODHPUR , Pin code: 342001, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN

ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया ।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता

201802053006541

हस्ताक्षर उप पंजीयक,
JODHPUR-III

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose) the lease deed is presented for registration within two month.

उप पंजीयक (तृतीय)
जोधपुर

Fees Receipt Endorsement

रसीद नं.	201802053006185
दिनांक	17-04-2018
पंजीयन शुल्क ₹	341
प्रतिलिपि शुल्क ₹	0
पृष्ठांकन शुल्क ₹	200
अन्य शुल्क ₹	0
कमी स्टाम्प शुल्क ₹	1702
कमी सरचार्ज शुल्क ₹	340
कुल योग	2583

201801053006541

उप पंजीयक
JODHPUR-III

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose) the lease deed is presented for registration within two month.

उप पंजीयक (तृतीय)
जोधपुर

कार्यालय उप पंजीयक (द्वितीय)
जोधपुर

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : JODHPUR-III

Fee Receipt
Appendix I Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 17-04-2018 10:17 AM

Fee Receipt No	: 2018032053006185	Receipt Date	:	17/04/2018	
Name	: SUNPRIME HOME INFRA LLP TH PARTNER RAGHAV RATHI,	Document S. No.	:	2018010530005941	
Address	: 05 ,PRATAP NAGAR ,JODHPUR ,JODHPUR				
Document Type	: Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent				
Face Value	: ₹ 6510	Evaluated Value	:	₹ 453600	
Onc-Registration Fee	: ₹ 341	Fee for Memorandum Us_64_67	:	₹	
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	:	₹ 0	
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	:	₹	
Surcharge	: ₹ 540	Stamp Duty	:	₹ 1702	
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	:	₹ 0	
Us_26_3A	: ₹ 0	Commission	:	₹ 0	
Custody	: ₹	Others	:	₹ 0	
		Cash Amount Received	:	₹ 0	
		Other than Cash	:	₹ 2583	
		Total Amount	:	₹ 2583	

Mode of Payment (*Mode Number Amount ₹)
* e-Gras Challan 2237970 ₹ 2583

Signature of presenter or applicant for copy or Search certificate

Signature of recipient and date of return receipt

SUB-REGISTRAR

उप पंजीयक (तृतीय)
जोधपुर

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : JODHPUR-III

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 191) Print Date : 17-04-2018 10:18 AM

Fee Receipt No	:	2018020530061 86	Receipt Date	:	17/04/2018
Name	:	SUNPRIME HOME INFRA LLP TH PARTNER RAGHAV RATHI,	Document S. No.	:	2018010530095 42
Address	:	05 ,PRATAP NAGAR JODHPUR JODHPUR			
Document Type	:	Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent			
Face Value	:	₹ 6510	Evaluated Value	:	₹ 453600
Ord-Registration Fee	:	₹ 341	Fee for Memorandum Us_64_67	:	₹
CSI	:	₹ 200	Certified copying fees Us_57	:	₹ 0
Stamp (Memorandum)	:	₹	Reg (memorandum)	:	₹
Surcharge	:	₹ 340	Stamp Duty	:	₹ 1702
Penalty	:	₹ 0	Inspection fee	:	₹ 0
Us_25_34	:	₹ 0	Commission	:	₹ 0
Custody	:	₹	Others	:	₹ 0
			Cash Amount Received	:	₹ 0
			Other than Cash	:	₹ 2583
			Total Amount	:	₹ 2583

Mode of Payment (#Mode Number Amount)
e-Gras Challan 22379046 ₹ 2583

Signature of presenter or applicant for copy or Search certificate

Cashier

Signature of recipient and date of return receipt

SUB-REGISTRAR

उप पंजीयक (तृतीय
जोधपुर

(१७)

क्रमांक : 2826

मूल्य : 100/-



जोधपुर विकास प्राधिकरण





जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

5016
12/4/18

पट्टा विलेख

यह विलेख आज वर्ष ..... के माह ..... के ..... वे दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री "सन प्राईम होम इन्फ्रा एल०एल०पी० 103 जे.डी. आरकेड प्रबल गैंजिल, जलजोग सर्कल के पास, जोधपुर जरिए पार्टनर राघव राही ..... जाति "माहेश्वरी ..... व्यवसाय व्यापार ..... निवासी 65, अशोधाले नगर, जोधपुर ..... (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुख्तकिल आलेह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तनाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना "सन समृद्धि ..... राजस्व ग्राम "पाल ..... के खसरा संख्या 300/3 ..... क्षेत्रफल 80.0.0 ..... में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात :–

1. लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय–समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप–नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये 6400/= अंके "छः हजार चार सौ ..... मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक वार्षिक नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की अवधि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

एक बार निपटा दिया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दावी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।

2. पट्टे की अवधि :– पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगें।

3. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय ..... प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।

4. इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम–26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावें, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।

5. लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप–पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तें और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप–पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप–पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप–पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।

6. उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य युक्तिसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।

7. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू–राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।

8. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्व्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है, तो आवंटन या पट्टा विलेख को

(क्र.प.उ.)

For Sunprime Home India LLP

Partner.

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहृत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ.सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट देवें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : .....
राजस्व ग्राम : पाल
खसरा नम्बर : 3881/3
योजना का नाम स्कीम - समूह हि
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
16' X 45' = 80.00

सीमा पूर्व प्लॉट नं. 14 सीमा पश्चिम प्लॉट नं. 16
सीमा उत्तर रोड 30 FT. सीमा दक्षिण अन्य भूमि मानचित्र संलग्न है।
भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो 15

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 ..... माह के 13/5/19 वें दिन
श्री राकेश शर्मा (RAJ)
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

नगर निकाय - प्रथम पक्ष
उपायुक्त (दक्षिण)
(दक्षिण अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

साक्षी :-

1. नाम .....
पिता/पति का नाम .....
व्यवसाय .....
निवास स्थान .....

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम .....
पिता/पति का नाम .....
व्यवसाय .....
निवास स्थान .....

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक ..... सन् 20 ..... के माह ..... के .....
को मेरे/हमारे निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री .....
लीजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये गये।

Sunprime Home Infra LLP
लीजधारक - Director

साक्षी :-

1. नाम रघुवीर अग्रवाल
पिता/पति का नाम सत्य नारायण अग्रवाल
व्यवसाय व्यापार
निवास स्थान 7-C नेशनल भवन सरदारपुरा जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम पुरखा राम मेघवाल
पिता/पति का नाम रूपा राम
व्यवसाय कृषि
निवास स्थान पाल गांव जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

" J.D.A. "

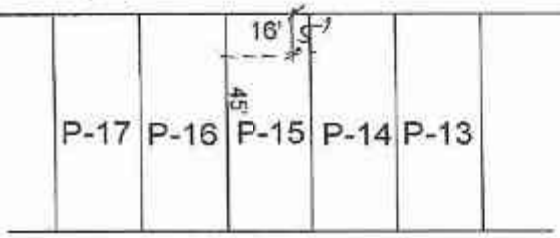
SITE PLAN FOR LEASE DEED FOR PLOT NO.15

KHASARA NO. 300/ 3 VILLAGE PAL AT JODHPUR

PLOT SIZE 16'X45 AREA = 80.00 SQYDS.

Scale :-1"30'

ROAD 30 FT WIDE



Other Land

उप नगर नियोजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

उपायुक्त (प्रशिक्ष)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

Sunprime Home Infra LLP

Partner.

Registration Endorsement

आज दिनांक 17/04/2018 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 940 में
पृष्ठ संख्या 145 क्रम संख्या 201803053104170 पर पंजीबद्ध किया गया तथा
अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 3756 के
पृष्ठ संख्या 275 से 282 पर चस्पा किया गया ।

201801053006542

उप पंजीयक JODHPUR(तृतीय)
उप पंजीयक (तृतीय)
जोधपुर

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish[illegible] under Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism[illegible] if the lease deed is presented for registration within two month.

कार्यालय उप पंजीयक (तृतीय)
जोधपुर

Endorsement of Execution

अनु क्र.	पक्षकारों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	पक्षकारों का प्रकार
1	श्री/श्रीमती/सुश्री COMMISSIONER , पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री COMMISSIONER, व्यवसाय शांति Jodhpur Development Authority	×	×	Executant Age : 0 Signature :
2	श्री/श्रीमती/सुश्री SUNPRIME HOME INFRA LLP TH PARTNER RAGHAV RATHI, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री S/O INDER MAL RATHI, व्यवसाय Businessजाति MAHESWARI House No.:05, Colony: PRATAP NAGAR , Area: GANPATI NAGAR EXT, City: JODHPUR , Pin code: 342001, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN			Claimant Age : 30 Signature :

ने लेखपत्र Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, institutional, industries, tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month. को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया ।

प्रतिफल राशि रु 8510/- पूर्व में / मेरे समक्ष / में से रु 8510/- पूर्व ने ---------- से मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया ।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान निम्न व्यक्तियों ने की है , जिनके हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान मेरे समक्ष किए गए हैं।

अनु क्र.	गवाही का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	हस्ताक्षर
1	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री RAMESH KUMAWAT, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री MOHAN LAL KUMAWAT जाति KUMHAR Age: 35 Add: House No.:00, Colony: RHC, Area: RHC, City: JODHPUR , Pin code: 342001, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN			Signature

201801053006542

उप पंजीयक, JODHPUR द्वितीय

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of estel[illegible] township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, institutional, industries, tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month.

उप पंजीयक (द्वितीय) जोधपुर

Under 54 Endorsement

धारा 54 के तहत प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि इस लेख पत्र की लागियत रु 453600 मानते हुए इस पर देय कमी मुद्रांक राशि रु 1702 पर कमी पंजीयन शुल्क रु 341, सरचार्ज राशि 340 कुल रु 2383 रसीद संख्या 201802053006168 दिनांक 17-04-2018 में जमा किये गये है।

अतः दस्तावेज को रु 1702 के मुद्रांकों पर निष्पादित माना जाता है।

201801053006542

उप पंजीयक, JODHPUR (तृतीय)

उप पंजीयक (तृतीय)
जोधपुर

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, institutional, Industries, tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month.

Registration Endorsement

आज दिनांक 17/04/2018 को

पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 940 में

पृष्ठ संख्या 145 क्रम संख्या 201803053104170 पर पंजीबद्ध किया गया तथा

अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 3756 के

पृष्ठ संख्या 275 से 282 पर चस्पा किया गया ।

201801053006542

उप पंजीयक, JODHPUR (तृतीय)

उप पंजीयक (तृतीय)
जोधपुर

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month.

उप पंजीयक (तृतीय) जोधपुर

Presentation Endorsement

आज दिनांक 17 माह 04 सन् 2018 को 10:17 AM बजे
श्री/श्रीमती/कुमारी SUNPRIME HOME INFRA LLP TH PARTNER
RAGHAV RATHI पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री S/O INDER MAL RATHI
उम्र 30 वर्ष, जाति MAHESWARI , व्यवसाय Business
निवासी House No.:05, Colony: PRATAP NAGAR , Area: GANPATI NAGAR EXT, City: JODHPUR , Pin code: 342001, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN
ने मेरे समक्ष दस्तावेज पंजीकरण हेतु प्रस्तुत किया ।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता
2018010530068542

हस्ताक्षर उप पंजीयक,
JODHPUR-III
उप पंजीयक (तृतीय
जोधपुर

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month.

Fees Receipt Endorsement

रसीद नं.	2018020530068186
दिनांक	17-04-2018
पंजीयन शुल्क ₹	341
प्रतिलिपि शुल्क ₹	0
पृष्ठांकन शुल्क ₹	200
अन्य शुल्क ₹	0
कमी स्टाम्प शुल्क ₹	1702
कमी सरचार्ज शुल्क ₹	340
कुल योग	2583

2018010530068542

उप पंजीयक
JODHPUR-III

उप पंजीयक (तृतीय
जोधपुर

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month.



Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : JODHPUR-III

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 17-04-2018 10:20 AM

Fee Receipt No	: 2018020530006187	Receipt Date	: 17/04/2018
Name	: SUNPRIME HOME INFRA LLP TH PARTNER RAGHAV RATHI,	Document S. No.	: 2018010630006813
Address	: 05 ,PRATAP NAGAR ,JODHPUR ,JODHPUR		
Document Type	: Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	: ₹ 8510	Evaluated Value	: ₹ 453600

Ord-Registration Fee	: ₹ 341	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSF	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 340	Stamp Duty	: ₹ 1702
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 2583
		Total Amount	: ₹ 2583

Mode of Payment (#Mode Number Amount) :
e-Gras Challan 22379934 ₹ 2583

Signature of presenter or applicant for copy or Search certificate

Cashier

Signature of recipient and date of return receipt

SUB-REGISTRAR

उप पंजीयक (तृतीय)
जोधपुर

क्रमांक : 2827

मूल्य : 100/-

जोधपुर विकास प्राधिकरण



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

5017
13/5/18

यह विलेख आज वर्ष ..... के माह ..... के ..... वे दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री सन धार्मिक होम इन्फ्रा एस एल पी, 103 जे डी आर्केड प्रथम मंजिल, जलदोग सर्कल के पास, जोधपुर अरिए पार्टनर राघव राही जाति माहेश्वरी व्यवसाय व्यापार निवासी 68, कामपति नगर, जोधपुर (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से ऐसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुन्तकिल अलेह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का यह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना ..... राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 300/2 क्षेत्रफल 80.00 में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात :-

1. लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमावन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये 6400/- अंके छह हजार चार सौ मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक वार्षिक नगरीय निर्धारण (शहरी जमावन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संबंध के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
2. एक बार निर्धारित किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण की दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
3. पट्टे की अवधि :- पट्टावृत्ति अधिकतर 99 वर्ष के लिए होगी।
4. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
5. इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जायें, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
6. लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
7. उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी : परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।
8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति पराधेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
9. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख किसी दुरभिसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्व्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है तो आवंटन या पट्टा विलेख के

(क्र.प.उ.)

Partner.

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहृत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को प्रकटित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ.सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

जो लागू नहीं हो उसे काट देवें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : .....
राजस्व ग्राम : पाल
खसरा नम्बर : 300/3
योजना का नाम स्वप्न समृद्धि
विस्तृत माप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
16' X 45' = 80.00

सीमा पूर्व प्लॉट नं. 15 सीमा पश्चिम प्लॉट नं. 17
सीमा उत्तर रोड 30 Ft सीमा दक्षिण अन्य भूमि मानचित्र संलग्न है।
भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो .....16.....

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 ..... माह के 13/4/18 को दिन
श्री राकेश शर्मा (EO)
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

(अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)
उपायुक्त (दक्षिण)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

साक्षी :-

1. नाम .....
पिता/पति का नाम LDC
व्यवसाय JDA
निवास स्थान .....

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम .....
पिता/पति का नाम .....
व्यवसाय .....
निवास स्थान .....

साक्षी के हस्ताक्षर

Sunprime Home Infra LLP

आज दिनांक ..... सन् 20 ..... के माह ..... को दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री ..... लीजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये गये।

Partner
लीजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

1. नाम रघुवीर जाट पालीवाल
पिता/पति का नाम सत्य नारायण जाट पालीवाल
व्यवसाय व्यापार
निवास स्थान 70 तालाब भवन सरदारपुरा जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम पुरखा राम पालीवाल
पिता/पति का नाम खींया राम
व्यवसाय कृषि
निवास स्थान पाल गांव जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

" J.D.A. "

SITE PLAN FOR LEASE DEED FOR PLOT NO.16

KHASARA NO. 300/ 3 VILLAGE PAL AT JODHPUR

PLOT SIZE 16'X45 AREA = 80.00 SQYDS.

Scale :-1"30'

ROAD 30 FT WIDE

16'

45'

P-18 | P-17 | P-16 | P-15 | P-14

Other Land

उपनगर नियोजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

उपायुक्त (दक्षिण)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

Sunprime Home Infra LLP

Partner.

Registration Endorsement

आज दिनांक 17/04/2018 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 940 में
पृष्ठ संख्या 177 क्रम संख्या 201803053104202 पर पंजीबद्ध किया गया तथा
अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 3757 के
पृष्ठ संख्या 65 से 72 पर चस्पा किया गया ।

201801053000543

उप पंजीयक (द्वितीय) JODHPUR-III

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establishment under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, institutional, industrial, tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month.

कार्यालय उप पंजीयक (द्वितीय) जोधपुर

Endorsement of Execution

अनु क्र.	पक्षकारों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	पक्षकारों का प्रकार
1	श्री/श्रीमती/सुश्री COMMISSIONER , पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री COMMISSIONER, व्यवसाय आदि Joahpur Development Authority			Executant Age : 0 Signature :
2	श्री/श्रीमती/सुश्री SUNPRIME HOME INFRA LLP TH PARTNER RAGHAV RATHI, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री S/O INDER MAL RATHI, व्यवसाय Businessजाति MAHESWARI House No.:05, Colony: PRATAP NAGAR , Area: GANPATI NAGAR EXT, City: JODHPUR , Pin code: 342001, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN			Claimant Age : 36 Signature :

ने लेखपत्र Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose). If the lease deed is presented for registration within two month. को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया ।

प्रतिफल राशि रु 8510/- पूर्व में / मेरे समक्ष / में से रु 8510/- पूर्व में ———— ये मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया ।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान निम्न व्यक्तियों ने की है , जिनके हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान मेरे समक्ष लिए गए है।

अनु क्र.	गवाही का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	हस्ताक्षर
1	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री RAMESH KUMAWAT, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री MOHAN LAL KUMAWAT जाति KUMHAR Age: 36 Add: House No.:00, Colony: RHC, Area: RHC, City: JODHPUR , Pin code: 342001, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN			Signature

201801053006543

उप खण्ड अधिकारी, JODHPUR (H)

उपखण्ड अधिकारी (तृतीय)
जोधपुर

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose). If the lease deed is presented for registration within two month.



Under 54 Endorsement

धारा 54 के तहत प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि इस लेख पत्र की लागियत रु 453600 मानते हुए इस पर देय कमी मुद्राक राशि रु 1702 पर कमी पंजीयन शुल्क रु 341, सरचार्ज राशि 340 कुल रु 2383 रसीद संख्या 201802063006187 दिनांक 17-04-2018 में जमा किये गये है।

अतः दस्तावेज को रु 1702 के मुद्रांकों पर निष्पादित माना जाता है।

201801053006543

उप पंजीयक, JODHPUR(तृतीय)

उप पंजीयक (तृतीय)
जोधपुर

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose), if the loese deed is presented for registration within two month.

Registration Endorsement

आज दिनांक 17/04/2018 को

पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 940 में

पृष्ठ संख्या 177 क्रम संख्या 201803053104202 पर पंजीबद्ध किया गया तथा

अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 3757 के

पृष्ठ संख्या 65 से 72 पर चस्पा किया गया।

201801053006543

उप पंजीयक, JODHPUR(तृतीय)

उप पंजीयक (तृतीय)
जोधपुर

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose), if the lease deed is presented for registration within two month.



Presentation Endorsement

आज दिनांक 17 माह 04 सन् 2018 को 10:18 AM बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री SUNPRIME HOME INFRA LLP TH PARTNER
RAGHAV RATHI पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री S/O INDER MAL RATHI
उम्र 30 वर्ष, जाति MAHESWARI , व्यवसाय Business
निवासी House No.:05, Colony: PRATAP NAGAR , Area: GANPATI NAGAR EXT. City: JODHPUR , Pin code: 342001, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया ।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता
201802053006543

हस्ताक्षर उप पंजीयक (तृतीय)
JODHPUR-III

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose). If the lease deed is presented for registration within two month.

Fees Receipt Endorsement

रसीद नं.	201802053006187
दिनांक	17-04-2018
पंजीयन शुल्क ₹	341
प्रतिलिपि शुल्क ₹	0
पृष्ठांकन शुल्क ₹	200
अन्य शुल्क ₹	0
कमी स्टाम्प शुल्क ₹	1702
कमी सरचार्ज शुल्क ₹	340
कुल योग	2583

201801053006543

उप पंजीयक (तृतीय)
JODHPUR-III

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose). If the lease deed is presented for registration within two month.

कार्यालय उप पंजीयक (तृतीय) जोधपुर

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : JODHPUR-III

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 [Rule 75 & 131) Print Date : 17-04-2018 10:22 AM

Fee Receipt No	: 2018020510008188	Receipt Date	: 17/04/2018		
Name	: SUNPRIME HOME INFRA LLP TH PARTNER RAGHAV RATHI,	Document S. No.	: 2018010530006544		
Address	: 05 ,PRATAP NAGAR ,JODHPUR ,JODHPUR				
Document Type	: Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent				
Face Value	: ₹ 5510	Evaluated Value	: ₹ 453600		
Old-Registration Fee	: ₹ 341	Fee for Memorandum Us_64_67	:	₹
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	:	₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	:	₹
Surcharge	: ₹ 340	Stamp Duty	:	₹ 1702
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	:	₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	:	₹ 0
Custody	: ₹	Others	:	₹ 0
		Cash Amount Received	:	₹ 2583
		Other than Cash	:	₹ 2583
		Total Amount	:	₹ 2583

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)
e-Gras Challan 22380316 ₹ 2583

Signature of presenter or applicant for copy or Search certificate

Cashier

Signature of recipient and date of return receipt

SUB-REGISTRAR

उप पंजीयक (तृतीय
जोधपुर

(1.1)

क्रमांक : 2828

मूल्य : 100/-



जोधपुर विकास प्राधिकरण





जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

50/8
13/7/18

पट्टा विलेख

यह विलेख आज वर्ष ..... के माह ..... के ..... वे दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री "स्मार्ट प्राईम होम इन्फ्रा एल.एल.पी. 103 जे.डी. मारकेड प्रथम मंजिल जलदाय सर्किल के पास जोधपुर" परिए पार्टनर राघव राही

जाति माहेश्वरी

व्यवसाय व्यापार निवासी 6 डी, राजपति नगर, जोधपुर (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्यादक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुन्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इसके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह समाग भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना स्कीम समृद्धि राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 300/2 क्षेत्रफल 20.00 में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिये गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित समाग व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात :-

1. लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रूपये 6400/- अंके "छ: हजार चार सौ" मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक वार्षिय नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर वर्षीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
2. एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये की 25 प्रतिशत होगी।
3. पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगी।
4. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
5. इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावें, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
6. लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तें और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
7. उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निश्चित की जावेगी : परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।
8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
9. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवेदन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्व्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है तो आवंटन या पट्टा विलेख के

(क्र.प.उ.)

Smartprime Home Infra LLP

Partner

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहृत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट देवें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : .....
राजस्व ग्राम : पाल
खसरा नम्बर : 300/3
योजना का नाम अन्नपूर्णा
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
16' x 45' = 80.00

सीमा पूर्व प्लॉट नं. 16 सीमा पश्चिम प्लॉट नं. 18
सीमा उत्तर रोड 30 FT सीमा दक्षिण अन्य भूमि मानचित्र संलग्न है।
भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो 17

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकैन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 ..... माह के 12/4/18 वें दिन
श्री राकेश शर्मा (S.D.M.)
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

नगर निकाय - प्रथम पक्ष
उपायुक्त (पश्चिम)
(सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

साक्षी :-

1. नाम .....
पिता/पति का नाम L.D.C
व्यवसाय J.D.A.
निवास स्थान .....

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम .....
पिता/पति का नाम .....
व्यवसाय .....
निवास स्थान .....

साक्षी के हस्ताक्षर

कार्यालय उप पंजीयक (द्वितीय) जोधपुर

आज दिनांक ..... सन् 20 ..... के माह ..... के .....
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री .....
लोजधारक द्वारा कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये गये।

Sunprime Home Infra LLP
Partner
लोजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

1. नाम मनोहर अग्रवाल
पिता/पति का नाम सत्य नारायण अग्रवाल
व्यवसाय व्यापार
निवास स्थान 70 पायल भवन सरदारपुरा जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम पुरखा राम बैरवाल
पिता/पति का नाम खेमा राम
व्यवसाय कृषि
निवास स्थान पाल गांव जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

" J.D.A. "

SITE PLAN FOR LEASE DEED FOR PLOT NO.17

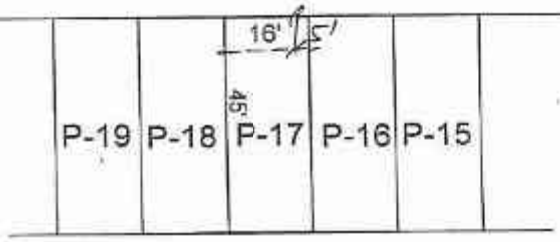
KHASARA NO. 300/ 3 VILLAGE PAL AT JODHPUR



PLOT SIZE 16'X45 AREA = 80.00 SQYDS.

Scale :-1"30'

ROAD 30 FT WIDE



Other Land

उपायुक्त (दक्षिण)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

उप नगर नियोजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

Sunprime Home Infra LLP

Partner.

Registration Endorsement

आज दिनांक 17/04/2018 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 940 में
पृष्ठ संख्या 179 क्रम संख्या 201803053104204 पर पंजीबद्ध किया गया तथा
अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 3757 के
पृष्ठ संख्या 81 से 88 पर चस्पा किया गया।

20180105300654 4

उप पंजीयक, जोधपुर-III

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establishment of township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, institutional, industries, tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month.



Endorsement of Execution

अनु क्र.	पक्षकारों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	पक्षकारों का प्रकार
1	श्री/श्रीमती/सुश्री COMMISSIONER , पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री COMMISSIONER, व्यवसाय जाति Jodhpur Development Authority			Executant Age : 0 Signature :
2	श्री/श्रीमती/सुश्री SUNPRIME HOME INFRA LLP TH PARTNER RAGHAV RATHI, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री S/O INDER MAL RATHI, व्यवसाय Businessजाति MAHESWARI House No.:35, Colony: PRATAP NAGAR , Area: GANPATI NAGAR EXT, City: JODHPUR , Pin code: 342001, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN			Claimant Age : 30 Signature :

ने सेटलमपत्र Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month. को पढ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया ।

प्रतिफल राशि रु 8510/- पूर्व में / मेरे समक्ष / में से रु 8510/- पूर्व में ---------- से मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया ।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान निम्न व्यक्तियों ने की है , जिनके हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान मेरे समक्ष लिए गए है।

अनु क्र.	गवाहों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	हस्ताक्षर
1	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री RAMESH KUMAWAT, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री MOHAN LAL KUMAWAT जाति KUMHAR Age: 36 Add: House No.:00, Colony: RHC, Area: RHC, City: JODHPUR , Pin code: 342001, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN			Signature

20180105300654 4

उप पंजीयक JODHPUR-II

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month.



Under 54 Endorsement

धारा 54 के तहत प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि इस लेख पत्र की अनियत क 453800 मानते हुए इस पर देय कमी मुद्रांक राशि रु 1702 पर कमी पंजीयन शुल्क रु 241, सरचार्ज राशि 340 कुल रु 2283 रसीद संख्या 201802053006188 दिनांक 17-04-2018 में जमा किये गये है।

अतः दस्तावेज को रु 1702 के मुद्रांकों पर निष्पादित माना जाता है।

201801053006544

उप पंजीयक, JODHPUR-III

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of estebish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, industries, tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month.

Registration Endorsement

आज दिनांक 17/04/2018 को

पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 940 में

पृष्ठ संख्या 179 क्रम संख्या 201803053104204 पर पंजीबद्ध किया गया तथा

अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 3757 के

पृष्ठ संख्या 81 से 88 पर चस्पा किया गया।

201801053006544

उप पंजीयक, JODHPUR-III

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, industries, tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month.



Presentation Endorsement

आज दिनांक 17 माह 04 सन् 2018 को 10:20 AM बजे
श्री/श्रीमती/कुमारी SUNPRIME HOME INFRA LLP TH PARTNER
RAGHAV RATHI पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री S/O INDER MAL RATHI
उम्र 30 वर्ष, जाति MAHESWARI , व्यवसाय Business
निवासी House No.:05, Colony: PRATAP NAGAR , Area: GANPATI NAGAR EXT, City: JODHPUR , Pin code: 342001, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया ।

हस्ताक्षर उप पंजीयक
JODHPUR-III

उप पंजीयक (तृतीय)
जोधपुर

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता
20180105300654

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose). If the lease deed is presented for registration within two month.

Fees Receipt Endorsement

रसीद नं.	201802053006188
दिनांक	17-04-2018
पंजीयन शुल्क ₹	341
प्रतिलिपि शुल्क ₹	0
पृष्ठांकन शुल्क ₹	200
अन्य शुल्क ₹	0
कामो स्टाम्प शुल्क ₹	1702
कमी सरचार्ज शुल्क ₹	340
कुल योग	2583

उप पंजीयक,
JODHPUR-III

उप पंजीयक (तृतीय)
जोधपुर

201801053006544

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose). If the lease deed is presented for registration within two month.



Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : JODHPUR-III

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 17-04-2018 10:26 AM

Fee Receipt No	:	2018020530006189	Receipt Date	:	17/04/2018
Name	:	SUNPRIME HOME INFRA LLP TH PARTNER RAGHAV RATHI,	Document S. No.	:	2018010530005345
Address	:	05 ,PRATAP NAGAR ,JODHPUR ,JODHPUR			
Document Type	:	Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent			
Face Value	:	₹ 9510	Evaluated Value	:	₹ 453600
Old-Registration Fee	:	₹ 341	Fee for Memorandum Us_64_67	:	₹
CSI	:	₹ 200	Certified copying fees Us_57	:	₹ 0
Stamp (Memorandum)	:	₹	Reg (memorandum)	:	₹
Surcharge	:	₹ 340	Stamp Duty	:	₹ 1702
Penalty	:	₹ 0	Inspection fee	:	₹ 0
Us_26_34	:	₹ 0	Commission	:	₹ 0
Custody	:	₹	Others	:	₹ 0
			Cash Amount Received	:	₹ 0
			Other than Cash	:	₹ 2583
			Total Amount	:	₹ 2583

Mode of Payment (Mode Number Amount)
e-Gras Challan 22360355 ₹ 2583

Signature of presenter or applicant for copy or Search certificate

Sanjiv

Signature of recipient and date of return receipt

SUB-REGISTRAR

उप पंजीयक (तृतीय)
जोधपुर

मूल्य : 100/-

क्रमांक : 2829







जोधपुर विकास प्राधिकरण

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

5019
17/5/19

पट्टा विलेख

यह विलेख आज वर्ष ..... को माह ..... के ..... वे दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री सन प्राईम होम इन्फ्रा एल॰एल॰पी॰ 103 जे॰डी॰ मारकेट प्रथम मंजिल, जलजोग सर्कल के पास जोधपुर जरिए पार्टनर राघव राठी ..... जाति माहेश्वरी ..... व्यवसाय व्यापार ..... निवासी 85, गणपति नगर, जोधपुर ..... (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुन्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इसके द्वारा लीजधारक को जमीन का यह समस्त भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना ..... राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 300/2 ..... क्षेत्रफल .....80.00..... में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित समान व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन सदैवदाद अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात :-

1. लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये 6400/- अंक दो हजार चार सौ ..... मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक वार्षिक नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा कराई जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणे के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
2. एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
3. पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगें।
4. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय ..... प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
5. इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावें, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
6. लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तें और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
7. उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के सथ दस रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी: परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।
8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति पश्यदेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
9. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्व्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है तो आवंटन या पट्टा विलेख के

(क्र.प.उ.)

Sunprime Home Infra LLP

Partner

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहृत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को धारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ.सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट देवें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : .....
राजस्व ग्राम : ओल्ड
खसरा नम्बर : 3007/3
योजना का नाम: अन-अमृति
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर 16 X 45 = 80

सीमा पूर्व प्लॉट नं. 17 सीमा पश्चिम प्लॉट नं. 19
सीमा उत्तर रोड 30 फीट सीमा दक्षिण अन्य भूमि मानचित्र संलग्न है।
भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो ...18.....

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 ..... माह के 13/4/18 वें दिन
श्री राकेश शर्मा (टिनू)
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

अतिरिक्त आयुक्त (दक्षिण)
(विकास अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

साक्षी :-

1. नाम .....
पिता/पति का नाम LDC
व्यवसाय J.D.A.
निवास स्थान .....

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम .....
पिता/पति का नाम .....
व्यवसाय .....
निवास स्थान .....

साक्षी के हस्ताक्षर

Sunprime Home Infra LLP
Partner.

आज दिनांक ..... सन् 20 ..... के माह ..... के .....
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में वक्त श्री .....
लीजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये गये।

लीजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

1. नाम स्वरूपाल अग्रवाल
पिता/पति का नाम स्वर्गीय नराम्भा अग्रवाल
व्यवसाय व्यापार
निवास स्थान 28 नयन भवन, सरदारपुरा जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम पूरखा राम मेघवाल
पिता/पति का नाम रूडीया राम
व्यवसाय कृषि
निवास स्थान पाल गांव जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

" J.D.A. "

SITE PLAN FOR LEASE DEED FOR PLOT NO.18

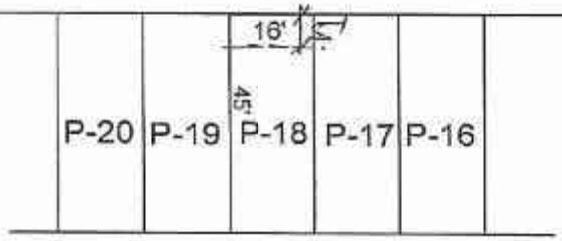
KHASARA NO. 300/ 3 VILLAGE PAL AT JODHPUR

N
W E
S

PLOT SIZE 16'X45 AREA = 80.00 SQYDS.

Scale :-1"30'

ROAD 30 FT WIDE



उपायुक्त (दक्षिण)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

उप नगर नियोजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

Sunprime Home Infra LLP

Partner

Registration Endorsement

आज दिनांक 17/04/2018 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 940 में
पृष्ठ संख्या 159 क्रम संख्या 201803053104184 पर पंजीबद्ध किया गया तथा
अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 3756 के
पृष्ठ संख्या 387 से 394 पर चस्पा किया गया ।

201801053006545

उप पंजीयक, JODHPUR-III

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, industrial purpose). if the lease deed is presented for registration within two month.

उप पंजीयक (तृतीय)
जोधपुर

Endorsement of Execution

अनु क्र.	पक्षकारों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	पक्षकारों का प्रकार
1	श्री/श्रीमती/सुश्री COMMISSIONER , पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री COMMISSIONER, व्यवसाय जाति Jodhpur Development Authority			Executant Age : 0 Signature :
2	श्री/श्रीमती/सुश्री SUNPRIME HOME INFRA LLP TH PARTNER RAGHAV RATHI, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री S/O INDER MAL RATHI, व्यवसाय Business जाति MAHESWARI House No.:05, Colony: PRATAP NAGAR , Area: GANPATI NAGAR EXT, City: JODHPUR , Pin code: 342001, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN			Claimant Age : 30 Signature :

ने लेखपत्र Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month. को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया ।

पारिश्रमिक राशि रु 8510/- पूर्व मे / मेरे समक्ष / मे से रु 8510/- पूर्व मे ---------- से मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया ।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान निम्न व्यक्तियों ने की है , जिनके हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान मेरे समक्ष लिए गए है।

अनु क्र.	गवाहों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	हस्ताक्षर
1	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री RAMESH KUMAWAT, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री MOHAN LAL KUMAWAT जाति KUMHAR Age: 36 Add: House No.:00, Colony: RHC, Area: RHC, City: JODHPUR , Pin code: 342001, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN			Signature

20180105300654S

उप पंजीयक, JODHPUR-III

उप पंजीयक (तृतीय)

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month.

Under 54 Endorsement

धारा 54 के तहत प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि इस लेख पत्र की मालियत रु 453600 मानते हुए इस पर देय कमी मुद्रांक राशि रु 1702 पर कमी पंजीयन शुल्क रु 341, सरचार्ज राशि 340 कुल रु 2383 रसीद संख्या 201802053005189 दिनांक 17-04-2018 में जमा किये गये है।

अतः दस्तावेज को रु 1702 के मुद्रांकों पर निष्पादित माना जाता है।

201801053006545

उप पंजीयक (तृतीय)
SUB REGISTRAR-III, JODHPUR
जोधपुर

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industr es. tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month.

Registration Endorsement

आज दिनांक 17/04/2018 को

पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 940 में

पृष्ठ संख्या 159 क्रम संख्या 201803053104184 पर पंजीबद्ध किया गया तथा

अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 3756 के

पृष्ठ संख्या 387 से 394 पर चस्पा किया गया ।

201801053006545

उप पंजीयक, JODHPUR-III
उप पंजीयक (तृतीय)
जोधपुर

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month.

Presentation Endorsement

आज दिनांक 17 माह 04 सन् 2018 को 10:22 AM बजे

श्री/श्रीमती/सुश्री SUNPRIME HOME INFRA LLP TH PARTNER

RAGHAV RATHI पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री S/O INDER MAL RATHI

उम्र 30 वर्ष, जाति MAHESWARI , व्यवसाय Business

निवासी House No.:05, Colony: PRATAP NAGAR , Area: GANPATI NAGAR EXT, City: JODHPUR , Pin code: 342001, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN

ने मेरे समक्ष दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया ।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता

20180105300654S

हस्ताक्षर उप पंजीयक,
JODHPUR-II

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, institutional, industries, tourism purpose). If the lease deed is presented for registration within two month.

उप पंजीयक (प्रथम)
जोधपुर

Feus Receipt Endorsement

रसीद नं.	201802053006189
दिनांक	17-04-2018
पंजीयन शुल्क ₹	341
प्रतिलिपि शुल्क ₹	0
पृष्ठांकन शुल्क ₹	200
अन्य शुल्क ₹	0
कमी स्टाम्प शुल्क ₹	1702
कमी सरचार्ज शुल्क ₹	340
कुल योग	2583

20180105300654S

उप पंजीयक,
JODHPUR-II

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, institutional, industries, tourism purpose). If the lease deed is presented for registration within two month.

उप पंजीयक (प्रथम)
जोधपुर

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : JODHPUR-III

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 [Rule 75 & 131] Print Date : 17-04-2018 10:27 AM

Fee Receipt No	:	20180205300919O	Receipt Date	:	17/04/2018
Name	:	SUNPRIME HOME INFRA LLP TH PARTNER RAGHAV RATHI,	Document S. No	:	2018010530066546
Address	:	05 ,PRATAP NAGAR ,JODHPUR ,JODHPUR			
Document Type	:	Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent			
Face Value	:	₹ 8510	Evaluated Value	:	₹ 453900
Old-Registration Fee	:	₹ 341	Fee for Memorandum Us_64_67	:	₹
CSI	:	₹ 200	Certified copying fees Us_57	:	₹ 0
Stamp (Memorandum)	:	₹	Reg (memorandum)	:	₹
Surcharge	:	₹ 340	Stamp Duty	:	₹ 1702
Penalty	:	₹ 0	Inspection fee	:	₹ 0
Us_25_34	:	₹ 0	Commission	:	₹ 0
Custody	:	₹	Others	:	₹ 0
			Cash Amount Received	:	₹ 0
			Other than Cash	:	₹ 2583
			Total Amount	:	₹ 2583

Mode of Payment (#Mode Number Amount)-
e-Gras Challan 22380503 ₹ 2583

Signature of presenter or applicant for copy or Search certificate

Cashier

Signature of recipient and date of return receipt

SUB-REGISTRAR

उप पंजीयक (तृतीय)
जोधपुर

(47)

क्रमांक : 2830

मूल्य : 100/-



जोधपुर विकास प्राधिकरण





जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

5020
13/11/12

पट्टा विलेख

यह विलेख आज वर्ष ..... के माह ..... के ..... वे दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हे इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री खन प्राईम होम इण्डिया एल.एल.पी. 103 जे.डी. मारवेल प्रथम मंजिल, जसजोग सर्कल के पास जोधपुर जरिए पार्टनर राघव राठी

जाति ब्राह्मण

व्यवसाय व्यापार निवासी 85, गणपति नगर, जोधपुर (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुन्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह समाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना खन-खण्डि राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 300/2 क्षेत्रफल 80.00 में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात :-

1. लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रूपये 6400/- अंके छह हजार चार सौ मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक वार्षिय नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
2. एक बार निर्धारित किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
3. पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगें।
4. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
5. इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावें, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
6. लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट नियंबन और शर्तें और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जाये, शासित होंगे।
7. उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी : परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।
8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति पराधेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
9. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या उक्त पट्टा विलेख विधि की दृष्टिभिंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्व्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है, तो आवंटन या पट्टा विलेख के

(क्र.प.उ.)

Sunprime Home India LLP

Partner.

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहृत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ.सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट देवें।

परिशिष्ट

करबे का नाम : .....
राजस्व ग्राम : पाल
खसरा नम्बर : 300/3
योजना का नाम स्पन - सम्पदा
विस्तृत माप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
16 X 45 = 20.00

सीमा पूर्व प्लॉट नं. 18 सीमा पश्चिम प्लॉट नं. 20
सीमा उत्तर रोड 30 ft सीमा दक्षिण अन्य भूमि मानचित्र संलग्न है।
भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो 19

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 ..... माह के 13/4/18 वें दिन
श्री राकेश शर्मा (R.A.S)
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

अधिशासी अधिकारी (दक्षिण)
(जोधपुर विकास प्राधिकरण)
जोधपुर

साक्षी :-

1. नाम .....
पिता/पति का नाम L.R.C
व्यवसाय J.D.A.
निवास स्थान .....

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम .....
पिता/पति का नाम .....
व्यवसाय .....
निवास स्थान .....

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक ..... सन् 20 ..... के माह ..... के .....
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री .....
लीजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये गये।

Sunprime Home Infra LLP
Partner
लीजधारक -द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

1. नाम रघुवीर जाट्रवाल
पिता/पति का नाम स्व. श्री भैराराम जाट्रवाल
व्यवसाय व्यापार
निवास स्थान 78 नागल भवन सरदारपुरा जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

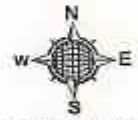
2. नाम पुरखा राम मेघवाल
पिता/पति का नाम खीमा राम
व्यवसाय कृषि
निवास स्थान पाल गांव जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

" J.D.A. "

SITE PLAN FOR LEASE DEED FOR PLOT NO.19

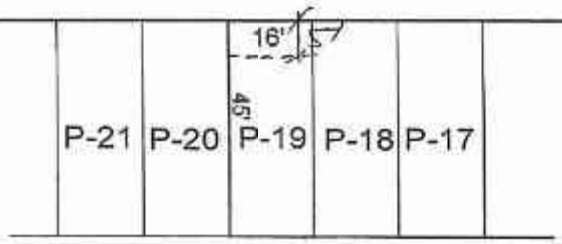
KHASARA NO. 300/ 3 VILLAGE PAL AT JODHPUR



PLOT SIZE 16'X45 AREA = 80.00 SQYDS.

Scale :-1"30'

ROAD 30 FT WIDE



Other Land

उप नगर नियोजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

उपायुक्त (दक्षिण)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

Sunprime Home Infra LLP

Registration Endorsement

आज दिनांक 17/04/2018 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 940 में
पृष्ठ संख्या 168 क्रम संख्या 201803053104193 पर पंजीबद्ध किया गया तथा
अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 3756 के
पृष्ठ संख्या 459 से 466 पर चस्पा किया गया ।

201801053008546

उप पंजीयक, JO(Nagar)-III

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, industrial/tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month.

उप पंजीयक (नगरीय)
जोधपुर

Endorsement of Execution

अनु क्र.	पक्षकारों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	पक्षकारों का प्रकार
1	श्री/श्रीमती/सुश्री COMMISSIONER , पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री COMMISSIONER, व्यवसाय जाति Jodhpur Development Authority	×	×	Executant Age : 0 Signature :
2	श्री/श्रीमती/सुश्री SUNPRIME HOME NFRA LLP TH PARTNER RAGHAV RATHI, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री S/O INDER MAL RATHI, व्यवसाय Businessजाति MAHESWARI House No.:05, Colony: PRATAP NAGAR , Area: GANPATI NAGAR EXT, City: JODHPUR , Pin code: 342001, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN			Claimant Age : 33 Signature :

ने लेखपत्र Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose). If the lease deed is presented for registration within two month. को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया ।

पंजीयन राशि रु 8510/- पूर्व में / मेरे समक्ष / में से रु 8510/- पूर्व में ———— ने मेरे समक्ष जमा करना स्वीकार किया ।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान निम्न व्यक्तियों ने की है , जिनके हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान मेरे समक्ष लिए गए है।

अनु क्र.	गवाही का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	हस्ताक्षर
1	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री RAMESH KUMAWAT, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री MOHAN LAL KUMAWAT जाति KUMHAR Age: 36 Add: House No.:00, Colony: RHC, Area: RHC, City: JODHPUR , Pin code: 342001, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN			Signature

201801053006546

उप पंजीयक, JODHPUR

उप पंजीयक (तृतीय)
जोधपुर

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose). If the lease deed is presented for registration within two month.

Under 54 Endorsement

धारा 54 के तहत प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि इस लेख पत्र की स्टाम्पित रु 453600 मानते हुए इस पर देय कमी स्टाम्प राशि रु 1702 पर कमी पंजीयन शुल्क रु 341, सरचार्ज राशि 340 शुल्क रु 2385 रसीद संख्या 20180205300819O दिनांक 17-04-2018 में जमा किये गये है।

अत: डन्तलेख को रु 1702 के मूल्यांकन पर निष्पादित माना जाता है।

201801053006548

उप पंजीयक, JODHPUR-III

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establishing township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industrial, tourism purpose), if the lease deed is presented for registration within two month.

उप पंजीयक (तृतीय)
जोधपुर

Registration Endorsement

आज दिनांक 17/04/2018 को

पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 940 में

पृष्ठ संख्या 168 क्रम संख्या 201803053104193 पर पंजीबद्ध किया गया तथा

अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 3756 के

पृष्ठ संख्या 459 से 466 पर चस्पा किया गया ।

201801053006548

उप पंजीयक, JODHPUR-III

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establ sh township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industrial, tourism purpose), if the lease deed is presented for registration within two month.

उप पंजीयक (तृतीय)
जोधपुर

Presentation Endorsement

आज दिनांक 17 माह 04 सन् 2018 को 10:26 AM बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री SUNPRIME HOME INFRA LLP TH PARTNER
RAGHAV RATHI पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री S/O INDER MAL RATHI
उम्र 30 वर्ष, जाति MAHESWARI , व्यवसाय Business
निवासी House No.:05, Colony: PRATAP NAGAR , Area: GANPATI NAGAR EXT, City: JODHPUR , Pin code: 342001, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया ।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता

हस्ताक्षर उप पंजीयक
JODHPUR-III

2018010530006546

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose). If the lease deed is presented for registration within two month.

Fees Receipt Endorsement

रसीद नं.	2018020530006190
दिनांक	17-04-2018
पंजीयन शुल्क ₹	341
प्रतिलिपि शुल्क ₹	0
पृष्ठांकन शुल्क ₹	200
अन्य शुल्क ₹	0
कमी स्टाम्प शुल्क ₹	1702
कमी दस्तखाजे शुल्क ₹	340
कुल योग	2583

2018010530006546

उप पंजीयक
JODHPUR-III

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose). If the lease deed is presented for registration within two month.

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : JODHPUR-III

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 7b & 13(1)) Print Date : 17-04-2018 10:29 AM

Fee Receipt No	: 2018020530006161	Receipt Date	:	17/04/2018	
Name	: SUNPRIME HOME INFRA LLP TH PARTNER RAGHAV RATHI,	Document S. No	:	2018010530006617	
Address	: 05 ,PRATAP NAGAR ,JODHPUR ,JODHPUR				
Document Type	: Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent				
Face Value	: ₹ 8510	Evaluated Value	:	₹ 462600	
Ord-Registration Fee	: ₹ 341	Fee for Memorandum Us_64_67	:	₹	
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	:	₹ 0	
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	:	₹	
Surcharge	: ₹ 340	Stamp Duty	:	₹ 1702	
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	:	₹ 0	
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	:	₹ 0	
Custody	: ₹	Others	:	₹ 0	
		Cash Amount Received	:	₹ 0	
		Other than Cash	:	₹ 2583	
		Total Amount	:	₹ 2583	

Mode of Payment (Mode Number Amount #)
e-Gras Challan 22380679 ₹ 2583

Signature of presenter or applicant for copy or Search certificate

Cashier

Signature of recipient and date of return receipt

SUB-REGISTRAR

उप पंजीयक (तृतीय
जोधपुर

(२७)

क्रमांक : 2831 मूल्य : 100/-

जोधपुर विकास प्राधिकरण

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

502/
12/4/18

पट्टा विलेख

यह विलेख आज वर्ष ..... के माह ..... के ..... वे दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री पवन, प्रहिम होम इन्फ्रा एल० एल० पी०, 103 एच.डी., प्रथम मंजिल, जलप्रोज़ा सर्कल के पास, जोधपुर जरिए पार्टनर राघव राठी ..... जाति ओहेश्वरी ..... व्यवसाय व्यापार ..... निवासी 85, शाहपति नगर, जोधपुर ..... (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से ऐसा अर्थ निकले, इनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुन्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना ..... राजस्व ग्राम ..... के खसरा संख्या ..... क्षेत्रफल ..... में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात :-

1. लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये 6400/- अंके छह हजार चार सौ ..... मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक वार्षिक नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
2. एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का भागी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
3. पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगें।
4. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय ..... प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
5. इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावें, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
6. लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तें और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
7. उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निश्चित की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।
8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति बकाया प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
9. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या उक्त विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्व्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है तो आवंटन या पट्टा विलेख के

(कृ.प.उ.)

For Pawan Prahim Home Infra LLP

Partner

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहृत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ.सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

~~जो लागू नहीं हो उसे काट देवें।~~

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : .....
राजस्व ग्राम : पाल
खसरा नम्बर : 300/3
योजना का नाम आम्र - सायुरि
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
16 X 45 = 80.00

सीमा पूर्व प्लॉट नं. 19 सीमा पश्चिम प्लॉट नं. 21
सीमा उत्तर रोड 30 फीट सीमा दक्षिण अन्य भूमि मानचित्र संलग्न है।
भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो 20

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 ..... माह के 13/4/18 वें दिन
श्री राकेश शर्मा (एडव)
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

नगर निकाय - प्रथम पक्ष
(सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)
उपायुक्त (दक्षिण)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

साक्षी :-

1. नाम .....
पिता/पति का नाम LDC
व्यवसाय JDA
निवास स्थान .....

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम .....
पिता/पति का नाम .....
व्यवसाय .....
निवास स्थान .....

साक्षी के हस्ताक्षर

Supprime Home Infra LLP
Partner
लीजधारक - द्वितीय पक्ष

आज दिनांक ..... सन् 20 ..... के माह ..... के .....
वें दिन की निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री .....
लीजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये गये।

साक्षी :-

1. नाम रघुराम अग्रवाल
पिता/पति का नाम स्वर्ण नारायण अग्रवाल
व्यवसाय व्यापार
निवास स्थान 20 नारायण भवन, सरदारपुरा जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम पुरखा राम मेघवाल
पिता/पति का नाम रखीया राम
व्यवसाय कृषि
निवास स्थान पाल गांव जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

" J.D.A. "

SITE PLAN FOR LEASE DEED FOR PLOT NO.20

KHASARA NO. 300/ 3 VILLAGE PAL AT JODHPUR

PLOT SIZE 16'X45 AREA = 80.00 SQYDS.

N
W E
S

Scale :-1"30'

ROAD 30 FT WIDE

16'

45'

P-22 | P-21 | P-20 | P-19 | P-18

Other Land

उप नगर नियोजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

उपायुक्त (दक्षिण)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

Sunprime Home Infra LLP

Partner.

Registration Endorsement

आज दिनांक 17/04/2018 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 940 में
पृष्ठ संख्या 135 क्रम संख्या 201803053104160 पर पंजीबद्ध किया गया तथा
अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 3756 के
पृष्ठ संख्या 195 से 202 पर चस्पा किया गया ।

201801053006547

उप पंजीयक, JODHPUR-III

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries) lease deed is presented for registration within two month.

उप पंजीयक द्वितीय
जोधपुर

Endorsement of Execution

अनु क्र.	पक्षकारों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	पक्षकारों का हस्ताक्षर
1	श्री/श्रीमती/सुश्री COMMISSIONER , पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री COMMISSIONER, व्यवसाय जाति Jodhpur Development Authority			Executant Age : 0 Signature :
2	श्री/श्रीमती/सुश्री SUNPRIME HOME INFRA LLP TH PARTNER RAGHAV RATHI, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री S/O INDER MAL RATHI, व्यवसाय Businessजाति MAHESWARI House No.:05, Colony: PRATAP NAGAR , Area: GANPATI NAGAR EXT, City: JODHPUR , Pin code: 342001, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN			Claimant Age : 36 Signature :

ने लेखपत्र Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose). If the lease deed is presented for registration within two month. को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया ।

प्रतिफल राशि रु 8510/- पूर्व मे / मेरे समक्ष / मे से रु 8510/- पूर्व मे ———— से मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया ।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान निम्न व्यक्तियों ने की है , जिनके हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान मेरे समक्ष लिए गए है।

अनु क्र.	गवाहों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	हस्ताक्षर
1	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री RAMESH KUMAWAT, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री MOHAN LAL KUMAWAT जाति KUMHAR Age: 36 Add: House No.:09, Colony: RHC , Area: RHC, City: JODHPUR , Pin code: 342001, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN			Signature

201801053006547

उप पंजीयक JODHPUR-III

उप पंजीयक (तृतीय

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose). If the lease deed is presented for registration within two month.

Under 54 Endorsement

धारा 54 के तहत प्रमाण-पत्र समाणित किया जाता है कि इस लेख पत्र की लागियत रु 453600 मानते हुए इस पर देय कमी मुद्रांक राशि रु 1702 पर कमी पंजीयन शुल्क रु 341, सरचार्ज राशि 340 कुल रु 2383 रसीद संख्या 201802053006191 दिनांक 17-04-2018 में जमा किये गये है।

अतः दस्तावेज को रु 1702 के मुद्रांकों पर निष्पादित माना जाता है।

201801053006547

उप पंजीयक, JODHPUR-III

उप पंजीयक (तृतीय)

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose), if the lease deed is presented for registration within two month.

Registration Endorsement

आज दिनांक 17/04/2018 को

पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 940 में

पृष्ठ संख्या 135 क्रम संख्या 201803053104160 पर पंजीबद्ध किया गया तथा

अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 3756 के

पृष्ठ संख्या 195 से 202 पर चस्पा किया गया।

201801053006547

उप पंजीयक (तृतीय)

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose), if the lease deed is presented for registration within two month.

Presentation Endorsement

आज दिनांक 17 माह 04 सन् 2018 को 10:27 AM बजे

श्री/श्रीमती/सुश्री SUNPRIME HOME INFRA LLP TH PARTNER

RAGHAV RATHI पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री S/O INDER MAL RATHI

उम्र 30 वर्ष, जाति MAHESWARI , व्यवसाय Business

निवासी House No.:05, Colony: PRATAP NAGAR , Area: GANPATI NAGAR EXT, City: JODHPUR , Pin code: 342001, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN

ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया ।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता

उप पंजीयक, JODHPUR-II

201801053006547

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose). If the lease deed is presented for registration within two month.

Fees Receipt Endorsement

रसीद नं.	201802053006191
दिनांक	17-04-2018
पंजीयन शुल्क ₹	341
प्रतिलिपि शुल्क ₹	0
पृष्ठांकन शुल्क ₹	200
अन्य शुल्क ₹,	0
कमी स्टाम्प शुल्क ₹	1702
कमी सरचार्ज शुल्क ₹	340
कुल योग	2583

उप पंजीयक,

201801053006547

JODHPUR-II

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose). If the lease deed is presented for registration within two month.

(21)

क्रमांक : 2832

मूल्य : 100/-



जोधपुर विकास प्राधिकरण





जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

S.022 13/11/18

पट्टा विलेख

यह विलेख आज वर्ष ..... के माह ..... के ..... वे दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री सन साईमू होम इन्फ्रा एल.एल.पी., 103 ए.डी. आरकेड प्रथम मंजिल, जयजोधा सर्कल के पास, जोधपुर ..... जरिए पार्टनर राघव राठी ..... जाति ब्राह्मेश्वरी ..... व्यवसाय व्यापार ..... निवासी 05, जालामति नगर, जोधपुर ..... (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुन्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना ..... सन - समृद्धि ..... राजस्व ग्राम ..... धवा ..... के खसरा संख्या ..... 300/3 ..... क्षेत्रफल ..... 80.00 ..... में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात :-

1. लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये ..... 6400/- ..... अंके ..... छह हजार चार सौ ..... मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक वार्षिय नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
2. एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
3. पट्टे की अवधि :- पट्टावृत्ति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगें।
4. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल ..... आवासीय ..... प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
5. इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावे, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
6. लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तें और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अधिकारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
7. उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।
8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
9. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्व्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के

(कृ.प.उ.)

Partner.

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहृत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ.सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट देवें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : .....
राजस्व ग्राम : पाल
खसरा नम्बर : 300/3
योजना का नाम सन - सनराइज
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर 16 X 45 = 80.00

सीमा पूर्व प्लॉट नं. 20 सीमा पश्चिम अन्य भूमि
सीमा उत्तर रोड 30 फि. सीमा दक्षिण अन्य भूमि मानचित्र संलग्न है।
भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो 21

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 ..... माह के 13/4/18 वें दिन
श्री राकेश शर्मा (R.A.S)
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

नगर निकाय - प्रथम पक्ष
उपायुक्त (दक्षिण)
(सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

साक्षी :-

1. नाम .....
पिता/पति का नाम LDC
व्यवसाय Job
निवास स्थान .....

.....
साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम .....
पिता/पति का नाम .....
व्यवसाय .....
निवास स्थान .....

.....
साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक ..... सन् 20 ..... के माह ..... के .....
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री .....
लीजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये

Sunprime Home Infra LLP
Partner
लीजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

1. नाम रघुवीर अग्रवाल
पिता/पति का नाम स्व. नरेन्द्र अग्रवाल
व्यवसाय व्यापार
निवास स्थान 78 नारायण भवन, सरदारपुरा जोधपुर

.....
साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम पुरखा राम मेघवाल
पिता/पति का नाम रोडीया राम
व्यवसाय कृषि
निवास स्थान पाल गांव जोधपुर

.....
साक्षी के हस्ताक्षर

" J.D.A. "

SITE PLAN FOR LEASE DEED FOR PLOT NO.21

KHASARA NO. 300/ 3 VILLAGE PAL AT JODHPUR

N
W E
S

PLOT SIZE 16'X45 AREA = 80.00 SQYDS.

Scale :-1"30'

ROAD 30 FT WIDE

16'

45'

Other Land | P-21 | P-20 | P-19

Other Land

नगर नियोजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

उपायुक्त (दक्षिण)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

Sunprime Home Infra LLP

Partner.

Registration Endorsement

आज दिनांक 17/04/2018 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 940 में
पृष्ठ संख्या 134 क्रम संख्या 2018030531041 59 पर पंजीबद्ध किया गया तथा
अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 3756 के
पृष्ठ संख्या 187 से 194 पर चस्पा किया गया ।

2018010530065 49

उप पंजीयक JODHPUR-III

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of [illegible] under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, institutional, industries, tourism purpose). if the lease dead is presented for registration within two month.



Endorsement of Execution

अनु क्र.	पक्षकारों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	पक्षकारों का प्रकार
1	श्री/श्रीमती/सुश्री COMMISSIONER , पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री COMMISSIONER, व्यवसाय जाति Jodhpur Development Authority			Executant Age : 0 Signature :
2	श्री/श्रीमती/सुश्री SUNPRIME HOME INFRA LLP TH PARTNER RAGHAV RATHI, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री S/O INDER MAL RATHI, व्यवसाय Businessman जाति MAHESWARI House No.:05, Colony: PRATAP NAGAR , Area: GANPATI NAGAR EXT. City: JODHPUR , Pin code: 342001, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN			Claimant Age : 39 Signature :

ने लेखपत्र Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, institutional, industries, tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month. को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया ।

प्रतिफल राशि रु 8510/- पूर्व में / मेरे समक्ष / में से रु 8510/- पूर्व में ---------- से मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया ।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान निम्न व्यक्तियों ने की है , जिनके हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान मेरे समक्ष लिए गए है।

अनु क्र.	गवाहों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	हस्ताक्षर
1	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री RAMESH KUMAWAT, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री MOHAN LAL KUMAWAT जाति KUMHAR Age: 38 Add: House No.:00, Colony: RHC, Area: RHC, City: JODHPUR , Pin code: 342001, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN			Signature

2018010530006549

उप पंजीयक JODHPUR-III

उप पंजीयक (तृतीय)
जोधपुर

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, institutional, industries, tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month.



Under 54 Endorsement

धारा 54 के तहत प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि इस लेख पत्र की लागियत रु 453600 मानते हुए इस पर देय कमी मुद्रांक राशि रु 1702 पर कमी पंजीयन शुल्क रु 341, संरचार्ज राशि 340 कुल रु 2383 रसीद संख्या 201802053006192 दिनांक 17-04-2018 में जमा किये गये है।

अतः दस्तावेज को रु 1702 के मुद्रांकों पर निष्पादित माना जाता है।

201801053006549

उप पंजीयक (तृतीय)
उप पंजीयक (तृतीय)

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose), if the lease deed is presented for registration within two month.

Registration Endorsement

आज दिनांक 17/04/2018 को

पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 940 में

पृष्ठ संख्या 134 क्रम संख्या 20180305310415 9 पर पंजीबद्ध किया गया तथा

अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 3756 के

पृष्ठ संख्या 187 से 194 पर चस्पा किया गया ।

201801053006549

उप पंजीयक (तृतीय)
उप पंजीयक (तृतीय)

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose), if the lease deed is presented for registration within two month.

Presentation Endorsement

आज दिनांक 17 माह 04 सन् 2018 को 10:29 AM बजे

श्री/श्रीमती/सुश्री SUNPRIME HOME INFRA LLP TH PARTNER

RAGHAV RATHI पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री S/O INDER MAL RATHI

उम्र 30 वर्ष, जाति MAHESWARI , व्यवसाय Business

निवासी House No.:05, Colony: PRATAP NAGAR , Area: GANPATI NAGAR EXT, City: JODHPUR , Pin code: 342001, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN

ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया ।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता

उप पंजीयक,
JODHPUR-II

2018010530065 49

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish towenship under the Rajasthan towenship policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month.

Fees Receipt Endorsement

रसीद नं.	201802053006192
दिनांक	17-04-2018
पंजीयन शुल्क ₹	341
प्रतिलिपि शुल्क ₹	0
पृष्ठांकन शुल्क ₹	200
अन्य शुल्क ₹	0
कमी स्टाम्प शुल्क ₹	1702
कमी सरचार्ज शुल्क ₹	340
कुल योग	2583

2018010530065 49

उप पंजीयक,
JODHPUR-II

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month.

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : JODHPUR-III

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 17-04-2018 10:30 AM

Fee Receipt No	: 2018020530006102	Receipt Date	:	17/04/2018	
Name	: SUNPRIME HOME INFRA LLP TH PARTNER RAGHAV RATHI	Document S. No.	:	201801053006549	
Address	: 88 ,PRATAP NAGAR ,JODHPUR ,JODHPUR				
Document Type	: Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent				
Face Value	: ₹ 8510	Evaluated Value	:	₹ 453600	
Ord-Registration Fee	: ₹ 341	Fee for Memorandum Us_64_67	:	₹	
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	:	₹ 0	
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	:	₹	
Surcharge	: ₹ 340	Stamp Duty	:	₹ 1702	
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	:	₹ 0	
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	:	₹ 0	
Custody	: ₹	Others	:	₹ 0	
		Cash Amount Received	:	₹ 2583	
		Other than Cash	:	₹ 2583	
		Total Amount	:		

Mode of Payment (If Mode Number Amount ₹)
e-Gras Challan 22380530 ₹ 2583

Signature of presenter or applicant for copy or Search certificate

Cashier

Signature of recipient and date of return receipt

SUB-REGISTRAR

उप पंजीयक (तृतीय)
जोधपुर

Endorsement of Execution

अनु क्र.	पक्षकारों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	पक्षकारों का प्रकार
1	श्री/श्रीमती/सुश्री COMMISSIONER , पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री COMMISSIONER, व्यवसाय जाति Jodhpur Development Authority			Executant Age : 0 Signature :
2	श्री/श्रीमती/सुश्री SUNPRIME HOME INFRA LLP TH PARTNER RAGHAV RATHI, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री S/O INDER MAL RATHI, व्यवसाय Businessजाति MAHESHAWARI House No.:05, Colony: PRATAP NAGAR , Area: GANPATI NAGAR EXT, City: JODHPUR , Pin code: 342001, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN			Claimant Age : 30 Signature :

ने लेखपत्र Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month. वर्ष पढ़ सुन व समझाकर निष्पादन करना स्वीकार किया ।

प्रतिफल राशि ₹ 8510/- पूर्व में / मेरे समक्ष / में से ₹ 8510/- पूर्व में ———— से मेरे समक्ष प्रस्तुत करना स्वीकार किया ।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान निम्न व्यक्तियों ने की है , जिनके हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान मेरे समक्ष लिए गए हैं।

अनु क्र.	गवाहों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	हस्ताक्षर
1	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री RAMESH KUMAWAT, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री MOHAN LAL KUMAWAT जाति KUMHAR Age: 36 Add: House No.:00, Colony: RHC, Area: RHC, City: JODHPUR , Pin code: 342001, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN			Signature

201801053006550

उप पंजीयक, JODHPUR-III

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of [illegible] Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month.

सह क्षेत्रीय अधिकारी
जोधपुर

Under 54 Endorsement

धारा 54 के तहत प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि इस लेख पत्र की स्टाम्पित रु 453600 मालते हुए इस पर देय कमी मुद्रांक राशि रु 1702 पर कमी पंजीयन शुल्क रु 341, सरचार्ज राशि 340 कुल रु 2383 रसीद संख्या 201802053006193 दिनांक 17-04-2018 में जमा किये गये है।

अतः दस्तावेज को रु 1702 के मुद्रांकों पर निष्पादित माना जाता है।

201801053006550

उप पंजीयक, JODHPUR-III

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month.

Registration Endorsement

आज दिनांक 17/04/2018 को

पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 940 में

पृष्ठ संख्या 133 क्रम संख्या 201803053104158 पर पंजीबद्ध किया गया तथा

अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 3756 के

पृष्ठ संख्या 179 से 186 पर चस्पा किया गया ।

201801053006550

उप पंजीयक, JODHPUR-III

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month.

Presentation Endorsement

अद्य दिनांक 17 माह 04 सन् 2018 को 10:30 AM बजे

श्री/श्रीमती/सुश्री SUNPRIME HOME INFRA LLP TH PARTNER RAGHAV RATHI पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री S/O INDER MAL RATHI

उम्र 30 वर्ष, जाति MAHESHAWARI , व्यवसाय Business

निवासी House No.:05, Colony: PRATAP NAGAR , Area: GANPATI NAGAR EXT, City: JODHPUR , Pin code: 342001, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN

ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया ।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता

2018010530066550

उप पंजीयक (तृतीय)
JODHPUR-II

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month.

Fees Receipt Endorsement

रसीद नं.	2018020530068193
दिनांक	17-04-2018
पंजीयन शुल्क ₹	341
प्रतिलिपि शुल्क ₹	0
पृष्ठांकन शुल्क ₹	200
अन्य शुल्क ₹	0
कमी स्टाम्प शुल्क ₹	1702
कमी सरचार्ज शुल्क ₹	340
कुल योग	2583

2018010530066550

उप पंजीयक (तृतीय)
JODHPUR-II

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month.

जोधपुर

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : JODHPUR-III

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 17-04-2018 10:32 AM

Fee Receipt No	:	201802053006193	Receipt Date	:	17/04/2018
Name	:	SUNPRIME HOME INFRA LLP TH PARTNER RAGHAV RATHI,	Document S. No.	:	201801053006580
Address	:	05 ,PRATAP NAGAR ,JODHPUR ,JODHPUR			
Document Type	:	Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent			
Face Value	:	₹ 8510	Evaluated Value	:	₹ 453600
Ord-Registration Fee	:	₹ 341	Fee for Memorandum Us_64_67	:	₹
CSI	:	₹ 200	Certified copying fees Us_57	:	₹ 0
Stamp (Memorandum)	:	₹	Reg (memorandum)	:	₹
Surcharge	:	₹ 340	Stamp Duty	:	₹ 1702
Penalty	:	₹ 0	Inspection fee	:	₹ 0
Us_25_34	:	₹ 0	Commission	:	₹ 0
Custody	:	₹	Others	:	₹ 0
			Cash Amount Received	:	₹ 0
			Other than Cash	:	₹ 2583
			Total Amount	:	₹ 2583

Mode of Payment (#Mode Number Amount#)
e-Gras Online 22390752 ₹ 2583

Signature of presenter or applicant for copy or Search certificate

Cashier

Signature of recipient and date of return receipt

SUB-REGISTRAR

उप पंजीयक (तृतीय
जोधपुर

(2+)

क्रमांक : 2838 मूल्य : 100/-

जोधपुर विकास प्राधिकरण

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

5023
12/4/18

पट्टा विलेख

यह विलेख आज वर्ष ..... के माह ..... के ..... वे दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री सन प्रॉपर्टी होम्स इन्फ्रा एल.एल.पी., 103 जे.डी. आरकेड प्रथम मंजिल, अलजोधा रेसीडेंसी के पास, जोधपुर जरिए पार्टनर राघव शर्मा

जाति माहेश्वरी

व्यवसाय व्यापार निवासी 65, उदयमति नगर जोधपुर (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुन्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का यह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना स्कीम-स्वप्नपूर्ति राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 300/3 क्षेत्रफल 80.00 में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन सर्वोदहार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात :-

1. लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रूपये 6400/- अंके छह हजार चार सौ मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक वार्षिक नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
2. एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
3. पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगी।
4. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमनों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
5. इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावें, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
6. लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निर्बंधन और शर्तें और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अधिकारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
7. उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी : परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।
8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
9. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि लीजधारक ने पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्व्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के

(कृ.प.ठ.)

Partner

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित, उसे प्रतिसंहृत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नही होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट देवें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : .....
राजस्व ग्राम : पाल
खसरा नम्बर : 300/3
योजना का नाम सन - समृद्धि
विस्तृत माप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
16'X45' = 80.00

सीमा पूर्व प्लॉट नं. 36 सीमा पश्चिम 23 30 ft
सीमा उत्तर अन्य भूमि सीमा दक्षिण प्लॉट नं. 28 मानचित्र संलग्न है।
भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो 27

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्दिष्ट स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 ..... माह के 13/4/18 वें दिन
श्री राकेश शर्मा (RAJ)
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

अधिशासी अधिकारी (दक्षिण) पक्ष
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

साक्षी :-

1. नाम .....
पिता/पति का नाम LDC
व्यवसाय JDA
निवास स्थान .....

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम .....
पिता/पति का नाम .....
व्यवसाय .....
निवास स्थान .....

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक ..... सन् 20 ..... के माह ..... के .....
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री .....
लीजधारक इनके कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये गये।

Sunprime Home Infra LLP
Partner
लीजधारक -द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

1. नाम रघुराल अग्रवाल
पिता/पति का नाम सत्यनारायण अग्रवाल
व्यवसाय व्यापार
निवास स्थान सरदारपुरा जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम पुरखाराम मेघवाल
पिता/पति का नाम रुघीयाराम
व्यवसाय खेती
निवास स्थान पाल गांव जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

" J.D.A. "

SITE PLAN FOR LEASE DEED FOR PLOT NO.27

KHASARA NO. 300/ 3 VILLAGE PAL AT JODHPUR

PLOT SIZE 16'X45 AREA = 80.00 SQYDS.

Scale :-1"30'



ROAD 30 FT WIDE

Other Land	P-36	P-35	P-34	P-33	P-32
Other Land	P-27 (16' × 45')	P-28	P-29	P-30	P-31

ROAD 30 FT WIDE

ROAD 30 FT WIDE

P-15

P-16

P-17

उप जिला नियोजक (पश्चिम) जोधपुर

उप जिला नियोजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

उपायुक्त (पश्चिम)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

Sunprime Home Infra LLP

Partner.

Registration Endorsement

आज दिनांक 17/04/2018 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 940 में
पृष्ठ संख्या 133 क्रम संख्या 201803053104158 पर पंजीबद्ध किया गया तथा
अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 3756 के
पृष्ठ संख्या 179 से 186 पर चस्पा किया गया ।

201801053006550

उप पंजीयक, JODHPUR-II

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establishment undertaking under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, institutional, industries, tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month.

उप पंजीयक (तृतीय)
जोधपुर

कार्यालय उप पंजीयक (तृतीय)
जोधपुर

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहृत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ.सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

जो लागू नहीं हो उसे काट देवें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : .....
राजस्व ग्राम : पाल
खसरा नम्बर : 300/3
योजना का नाम स्वप्न - समृद्धि
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर 16 X 45 = 80.00

सीमा पूर्व प्लॉट नं. 35 सीमा पश्चिम रोड 30 FT
सीमा उत्तर प्लॉट नं. 27 सीमा दक्षिण प्लॉट नं. 29 मानचित्र संलग्न है।
भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो 28

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने इस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 ..... माह के 13/9/19 वें दिन
श्री राकेश शर्मा (R.A.S)
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में इस्ताक्षर किये।

उपायुक्त (दक्षिण)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

साक्षी :-

1. नाम .....
पिता/पति का नाम LDC
व्यवसाय JDA
निवास स्थान .....

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम .....
पिता/पति का नाम .....
व्यवसाय .....
निवास स्थान .....

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक ..... सन् 20 ..... के माह ..... को .....
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री .....
लोकप्रहरक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये गये।

Sunprime Home Infra LLP
Partner.
लोकप्रहरक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

1. नाम रघुलाल अग्रवाल
पिता/पति का नाम सत्यनारायण अग्रवाल
व्यवसाय व्यापार
निवास स्थान सरदारपुरा जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम पुखराम मेघवाल
पिता/पति का नाम रूपाराम
व्यवसाय खेती
निवास स्थान पाल गाव जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

" J.D.A. "

SITE PLAN FOR LEASE DEED FOR PLOT NO.28

KHASARA NO. 300/ 3 VILLAGE PAL AT JODHPUR

PLOT SIZE 16'X45 AREA = 80.00 SQYDS.

Scale :-1"30'

ROAD 30 FT WIDE

Other Land	P-36	P-35	P-34	P-33	P-32
Other Land	P-27	P-28 (16' × 45')	P-29	P-30	P-31

ROAD 30 FT WIDE

ROAD 30 FT WIDE

P-15

P-16

P-17

उप नगर नियोजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

उपायुक्त (पश्चिम)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

Sunprime Home Infra LLP

Partner.

Registration Endorsement:

आज दिनांक 17/04/2018 को

पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 940 में

पृष्ठ संख्या 141 क्रम संख्या 201803053104166 पर पंजीबद्ध किया गया तथा

अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 3756 के

पृष्ठ संख्या 243 से 250 पर चस्पा किया गया ।

201801053006552

उप पंजीयक, JODHPUR (द्वितीय)

उप पंजीयक (द्वितीय)
जोधपुर

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industrial, Tourism etc.) if the lease deed is presented for registration within two month.

Endorsement of Execution

अनु क्र.	पक्षकारों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	पक्षकारों का प्रकार
1	श्री/श्रीमती/सुश्री COMMISSIONER , पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री COMMISSIONER, व्यवसाय जाति Jodhpur Development Authority			Executant Age : 0 Signature :
2	श्री/श्रीमती/सुश्री SUNPRIME HOME INFRA LLP TH PARTNER RAGHAV RATHI, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री S/O INDER MAL RATHI, व्यवसाय Businessजाति MAHESWARI House No.:05, Colony: PRATAP NAGAR , Area: GANPATI NAGAR EXT, City: JODHPUR , Pin code: 342001, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN			Claimant Age : 36 Signature :

ने लेखपत्र Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, institutional, industries, tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month. को पढ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया ।

प्रतिफल राशि रु 8510/- पूर्व में / मेरे समक्ष / मे से रु 8510/- पूर्व में ---------- से मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया ।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान निम्न व्यक्तियो ने की है , जिनके हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान मेरे समक्ष किए गए है।

अनु क्र.	गवाही का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	हस्ताक्षर
1	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री RAMESH KUMAWAT, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री MOHAN LAL KUMAWAT जाति KUMHAR Age: 36 Add: House No.:00, Colony: RHC, Area: RHC, City: JODHPUR , Pin code: 342001, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN			Signature

20180105300655 2

उप पंजीयक, JODHPUR (तृतीय)

उप पंजीयक (तृतीय)
जोधपुर

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, institutional, industries, tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month.

उप पंजीयक (तृतीय)
जोधपुर

Under 54 Endorsement

धारा 54 के तहत प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि इस लेख पत्र की मालियत रु 453600 मानते हुए इस पर देय कमी मुद्रांक राशि रु 1702 पर कमी पंजीयन शुल्क रु 341, सरचार्ज राशि 340 कुल रु 2383 रसीद संख्या 201802053006194 दिनांक 17-04-2018 में जमा किये गये हैं।

अतः दस्तावेज को रु 1702 के मुद्रांकों पर निष्पादित माना जाता है।

201801053006552

उप पंजीयक, JODHPUR(I)

उप पंजीयक (मुद्रांक)
जोधपुर

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, Tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month.

Registration Endorsement

आज दिनांक 17/04/2018 को

पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 940 में

पृष्ठ संख्या 141 क्रम संख्या 201803053104166 पर पंजीबद्ध किया गया तथा

अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 3756 के

पृष्ठ संख्या 243 से 250 पर चस्पा किया गया ।

201801053006552

उप पंजीयक, JODHPUR(I)

उप पंजीयक (मुद्रांक)
जोधपुर

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, Tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month.

Presentation Endorsement

आज दिनांक 17 माह 04 सन् 2018 को 10:32 AM बजे

श्री/श्रीमती/सुश्री SUNPRIME HOME INFRA LLP TH PARTNER

RAGHAV RATHI पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री S/O INDER MAL RATHI

उम्र 38 वर्ष, जाति MAHESWARI , व्यवसाय Business

निवासी House No.:05, Colony: PRATAP NAGAR , Area: GANPATI NAGAR EXT, City: JODHPUR , Pin code: 342001, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN

ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया ।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता

2018010530065

हस्ताक्षर उप पंजीयक,
JODHPUR-III

उप पंजीयक (तृतीय)
जोधपुर

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose) & the lease deed is presented for registration within two month.

Fees Receipt Endorsement

रसीद नं.	2018020530006194
दिनांक	17-04-2018
पंजीयन शुल्क ₹	341
प्रतिलिपि शुल्क ₹	0
पृष्ठांकन शुल्क ₹	200
अन्य शुल्क ₹	0
कलर स्टाम्प शुल्क ₹	1702
कलर सरचार्ज शुल्क ₹	340
कुल योग	2583

2018010530065S2

उप पंजीयक,
JODHPUR-III

उप पंजीयक (तृतीय)
जोधपुर

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose) & the lease deed is presented for registration within two month.

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : JODHPUR-III

Fee Receipt
Appendix II-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 17-04-2018 10:34 AM

Fee Receipt No	: 20180205300610	Receipt Date	:	17/04/2018	
Name	: SUNPRIME HOME INFRA LLP TH PARTNER RAGHAV RATHI.	Document S. No.	:	201801053000552	
Address	: 05 ,PRATAP NAGAR ,,JODHPUR ,JODHPUR				
Document Type	: Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent				
Face Value	: ₹ 6510	Evaluated Value	:	₹ 453600	
Ord-Registration Fee	: ₹ 341	Fee for Memorandum Us_64_67	:	₹	
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	:	₹ 0	
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	:	₹	
Surcharge	: ₹ 340	Stamp Duty	:	₹ 1702	
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	:	₹ 0	
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	:	₹ 0	
Custody	: ₹	Others	:	₹ 0	
		Cash Amount Received	:	₹ 0	
		Other than Cash	:	₹ 2583	
		Total Amount	:	₹ 2583	

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)--
e-Gras Challan 32380935 ₹ 2583

Signature of presenter or applicant for copy or Search certificate

Cashier

Signature of recipient and date of return receipt

SUB-REGISTRAR

उप पंजीयक (तृतीय
जोधपुर

(२७)

क्रमांक : 2839 मूल्य : 100/-



जोधपुर विकास प्राधिकरण





जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

5027
13/4/18

पट्टा विलेख

यह विलेख आज वर्ष ..... के माह ..... के ..... वे दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री स्पन प्राईम् होम इन्फ्रा एल. एल. पी., 103 जे.डी. आरकेड प्रथम मंजिल, प्रताप नगर सर्कल के पास, जोधपुर भारत पार्टनर राघव राठी

..... जाति महेश्वरी

व्यवसाय व्यापार निवासी 85, अहिपति नगर, जोधपुर (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इमारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुन्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना स्पन स्मृति राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 300/3 क्षेत्रफल 80.00 में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात :–

1. लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय–समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप–नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी का भूमि का किराया) के तौर पर रूपये 6400/- अंके छह हजार चार सौ मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक वार्षिय नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
2. एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये की 25 प्रतिशत होगी।
3. पट्टे की अवधि :– पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगें।
4. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
5. इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम–26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावें, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
6. लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप–पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तें और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप–पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप–पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप–पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
7. उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जावेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रूपये प्रति वर्गगीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी: परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।
8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू–राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
9. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्व्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के

(क्र.प.उ.)

Supreme Home Infra LLP

Partner.

Endorsement of Execution

अनु क्र.	पक्षकारों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	पक्षकारों का प्रकार
1	श्री/श्रीमती/सुश्री COMMISSIONER , पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री COMMISSIONER, व्यवसाय आदि Jodhpur Development Authority			Executant Age : 0 Signature :
2	श्री/श्रीमती/सुश्री SUNPRIME HOME INFRA LLP TH PARTNER RAGHAV RATHI, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री S/O INDER MAL RATHI, व्यवसाय Businessआदि MAHESWARI House No.:05, Colony: PRATAP NAGAR , Area: GANPATI NAGAR EXT, City: JODHPUR, Pin code: 342001, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN			Claimant Age : 30 Signature :

ने लेखपत्र Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month. करे पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया ।

प्रतिफल राशि रु 8510/- पूरे मे / मेरे समक्ष / में से रु 8510/- पूरे में ———— से मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया ।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान निम्न व्यक्तियों ने की है , जिनके हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान मेरे समक्ष लिए गए है।

अनु क्र.	गवाहों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	हस्ताक्षर
1	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री RAMESH KUMAWAT, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री MOHAN LAL KUMAWAT जाति KUMHAR Age: 36 Add: House No.:00, Colony: RHC, Area: RHC, City: JODHPUR, Pin code: 342001, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN			Signature

201801053006554

उप पंजीयक, JODHPUR-III

उप पंजीयक (तृतीय

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month.

Under 54 Endorsement

धारा 54 के तहत प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि इस लेख पत्र की स्टाम्पित रु 453600 मालते हुए इस पर देय कमी मुद्रांक राशि रु 1702 पर कमी पंजीयन शुल्क रु 341, प्रभारज राशि 340 कुल रु 2383 रसीद संख्या 201802053008196 दिनांक 17-04-2018 से जमा किये गये है।

अतः दस्तावेज की रु 1702 के मुद्रांको पर निम्नांकित मांग जाता है।

201801053006554 उप पंजीयक, JODHPUR-III

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose). if the lease dead is presented for registration within two month.

उप पंजीयक (द्वितीय)
जोधपुर

Registration Endorsement

आज दिनांक 17/04/2018 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 940 में
पृष्ठ संख्या 143 क्रम संख्या 201803053104168 पर पंजीबद्ध किया गया तथा
अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 3756 के
पृष्ठ संख्या 259 से 266 पर चस्पा किया गया ।

201801053006554 उप पंजीयक, JODHPUR-III

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month.

उप पंजीयक (द्वितीय)
जोधपुर

कार्यालय उप पंजीयक (द्वितीय)
जोधपुर

Presentation Endorsement

आज दिनांक 17 माह 04 सन् 2018 को 10:34 AM बजे

श्री/श्रीमती/सुश्री SUNPRIME HOME INFRA LLP TH PARTNER

RAGHAV RATHI पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री S/O INDER MAL RATHI

उम्र 30 वर्ष, जाति MAHESWARI , व्यवसाय Business

निवासी House No.:05, Colony: PRATAP NAGAR , Area: GANPATI NAGAR EXT, City: JODHPUR, Pin code: 342001, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN

ने मेरे समक्ष दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया ।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता

उप पंजीयक, JODHPUR-III

20180105300856 4

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, institutional, industries, tourism purpose). If the lease deed is presented for registration within two month.

Fees Receipt Endorsement

रसीद नं.	201802053005195
दिनांक	17-04-2018
पंजीयन शुल्क ₹	341
प्रतिलिपि शुल्क ₹	0
पृष्ठांकन शुल्क ₹	200
अन्य शुल्क ₹	0
बन्धी स्टाम्प शुल्क ₹	1702
बन्धी सरचार्ज शुल्क ₹	340
कुल योग	2583

20180105300856 4

उप पंजीयक,

JODHPUR-III

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, institutional, industries, tourism purpose). If the lease deed is presented for registration within two month.

कार्यालय उप पंजीयक (तृतीय) जोधपुर

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : JODHPUR-III

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 17-04-2018 10:47 AM

Fee Receipt No	:	2018020530006195	Receipt Date	:	17/04/2018
Name	:	SUNPRIME HOME INFRA LLP TH PARTNER RAGHAV RATHI,	Document S. No.	:	2018010530006554
Address	:	05 ,PRATAP NAGAR ,JODHPUR ,JODHPUR			
Document Type	:	Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent			
Face Value	:	₹ 8510	Evaluated Value	:	₹ 453600
Ord-Registration Fee	:	₹ 341	Fee for Memorandum Us_64_67	:	₹
CSI	:	₹ 200	Certified copying fees Us_57	:	₹ 0
Stamp (Memorandum)	:	₹	Reg (memorandum)	:	₹
Surcharge	:	₹ 340	Stamp Duty	:	₹ 1702
Penalty	:	₹ 0	Inspection fee	:	₹ 0
Us_25_34	:	₹ 0	Commission	:	₹ 0
Custody	:	₹	Others	:	₹ 0
			Cash Amount Received	:	₹ 0
			Other than Cash	:	₹ 2583
			Total Amount	:	₹ 2583

Mode of Payment (s/Mode Number Amount)
e-Gras Challan 22360960 ₹ 2583

Signature of presenter or applicant of copy or Search certificate

Cashier

Signature of recipient and date of return receipt

SUB-REGISTRAR

उप पंजीयक (तृतीय) जोधपुर

(२५)

क्रमांक :- 2840

मूल्य : 100/-



जोधपुर विकास प्राधिकरण





जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

5025
17/4/18

पट्टा विलेख

यह विलेख आज वर्ष ..... के माह ..... के ..... वे दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हे इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री स्वप्न प्रोहिम हेल्थ इन्फ्रा एल० एल० पी० 103 ए०डी०, आर०के० प्रथम मंजिल, जलजोग सर्किल के पास, जोधपुर पार्टनर शाश्वत शर्मा

जाति ब्राह्मण व्यवसाय व्यापार निवासी 65, उजापीत नगर, जोधपुर (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुन्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना स्वप्न-स्वभूमि राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 302/3 क्षेत्रफल 20.00 में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात :-

1. लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमावन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रूपये 6400/- अंके छह हजार चार सौ मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक वार्षिय नगरीय निर्धारण (शहरी जमावन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
2. एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
3. पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगें।
4. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
5. इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावें, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
6. लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तें और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
7. उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी : परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।
8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति घरावेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/वाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
9. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि उसे [illegible] विधि की दुरभिसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्व्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के

(कृ.प.ठ.)

Partner.

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहृत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ.सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट देवें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : .....
राजस्व ग्राम : पाल
खसरा नम्बर : 3001/3
योजना का नाम सन - सम्रद्धि
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर 16'x45 = 80.00

सीमा पूर्व प्लॉट नं- 34 सीमा पश्चिम रोड 30 Ft
सीमा उत्तर प्लॉट नं- 28 सीमा दक्षिण प्लॉट नं- 30 मानचित्र संलग्न है।
भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो 29

इसके साक्षी के रूप में इसके करीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 ..... माह के 12/7/18 वें दिन
श्री रविश शर्मा (LDC)
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

नगर निकाय - प्रथम पक्ष
उपायुक्त (प्रशासन)
(सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

साक्षी :-

1. नाम .....
पिता/पति का नाम LDC
व्यवसाय JDA
निवास स्थान .....

.....
साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम .....
पिता/पति का नाम .....
निवास स्थान .....

.....
साक्षी के हस्ताक्षर

कार्यालय भुवमाफिया टीक (राज.)

आज दिनांक ..... सन् 20 ..... के माह ..... के .....
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री .....
लीजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये गये।

Sunprime Home Infra LLP
.....
लीजधारक - द्वितीय पक्ष Partner

साक्षी :-

1. नाम रघुशान अग्रवाल
पिता/पति का नाम सत्यनारायण अग्रवाल
व्यवसाय व्यापार
निवास स्थान सरदारपुरा जोधपुर

.....
साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम पूरखाराम मेघवाल
पिता/पति का नाम रोयाराम
व्यवसाय कृषि
निवास स्थान पाल गाव जोधपुर

.....
साक्षी के हस्ताक्षर

" J.D.A. "

SITE PLAN FOR LEASE DEED FOR PLOT NO.29

KHASARA NO. 300/ 3 VILLAGE PAL AT JODHPUR

PLOT SIZE 16'X45 AREA = 80.00 SQYDS.

Scale :-1"30'

ROAD 30 FT WIDE

Other Land	P-36	P-35	P-34	P-33	P-32
Other Land	P-27	P-28	P-29 (16' × 45')	P-30	P-31

ROAD 30 FT WIDE

ROAD 30 FT WIDE

P-15

P-16

P-17

कार्यालय उप पंजीयक (पश्चिम) जोधपुर

उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

उपायुक्त (दक्षिण)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

Sunprime Home Infra LLP

Partner

Registration Endorsement

आज दिनांक 17/04/2018 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 940 में
पृष्ठ संख्या 143 क्रम संख्या 201803053104168 पर पंजीबद्ध किया गया तथा
अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 3756 के
पृष्ठ संख्या 259 से 266 पर चस्पा किया गया ।

201801053006554

उप पंजीयक, JODHPUR-III
उप पंजीयक (तृतीय
जोधपुर

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establishment of township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, institutional, Industries, tourism purpose), if the lease deed is presented for registration within two month.

(30)

मूल्य : 100/-

क्रमांक : 2841

जोधपुर विकास प्राधिकरण





जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

5.26
12/7/18

पट्टा विलेख

यह विलेख आज वर्ष ..... के माह ..... के ..... वे दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री रतन सूर्यमुखी होम इन्फ्रा प्रा. लि. ..... 10 बी. डी. आर.के. प्रथम मंजिल, जलदोका सर्कल के पास, जोधपुर ..... जरिए पार्टनर शब्बीर शाही ..... जाति अहेश्वरी ..... व्यवसाय व्यापार ..... निवासी 65, अशोपति नगर, जोधपुर ..... (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इकरार में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुन्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का यह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना ..... राजस्व ग्राम ..... के खसरा संख्या .....329/3..... क्षेत्रफल .....80.00..... में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिये गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आधार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात :-

1. लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रूपये .....6400/-..... अंके दो हजार चार सौ ..... मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक वार्षिय नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
2. एतद्धारा निर्धारित किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
3. पट्टे की अवधि :- पट्टावृत्ति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगें।
4. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल .....आवासीय..... प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
5. इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावे, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
6. लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तें और अन्य उपबंध, यथादश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
7. उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निर्धारित की जायेगी : परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।
8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति पराक्षेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/वाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलनीय होगा।
9. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख किसी की दुरभिसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्व्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है तो आवंटन या पट्टा विलेख के

(कृ.प.उ.)

Supreme Home Infra Pvt. Ltd.

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सम्मिलित सहित उसे प्रतिसंहृत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ.सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट देवें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : .....
राजस्व ग्राम : पाल
खसरा नम्बर : 3861/3
योजना का नाम सन एनक्लेव
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
16×45 = 80.00

सीमा पूर्व प्लॉट नं० 33 सीमा पश्चिम रोड 30 फीट
सीमा उत्तर प्लॉट नं० 29 सीमा दक्षिण प्लॉट नं० 31 मानचित्र संलग्न है।
भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो 30

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 ..... माह के 12/9/18 वें दिन
श्री राकेश शर्मा (TCP)
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

उपखण्ड अधिकारी (पश्चिम) पक्ष
जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर
जोधपुर

साक्षी :-

1. नाम .....
पिता/पति का नाम .....
व्यवसाय .....
निवास स्थान .....

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम .....
पिता/पति का नाम .....
व्यवसाय .....
निवास स्थान .....

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक ..... सन् 20 ..... के माह ..... के .....
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री .....
लीजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये गये।

Supprime Home Infra LLP
Partner
लीजधारक -द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

1. नाम रघुलाल अग्रवाल
पिता/पति का नाम सत्यनारायण अग्रवाल
व्यवसाय व्यापार
निवास स्थान सरदारपुरा जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम पुरखाराम मेघवाल
पिता/पति का नाम रवीयाराम
व्यवसाय कृषि
निवास स्थान पाल गांव जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

" J.D.A. "

SITE PLAN FOR LEASE DEED FOR PLOT NO.30

KHASARA NO. 300/ 3 VILLAGE PAL AT JODHPUR

PLOT SIZE 16'X45 AREA = 80.00 SQYDS.

Scale :-1"30'



ROAD 30 FT WIDE

Other Land	P-36	P-35	P-34	P-33	P-32	P-15
Other Land	P-27	P-28	P-29	P-30 (16' × 45')	P-31	P-16
						P-17

ROAD 30 FT WIDE

ROAD 30 FT WIDE

उपनगर निर्वाचक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

उपायुक्त (दक्षिण)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

Sunprime Home Infra LLP

Partner.

Registration Endorsement

आज दिनांक 17/04/2018 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 940 में
पृष्ठ संख्या 140 क्रम संख्या 2018030531041 65 पर पंजीबद्ध किया गया तथा
अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 3756 के
पृष्ठ संख्या 235 से 242 पर चस्पा किया गया ।

201801053006561

उप पंजीयक, JODHPUR

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, institutional, industrial, tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month.

उप पंजीयक (तृतीय)
जोधपुर

कार्यालय उप पंजीयक (तृतीय)
जोधपुर

Endorsement of Execution

अनु क्र.	पक्षकारों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	पक्षकारों का प्रकार
1	श्री/श्रीमती/सुश्री COMMISSIONER , पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री COMMISSIONER, व्यवसाय जाति Jodhpur Development Authority			Executant Age : 0 Signature :
2	श्री/श्रीमती/सुश्री SUNPRIME HOME INFRA LLP TH PARTNER RAGHAV RATHI, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री S/O INDER MAL RATHI, व्यवसाय Businessजाति MAHESWARI House No.:05, Colony: PRATAP NAGAR , Area: GANPATI NAGAR EXT, City: JODHPUR , Pin code: 342001, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN			Claimant Age : 30 Signature :

ने लीजपत्र Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose). If the lease deed is presented for registration within two month. यह पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया ।

प्रतिफल राशि रु 8510/- पूर्ण मैं / मेरे समक्ष / मैं से रु 8510/- पूर्ण में ---------- से मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया ।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान निम्न व्यक्तियों ने की है , जिनके हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान मेरे समक्ष लिए गए है।

अनु क्र.	गवाही का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	हस्ताक्षर
1	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री RAMESH KUMAWAT, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री MOHAN LAL KUMAWAT जाति KUMHAR Age: 36 Add: House No.:00, Colony: RHC, Area: RHC, City: JODHPUR , Pin code: 342001, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN			Signature

2018010530065S1

उप पंजीयक, JODHPUR

उप पंजीयक (तृतीय)

Lease deed issued in favour of firs: allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose). If the lease deed is presented for registration within two month.

उप पंजीयक (तृतीय) जोधपुर

Under 54 Endorsement

धारा 54 के तहत प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि इस लेख पत्र की स्टाम्पित रु 453600 मानते हुए इस पर देय कमी मुद्रांक राशि रु 1702 पर कमी पंजीयन शुल्क रु 341, सरचार्ज राशि 340 कुल रु 2383 रसीद संख्या 201802053006196 दिनांक 17-04-2018 में जमा किये गये है।

अतः दस्तावेज को रु 1702 के मुद्रांकों पर निष्पादित माना जाता है

201801053006551

उप पंजीयक, JODHPUR-II

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan tower ship policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month.

Registration Endorsement

आज दिनांक 17/04/2018 को

पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 940 में

पृष्ठ संख्या 140 क्रम संख्या 201803053104165 पर पंजीबद्ध किया गया तथा

अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 3756 के

पृष्ठ संख्या 235 से 242 पर चस्पा किया गया ।

201801053006551

उप पंजीयक, JODHPUR-II

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month.

कार्यालय उप पंजीयक (द्वितीय) जोधपुर

Presentation Endorsement

आज दिनांक 17 माह 04 सन् 2018 को 10:47 AM बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री SUNPRIME HOME INFRA LLP TH PARTNER
RAGHAV RATHI पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री S/O INDER MAL RATHI
उम्र 30 वर्ष, जाति MAHESWARI , व्यवसाय Business
निवासी House No.:05, Colony: PRATAP NAGAR , Area: GANPATI NAGAR EXT, City: JODHPUR , Pin code: 342001, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया ।

हस्ताक्षर उप पंजीयक,
JODHPUR-III

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता
201801053006561

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose). If the lease deed is presented for registration within two month.

Fees Receipt Endorsement

रसीद नं.	201802053006196
दिनांक	17-04-2018
पंजीयन शुल्क ₹	341
प्रतिलिपि शुल्क ₹	0
पृष्ठांकन शुल्क ₹	200
अन्य शुल्क ₹	0
बकी स्टाम्प शुल्क ₹	1702
बकी सरचार्ज शुल्क ₹	340
कुल योग	2583

उप पंजीयक,
JODHPUR-III

201801053006561

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose). If the lease deed is presented for registration within two month.

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : JODHPUR-III

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 17-04-2018 10:50 AM

Fee Receipt No	: 201802053006196	Receipt Date	: 17/04/2018		
Name	: SUNPRIME HOME INFRA LLP TH PARTNER RAGHAV RATHI,	Document S. No.	: 2018010030006581		
Address	: 05 ,PRATAP NAGAR ,JODHPUR ,JODHPUR				
Document Type	: Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent				
Face Value	: ₹ 8510	Evaluated Value	: ₹ 453600		
Ord-Registration Fee	: ₹ 341	Fee for Memorandum Us_64_67	:	₹	
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	:	₹ 0	
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	:	₹	
Surcharge	: ₹ 340	Stamp Duty	:	₹ 1732	
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	:	₹ 0	
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	:	₹ 0	
Custody	: ₹	Others	:	₹ 0	
		Cash Amount Received	:	₹ 0	
		Other than Cash	:	₹ 2583	
		Total Amount	:	₹ 2583	

Mode of Payment (eMode Number Amount)
e-Gras Challan 2230108 ₹ 2583

Signature of presenter or applicant for copy or Search certificate

Cashier

Signature of recipient and date of return receipt

SUB-REGISTRAR

उप पंजीयक (तृतीय
जोधपुर

(७१)

क्रमांक : 2842

मूल्य : 100/-







जोधपुर विकास प्राधिकरण

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

5027 / 13/7/18 पट्टा विलेख

यह विलेख आज वर्ष ..... के माह ..... के ..... वे दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री स्वप्न सृष्टि होम इन्फ्रा एल्म एल. पी. 183 जे.डी. आरकेड प्रथम मंजिल, जलजोग सर्किल के पास, जोधपुर जरिए पार्टनर श्रवण राठी ..... जाति माहेश्वरी ..... व्यवसाय व्यापार ..... निवासी 68, अवधपति नगर, जोधपुर ..... (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुन्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का यह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना स्वप्न सृष्टि ..... राजस्व ग्राम पाल ..... के खसरा संख्या 300/3 ..... क्षेत्रफल 80.00 ..... में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात :-

1. लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये ₹.040/= अंके सात हजार चालीस ..... मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक बार्षिय नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा करायी गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
2. एवं शर्त नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
3. पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगी।
4. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय ..... प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
5. इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जायें, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
6. लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तें और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित सारतः अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
7. उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी : परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।
8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
9. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्व्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के

(क्र.प.उ.)

Sunprime Home Infra LLP
Partner.

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहृत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट देवें।

परिशिष्ट

करबे का नाम : .....
राजस्व ग्राम : पाल
खसरा नम्बर : 3008/3
योजना का नाम सूर्य-रश्मि
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
16 x 45 = 80.00

सीमा पूर्व प्लॉट नं. 32 सीमा पश्चिम रोड 30 ft
सीमा उत्तर प्लॉट नं. 30 सीमा दक्षिण रोड 30 ft मानचित्र संलग्न है।
भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो 31

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 ..... माह के 13/4/18 वें दिन
श्री राकेश शर्मा (TA)
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

नगर निकाय सक्षम पक्ष
(सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)
उपायुक्त (दक्षिण)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

साक्षी :-

1. नाम .....
पिता/पति का नाम L.R.S
व्यवसाय J.D.A
निवास स्थान .....

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम .....
पिता/पति का नाम .....
व्यवसाय .....
निवास स्थान .....

साक्षी के हस्ताक्षर

Sunprime Home Infra LLP

आज दिनांक ..... सन् 20 ..... के माह ..... के .....
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री .....
लीजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये गये।

Partner.
लीजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

1. नाम रघुलाल अग्रवाल
पिता/पति का नाम सत्यनारायण अग्रवाल
व्यवसाय व्यापार
निवास स्थान सरदारपुरा जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम पुरखाराम सेखवाल
पिता/पति का नाम रोयाराम
व्यवसाय कृषि
निवास स्थान पाल बेरू जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

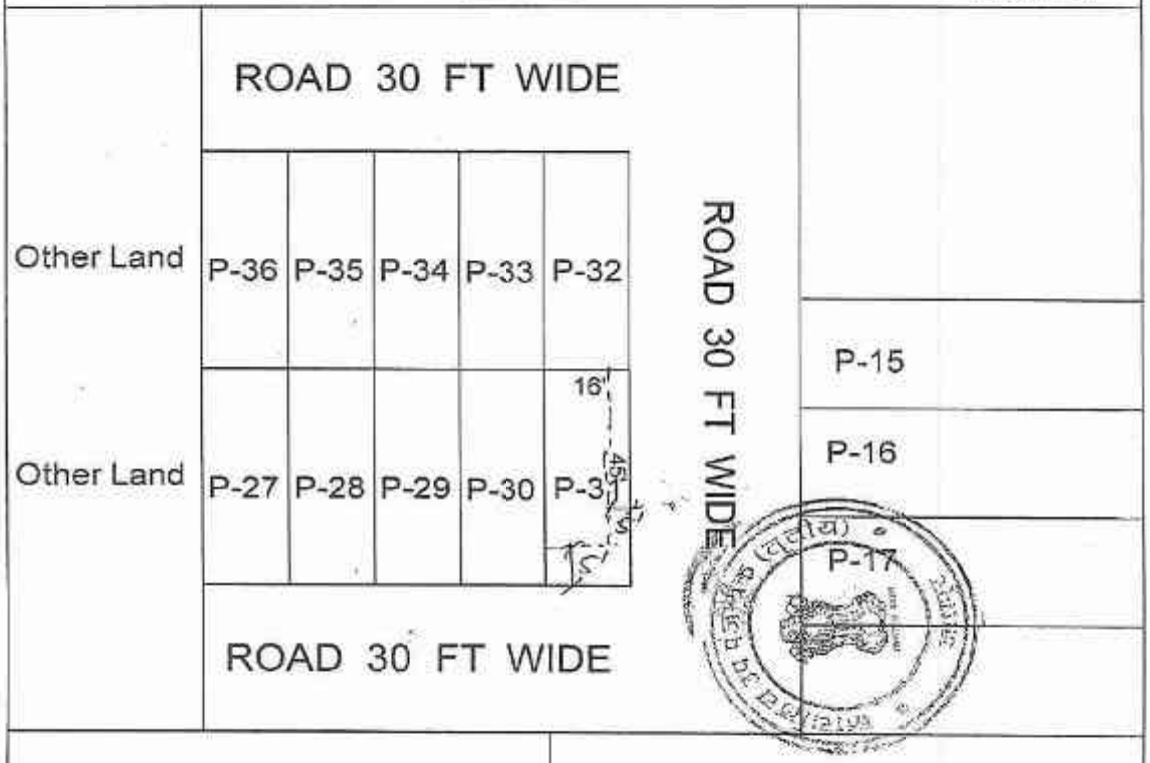
" J.D.A. "

SITE PLAN FOR LEASE DEED FOR PLOT NO.31

KHASARA NO. 300/ 3 VILLAGE PAL AT JODHPUR

PLOT SIZE 16'X45 AREA = 80.00 SQYDS.

Scale :-1"30'



उप नगर नियोजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

उपायुक्त (दक्षिण)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

Sunprime Home Infra LLP

Partner.

Registration Endorsement

आज दिनांक 17/04/2018 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 940 में
पृष्ठ संख्या 142 क्रम संख्या 201803053104167 पर पंजीबद्ध किया गया तथा
अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 3756 के
पृष्ठ संख्या 251 से 258 पर चस्पा किया गया ।

201801053006563

उप पंजीयक, JODHPUR-III

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, commercial, tourism purpose), if the lease deed is presented for registration within two month.

उप पंजीयक (तृतीय)
जोधपुर

Endorsement of Execution

अनु क्र.	पक्षकारों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	पक्षकारों का प्रकार
1	श्री/श्रीमती/सुश्री COMMISSIONER , पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री COMMISSIONER, व्यवसाय जाति Jodhpur Development Authority	×	×	Executant Age : 0 Signature :
2	श्री/श्रीमती/सुश्री SUNPRIME HOME INFRA LLP TH PARTNER RAGHAV RATHI, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री S/O UNDER MAL RATHI, व्यवसाय Businessजाति MAHESWARI House No.:05, Colony: PRATAP NAGAR , Area: GANPATI NAGAR EXT, City: JODHPUR , Pin code: 342001, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN			Claimant Age : 30 Signature :

मे लेखपत्र Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish townships under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, institutional, industries, tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month. मे पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया ।

प्रतिफल राशि रु 8510/- पूर्व मे / मेरे समक्ष / मे से रु 8510/- पूर्व मे ---------- से मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया ।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान निम्न व्यक्तियों ने की है , जिनके हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान मेरे समक्ष लिए गए है।

अनु क्र.	गवाही का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	हस्ताक्षर
1	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री RAMESH KUMAWAT, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री MOHAN LAL KUMAWAT जाति KUMHAR Age: 35 Add: House No.:00, Colony: RHC, Area: RHC, City: JODHPUR , Pin code: 342001, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN			Signature

201801053006563

उप पंजीयक JODHPUR-III

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, institutional, industries, tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month.

Under 54 Endorsement

धारा 54 के तहत प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि इस लेख पत्र की स्टाम्पित रु 495900 मानते हुए इस पर देय कमी मुद्रांक राशि रु 1702 पर कमी पंजीयन शुल्क रु 341, सरचार्ज राशि 340 कुल रु 2383 रसीद संख्या 201802053006107 दिनांक 17-04-2018 में जमा किये गये है।

अतः दस्तावेज को रु 1702 के मुद्रांकों पर निष्पादित माना जाता है।

201801053006563

उप पंजीयक JODHPUR-III

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month.

Registration Endorsement

आज दिनांक 17/04/2018 को

पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 940 में

पृष्ठ संख्या 142 क्रम संख्या 201803053104167 पर पंजीबद्ध किया गया तथा

अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 3756 के

पृष्ठ संख्या 251 से 258 पर चस्पा किया गया ।

201801053006563

उप पंजीयक, JODHPUR-III

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month.

Presentation Endorsement

आज दिनांक 17 माह 04 सन् 2018 को 10:50 AM बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री SUNPRIME HOME INFRA LLP TH PARTNER
RAGHAV RATHI पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री S/O INDER MAL RATHI
उम्र 30 वर्ष, जाति MAHESWARI , व्यवसाय Business
निवासी House No.:05, Colony: PRATAP NAGAR , Area: GANPATI NAGAR EXT, City: JODHPUR , Pin code: 342001, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया ।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता

उप पंजीयक,
JODHPUR-II

201804053006583

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose). If the lease deed is presented for registration within two month.

Fees Receipt Endorsement

रसीद नं.	201804053006197
दिनांक	17-04-2018
पंजीयन शुल्क ₹	341
प्रतिलिपि शुल्क ₹	0
पृष्ठांकन शुल्क ₹	200
अन्य शुल्क ₹	0
कमी स्टाम्प शुल्क ₹	1702
कमी सरचार्ज शुल्क ₹	340
कुल योग	2583

201804053006583

उप पंजीयक,
JODHPUR-II

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose). If the lease deed is presented for registration within two month.

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : JODHPUR-III

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 17-04-2018 10:02 AM

Fee Receipt No	:	2018020530056197	Receipt Date	:	17/04/2018
Name	:	SUNPRIME HOME INFRA LLP TH PARTNER RAGHAV RATHI	Document S. No.	:	2018010530065563
Address	:	05 ,PRATAP NAGAR ,JODHPUR JODHPUR			
Document Type	:	Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent			
Face Value	:	₹ 6510	Evaluated Value	:	₹ 480603
Old-Registration Fee	:	₹ 341	Fee for Memorandum Us_64_67	:	₹
CSI	:	₹ 200	Certified copying fees Us_57	:	₹ 0
Stamp (Memorandum)	:	₹	Reg (memorandum)	:	₹
Surcharge	:	₹ 340	Stamp Duty	:	₹ 1702
Penalty	:	₹ 0	Inspection fee	:	₹ 0
Us_25_34	:	₹ 0	Commission	:	₹ 0
Custody	:	₹	Others	:	₹ 0
			Cash Amount Received	:	₹ 0
			Other than Cash	:	₹ 2583
			Total Amount	:	₹ 2583

Mode of Payment (#Mode Number Amount)
e-Gras Challan 22381182 ₹ 2583

Signature of presenter or applicant for copy or Search certificate

Sealer

Signature of recipient and date of return receipt

SUB-REGISTRAR

उप पंजीयक (तृतीय
जोधपुर

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहृत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की चुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ.सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट देवें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : .....
राजस्व ग्राम : पाल
खसरा नम्बर : 360/3
योजना का नाम सन-समृद्धि
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर 16X45 = 80.00

सीमा पूर्व रोड 30 फ़ीट सीमा पश्चिम प्लॉट नं० 31
सीमा उत्तर प्लॉट नं० 33 सीमा दक्षिण रोड 30 फ़ीट मानचित्र संलग्न है।
भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो 32

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 ..... माह के ..... वें दिन
श्री .....
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

उपखण्ड (दक्षिण)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

साक्षी :-

1. नाम .....
पिता/पति का नाम HDC
व्यवसाय UDA
निवास स्थान .....

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम .....
पिता/पति का नाम .....
व्यवसाय .....
निवास स्थान .....

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक ..... सन् 20 ..... के माह ..... के .....
को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री .....
लीजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये

Sunprime Home Infra LLP
Partner
लीजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

1. नाम रघुशाल अगवाल
पिता/पति का नाम सत्यनारायण अगवाल
व्यवसाय व्यापार
निवास स्थान सरदारपुरा जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम पुरखाराम मेघवाल
पिता/पति का नाम रुघीयराम
व्यवसाय कृषि
निवास स्थान पाल गाव जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

" J.D.A. "

SITE PLAN FOR LEASE DEED FOR PLOT NO.32

KHASARA NO. 300/ 3 VILLAGE PAL AT JODHPUR

PLOT SIZE 16'X45 AREA = 80.00 SQYDS.

Scale :-1"30'



ROAD 30 FT WIDE

Other Land	P-36	P-35	P-34	P-33	P-32	P-15
Other Land	P-27	P-28	P-29	P-30	P-31	P-16
						P-17

16' 45'

ROAD 30 FT WIDE

ROAD 30 FT WIDE

उप नगर नियोजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

उपायुक्त (दक्षिण)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

Sunprime Home Infra LLP

Partner.

Registration Endorsement

आज दिनांक 17/04/2018 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 940 में
पृष्ठ संख्या 144 क्रम संख्या 201803053104169 पर पंजीबद्ध किया गया तथा
अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 3756 के
पृष्ठ संख्या 267 से 274 पर चस्पा किया गया ।

201801053006564

उप पंजीयक (तृतीय)
उप पंजीयक (तृतीय)
जोधपुर

Lease deed issued in favour of first allotte , for the purpose of establ Township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose). If the lease deed is presented for registration within two month.

कार्यालय उप पंजीयक (तृतीय)
जोधपुर

Endorsement of Execution

अनु क्र.	पक्षकारों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	पक्षकार का प्रकार
1	श्री/श्रीमती/सुश्री COMMISSIONER , पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री COMMISSIONER, व्यवसाय जाति Jodhpur Development Authority			Executant Age : 0 Signature :
2	श्री/श्रीमती/सुश्री SUNPRIME HOME INFRA LLP TH PARTNER RAGHAV RATHI, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री S/O INDER MAL RATHI, व्यवसाय Businessजाति MAHESWARI House No.:05, Colony: PRATAP NAGAR , Area: GANPATI NAGAR EXT, City: JODHPUR , Pin code: 342001, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN			Claimant Age : 30 Signature :

मे लेखपत्र Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, institutional, industries, tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month. श्री पढ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया ।

प्रतिफल राशि रु 8510/- पूर्ण मे / मेरे समक्ष / मे से रु 8510/- पूर्ण में ———— से मेरे समक्ष भुगत करना स्वीकार किया ।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान निम्न व्यक्तियों ने की है , जिनके हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान मेरे समक्ष लिए गए है।

अनु क्र.	गवाहों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	हस्ताक्षर
1	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री RAMESH KUMAWAT, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री MOHAN LAL KUMAWAT जाति KUMHAR Age: 36 Add: House No. 00, Colony: RHC, Area: RHC, City: JODHPUR , Pin code: 342001, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN			Signature

201801053006584

उप पंजीयक, JODHPUR-II

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, institutional, industries, tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month.

Under 54 Endorsement

धारा 54 के तहत प्रमाण-पत्र समाहित किया जाता है कि इस लेख पत्र की मालियत रु 499950 मानते हुए इस पर देय कमी मुद्रांक राशि रु 1702 पर कमी गंजीयन शुल्क रु 341, सरचार्ज राशि 340 कुल रु 2383 रसीद संख्या 201802053006199 दिनांक 17-04-2018 में जमा किये गये है।

अतः दस्तावेज यह रु 1702 के मुद्रांकों पर निष्पादित माना जाता है।

201801053006564

उप पंजीयक, JOINT REGISTRAR

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, institutional, industries, tourism purpose). If the lease deed is presented for registration within two month.

Registration Endorsement

आज दिनांक 17/04/2018 को

पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 940 में

पृष्ठ संख्या 144 क्रम संख्या 201803053104169 पर पंजीबद्ध किया गया तथा

अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 3756 के

पृष्ठ संख्या 267 से 274 पर चस्पा किया गया ।

201801053006564

उप पंजीयक, JOINT REGISTRAR

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, institutional, industries, tourism purpose). If the lease deed is presented for registration within two month.

Presentation Endorsement

आज दिनांक 17 माह 04 सन् 2018 को 10:52 AM बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री SUNPRIME HOME INFRA LLP TH PARTNER
RAGHAV RATHI पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री S/O INDER MAL RATHI
उम्र 30 वर्ष, जाति MAHESWARI , व्यवसाय Business
निवासी House No.:05, Colony: PRATAP NAGAR , Area: GANPATI NAGAR EXT, City: JODHPUR , Pin code: 342001, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया ।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता
201801053006584

हस्ताक्षर उप पंजीयक तृतीय
जोधपुर

Lease deed issued in favour of first allottee for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose). If the lease deed is presented for registration within two month.

Fees Receipt Endorsement

रसीद नं.	201802053006198
दिनांक	17-04-2018
पंजीयन शुल्क ₹	341
प्रतिलिपि शुल्क ₹	0
पृष्ठांकन शुल्क ₹	200
अन्य शुल्क ₹	0
कमी स्टाम्प शुल्क ₹	1702
कमी सरचार्ज शुल्क ₹	340
कुल योग	2583

201801053006584

उप पंजीयक
JODHPUR-II

Lease deed issued in favour of first allottee for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose). If the lease deed is presented for registration within two month.



Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : JODHPUR-III

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 17-01-2018 10:51 AM

Fee Receipt No	:	2018020530006198	Receipt Date	:	17/01/2018
Name	:	SUNPRIME HOME INFRA LLP TH PARTNER RAGHAV RATHI,	Document S. No.	:	2018010530006584
Address	:	09 ,PRATAP NAGAR ,JODHPUR ,JODHPUR			
Document Type	:	Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent			
Face Value	:	₹ 8510	Evaluated Value	:	₹ 499560
Old-Registration Fee	:	₹ 341	Fee for Memorandum Us_64_67	:	₹
CSI	:	₹ 200	Certified copying fees Us_57	:	₹ 0
Stamp (Memorandum)	:	₹	Reg (memorandum)	:	₹
Surcharge	:	₹ 340	Stamp Duty	:	₹ 1702
Penalty	:	₹ 0	Inspection fee	:	₹ 0
Us_25_34	:	₹ 0	Commission	:	₹ 0
Custody	:	₹	Others	:	₹ 0
			Cash Amount Received	:	₹ 0
			Other than Cash	:	₹ 2583
			Total Amount	:	₹ 2583

Mode of Payment (Mode Number Amount)
e-Gras Challan 22381216 ₹ 2583

Signature of presenter or applicant for copy or Search certificate

Cashier

Signature of recipient and date of return receipt

SUB-REGISTRAR

उप पंजीयक (तृतीय
जोधपुर

(३८)

क्रमांक : 2843

मूल्य : 100/-



जोधपुर विकास प्राधिकरण





जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

5028
13/7/18

पट्टा विलेख

यह विलेख आज वर्ष ..... के माह ..... के ..... वे दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री खान प्रॉपर्टीज होम इन्फ्रा एल्. एल्. पी., 165 जे.डी. आरटेक्स प्रथम मंजिल, जलजोग सर्कल के पास, जोधपुर जरिए पार्टनर राघव शर्मा

जाति ब्राह्मण

व्यवसाय व्यापार निवासी 05, शास्त्री नगर, जोधपुर (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इदारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और नुन्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और बन्दोबस्तों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इसके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना स्कीम-सम्पूर्णानन्द राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 300/3 क्षेत्रफल 80.00 में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और बन्दोबस्तों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात :-

1. लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये 7040/- अंके सात हजार चालीस मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक वर्षीय नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
2. एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण की जायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
3. पट्टे की अवधि :- पट्टावृत्ति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगी।
4. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
5. इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावें, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
6. लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तें और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रारम्भतः उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित सामरत अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
7. उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी: परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।
8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
9. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख की दुरभिसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्व्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है तो आवंटन या पट्टा विलेख के

(कृ.प.ठ.)

Partner.

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहृत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ.सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट देवें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : .....
राजस्व ग्राम : पाल
खसरा नम्बर : 300/3
योजना का नाम स्वर्ण-समृद्धि
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर 16 x 45 = 80.00

सीमा पूर्व रोड 30 ft सीमा पश्चिम प्लॉट नं० 38
सीमा उत्तर प्लॉट नं० 34 सीमा दक्षिण प्लॉट नं० 32 मानचित्र संलग्न है।
भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो 33

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकैन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 ..... माह के 12/4/18 वें दिन
श्री राकेश शर्मा (E.O.)
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

नगर निकाय - प्रथम पक्ष
उपायुक्त (दक्षिण)
(सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

साक्षी :-

1. नाम .....
पिता/पति का नाम LDC
व्यवसाय JDA
निवास स्थान .....

.....
साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम .....
पिता/पति का नाम .....
व्यवसाय .....
निवास स्थान .....

.....
साक्षी के हस्ताक्षर

Sunprime Home Infra LLP

आज दिनांक ..... सन् 20 ..... के माह ..... के .....
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री .....
लीजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये गये।

.....Partner.
लीजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

1. नाम रघुशाल अग्रवाल
पिता/पति का नाम सत्यनारायण अग्रवाल
व्यवसाय व्यापार
निवास स्थान सरदारपुरा जोधपुर

.....
साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम पुरखाराम मेघवाल
पिता/पति का नाम रणीयाराम
व्यवसाय कृषि
निवास स्थान पाल गाव जोधपुर

.....
साक्षी के हस्ताक्षर

" J.D.A. "

SITE PLAN FOR LEASE DEED FOR PLOT NO.33

KHASARA NO. 300/ 3 VILLAGE PAL AT JODHPUR

PLOT SIZE 16'X45 AREA = 80.00 SQYDS.



Scale :-1"30'

ROAD 30 FT WIDE

Other Land	P-36	P-35	P-34	P-33 (16' × 45')	P-32	P-15
Other Land	P-27	P-28	P-29	P-30	P-31	P-16
						P-17

ROAD 30 FT WIDE

ROAD 30 FT WIDE

उप नगर नियोजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

उपायुक्त (दक्षिण)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

Sunprime Home Infra LLP

Partner.

Registration Endorsement

आज दिनांक 17/04/2018 को

पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 940 में

पृष्ठ संख्या 164 क्रम संख्या 201803053104189 पर पंजीबद्व किया गया तथा

अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 3756 के

पृष्ठ संख्या 427 से 434 पर चस्पा किया गया ।

201801053006568

उप पंजीयक, JODHPUR-III

उप पंजीयक (तृतीय)
जोधपुर

Lease deed issued in favour of first allotte , for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industrial) lease deed is presented for registration within two month.



Endorsement of Execution

अनु क्र.	पक्षकारों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	पक्षकारों का प्रकार
1	श्री/श्रीमती/सुश्री COMMISSIONER , पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री COMMISSIONER, व्यवसाय जाति Jodhpur Development Authority			Executant Age : 0 Signature :
2	श्री/श्रीमती/सुश्री SUNPRIME HOME INFRA LLP TH PARTNER RAGHAV RATHI, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री S/O INDER MAL RATHI, व्यवसाय Businessजाति MAHESWARI House No :05, Colony: PRATAP NAGAR , Area: GANPATI NAGAR EXT, City: JODHPUR , Pin code: 342001, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN			Claimant Age : 30 Signature

मे लेखपत्र Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, institutional, industries, tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month. मने पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया ।

प्रतिफल राशि रु 8510/- पूर्व में / मेरे समक्ष / में से रु 8510/- पूर्व में ———— से मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया ।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान निम्न व्यक्तियों ने की है , जिनके हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान मेरे समक्ष लिए गए है।

अनु क्र.	गवाही का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	हस्ताक्षर
1	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री RAMESH KUMAWAT, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री MOHAN LAL KUMAWAT जाति KUMHAR Age: 36 Add: House No.:00, Colony: RIIC, Area: RHC, City: JODHPUR , Pin code: 342001, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN			Signature

2018D1053006568

उप पंजीयक, JODHPUR-III

उप पंजीयक (जोधपुर)

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, institutional, industries, tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month.

Under 54 Endorsement

धारा 54 के तहत प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि इस लेख पत्र की मालियत रु 453600 मानते हुए इस पर देय कमी मुद्रांक राशि रु 1702 पर कमी पंजीयन शुल्क रु 341, सरचार्ज राशि 340 कुल रु 2383 रसीद संख्या 201802053005199 दिनांक 17-04-2018 में जमा किये गये है।

अतः दस्तावेज को रु 1702 के मुद्रांकों पर लिप्यांदित समझा जाता है।

201801053006568

उप पंजीयक, JODHPUR-III

उप पंजीयक (तृतीय)
जोधपुर

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month.

Registration Endorsement

आज दिनांक 17/04/2018 को

पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 940 में

पृष्ठ संख्या 184 क्रम संख्या 201803053104189 पर पंजीबद्ध किया गया तथा

अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 3756 के

पृष्ठ संख्या 427 से 434 पर चस्पा किया गया ।

201801053006568

उप पंजीयक, JODHPUR-III

उप पंजीयक (तृतीय)
जोधपुर

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month.



Presentation Endorsement

आज दिनांक 17 माह 04 सन् 2018 को 10:56 AM बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री SUNPRIME HOME INFRA LLP TH PARTNER
RAGHAV RATHI पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री S/O INDER MAL RATHI
उम्र 30 वर्ष, जाति MAHESWARI , व्यवसाय Business
निवासी House No.:05, Colony: PRATAP NAGAR , Area: GANPATI NAGAR EXT, City: JODHPUR , Pin code: 342001, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया ।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता
2018010530065 68

हस्ताक्षर उप पंजीयक,
JODHPUR-III

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month.

Fees Receipt Endorsement

रसीद नं.	2018020530006199
दिनांक	17-04-2018
पंजीयन शुल्क ₹	341
प्रतिलिपि शुल्क ₹	0
पृष्ठांकन शुल्क ₹	200
अन्य शुल्क ₹	0
कमी स्टाम्प शुल्क ₹	1702
कमी सरचार्ज शुल्क ₹	340
कुल योग	2583

2018010530065 68

उप पंजीयक,
JODHPUR-III

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month.

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : JODHPUR-III

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 17-04-2018 10:58 AM

Fee Receipt No	:	20180205300S199	Receipt Date	:	17/04/2018
Name	:	SUNPRIME HOME INFRA LLP TH PARTNER RAGHAV RATHI,	Document S. No.	:	20180153006568
Address	:	05 ,PRATAP NAGAR ,JODHPUR ,JODHPUR			
Document Type	:	Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent			
Face Value	:	₹ 8810	Evaluated Value	:	₹ 453600
Ord-Registration Fee	:	₹ 341	Fee for Memorandum Us_64_67	:	₹
CSI	:	₹ 200	Certified copying fees Us_57	:	₹ 0
Stamp (Memorandum)	:	₹	Reg (memcrandum)	:	₹
Surcharge	:	₹ 340	Stamp Duty	:	₹ 1702
Penalty	:	₹ 0	Inspection fee	:	₹ 0
Us_25_34	:	₹ 0	Commission	:	₹ 0
Custody	:	₹	Others	:	₹ 0
			Cash Amount Received	:	₹ 0
			Other than Cash	:	₹ 2583
			Total Amount	:	₹ 2583

Mode of Payment (#Mode Number Amount)
e-Gras Challan 22351267 ₹ 2583

Signature of presenter or applicant for copy or Search certificate

Signature of recipient and date of return receipt

SUB-REGISTRAR

उप पंजीयक (तृतीय
जोधपुर

(33)

क्रमांक : 2844 मूल्य : 100/-



जोधपुर विकास प्राधिकरण





जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

5029 13/7/18

पट्टा विलेख

यह विलेख आज वर्ष ..... के माह ..... के ..... ये दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री स्पन इण्डिया होम इन्फ्रा एल॰ एल॰ पी॰, 18 जे॰ डी॰ आरकेड प्रथम मंजिल, जलप्रदाय सर्कल के पास, जोधपुर

..... जाति अहिस्वरी

व्यवसाय व्यापार निवासी 85, उदयपति नगर, जोधपुर (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुन्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना स्पन – समृद्धि राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 300/3 क्षेत्रफल 80.00 में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात :–

1. लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय–समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप–नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रूपये 6400/- अंके छह हजार चार सौ मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक वार्षिय नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्व वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
2. एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दावी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
3. पट्टे की अवधि :– पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगें।
4. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
5. इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम–26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावें, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
6. लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप–पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तें और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप–पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप–पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अधिकृत की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप–पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
7. उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम से अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी : परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।
8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू–राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
9. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख किसी तथ्य या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्व्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है तो आवंटन या पट्टा विलेख के

(कृ.प.उ.)

Supreme Home Infra LLP

Partner.

Endorsement of Execution

अनु क्र.	पक्षकारों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	पक्षकारों का प्रकार
1	श्री/श्रीमती/सुश्री COMMISSIONER , पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री COMMISSIONER, व्यवसाय जाति Jodhpur Development Authority			Executant Age : 0 Signature :
2	श्री/श्रीमती/सुश्री SUNPRIME HOME INFRA LLP TH PARTNER RAGHAV RATHI, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री S/O INDER MAL RATHI, व्यवसाय Businessजाति MAHESWARI House No.:5, Colony: GANPATI NAGAR, Area: PRATAP NAGAR, City: JO, Pin code: 342001, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN			Claimant Age : 30 Signature :

ने लेखपत्र Lease deed issued in favour o' first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose), if the lease deed is presented for registration within two month. को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया ।

प्रतिफल राशि रु 8510/- पूर्व में / मेरे समक्ष / में से रु 8510/- पूर्व में ———— ये मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया ।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान निम्न व्यक्तियों ने की है , जिनके हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान मेरे समक्ष लिए गए है।

अनु क्र.	गवाहों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	हस्ताक्षर
1	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री RAMESH KUMAWAT, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री ADVOCATE जाति KUMAWAT Age: 37 Add: House No.:00, Colony: RHC, Area: RHC, City: JODHPUR, Pin code: 342005, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN			Signature

2018010530006570

उप पंजीयक, JODHPUR-II
उप पंजीयक (तृतीय

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose), if the lease deed is presented for registration within two month.

Under 54 Endorsement

धारा 54 के तहत प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि इस लेख पत्र की मालियत रु 453600 मानते हुए इस पर देय कमी मुद्रांक राशि रु 1702 पर, कमी पंजीयन शुल्क रु 341, सरचार्ज राशि 340 कुल रु 2383 रसीद संख्या 201802053006200 दिनांक 17-04-2018 में जमा किये गये है।

अतः दस्तावेज को रु 1702 के मुद्रांकों पर निष्पादित माना जाता है।

201801053006570

उप पंजीयक, JODHPUR-II.

उप पंजीयक (तृतीय)

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month.

Registration Endorsement

आज दिनांक 17/04/2018 को

पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 940 में

पृष्ठ संख्या 172 क्रम संख्या 201803053104197 पर पंजीबद्ध किया गया तथा

अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 3757 के

पृष्ठ संख्या 25 से 32 पर चस्पा किया गया ।

201801053006570

उप पंजीयक, JODHPUR-II

उप पंजीयक (तृतीय)
जोधपुर

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month.

Presentation Endorsement

आज दिनांक 17 माह 04 सन् 2018 को 10:58 AM बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री SUNPRIME HOME INFRA LLP TH PARTNER
RAGHAV RATHI पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री S/O INDER MAL RATHI
उम्र 30 वर्ष, जाति MAHESWARI , व्यवसाय Business
निवासी House No.:S, Colony: GANPATI NAGAR, Area: PRATAP NAGAR, City: JO, Pin code: 342001, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया ।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता
201801053006570

हस्ताक्षर उप पंजीयक,
JODHPUR-III
उप पंजीयक (तृतीय)

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month.

Fees Receipt Endorsement

रसीद नं.	201802053006200
दिनांक	17-04-2018
पंजीयन शुल्क ₹	341
प्रतिलिपि शुल्क ₹	0
पृष्ठांकन शुल्क ₹	200
अन्य शुल्क ₹	0
कमी स्टाम्प शुल्क ₹	1702
कमी सरचार्ज शुल्क ₹	340
कुल योग	2583

201801053006570

उप पंजीयक,
JODHPUR-III
उप पंजीयक (तृतीय)

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month.

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : JODHPUR-III

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 17-04-2016 11:03 AM

Fee Receipt No	:	2016020530006200	Receipt Date	:	17/04/2016
Name	:	SUNPRIME HOME INFRA LLP TH PARTNER RAGHAV RATHI,	Document S. No.	:	201601053006570
Address	:	9 ,GANPATI NAGAR JO JODHPUR			
Document Type	:	Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent			
Face Value	:	₹ 6510	Evaluated Value	:	₹ 453800
Ord-Registration Fee	:	₹ 341	Fee for Memorandum Us_64_67	:	₹
CSI	:	₹ 200	Certified copying fees Us_57	:	₹ 0
Stamp (Memorandum)	:	₹	Reg (memorandum)	:	₹
Surcharge	:	₹ 340	Stamp Duty	:	₹ 1702
Penalty	:	₹ 0	Inspection fee	:	₹ 0
Us_25_34	:	₹ 0	Commission	:	₹ 0
Custody	:	₹	Others	:	₹ 0
			Cash Amount Received	:	₹ 0
			Other than Cash	:	₹ 2583
			Total Amount	:	₹ 2583

Mode of Payment (#Mode Number Amount ₹)
e-Gras Challan 22361110 ₹ 2583

Signature of presenter or applicant for copy or Search certificate

Cashier

Signature of recipient and date of return receipt

SUB-REGISTRAR

उप पंजीयक (तृतीय
जोधपुर

(54)

क्रमांक :- 2845

मूल्य : 100/-



जोधपुर विकास प्राधिकरण





जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

5030 13/4/18 पट्टा विलेख

यह विलेख आज वर्ष ..... के माह ..... के ..... वे दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री/श्रीमती/मैसर्स प्रहिम होम इन्फ्रा एल॰ एल॰ पी॰, 103 ए॰ डी॰ आरकेड प्रथम मंजिल, मलकोश सर्किल के पास, जोधपुर जरिए पार्टनर राघव बाबी

जाति माहेश्वरी

व्यवसाय व्यापार निवासी 65, उदयपति नगर जोधपुर (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्पादक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और गुन्ताक्ति अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना एन॰ एच॰ 65 राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 300/3 क्षेत्रफल 80.00 में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात :–

1. लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय–समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप–नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमावन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रूपये 6400/- अंके छ: हजार चार सौ मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक बारीय नगरीय निर्धारण (शहरी जमावन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
2. एक बार निश्चित किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
3. पट्टे की अवधि :– पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगें।
4. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
5. इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम–26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावें, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
6. लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप–पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप–पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप–पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अधिकार की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप–पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
7. उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी : परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।
8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू–राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
9. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्व्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के

(कृ.प.ड.)

Supreme Homes Infra LLP

Partner.

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहृत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ.सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट देवें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : .....
राजस्व ग्राम : पाल
खसरा नम्बर : 300/3
योजना का नाम एल.आई.जी.
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर 16 X 45 = 80.00

सीमा पूर्व रोड 30 Ft. सीमा पश्चिम प्लॉट नं. 29
सीमा उत्तर प्लॉट नं. 35 सीमा दक्षिण प्लॉट नं. 33 मानचित्र संलग्न है।
भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो 34

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 ..... माह के 13/4/18 वें दिन
श्री राहुल शर्मा (C.P.O)
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

नगर निकाय - प्रथम पक्ष
उपायुक्त (दक्षिण)
(सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

साक्षी :-

1. नाम .....
पिता/पति का नाम L.D.C
व्यवसाय J.D.A.
निवास स्थान .....

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम .....
पिता/पति का नाम .....
व्यवसाय .....
निवास स्थान .....

साक्षी के हस्ताक्षर

Sunprime Home Infra LLP

आज दिनांक ..... सन् 20 ..... के माह ..... के .....
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री .....
लीजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये गये।

Partner.

लीजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

1. नाम रघुपाल अजावाल
पिता/पति का नाम सत्य नारायण अजावाल
व्यवसाय व्यापार
निवास स्थान सरदारपुरा जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम पुरखाराम मेघवाल
पिता/पति का नाम रूपाराम
व्यवसाय कृषि
निवास स्थान पाल गाँव जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

" J.D.A. "

SITE PLAN FOR LEASE DEED FOR PLOT NO.34

KHASARA NO. 300/ 3 VILLAGE PAL AT JODHPUR



PLOT SIZE 16'X45 AREA = 80.00 SQYDS.

Scale :-1"30'

ROAD 30 FT WIDE

16'

45'

Other Land	P-36	P-35	P-34	P-33	P-32	
Other Land	P-27	P-28	P-29	P-30	P-31	

ROAD 30 FT WIDE

ROAD 30 FT WIDE

P-15

P-16

P-17

उप नगर नियोजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

उपायुक्त (दक्षिण)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

Sunprime Home Infra LLP

Partner

Registration Endorsement

आज दिनांक 17/04/2018 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 940 में
पृष्ठ संख्या 172 क्रम संख्या 201803053104197 पर पंजीबद्व किया गया तथा
अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 3757 के
पृष्ठ संख्या 25 से 32 पर चस्पा किया गया ।

201801053006570

उप पंजीयक, JODHPUR-III

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purposes). lease deed is presented for registration within two month.

उप पंजीयक (तृतीय)
जोधपुर

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : JODHPUR-III

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 5 (Rule 75 & 131) Print Date : 17-01-2018 11:02 AM

Fee Receipt No	:	2018020503006201	Receipt Date	:	17/01/2018
Name	:	SUNPRIME HOME INFRA LLP TH PARTNER RAGHAV RATHI,	Document S. No.	:	2018010503006571
Address	:	5 ,GANPATI NAGAR ,JODHPUR ,JODHPUR			
Document Type	:	Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent			
Face Value	:	₹ 8510	Evaluated Value	:	₹ 453600
Old-Registration Fee	:	₹ 341	Fee for Memorandum Us_64_67	:	₹
CSI	:	₹ 200	Certified copying fees Us_57	:	₹ 0
Stamp (Memorandum)	:	₹	Reg (memorandum)	:	₹
Surcharge	:	₹ 340	Stamp Duty	:	₹ 1702
Penalty	:	₹ 0	Inspection fee	:	₹ 0
Us_25_34	:	₹ 0	Commission	:	₹ 0
Custody	:	₹	Others	:	₹ 0
			Cash Amount Received	:	₹ 0
			Other than Cash	:	₹ 2583
			Total Amount	:	₹ 2583

Mode of Payment (Mode Number Amount)
e-Gras Challan 2238134B ₹ 2583

Signature of presenter or applicant for copy or Search certificate

Cashier

Signature of recipient and date of return receipt

SUB-REGISTRAR

उप पंजीयक (तृतीय
जोधपुर

(35)

क्रमांक : 2846

मूल्य : 100/-



जोधपुर विकास प्राधिकरण





जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

502/13/4/18

पट्टा विलेख

यह विलेख आज वर्ष ..... के माह ..... के ..... वे दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री सन मैहम होम इन्फ्रा एल॰ एल॰ पी, 103 डी॰ डी॰ अल्केड प्रथम मंजिल, सरदारपुरा सर्कल के पास, जोधपुर जरिए पार्टनर राघव खंडेलवाल जाति माहेश्वरी व्यवसाय व्यापार निवासी 85, जयपति नगर, जोधपुर (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुन्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना स्पेन-2 एक्सटेंशन राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 300/3 क्षेत्रफल 80.00 में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात :-

1. लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रेल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रूपये 6400/- अंके छह हजार चार सौ मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक बारीय नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
2. एक बार निर्धारित किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये की 25 प्रतिशत होगी।
3. पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगें।
4. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
5. इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावें, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
6. लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तें और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य नियंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
7. उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी: परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।
8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
9. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्व्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के

(क्र.प.उ.)

Partner.

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहृत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ.सी. अथवा नैशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट देवें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : .....
राजस्व ग्राम : पाल
खसरा नम्बर : 386/3
योजना का नाम स्वप्न - स्वयं सिद्धि
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
16 x 45 = 80.00

सीमा पूर्व रोड 30 फी. सीमा पश्चिम प्लॉट नं. 28
सीमा उत्तर प्लॉट नं. 36 सीमा दक्षिण प्लॉट नं. 34 मानचित्र संलग्न है।
भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो 35

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 ..... माह के 13/4/18 वें दिन
श्री राकेश शर्मा (R.A.S)
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

उपायुक्त (दक्षिण)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

साक्षी :-

1. नाम .....
पिता/पति का नाम L.R.C
व्यवसाय J.D.A
निवास स्थान .....

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम .....
पिता/पति का नाम .....
व्यवसाय .....
निवास स्थान .....

साक्षी के हस्ताक्षर

Sunprime Home Infra LLP

आज दिनांक ..... सन् 20 ..... के माह ..... के .....
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री .....
लीजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये गये।

Partner

लीजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

1. नाम रघुलाल अग्रवाल
पिता/पति का नाम सत्यनारायण अग्रवाल
व्यवसाय व्यापार
निवास स्थान सरदारपुरा जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम पुरखाराम मेघवाल
पिता/पति का नाम रूपाराम
व्यवसाय कृषि
निवास स्थान पाल गाम जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

" J.D.A. "

SITE PLAN FOR LEASE DEED FOR PLOT NO.35

KHASARA NO. 300/ 3 VILLAGE PAL AT JODHPUR

PLOT SIZE 16'X45 AREA = 80.00 SQYDS.



Scale :-1"30'

ROAD 30 FT WIDE

Other Land	P-36	P-35 (16' x 45')	P-34	P-33	P-32	P-15
Other Land	P-27	P-28	P-29	P-30	P-31	P-16
						P-17

ROAD 30 FT WIDE

ROAD 30 FT WIDE

उपायुक्त (दक्षिण)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

उप नगर नियोजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

Sunprime Home Infra LLP

Partner

Registration Endorsement

आज दिनांक 17/04/2018 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 940 में
पृष्ठ संख्या 146 क्रम संख्या 201803053104171 पर पंजीबद्ध किया गया तथा
अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 3756 के
पृष्ठ संख्या 283 से 290 पर चस्पा किया गया ।

201801053006571

उप पंजीयक JPUR-III

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month.

कार्यालय उप पंजीयक (द्वितीय) जोधपुर

Endorsement of Execution

अनु क्र.	पक्षकारों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	पक्षकारों का प्रकार
1	श्री/श्रीमती/सुश्री COMMISSIONER , पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री COMMISSIONER, व्यवसाय जाति Jodhpur Development Authority			Executant Age : 0 Signature :
2	श्री/श्रीमती/सुश्री SUNPRIME HOME INFRA LLP TH PARTNER RAGHAV RATHI, पुत्र/पुत्रीपत्नि श्री S/O INDER MAL RATHI, व्यवसाय Businessजाति MAHESWARI House No.:5, Colony: GANPATI NAGAR, Area: PRATAP NAGAR, City: JODHPUR, Pin code: 342001, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN			Claimant Age : 30 Signature :

ने लेखपत्र Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month. को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया ।

प्रतिफल राशि रु 8510/- पूर्ण में / मेरे समक्ष / में से रु 8510/- पूर्ण में ———— से मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया ।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान निम्न व्यक्तियों ने की है , जिनकी हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान मेरे समक्ष लिए गए है।

अनु क्र.	गवाहों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	हस्ताक्षर
1	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री RAMESH KUMAWAT, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री ADVOCATE जाति KUMHAR Age: 37 Add: House No.:00, Colony: RHC, Area: RHC, City: JODHPUR, Pin code: 342006, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN			Signature

201801053006571

उप पंजीयक, JODHPUR(II)

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month.



Under 54 Endorsement

धारा 54 के तहत प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि इस लेख पत्र की मालियत रु 453600 मानते हुए इस पर देय कमी मुद्रांक राशि रु 1702 पर कमी पंजीयन शुल्क रु 341, सरचार्ज राशि 340 कुल रु 2383 रसीद संख्या 201802053006201 दिनांक 17-04-2018 में जमा किये गये है।

अतः दस्तावेज को रु 1702 के मुद्रांकों पर निष्पादित माना जाता है।

201801053006571

उप पंजीयक, JODHPUR-III

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month.

Registration Endorsement

आज दिनांक 17/04/2018 को

पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 940 में

पृष्ठ संख्या 146 क्रम संख्या 201803053104171 पर पंजीबद्ध किया गया तथा

अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 3756 के

पृष्ठ संख्या 283 से 290 पर चस्पा किया गया ।

201801053006571

उप पंजीयक, JODHPUR-III

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month.

Presentation Endorsement

आज दिनांक 17 माह 04 सन् 2018 को 11:00 AM बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री SUNPRIME HOME INFRA LLP TH PARTNER
RAGHAV RATHI पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री S/O INDER MAL RATHI
उम्र 30 वर्ष, जाति MAHESWARI , व्यवसाय Business
निवासी House No.:5, Colony: GANPATI NAGAR, Area: PRATAP NAGAR, City: JODHPUR, Pin code: 342001, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया ।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता

हस्ताक्षर उप पंजीयक,
JODHPUR

2018010530006571

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose). The lease deed is presented for registration within two month.

Fees Receipt Endorsement

रसीद नं.	201802053006201
दिनांक	17-04-2018
पंजीयन शुल्क ₹	341
प्रतिलिपि शुल्क ₹	0
पृष्ठांकन शुल्क ₹	200
अन्य शुल्क ₹	0
कमी स्टाम्प शुल्क ₹	1702
कमी सरचार्ज शुल्क ₹	340
कुल योग	2583

2018010530006571

उप पंजीयक,
JODHPUR-III

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose). The lease deed is presented for registration within two month.

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : JODHPUR-III

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 17-04-2018 11:04 AM

Fee Receipt No	:	2018020530006202	Receipt Date	:	17/04/2018
Name	:	SUNPRIME HOME INFRA LLP TH PARTNER RAGHAV RATHI,	Document S. No.	:	2018010530006573
Address	:	5 ,GANPATI NAGAR ,JODHPUR ,JODHPUR			
Document Type	:	Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent			
Face Value	:	₹ 3510	Evaluated Value	:	₹ 453600
Ord-Registration Fee	:	₹ 341	Fee for Memorandum Us_64_67	:	₹
CSI	:	₹ 200	Certified copying fees Us_57	:	₹ 0
Stamp (Memorandum)	:	₹	Reg (memorandum)	:	₹
Surcharge	:	₹ 340	Stamp Duty	:	₹ 1702
Penalty	:	₹ 0	Inspection fee	:	₹ 0
Us_25_34	:	₹ 0	Correction	:	₹ 0
Custody	:	₹	Others	:	₹ 0
			Cash Amount Received	:	₹ 0
			Other than Cash	:	₹ 2583
			Total Amount	:	₹ 2583

Mode of Payment (/Mode Number Amount#)
e-Gras Challan 22381405 ₹ 2583,

Signature of presenter or applicant for copy or Search certificate

Cashier

Signature of recipient and date of return receipt

SUB-REGISTRAR

उप पंजीयक (तृतीय
जोधपुर

(36)

क्रमांक : 2847

मूल्य : 100/-







जोधपुर विकास प्राधिकरण

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

5032
13/11/19

यह विलेख आज वर्ष ..... के माह ..... के ..... वे दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री सन सुप्रीम होम इन्फ्रा एल. एल. पी., 109 जे.डी. अपार्टमेंट प्रथम सोसिल, जलजोग सर्कल के पास, जोधपुर ..... पार्टनर राघव डागी ..... जाति ब्राह्मण

व्यवसाय व्यापार निवासी 65, शक्तिनगर, जोधपुर (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुन्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना सन - सप्तर्षि राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 300/3 क्षेत्रफल 80.00 में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात :–

1. लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय–समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप–नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रूपये 6400/- अंके छ: हजार चार सौ मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक बारीय नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

   एक बार निश्चित किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।

3. पट्टे की अवधि :– पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगा।

4. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।

5. इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम–26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावें, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण बनाया जायेगा।

6. लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप–पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तें और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप–पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप–पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप–पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।

7. उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी: परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।

8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति पराश्रित प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/वाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू–राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।

9. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दृष्टि से या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्व्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के

(क्र.प.ठ.)

Sunprime Home Infra LLP

Partner.

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहृत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ.सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट देवें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : .....
राजस्व ग्राम : पाल
खसरा नम्बर : 300/3
योजना का नाम सन स्मृद्धि
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
16×45 = 80.00

सीमा पूर्व रोड 30 Ft. सीमा पश्चिम प्लॉट नं 24
सीमा उत्तर अन्य भूमि सीमा दक्षिण प्लॉट नं 35 मानचित्र संलग्न है।
भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो 36

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 ..... माह के 12/4/18 वें दिन
श्री राकेश शर्मा (R.N.S.)
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

उपायुक्त (दक्षिण) प्रथम पक्ष
जोधपुर विकास प्राधिकरण (जोधपुर)
जोधपुर

साक्षी :-

1. नाम .....
पिता/पति का नाम L.R.C
व्यवसाय J.D.A
निवास स्थान .....

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम .....
पिता/पति का नाम .....
व्यवसाय .....
निवास स्थान .....

साक्षी के हस्ताक्षर

Sunprime Home Infra LLP

आज दिनांक ..... सन् 20 ..... के माह ..... के .....
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री .....
लीजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये गये।

Partner
लीजधारक द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

1. नाम राजपाल अग्रवाल
पिता/पति का नाम सत्यनारायण अग्रवाल
व्यवसाय व्यापार
निवास स्थान सरदारपुरा जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम पुरखाराम मेघवाल
पिता/पति का नाम रोयाराम
व्यवसाय खेती
निवास स्थान पाल गाव जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

" J.D.A. "

SITE PLAN FOR LEASE DEED FOR PLOT NO.36

KHASARA NO. 300/ 3 VILLAGE PAL AT JODHPUR

PLOT SIZE 16'X45 AREA = 80.00 SQYDS.

Scale :-1"30'

ROAD 30 FT WIDE

Other Land	P-36 (16' x 45')	P-35	P-34	P-33	P-32	P-15
Other Land	P-27	P-28	P-29	P-30	P-31	P-16
						P-17

ROAD 30 FT WIDE

ROAD 30 FT WIDE

उप नगर नियोजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

उपायुक्त (वलिग)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

Sunprime Home Infra LLP

Partner.

Registration Endorsement

आज दिनांक 17/04/2018 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 940 में
पृष्ठ संख्या 174 क्रम संख्या 201803053104199 पर पंजीबद्व किया गया तथा
अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 3757 के
पृष्ठ संख्या 41 से 48 पर चस्पा किया गया ।

201801053006573

उप पंजीयक, JODHPUR-III

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establishment of township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose) if the lease deed is presented for registration within two month.

कार्यालय उप पंजीयक (तृतीय) जोधपुर

Endorsement of Execution

अनु क्र.	पक्षकारों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	पक्षकारों का प्रकार
1	श्री/श्रीमती/सुश्री COMMISSIONER , पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री COMMISSIONER, व्यवसाय जाति Jodhpur Development Authority			Executant Age : 0 Signature :
2	श्री/श्रीमती/सुश्री SUNPRIME HOME INFRA LLP TH PARTNER RAGHAV RATHI, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री S/O INDER MAL RATHI, व्यवसाय Business जाति MAHESWARI House No.:5, Colony: GANPATI NAGAR, Area: PRATAP NAGAR, City: JODHPUR, Pin code: 342001, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN			Claimant Age : 30 Signature :

ने लेखपत्र Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month. को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया ।

प्रतिफल राशि रु 8510/- पूर्ण में / मेरे समक्ष / ने रु 8510/- पूर्ण में ---------- से मेरे समक्ष अदा करना स्वीकार किया ।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान निम्न व्यक्तियों ने की है , जिनके हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान मेरे समक्ष लिए गए है।

अनु क्र.	गवाहों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	हस्ताक्षर
1	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री RAMESH KUMAWAT, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री ADVOCATE जाति KUMHAR Age: 37 Add: House No.:0, Colony: RHC, Area: RHC, City: JODHPUR, Pin code: 342006, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN			Signature

201801053006573

उप पंजीयक, JODHPUR

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month.

Under 54 Endorsement

धारा 54 के तहत प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि इस लेख पत्र की मालियत रु 453600 मानते हुए इस पर देय कमी मुद्राक राशि रु 1702 पर कमी पंजीयन शुल्क रु 341, सरचार्ज राशि 340 कुल रु 2383 रसीद संख्या 201802053006202 दिनांक 17-04-2018 में जमा किये गये है।

अतः दस्तावेज को रु 1702 के मुद्रांकों पर निष्पादित माना जाता है।

201801053006573

उप पंजीयक, JODHPUR-III

उप पंजीयक (तृतीय)
जोधपुर

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month.

Registration Endorsement

आज दिनांक 17/04/2018 को

पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 940 में

पृष्ठ संख्या 174 क्रम संख्या 201803053104199 पर पंजीबद्ध किया गया तथा

अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 3757 के

पृष्ठ संख्या 41 से 48 पर चस्पा किया गया ।

201801053006573

उप पंजीयक, JODHPUR-III

उप पंजीयक (तृतीय)
जोधपुर

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month.

Presentation Endorsement

आज दिनांक 17 माह 04 सन् 2018 को 11:00 AM बजे

श्री/श्रीमती/सुश्री SUNPRIME HOME INFRA LLP TH PARTNER

RAGHAV RATHI पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री S/O INDER MAL RATHI

उम्र 30 वर्ष, जाति MAHESWARI , व्यवसाय Business

निवासी House No.:5, Colony: GANPATI NAGAR, Area: PRATAP NAGAR, City: JODHPUR, Pin code: 342001, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN

ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया ।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता

201801053006571

हस्ताक्षर उप पंजीयक,
JODHPUR-II

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose). If the lease deed is presented for registration within two month.

Fees Receipt Endorsement

रसीद नं.	201802053006201
दिनांक	17-04-2018
पंजीयन शुल्क ₹	341
प्रतिलिपि शुल्क ₹	0
पृष्ठांकन शुल्क ₹	200
अन्य शुल्क ₹	0
कमी स्टाम्प शुल्क ₹	1702
कमी सरचार्ज शुल्क ₹	340
कुल योग	2583

201801053006571

उप पंजीयक,
JODHPUR-II

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose). If the lease deed is presented for registration within two month.

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : JODHPUR-III

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 8 (Rule 75 & 131) Print Date : 17-01-2018 11:07 AM

Fee Receipt No	:	2018020630005203	Receipt Date	:	17/01/2018
Name	:	SUNPRIME HOME INFRA LLP TH PARTNER RAGHAV RATHI,	Document S. No	:	2018010530065/3
Address	:	5 ,GANPATI NAGAR ,JODHPUR ,JODHPUR			
Document Type	:	Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent			
Face Value	:	₹ 6510	Evaluated Value	:	₹ 455000
Ord-Registration Fee	:	₹ 341	Fee for Memorandum Us_64_67	:	₹
CSI	:	₹ 200	Certified copying fees Us_57	:	₹ 0
Stamp (Memorandum)	:	₹	Reg (memorandum)	:	₹
Surcharge	:	₹ 340	Stamp Duty	:	₹ 1703
Penalty	:	₹ 0	Inspection fee	:	₹ 0
Us_25_34	:	₹ 0	Commission	:	₹ 0
Custody	:	₹	Others	:	₹ 0
			Cash Amount Received	:	₹ 0
			Other than Cash	:	₹ 2583
			Total Amount	:	₹ 2583

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)
e-Gras Challan 2238145O # 2583

Signature of presenter or applicant for copy or Search certificate

Cashier

Signature of recipient and date of return receipt

SUB-REGISTRAR

उप पंजीयक (तृतीय
जोधपुर

क्रमांक : 2848

मूल्य : 100/-







जोधपुर विकास प्राधिकरण

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

5033
13/11/19

पट्टा विलेख

यह विलेख आज वर्ष ..... के माह ..... के ..... वे दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री स्वन प्रॉपर्टीज होम इन्फ्रा एल.एल.पी., 1&3 जे.डी.ए. कॉम्प्लेक्स प्रथम मंजिल, जलदोग सर्कल के पास, जोधपुर जीएसटी पार्टनर राघव राठी जाति ब्राह्मण व्यवसाय व्यापार निवासी 65, उद्योगपति नगर, जोधपुर (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुन्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना स्वन-सभूहि राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 300/3 क्षेत्रफल 80.00 में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात :–

1. लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय–समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रेल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप–नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रूपये 6400/- अंके छह हजार चार सौ मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक वार्षिय नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
2. एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दावी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
3. पट्टे की अवधि :– पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगें।
4. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
5. इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम–26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावें, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
6. लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप–पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तें और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप–पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप–पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप–पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
7. उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।
8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू–राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
9. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्व्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के

(कृ.प.उ.)

Sunprime Home Infra LLP

Partner.

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहृत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट देवें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : .....
राजस्व ग्राम : पाल
खसरा नम्बर : 388/3
योजना का नाम श्याम सृष्टि
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
16'x45' = 80.00

सीमा पूर्व प्लॉट नं० 46 सीमा पश्चिम रोड 30 FT
सीमा उत्तर अन्य भूमि सीमा दक्षिण प्लॉट नं० 38 मानचित्र संलग्न है।
भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो 37

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 ..... माह के 13/7/18 वें दिन
श्री राकेश शर्मा (I.A.S)
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

उपायुक्त (दक्षिण) पक्ष
(सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर व मोहर)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

साक्षी :-

1. नाम .....
पिता/पति का नाम L.D.C
व्यवसाय J.D.A
निवास स्थान .....

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम .....
पिता/पति का नाम .....
व्यवसाय .....
निवास स्थान .....

साक्षी के हस्ताक्षर

कार्यालय उप प्रशासक (द्वितीय) जोधपुर

आज दिनांक ..... सन् 20 ..... के माह ..... के .....
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री .....
लीजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये गये।

Sunprime Home Infra LLP
Partner.
लीजधारक -द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

1. नाम अनुपाल अग्रवाल
पिता/पति का नाम सत्यनारायण अग्रवाल
व्यवसाय व्यापार
निवास स्थान सरदारपुरा जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम पुरखाराम मेघवाल
पिता/पति का नाम रवीयाराम
व्यवसाय कृषि
निवास स्थान पाल गाँव जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

" J.D.A. "

SITE PLAN FOR LEASE DEED FOR PLOT NO.37

KHASARA NO. 300/ 3 VILLAGE PAL AT JODHPUR

PLOT SIZE 16'X45 AREA = 80.00 SQYDS.

Scale :-1"30'

ROAD 30 FT WIDE

Other Land	P-46	P-45	P-44	P-43	P-42
Other Land	P-37 (16' x 45')	P-38	P-39	P-40	P-41

ROAD 30 FT WIDE

ROAD 30 FT WIDE

P-8

P-9

P-10

उप नगर नियोजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

उपायुक्त (नगर)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

Sunprime Home Infra LLP

Partner.

Registration Endorsement

आज दिनांक 17/04/2018 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 940 में
पृष्ठ संख्या 158 क्रम संख्या 201803053104163 पर पंजीबद्ध किया गया तथा
अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 3756 के
पृष्ठ संख्या 379 से 386 पर चस्पा किया गया ।

201801053006575

उप पंजीयक, JODHPUR (तृतीय)

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish leasehold under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, institutional, industries, tourism purpose). If the lease deed is presented for registration within two month.

कार्यालय उप पंजीयक (तृतीय)
जोधपुर

Endorsement of Execution

अनु क्र.	पक्षकारों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	पक्षकारों का प्रकार
1	श्री/श्रीमती/सुश्री COMMISSIONER , पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री COMMISSIONER, व्यवसाय जाति Jodhpur Development Authority			Executant Age : 0 Signature :
2	श्री/श्रीमती/सुश्री SUNPRIME HOME INFRA LLP TH PARTNER RAGHAV RATHI, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री S/O INDER MAL RATHI, व्यवसाय Businessजाति MAHESWARI House No.:5, Colony: GANPATI NAGAR, Area: PRATAP NAGAR, City: JODHPUR, Pin code: 342001, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN			Claimant Age : 30 Signature :

मे लेखपत्र Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month. को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया ।

प्रतिफल राशि रु 8510/- पूर्व में / मेरे समक्ष / मे से रु 8510/- पूर्व मे ——— से मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया ।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान निम्न व्यक्तियों ने की है , जिनके हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान मेरे समक्ष लिए गए हैं।

अनु क्र.	गवाही का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	हस्ताक्षर
1	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री RAMESH KUMAWAT, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री ADVOCATE जाति KUMAWAT Age: 37 Add: House No.:00, Colony: RHC, Area: RHC, City: JODHPUR, Pin code: 342006, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN			Signature

उप पंजीयक, JODHPUR(I)

201801053006575

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month.

Under 54 Endorsement

धारा 54 के तहत प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि इस लेख पत्र की लागियत रु 453800 मानते हुए इस पर देय कमी मुद्रांक राशि रु 1702 पर कमी पंजीयन शुल्क रु 341, सरचार्ज राशि 340 कुल रु 2383 रसीद संख्या 201802053006203 दिनांक 17-04-2018 में जमा किये गये है।

अतः दस्तावेज को रु 1702 के मुद्रांकों पर लिख्यादित माना जाता है।

201801053006575

उप पंजीयक, JODHPUR-II

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, institutional, industrial, tourism purpose), if the lease deed is presented for registration within two month.

उप पंजीयक (तृतीय)
जोधपुर

Registration Endorsement

आज दिनांक 17/04/2018 को

पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 940 में

पृष्ठ संख्या 158 क्रम संख्या 201803053104183 पर पंजीबद्व किया गया तथा

अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 3756 के

पृष्ठ संख्या 379 से 386 पर चस्पा किया गया ।

201801053006575

उप पंजीयक, JODHPUR-II

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, institutional, industrial, tourism purpose), if the lease deed is presented for registration within two month.

उप पंजीयक (तृतीय)
जोधपुर

Presentation Endorsement

आज दिनांक 17 माह 04 सन् 2018 को 11:02 AM बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री SUNPRIME HOME INFRA LLP TH PARTNER
RAGHAV RATHI पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री S/O INDER MAL RATHI
उम्र 30 वर्ष, जाति MAHESWARI , व्यवसाय Business
निवासी House No.:5, Colony: GANPATI NAGAR, Area: PRATAP NAGAR, City: JODHPUR, Pin code: 342001, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया ।

हस्ताक्षर उप पंजीयक,
JODHPUR-III

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता
201801053006573

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose) and the lease deed is presented for registration within two month.

Fees Receipt Endorsement

रसीद नं.	201802053006202
दिनांक	17-04-2018
पंजीयन शुल्क ₹	341
प्रतिलिपि शुल्क ₹	0
पृष्ठांकन शुल्क ₹	200
अन्य शुल्क ₹	0
कमी स्टाम्प शुल्क ₹	1702
कमी सरचार्ज शुल्क ₹	340
कुल योग	2583

201801053006573

उप पंजीयक,
JODHPUR-III

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose) and the lease deed is presented for registration within two month.

कार्यालय उप पंजीयक (तृतीय) जोधपुर

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : JODHPUR-III

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 17-04-2018 8:39 PM

Fee Receipt No	: 201802053006212	Receipt Date	:	17/04/2018	
Name	: SUNPRIME HOME INFRA LLP TI PARTNER RAGHAV RATHI,	Document S. No.	:	201801053006574	
Address	: 5 ,GANPATI NAGAR ,JODHPUR ,JODHPUR				
Document Type	: Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent				
Face Value	: ₹ 8510	Evaluated Value	:	₹ 452800	
Ord-Registration Fee	: ₹ 341	Fee for Memorandum Us_64_67	:	₹	
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	:	₹ 0	
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	:	₹	
Surcharge	: ₹ 340	Stamp Duty	:	₹ 1702	
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	:	₹ 0	
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	:	₹ 0	
Custody	: ₹	Others	:	₹ 0	
		Cash Amount Received	:	₹ 0	
		Other than Cash	:	₹ 2583	
		Total Amount	:	₹ 2583	

Mode of Payment (#Mode Number Amount: ₹)
e-Gras Challan 22381522 ₹ 2583

Signature of presenter or applicant for copy or Search certificate

Cashier

Signature of recipient and date of return receipt

SUB-REGISTRAR
उप पंजीयक (तृतीय)
जोधपुर

(38)

क्रमांक : 2849 मूल्य : 100/-



जोधपुर विकास प्राधिकरण





जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

5024
13/7/18

पट्टा विलेख

यह विलेख आज वर्ष ..... के माह ..... के ..... वे दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हे इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री सन प्राईम होम इन्फ्रा प्रा. लि., 103 पे.डी. आरकेड प्रथम मंजिल, जलदोग सर्कल के पास, जोधपुर जरिए पार्टनर राघव शर्मा ..... जाति ओसवाल ..... व्यवसाय व्यापार ..... निवासी 05, अजयपति नगर, जोधपुर ..... (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुन्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना ..... राजस्व ग्राम ..... के खसरा संख्या 390/3 ..... क्षेत्रफल 20.00 ..... में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित समस्त व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात :-

1. लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये 6400/- अंके छह हजार चार सौ ..... मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक वार्षिय नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
2. एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
3. पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगें।
4. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय ..... प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
5. इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावें, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
6. लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तें और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
7. उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गगीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी: परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।
8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
9. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दृष्टिसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्व्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के

(कृ.प.ठ.)

Partner.

नियंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहृत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की चुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10.- इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ.सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट देवें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : .....
राजस्व ग्राम : पाल
खसरा नम्बर : 300/3
योजना का नाम सन समृद्धि
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर 16 x 45 = 80.00

सीमा पूर्व प्लॉट नं० 45 सीमा पश्चिम रोड 30 FT
सीमा उत्तर प्लॉट नं० 37 सीमा दक्षिण प्लॉट नं० 39 मानचित्र संलग्न है।
भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो 38

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 ..... माह के 13/4/18 वें दिन
श्री राकेश शर्मा (K FIS)
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

नगर विकास प्रथम पक्ष
उपायुक्त (दक्षिण)
(सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

साक्षी :-

1. नाम .....
पिता/पति का नाम LDC
व्यवसाय JVVN
निवास स्थान .....

..... साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम .....
पिता/पति का नाम .....
व्यवसाय .....
निवास स्थान .....

..... साक्षी के हस्ताक्षर

Sunprime Home Infra LLP
Partner
लीजधारक - द्वितीय पक्ष

आज दिनांक ..... सन् 20 ..... के माह ..... के .....
दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री .....
लीजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये गये।

साक्षी :-

1. नाम सुशील अग्रवाल
पिता/पति का नाम सत्यनारायण अग्रवाल
व्यवसाय व्यापार
निवास स्थान सरदारपुरा जोधपुर

..... साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम पुरखाराम सेवाणी
पिता/पति का नाम रखीयाराम
व्यवसाय कृषि
निवास स्थान पाल गाँव जोधपुर

..... साक्षी के हस्ताक्षर

" J.D.A. "

SITE PLAN FOR LEASE DEED FOR PLOT NO.38

KHASARA NO. 300/ 3 VILLAGE PAL AT JODHPUR

PLOT SIZE 16'X45 AREA = 80.00 SQYDS.

Scale :-1"30'



ROAD 30 FT WIDE

Other Land	P-46	P-45	P-44	P-43	P-42
Other Land	P-37	P-38 (16' × 45')	P-39	P-40	P-41

ROAD 30 FT WIDE

ROAD 30 FT WIDE

P-8

P-9

P-10

उप नगर नियोजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

उपायुक्त (दक्षिण)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

Sunprime Home Infra LLP

Partner.

Registration Endorsement

आज दिनांक 17/04/2018 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 940 में
पृष्ठ संख्या 148 क्रम संख्या 201803053104173 पर पंजीबद्ध किया गया तथा
अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 3756 के
पृष्ठ संख्या 299 से 306 पर चस्पा किया गया ।

201801053006574

उप पंजीयक, JODHPUR III

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, institutional, industrial-tourism-warehouse). If the lease deed is presented for registration within two month.

कार्यालय उप पंजीयक (तृतीय)
जोधपुर

Endorsement of Execution

अनु क्र.	पक्षकारों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	पक्षकारों का प्रकार
1	श्री/श्रीमती/सुश्री COMMISSIONER , पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री COMMISSIONER, व्यवसाय जाति Jodhpur Development Authority	[x]	[x]	Executant Age : 0 Signature :
2	श्री/श्रीमती/सुश्री SUNPRIME HOME INFRA LLP TH PARTNER RAGHAV RATHI, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री S/O INDER MAL RATHI, व्यवसाय Businessजाति MAHESWARI House No.:5, Colony: GANPATI NAGAR, Area: PRATAP NAGAR, City: JODHPUR, Pin code: 342001, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN			Claimant Age : 30 Signature :

ने लेखपत्र Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, institutional, industries, tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month. को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया ।

प्रतिफल राशि रु 8510/- पूर्व में / मेरे समक्ष / में से रु 8510/- पूर्व में ---------- से मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया ।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान निम्न व्यक्तियों ने की है , जिनके हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान मेरे समक्ष लिए गए हैं।

अनु क्र.	गवाही का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	हस्ताक्षर
1	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री RAMESH KUMAWAT, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री ADVOCATE जाति KUMAWAT Age: 37 Add: House No.:00, Colony: RHC, Area: RHC, City: JODHPUR, Pin code: 342006, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN			Signature

201801053006574

उप पंजीयक, JODHPUR-III

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, institutional, industries, tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month.

Under 54 Endorsement

धारा 54 के तहत प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि इस लेख पत्र की स्टाम्प रु 453600 मानते हुए इस पर देय कमी मुद्राक राशि रु 1702 पर कमी पंजीयन शुल्क रु 341, सरचार्ज राशि 340 कुल रु 2383 रसीद संख्या 201802053006212 दिनांक 17-04-2018 में जमा किये गये है।

अतः दस्तावेज को रु 1702 के मुद्रांकों पर निष्पादित माना जाता है।

201801053006574

उप पंजीयक, JODHPUR-III

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose), if the lease deed is presented for registration within two month.

Registration Endorsement

आज दिनांक 17/04/2018 को

पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 940 में

पृष्ठ संख्या 148 क्रम संख्या 201803053104173 पर पंजीबद्ध किया गया तथा

अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 3756 के

पृष्ठ संख्या 299 से 308 पर चस्पा किया गया ।

201801053006574

उप पंजीयक, JODHPUR-III

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose), if the lease deed is presented for registration within two month.

Presentation Endorsement

आज दिनांक 17 माह 04 सन् 2018 को 11:03 AM बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री SUNPRIME HOME INFRA LLP TH PARTNER
RAGHAV RATHI पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री S/O INDER MAL RATHI
उम्र 30 वर्ष, जाति MAHESWARI , व्यवसाय Business
निवासी House No.:5, Colony: GANPATI NAGAR, Area: PRATAP NAGAR, City: JODHPUR, Pin code: 342001, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया ।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता
201801053006574

हस्ताक्षर उप पंजीयक, JODHPUR-III (तृतीय) जोधपुर

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month.

Fees Receipt Endorsement

रसीद नं.	201802053006212
दिनांक	17-04-2018
पंजीयन शुल्क ₹	341
प्रतिलिपि शुल्क ₹	0
पृष्ठांकन शुल्क ₹	200
अन्य शुल्क ₹	0
कमी स्टाम्प शुल्क ₹	1702
कमी सरचार्ज शुल्क ₹	340
कुल योग	2583

कार्यालय उप पंजीयक (तृतीय) जोधपुर

201801053006574

उप पंजीयक, JODHPUR-III (तृतीय)

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month.

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : JODHPUR-III

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 17-04-2018 11:23 AM

Fee Receipt No	: 201802063006209	Receipt Date	:	17/04/2018	
Name	: SUNPRIME HOME INFRA LLP TH PARTNER RAGHAV RATHI,	Document S. No.	:	201801053006576	
Address	: 5 ,GANPATI NAGAR ,JODHPUR ,JODHPUR				
Document Type	: Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent				
Face Value	: ₹ 8510	Evaluated Value	:	₹ 453600	
Ord-Registration Fee	: ₹ 341	Fee for Memorandum Us_64_67	:	₹	
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	:	₹ 0	
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	:	₹	
Surcharge	: ₹ 340	Stamp Duty	:	₹ 1702	
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	:	₹ 0	
Us_25_54	: ₹ 0	Commission	:	₹ 0	
Custody	: ₹	Others	:	₹ 0	
		Cash Amount Received	:	₹ 0	
		Other than Cash	:	₹ 2583	
		Total Amount	:	₹ 2583	

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)
e-Gras Challan 22381569 ₹ 2583

Signature of presenter or applicant for copy or Search certificate

Cashier

Signature of recipient and date of return receipt

SUB-REGISTRAR उपपंजीयक (तृतीय जोधपुर

(34)

क्रमांक : 2850

मूल्य : 100/-



जोधपुर विकास प्राधिकरण





जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

5035 13/11/18

पट्टा विलेख

यह विलेख आज वर्ष ..... के माह ..... के ..... वे दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री सन प्राईम होम इन्फ्रा एल एल पी, 103 जे.डी. आरकेड प्रथम मंजिल, जलजोग सर्कल के पास, जोधपुर जरिए पार्टनर राघव राही जाति शाहिश्वरी व्यवसाय व्यापार निवासी 05, प्रगति नगर, जोधपुर (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुन्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना सन-समृद्धि राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 300/3 क्षेत्रफल 80.00 में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिस पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात :-

1. लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये 6400/- अंके छः हजार चार सौ मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक वार्षिय नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
2. एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
3. पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगें।
4. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
5. इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावें, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
6. लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तें और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
7. उक्त भूखण्ड के अन्तरण को मानने में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी: परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।
8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
9. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्व्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के

(कृ.प.ठ.)

Partner.

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहृत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ.सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट देवें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : .....
राजस्व ग्राम : पाल
खसरा नम्बर : 300/3
योजना का नाम स्वन स्वप्नपूर्ति
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर 16 X 45 = 80.00

सीमा पूर्व प्लॉट नं० 44 सीमा पश्चिम रोड 30 F.t
सीमा उत्तर प्लॉट नं० 38 सीमा दक्षिण प्लॉट नं० 40 मानचित्र संलग्न है।
भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो 39

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 ..... माह के 13/4/18 वें दिन
श्री राकेश शर्मा (IAS)
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

नगर निकाय (प्रथम पक्ष)
उपायुक्त (दक्षिण)
(सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

साक्षी :-

1. नाम .....
पिता/पति का नाम L.R.C
व्यवसाय .....
निवास स्थान .....

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम .....
पिता/पति का नाम .....
व्यवसाय .....
निवास स्थान .....

साक्षी के हस्ताक्षर

Sunprime Home Infra LLP

आज दिनांक ..... सन् 20 ..... के माह ..... के ..... वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री .....
लीजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये गये।

लीजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

1. नाम रघुलाल अग्रवाल
पिता/पति का नाम सत्यनारायण अग्रवाल
व्यवसाय व्यापार
निवास स्थान सरदारपुरा जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम पुरुषोत्तम भंडारी
पिता/पति का नाम रघोत्तम
व्यवसाय कृषि
निवास स्थान पाल गाव जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

" J.D.A. "

SITE PLAN FOR LEASE DEED FOR PLOT NO.39

KHASARA NO. 300/ 3 VILLAGE PAL AT JODHPUR

PLOT SIZE 16'X45 AREA = 80.00 SQYDS.



Scale :-1"30'

ROAD 30 FT WIDE

Other Land	P-46	P-45	P-44	P-43	P-42	
Other Land	P-37	P-38	P-39 (16' × 45')	P-40	P-41	P-8 / P-9 / P-10

ROAD 30 FT WIDE

ROAD 30 FT WIDE

उप नगर नियोजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

उपायुक्त (पश्चिम)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

Sunprime Horne Infra LLP

Partner.

Registration Endorsement

आज दिनांक 17/04/2018 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 940 में
पृष्ठ संख्या 137 क्रम संख्या 201803053104162 पर पंजीबद्ध किया गया तथा
अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 3756 के
पृष्ठ संख्या 211 से 218 पर चस्पा किया गया ।

201801053006576

उप पंजीयक, JODHPUR-III

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose) if the lease deed is presented for registration within two month.

उप पंजीयक द्वितीय
जोधपुर

कार्यालय उपपंजीयक (द्वितीय)
जोधपुर

Endorsement of Execution

अनु क्र.	पक्षकारों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	पक्षकारी का प्रकार
1	श्री/श्रीमती/सुश्री COMMISSIONER , पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री COMMISSIONER, व्यवसाय जाति Jodhpur Development Authority	[x]	[x]	Executant Age : 0 Signature :
2	श्री/श्रीमती/सुश्री SUNPRIME HOME INFRA LLP TH PARTNER RAGHAV RATHI, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री S/O INDER MAL RATHI, व्यवसाय Businessजाति MAHESWARI House No.:5, Colony: GANPATI NAGAR, Area: PRATAP NAGAR, City: JODHPUR, Pin code: 342001, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN			Claimant Age : 30 Signature :

ने लेखपत्र Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month. को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया ।

प्रतिफल राशि रु 8510/- पूर्व में / मेरे समक्ष / ने दे रु 8510/- पूर्व में ———— ये मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया ।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान निम्न व्यक्तियों ने की है , जिसके हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान मेरे समक्ष लिए गए है।

अनु क्र.	गवाहों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	हस्ताक्षर
1	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री RAMESH KUMAWAT, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री ADVOCATE जाति KUMAWAT Age: 30 Add: House No.:00, Colony: RHC, Area: RHC, City: JODHPUR, Pin code: 342001, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN			Signature

उपखण्ड अधिकारी, JODHPUR-III
उपखण्ड अधिकारी (तृतीय)

201801053006576

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month.

Under 54 Endorsement

धारा 54 के तहत प्रमाण-पत्र समाणित किया जाता है कि इस लेख पत्र की स्टाम्पित रु 453600 मानते हुए इस पर देय कमी मुद्रांक राशि रु 1702 पर कमी पंजीयन शुल्क रु 341, सरचार्ज राशि 340 कुल रु 2383 रसीद संख्या 201802053006209 दिनांक 17-04-2018 में जमा किये गये है।

अतः दस्तावेज को रु 1702 के मुद्रांकों पर निष्पादित माना जाता है।

201801053006576

उप पंजीयक, JODHPUR-III

उप पंजीयक (तृतीय)

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month.

Registration Endorsement

आज दिनांक 17/04/2018 को

पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 940 में

पृष्ठ संख्या 137 क्रम संख्या 201803053104162 पर पंजीबद्व किया गया तथा

अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 3756 के

पृष्ठ संख्या 211 से 218 पर चस्पा किया गया ।

201801053006576

उप पंजीयक, JODHPUR-III

उप पंजीयक (तृतीय)

जोधपुर

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month.

Presentation Endorsement

आज दिनांक 17 माह 04 सन् 2018 को 11:07 AM बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री SUNPRIME HOME INFRA LLP TH PARTNER
RAGHAV RATHI पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री S/O INDER MAL RATHI
उम्र 30 वर्ष, जाति MAHESWARI , व्यवसाय Business
निवासी House No.:5, Colony: GANPATI NAGAR, Area: PRATAP NAGAR, City: JODHPUR, Pin code: 342001, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया ।

हस्ताक्षरी अनुबंधकर्ता
201801053006576

इस्ताक्षर उप पंजीयक,
JODHPUR-III

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose) if the lease deed is presented for registration within two month.

Fees Receipt Endorsement

रसीद नं.	201802053006209
दिनांक	17-04-2018
पंजीयन शुल्क ₹	341
प्रतिलिपि शुल्क ₹	0
पृष्ठांकन शुल्क ₹	200
अन्य शुल्क ₹	0
कमी स्टाम्प शुल्क ₹	1702
कमी सरचार्ज शुल्क ₹	340
कुल योग	2583

201801053006576

उप पंजीयक,
JODHPUR-III

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose) if the lease deed is presented for registration within two month.

(40)

क्रमांक : 2851

मूल्य : 100/-



जोधपुर विकास प्राधिकरण







जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

5036
13/4/18

पट्टा विलेख

यह विलेख आज वर्ष ..... के माह ..... के ..... वे दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री सन प्रॉपर्टीज होम इन्फ्रा एल.एल.पी. 10ब, जे.डी.ए. मार्केट, प्रताप नगर, जलदाय सर्कल के पास, जोधपुर जरिए पार्टनर राघव राठी

जाति माहेश्वरी

व्यवसाय व्यापार निवासी 65, राजपति नगर, जोधपुर (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इकरार में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुन्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना सन- समृद्धि राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या ..... क्षेत्रफल 80.00 में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग से दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात :-

1. लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रूपये 61.00/- अंके चौ. इकसठ सौ मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक वार्षिक नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
2. एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दावी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
3. पट्टे की अवधि :- पट्टाभूमि-अधिकार 99 वर्ष के लिए होगें।
4. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
5. इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावे, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
6. लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तें और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
7. उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी : परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।
8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति पश्चादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
9. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख किसी तथ्य या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्व्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है तो आवंटन या पट्टा विलेख के

(कृ.प.उ.)

Partner.

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहृत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ.सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट देवें।

परिशिष्ट

कस्बे का ग्राम : .....
राजस्व ग्राम : पाल
खसरा नम्बर : 300/3
योजना का नाम सन -सप्तऋषि
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर 16×45 = 80.00

सीमा पूर्व प्लॉट नं० 43 सीमा पश्चिम रोड 30 ft
सीमा उत्तर प्लॉट नं० 39 सीमा दक्षिण प्लॉट नं० 41 मानचित्र संलग्न है।
भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो 40

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 ..... माह के 13/4/18 वें दिन
श्री राकेश शर्मा (R.A.S.)
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

नगर निकाय (दक्षिण) के
(सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर)
उपायुक्त
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

साक्षी :-

1. नाम .....
पिता/पति का नाम LDC
व्यवसाय JDA
निवास स्थान .....

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम .....
पिता/पति का नाम .....
व्यवसाय .....
निवास स्थान .....

साक्षी के हस्ताक्षर

Sunprime Home Infra LLP

आज दिनांक ..... सन् 20 ..... के माह ..... के .....
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री .....
लीजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये गये।

Partner
लीजधारक -द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

1. नाम रघुवीर अग्रवाल
पिता/पति का नाम सत्यनारायण अग्रवाल
व्यवसाय व्यापार
निवास स्थान सरदारपुरा जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम पुरखाराम मेघवाल
पिता/पति का नाम रूपाराम
व्यवसाय कृषि
निवास स्थान पाल गाव जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

" J.D.A. "

SITE PLAN FOR LEASE DEED FOR PLOT NO.40

KHASARA NO. 300/ 3 VILLAGE PAL AT JODHPUR

PLOT SIZE 16'X45 AREA = 80.00 SQYDS.



Scale :-1"30'

ROAD 30 FT WIDE

Other Land	P-46	P-45	P-44	P-43	P-42	P-8
Other Land	P-37	P-38	P-39	P-40 (16' × 45')	P-41	P-9
						P-10

ROAD 30 FT WIDE

ROAD 30 FT WIDE

उपायुक्त (दक्षिण)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

उप नगर नियोजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

Sunprime Home Infra LLP

Partner.

Registration Endorsement

आज दिनांक 17/04/2018 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 940 में
पृष्ठ संख्या 138 क्रम संख्या 201803053104163 पर पंजीबद्ध किया गया तथा
अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 3756 के
पृष्ठ संख्या 219 से 226 पर चस्पा किया गया ।

201801053006577

उप पंजीयक, JODHPUR-III

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish [illegible] Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industrial, Tourism purpose), if the lease deed is presented for registration within two month.

उप पंजीयक (प्रथम)
जोधपुर

Endorsement of Execution

अनु क्र.	पक्षकारों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	पक्षकारों का प्रकार
1	श्री/श्रीमती/सुश्री COMMISSIONER , पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री COMMISSIONER, व्यवसाय जाति Jodhpur Development Authority	[x]	[x]	Executant Age : 0 Signature :
2	श्री/श्रीमती/सुश्री SUNPRIME HOME INFRA LLP TH PARTNER RAGHAV RATHI, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री S/O INDER MAL RATHI, व्यवसाय Businessजाति MAHESWARI House No.:5, Colony: GANPATI NAGAR, Area: PRATAP NAGAR, City: JODHPUR, Pin code: 342001, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN			Claimant Age : 30 Signature :

ने लेडयपत्र Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया ।

प्रतिफल राशि रू 8510/- पूर्व में / मेरे समक्ष / में से = 8510/- पूर्व में ———— से मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया ।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान निम्न व्यक्तियों ने की है , जिनके हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान मेरे समक्ष लिए गए है।

अनु क्र.	गवाहों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	हस्ताक्षर
1	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री RAMESH KUMAWAT, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री ADVOCATE जाति KUMAWAT Age: 30 Add: House No.:00, Colony: RHC, Area: RHC, City: JODHPUR, Pin code: 342006, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN			Signature

201801053006577

उप पंजीयक, JODHPUR-III

उप पंजीयक (तृतीय

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month.

Under 54 Endorsement

धारा 54 के तहत प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि इस लेख पत्र की लागिस्त रु 453600 मानते हुए इस पर देय कमी मुद्रांक राशि रु 1702 पर कमी पंजीयन शुल्क रु 341, सरचार्ज राशि 340 कुल रु 2383 रसीद संख्या 201802053006207 दिनांक 17-04-2018 में जमा किये गये है।

अतः दस्तावेज को रु 1702 के मुद्रांकों पर निष्पादित माना जाता है।

201801053006577

उप पंजीयक, JODHPUR-III

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose), if the lease deed is presented for registration within two month.

उप पंजीयक (द्वितीय)
जोधपुर

Registration Endorsement

आज दिनांक 17/04/2018 को

पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 940 में

पृष्ठ संख्या 138 क्रम संख्या 201803053104163 पर पंजीबद्ध किया गया तथा

अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 3756 के

पृष्ठ संख्या 219 से 226 पर चस्पा किया गया ।

201801053006577

उप पंजीयक, JODHPUR-III

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose), if the lease deed is presented for registration within two month.

उप पंजीयक (द्वितीय)
जोधपुर

Presentation Endorsement

आज दिनांक 17 माह 04 सन् 2018 को 11:09 AM बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री SUNPRIME HOME INFRA LLP TH PARTNER
RAGHAV RATHI पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री S/O INDER MAL RATHI
उम्र 30 वर्ष, जाति MAHESWARI , व्यवसाय Business
निवासी House No.:5, Colony: GANPATI NAGAR, Area: PRATAP NAGAR, City: JODHPUR, Pin code: 342001, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया ।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता

उप पंजीयक,
JODHPUR-III

201801053006577

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month.

Fees Receipt Endorsement

रसीद नं.	201802053006207
दिनांक	17-04-2018
पंजीयन शुल्क ₹	341
प्रतिलिपि शुल्क ₹	0
पृष्ठांकन शुल्क ₹	200
अन्य शुल्क ₹	0
कमी स्टाम्प शुल्क ₹	1702
कमी सरचार्ज शुल्क ₹	340
कुल योग	2583

201801053006577

उप पंजीयक,
JODHPUR-III

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month.

140

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : JODHPUR-III

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 17-04-2018 11:22 AM

Fee Receipt No	: 20180205306207	Receipt Date	: 17/04/2018
Name	: SUNPRIME HOME INFRA LLP TH PARTNER RAGHAV RATHI,	Document S. No.	: 201801053006577
Address	: 5 ,GANPATI NAGAR ,JODHPUR ,JODHPUR		
Document Type	: Lease granted for a line or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	: ₹ 8510	Evaluated Value	: ₹ 453600
Ord-Registration Fee	: ₹ 341	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 340	Stamp Duty	: ₹ 1702
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 2583
		Total Amount	: ₹ 2583

Mode of Payment (If Mode Number Amount #)
E-Gras Challan 222881606 ₹ 2583

Signature of presenter or applicant for copy or Search certificate

Signature of recipient and date of return receipt

Cashier

SUB-REGISTRAR

उपपंजीयक (तृतीय
जोधपुर

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : JODHPUR-III

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 17-04-2018 11:14 AM

Fee Receipt No	:	2018020530062C5	Receipt Date	:	17/04/2018
Name	:	SUNPRIME HOME INFRA LLP TH PARTNER RAGHAV RATHI,	Document S. No.	:	2018010530006578
Address	:	05 ,PRATAP NAGAR ,J ,JODHPUR			
Document Type	:	Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent			
Face Value	:	₹ 8510	Evaluated Value	:	₹ 458360
Ord-Registration Fee	:	₹ 341	Fee for Memorandum Us_64_67	:	₹
CSI	:	₹ 200	Certified copying fees Us_57	:	₹ 0
Stamp (Memorandum)	:	₹	Reg (memorandum)	:	₹
Surcharge	:	₹ 340	Stamp Duty	:	₹ 1702
Penalty	:	₹ 0	Inspection fee	:	₹ 0
Us_25_34	:	₹ 0	Commission	:	₹ 0
Custody	:	₹	Others	:	₹ 0
			Cash Amount Received	:	**₹ 0**
			Other than Cash	:	**₹ 2583**
			Total Amount	:	**₹ 2583**

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)
e-Gras Challan 22381672 ₹ 2583

Signature of presenter or applicant for copy or Search certificate

Cashier

Signature of recipient and date of return receipt

SUB-REGISTRAR

मुख्य पंजीयक (तृतीय
जोधपुर

(41)

क्रमांक : 2852

मूल्य : 100/-



जोधपुर विकास प्राधिकरण





जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

5037
13/4/18

पट्टा विलेख

यह विलेख आज वर्ष ..... के माह ..... के ..... वे दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री सन प्राईम होम इन्फ्रा एल.एल.पी. 103 जे.डी. आरकेड प्रथम मंजिल, जसवन्त सर्कल के पास, जोधपुर अधि. पार्टनर राघव राठी ..... जाति माहेश्वरी ..... व्यवसाय व्यापार ..... निवासी 68, गणपति नगर, जोधपुर ..... (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुन्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना ..... सन - सधुचि ..... राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 300/3 क्षेत्रफल 80.00 में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात :-

1. लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जनावन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये 7040/- अंके सात हजार चालीस ..... मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक वार्षिय नगरीय निर्धारण (शहरी जनावन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
2. एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
3. पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगें।
4. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय ..... प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
5. इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावे, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
6. लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तें और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
7. उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी : परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।
8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति पश्चादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
9. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख किसी दुरभिसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्व्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है, तो आवंटन या पट्टा विलेख के

(कृ.प.उ.)

Partner.

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहृत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ.सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट देवें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : .....
राजस्व ग्राम : पाल
खसरा नम्बर : 300/3
सुविधा का नाम रोड-स्ट्रीट
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर 16 X 45 = 80.00

सीमा पूर्व प्लॉट नं० 42 सीमा पश्चिम रोड 30 Ft
सीमा उत्तर प्लॉट नं० 40 सीमा दक्षिण रोड 30 FT मानचित्र संलग्न है।
भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो 41

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 ..... माह के 13/4/18 वें दिन
श्री राकेश शर्मा (RAJ)
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

नगर निकाय
उपायुक्त (दक्षिण)
(सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं सील)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

साक्षी :-

1. नाम .....
पिता/पति का नाम .....
व्यवसाय .....
निवास स्थान .....

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम .....
पिता/पति का नाम .....
व्यवसाय .....
निवास स्थान .....

साक्षी के हस्ताक्षर

Sunprime Home Infra LLP
Partner.
लीजधारक -द्वितीय पक्ष

आज दिनांक ..... सन् 20 ..... के माह ..... के .....
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री .....
लीजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये गये।

साक्षी :-

1. नाम रघुलाल अग्रवाल
पिता/पति का नाम सत्यनारायण अग्रवाल
व्यवसाय व्यापार
निवास स्थान सरदारपुरा जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम पुरखाराम मेघवाल
पिता/पति का नाम रूपाराम
व्यवसाय कृषि
निवास स्थान पाल गांव जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

" J.D.A. "

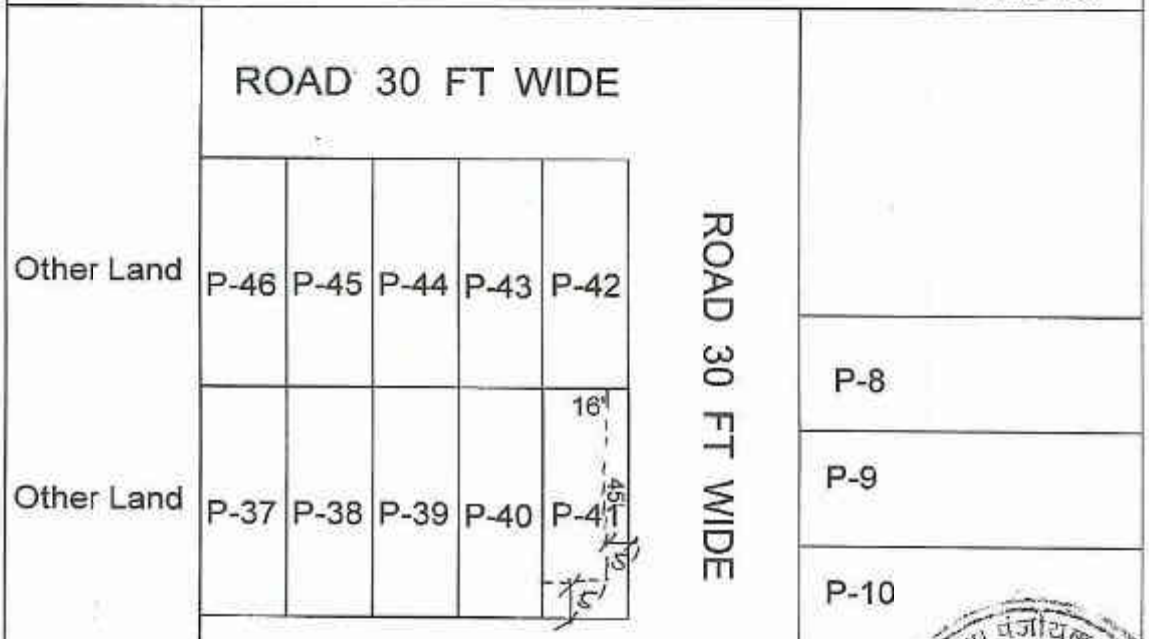
SITE PLAN FOR LEASE DEED FOR PLOT NO.41

KHASARA NO. 300/ 3 VILLAGE PAL AT JODHPUR

PLOT SIZE 16'X45 AREA = 80.00 SQYDS.

Scale :-1"30'





उप नगर नियोजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

उपायुक्त (दक्षिण)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

Sunprime Home Infra LLP

Partner.

Registration Endorsement

आज दिनांक 17/04/2018 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 940 में
पृष्ठ संख्या 136 क्रम संख्या 201803053104161 पर पंजीबद्ध किया गया तथा
अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 3756 के
पृष्ठ संख्या 203 से 210 पर चस्पा किया गया ।

201801053006578

उप पंजीयक, JODHPUR-III

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries) situation purpose. If the lease deed is presented for registration within two month.

उप पंजीयक (तृतीय)
जोधपुर



Endorsement of Execution

अनु क्र.	पक्षकारों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	पक्षकारों का प्रकार
1	श्री/श्रीमती/सुश्री COMMISSIONER , पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री COMMISSIONER, व्यवसाय जाति Jodhpur Development Authority	[x]	[x]	Executant Age : 0 Signature :
2	श्री/श्रीमती/सुश्री SUNPRIME HOME INFRA LLP TH PARTNER RAGHAV RATHI, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री S/O INDER MAL RATHI, व्यवसाय Businessजाति MAHESWARI House No.:05, Colony: PRATAP NAGAR , Area: GANPATI NAGAR EXT, City: J, Pin code: 342001, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN			Claimant Age : 30 Signature :

ने लेखपत्र Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose) If the lease deed is presented for registration within two month. को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया ।

प्रतिफल राशि रु 8510/- पूर्व में / मेरे समक्ष / में से रु 8510/- पूर्व में ———— से मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया ।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान निम्न व्यक्तियों ने की है , जिनके हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान मेरे समक्ष लिए गए हैं।

अनु क्र.	गवाहों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	हस्ताक्षर
1	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री RAMESH KUMAWAT, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री MOHAN LAL KUMAWAT जाति KUMHAR Age: 37 Add: House No.:00, Colony: RHC, Area: RHC, City: JODHPUR, Pin code: 342001, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN			Signature

201801053006578

उप पंजीयक, JODHPUR-III

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose). If the lease deed is presented for registration within two month.

Under 54 Endorsement

धारा 54 के तहत प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि इस लेख पत्र की लागियत रु 498960 मानते हुए इस पर देय कमी मुद्रांक राशि रु 1702 पर कमी पंजीयन शुल्क रु 341, सरचार्ज राशि 340 कुल रु 2383 रसीद संख्या 201802053006205 दिनांक 17-04-2018 में जमा किये गये हैं।

अतः दस्तावेज को रु 1702 के मुद्रांकों पर निष्पादित माना जाता है।

201801053006578

उप पंजीयक, JODHPUR-III

उप पंजीयक (तृतीय)

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose), if the lease deed is presented for registration within two month.

Registration Endorsement

आज दिनांक 17/04/2018 को

पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 940 में

पृष्ठ संख्या 136 क्रम संख्या 201803053104161 पर पंजीबद्ध किया गया तथा

अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 3756 के

पृष्ठ संख्या 203 से 210 पर चस्पा किया गया ।

201801053006578

उप पंजीयक, JODHPUR-III

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose), if the lease deed is presented for registration within two month.

उप पंजीयक (तृतीय)
जोधपुर

Presentation Endorsement

आज दिनांक 17 माह 04 सन् 2018 को 11:11 AM बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री SUNPRIME HOME INFRA LLP TH PARTNER
RAGHAV RATHI पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री S/O INDER MAL RATHI
उम्र 30 वर्ष, जाति MAHESWARI , व्यवसाय Business
निवासी House No.:05, Colony: PRATAP NAGAR , Area: GANPATI NAGAR EXT, City: J, Pin code: 342001, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया ।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता
201801053006578

हस्ताक्षर उप पंजीयक,
JODHPUR-III

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose) of the lease deed is presented for registration within two month.

Fees Receipt Endorsement

रसीद नं.	201802053006205
दिनांक	17-04-2018
पंजीयन शुल्क ₹	341
प्रतिलिपि शुल्क ₹	0
पृष्ठांकन शुल्क ₹	200
अन्य शुल्क ₹	0
कमी स्टाम्प शुल्क ₹	1702
कमी सरचार्ज शुल्क ₹	340
कुल योग	2583

201801053006578

उप पंजीयक,
JODHPUR-III

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose) of the lease deed is presented for registration within two month.

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : JODHPUR-III

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 17-04-2018 8:42 PM

Fee Receipt No	: 2018020530006206	Receipt Date	: 17/04/2018
Name	: SUNPRIME HOME INFRA LLP TH PARTNER RAGHAV RATHI,	Document S. No.	: 2018010530008570
Address	: 05 ,PRATAP NAGAR ,JODHPUR ,JODHPUR		
Document Type	: Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	: ₹ 8510	Evaluated Value	: ₹ 453800

Ord-Registration Fee	: ₹ 341	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSt	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 340	Stamp Duty	: ₹ 1702
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 2583
		Other than Cash	: ₹ 2583
		Total Amount	

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)
e-Gras Challan 22383112 ₹ 2583

Signature of presenter or applicant for copy or search ceditible

Cashier

Signature of recipient and date of return receipt

उपखण्ड अधिकारी (तृतीय)
SUB-REGISTRAR
जोधपुर

क्रमांक : 2853

मूल्य : 100/-



जोधपुर विकास प्राधिकरण





जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

5038 13/11/18

यह विलेख आज वर्ष ..... के माह ..... के ..... वे दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री सन प्राईम होम इन्फ्रा एल.एल.पी., 103 जे.डी. आरकेड प्रथम मंजिल, जलदोग सर्कल के पास, जोधपुर जरिए पार्टनर राघव राठी ..... जाति माहेश्वरी ..... व्यवसाय व्यापार ..... निवासी 05, गणपति नगर, जोधपुर ..... (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुन्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का यह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना ..... सन सभृद्धि ..... राजस्व ग्राम पाल्या ..... के खसरा संख्या 300/3 ..... क्षेत्रफल 80.00 ..... में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्थामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित समस्त व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात :-

1. लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रेल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये ..... 7040/- ..... अंके सात हजार चालीस ..... केवल पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक वार्षिय नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
2. एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण को दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
3. पट्टे की अवधि :- पट्टाकृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगें।
4. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय ..... प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
5. इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावें, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
6. लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तें और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
7. उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी : परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।
8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
9. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्व्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के

(कृ.प.उ.)

Sunprime Home Infra LLP

Partner.

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहृत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ.सी. अथवा नैशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट देवें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : .....
राजस्व ग्राम : पाल
खसरा नम्बर : 300/3
योजना का नाम सन सिटी
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर 16'x45' = 80.00

सीमा पूर्व रोड 30 FT सीमा पश्चिम प्लॉट नं 41
सीमा उत्तर प्लॉट नं 43 सीमा दक्षिण रोड 30 FT मानचित्र संलग्न है।
भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो 42

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 ..... माह के 13/4/18 वें दिन
श्री राकेश शर्मा (ETMS)
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

नाम लिखाए जाने वाला पक्ष
उपायुक्त (दक्षिण)
(सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

साक्षी :-

1. नाम .....
पिता/पति का नाम L.C.
व्यवसाय D.R.
निवास स्थान .....

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम .....
पिता/पति का नाम .....
व्यवसाय .....
निवास स्थान .....

साक्षी के हस्ताक्षर

Sunprime Home Infra LLP

आज दिनांक ..... सन् 20 ..... के माह ..... के .....
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री .....
लीजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये गये।

Partner.
लीजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

1. नाम खुशाल अगरपाल
पिता/पति का नाम सत्यनारायण अगरपाल
व्यवसाय व्यापार
निवास स्थान सरदारपुरा जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम पुखराराम मेघवाल
पिता/पति का नाम खीयाराम
व्यवसाय कृषि
निवास स्थान पाल गाम जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

" J.D.A. "

SITE PLAN FOR LEASE DEED FOR PLOT NO.42

KHASARA NO. 300/ 3 VILLAGE PAL AT JODHPUR

PLOT SIZE 16'X45 AREA = 80.00 SQYDS.



Scale :-1"30'

ROAD 30 FT WIDE

Other Land	P-46	P-45	P-44	P-43	P-42	P-8
Other Land	P-37	P-38	P-39	P-40	P-41	P-9
						P-10

16'

45'

ROAD 30 FT WIDE

ROAD 30 FT WIDE

उप नगर नियोजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

उपायुक्त (दक्षिण)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

Sunprime Home Infra LLP

Partner.

Registration Endorsement

आज दिनांक 17/04/2018 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 940 में
पृष्ठ संख्या 132 क्रम संख्या 201803053104157 पर पंजीबद्ध किया गया तथा
अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 3756 के
पृष्ठ संख्या 171 से 178 पर चस्पा किया गया ।

201801053006579

उप पंजीयक (तृतीय)

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose) if the lease deed is presented for registration within two month.

Endorsement of Execution

अनु क्र.	पक्षकारों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	पक्षकारों का प्रकार
1	श्री/श्रीमती/सुश्री COMMISSIONER , पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री COMMISSIONER, व्यवसाय जाति Jodhpur Development Authority			Executant Age : 0 Signature :
2	श्री/श्रीमती/सुश्री SUNPRIME HOME INFRA LLP TH PARTNER RAGHAV RATHI, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री S/O INDER MAL RATHI, व्यवसाय Businessजाति MAHESWARI House No.:05, Colony: PRATAP NAGAR , Area: GANPATI NAGAR EXT, City: JODHPUR, Pin code: 342001, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN			Claimant Age : 30 Signature :

ने लेख्यपत्र Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month. को पढ़ सुन व समझाकर निष्पादन करना स्वीकार किया ।

प्रतिफल राशि रु 8510/- पूर्व में / मेरे समक्ष / में से रु 8510/- पूर्व में ———— ये मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया ।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान निम्न व्यक्तियों ने की है , जिनके हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान मेरे समक्ष लिए गए है।

अनु क्र.	गवाही का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	हस्ताक्षर
1	Name; श्री/श्रीमती/सुश्री RAMESH KUMAWAT, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री MOHAN LAL KUMAWAT जाति KUMHAR Age: 37 Add: House No.:00, Colony: RHC, Area: RHC, City: JODHPUR, Pin code: 342001, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN			Signature

201801053006579

उप पंजीयक, JODHPUR-III

उप पंजीयक (तृतीय

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month.

Under 54 Endorsement

धारा 54 के तहत प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि इस लेख पत्र की मालियत रु 4503600 मानते हुए इस पर देय कमी मुद्रांक राशि रु 1702 पर कमी पंजीयन शुल्क रु 341, सरचार्ज राशि 340 कुल रु 2383 रसीद संख्या 201802053006206 दिनांक 17-04-2018 में जमा किये गये हैं।

अतः दस्तावेज को रु 1702 के मुद्रांकों पर निष्पादित माना जाता है।

201801053006579

उप पंजीयक, JODHPUR-III

उप पंजीयक (तृतीय)

Lease deed issued in favour of first allotte.: for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month.

Registration Endorsement

आज दिनांक 17/04/2018 को

पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 940 में

पृष्ठ संख्या 132 क्रम संख्या 201803053104157 पर पंजीबद्ध किया गया तथा

अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 3756 के

पृष्ठ संख्या 171 से 178 पर चस्पा किया गया।

201801053006579

उप पंजीयक, JODHPUR-III

उप पंजीयक (तृतीय)

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month.

Presentation Endorsement

आज दिनांक 17 माह 04 सन् 2018 को 11:15 AM बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री SUNPRIME HOME INFRA LLP TH PARTNER
RAGHAV RATHI पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री S/O INDER MAL RATHI
उम्र 30 वर्ष, जाति MAHESWARI , व्यवसाय Business
निवासी House No.:05, Colony: PRATAP NAGAR , Area: GANPATI NAGAR EXT, City: JODHPUR, Pin code: 342001, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया ।

हस्ताक्षर उप पंजीयक,
JODHPUR-III

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता
201801053006579

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish towcaship under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month.

Fees Receipt Endorsement

रसीद नं.	201802053006206
दिनांक	17-04-2018
पंजीयन शुल्क ₹	341
प्रतिलिपि शुल्क ₹	0
पृष्ठांकन शुल्क ₹	200
अन्य शुल्क ₹	0
कमी स्टाम्प शुल्क ₹	1702
कमी सरचार्ज शुल्क ₹	340
कुल योग	2583

201801053006579

उप-पंजीयक,
JODHPUR-III

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month.

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : JODHPUR-III

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 17-04-2018 11:14 AM

Fee Receipt No	:	2018020650008204	Receipt Date	:	17/04/2018
Name	:	SUNPRIME HOME INFRA LLP TH PARTNER RAGHAV RATHI	Document S. No.	:	2018010533006548
Address	:	05 ,PRATAP NAGAR ,JODHPUR ,JODHPUR			
Document Type	:	Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent			
Face Value	:	₹ 6510	Evaluated Value	:	₹ 453600
Ord-Registration Fee	:	₹ 341	Fee for Memorandum Us_64_67	:	₹
CSI	:	₹ 200	Certified copying fees Us_67	:	₹ 0
Stamp (Memorandum)	:	₹	Reg (memorandum)	:	₹
Surcharge	:	₹ 340	Stamp Duty	:	₹ 1702
Penalty	:	₹ 0	Inspection fee	:	₹ 0
Us_25_34	:	₹ 0	Commission	:	₹ 0
Custody	:	₹	Others	:	₹ 0
			Cash Amount Received	:	₹ 0
			Other than Cash	:	₹ 2583
			Total Amount	:	₹ 2583

Mode of Payment (#Mode Number Amount)
e-Gras Challan 22383141 ₹ 2583

Signature of presenter or applicant for copy or Search certificate

Cashier

Signature of recipient and date of return receipt

SUB-REGISTRAR

उप पंजीयक (तृतीय
जोधपुर

(43)

क्रमांक : 2854 मूल्य : 100/-



जोधपुर विकास प्राधिकरण





जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

5039
13/4/18

यह विलेख आज वर्ष ..... के माह ..... के ..... वे दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री सन प्राईम होम इन्फ्रा एल एल पी; 103 जे डी आरकेड प्रथम मंजिल, अलजोन सर्कल के पास, जोधपुर जरिए पार्टनर राघव राठी

जाति माहेश्वरी

व्यवसाय व्यापार निवासी 05, शक्तिनि नगर, जोधपुर (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुन्तकिल अलेह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना सन- समृद्धि राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 300/3 क्षेत्रफल 80.00 में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आधार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात :-

1. लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये 6400/- अंके छः हजार चार सौ मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक वार्षिक नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
2. एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
3. पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगें।
4. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियममो के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
5. इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावे, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
6. लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तें और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
7. उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।
8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परावेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
9. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्व्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटी या पट्टा विलेख के

(क्र.प.उ.)

Partner.

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहृत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ.सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट देवें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : .....
राजस्व ग्राम : पाल
खसरा नम्बर : 300/3
योजना का नाम पाल-पनभूमि
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
1345 = 80.00

सीमा पूर्व रोड 30 FT सीमा पश्चिम प्लॉट नं० 40
सीमा उत्तर प्लॉट नं० 44 सीमा दक्षिण प्लॉट नं० 42 मानचित्र संलग्न है।
भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो 43

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 ..... माह के 12/4/18 वें दिन
श्री राकेश शर्मा (R.A.S)
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

नगर निकाय - प्रथम पक्ष
उपायुक्त (दक्षिण)
(सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

साक्षी :-

1. नाम .....
पिता/पति का नाम LDC
व्यवसाय JDA
निवास स्थान .....

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम .....
पिता/पति का नाम .....
व्यवसाय .....
निवास स्थान .....

साक्षी के हस्ताक्षर

Sunprime Home Infra LLP
Partner

आज दिनांक ..... सन् 20 ..... के माह ..... के .....
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री .....
लीजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये गये।

लीजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

1. नाम रघुलाल अग्रवाल
पिता/पति का नाम सत्यनारायण अग्रवाल
व्यवसाय व्यापार
निवास स्थान सरदारपुरा जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम पुरखाराम मेघवाल
पिता/पति का नाम खीयाराम
व्यवसाय कृषि
निवास स्थान पाल गाव जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

" J.D.A. "

SITE PLAN FOR LEASE DEED FOR PLOT NO.43

KHASARA NO. 300/ 3 VILLAGE PAL AT JODHPUR

PLOT SIZE 16'X45 AREA = 80.00 SQYDS.



Scale :-1"30'

ROAD 30 FT WIDE

Other Land	P-46	P-45	P-44	P-43 (16' × 45')	P-42	P-8
Other Land	P-37	P-38	P-39	P-40	P-41	P-9
						P-10

ROAD 30 FT WIDE

ROAD 30 FT WIDE

उप नगर नियोजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

उपायुक्त (दक्षिण)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

Sunprime Home Infra LLP

Partner.

Registration Endorsement

आज दिनांक 17/04/2018 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 940 में
पृष्ठ संख्या 151 क्रम संख्या 201803053104176 पर पंजीबद्व किया गया तथा
अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 3755 के
पृष्ठ संख्या 323 से 330 पर चस्पा किया गया ।

201801053006548

उप पंजीयक, JODHPUR-III

Lease deed issued in favour of first allotte , for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism) and the lease deed is presented for registration within two month.

उप पंजीयक (प्रथम)
जोधपुर

Endorsement of Execution

अनु क्र.	पक्षकारों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	पक्षकारों का प्रकार
1	श्री/श्रीमती/सुश्री COMMISSIONER , पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री COMMISSIONER, व्यवसाय जाति Jodhpur Development Authority	[×]	[×]	Executant Age : 0 Signature :
2	श्री/श्रीमती/सुश्री SUNPRIME HOME INFRA LLP TH PARTNER RAGHAV RATHI, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री S/O INDER MAL RATHI, व्यवसाय Businessजाति MAHESWARI House No.:05, Colony: PRATAP NAGAR , Area: GANPATI NAGAR EXT, City: JODHPUR, Pin code: 342001, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN			Claimant Age : 30 Signature :

ने लेख्यपत्र Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month. को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया ।

प्रतिफल राशि रु 8510/- पूर्व में / मेरे समक्ष / में से रु 8510/- पूर्व में ---------- से मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया ।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान निम्न व्यक्तियों ने की है , जिनके हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान मेरे समक्ष लिए गए है।

अनु क्र.	गवाहों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	हस्ताक्षर
1	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री RAMESH KUMAWAT, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री MOHAN LAL KUMAWAT जाति KUMHAR Age: 37 Add: House No.:00, Colony: RHC, Area: RHC, City: JODHPUR, Pin code: 342001, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN			Signature

201801053006548

उप पंजीयक, JODHPUR-III

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month.

Under 54 Endorsement

धारा 54 के तहत प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि इस लेख पत्र की लागियत रु 453600 मानते हुए इस पर देय कमी मुद्रांक राशि रु 1702 पर कमी पंजीयन शुल्क रु 341, सरचार्ज राशि 340 कुल रु 2383 रसीद संख्या 201802053006204 दिनांक 17-04-2018 में जमा किये गये है।

अतः दस्तावेज को रु 1702 के मूल्यांकों पर निष्पादित माना जाता है।

201801053006548

उप पंजीयक, JODHPUR-III

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month.

Registration Endorsement

आज दिनांक 17/04/2018 को

पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 940 में

पृष्ठ संख्या 151 क्रम संख्या 201803053104176 पर पंजीबद्व किया गया तथा

अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 3756 के

पृष्ठ संख्या 323 से 330 पर चस्पा किया गया ।

201801053006548

उप पंजीयक, JODHPUR-III

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month.

Presentation Endorsement

आज दिनांक 17 माह 04 सन् 2018 को 10:28 AM बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री SUNPRIME HOME INFRA LLP TH PARTNER
RAGHAV RATHI पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री S/O INDER MAL RATHI
उम्र 30 वर्ष, जाति MAHESWAR , व्यवसाय Business
निवासी House No.:05, Colony: PRATAP NAGAR , Area: GANPATI NAGAR EXT, City: JODHPUR, Pin code: 342001, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया ।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता

हस्ताक्षर उप पंजीयक,
JODHPUR-III

201801053006548

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, institutional, industries, tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month.

Fees Receipt Endorsement

रसीद नं.	201802053006204
दिनांक	17-04-2018
पंजीयन शुल्क ₹	341
प्रतिलिपि शुल्क ₹	0
पृष्ठांकन शुल्क ₹	200
अन्य शुल्क ₹	0
कमी स्टाम्प शुल्क ₹	1702
कमी सरचार्ज शुल्क ₹	340
कुल योग	2583

201801053006548

उप पंजीयक,
JODHPUR-III

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, institutional, industries, tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month.

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : JODHPUR-III

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 17-04-2018 11:24 AM

Fee Receipt No	:	201802053006210	Receipt Date	:	17/04/2018
Name	:	SUNPRIME HOME INFRA LLP TH PARTNER RAGHAV RATHI.	Document S. No.	:	2018010820006551
Address	:	05 ,PRATAP NAGAR ,,I JODHPUR			
Document Type	:	Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent			
Face Value	:	₹ 6510	Evaluated Value	:	₹ 453600
Ord-Registration Fee	:	₹ 341	Fee for Memorandum Us_64_67	:	₹
CSI	:	₹ 200	Certified copying fees Us_57	:	₹ 0
Stamp (Memorandum)	:	₹	Reg (memorandum)	:	₹
Surcharge	:	₹ 340	Stamp Duty	:	₹ 1702
Penalty	:	₹ 0	Inspection fee	:	₹ 0
Us_25_34	:	₹ 0	Commission	:	₹ 0
Custody	:	₹	Others	:	₹ 0
			Cash Amount Received	:	₹ 0
			Other than Cash	:	₹ 2583
			Total Amount	:	₹ 2583

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)
e-Gras Challan 22383151 ₹ 2583

Signature of presenter or applicant for copy or Search certificate

Cashier

Signature of recipient and date of return receipt

SUB-REGISTRAR

उप पंजीयक (तृतीय)
जोधपुर

(44)

क्रमांक : 2855

मूल्य : 100/-



जोधपुर विकास प्राधिकरण





जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

5040
13/5/19

पट्टा विलेख

यह विलेख आज वर्ष ..... के माह ..... के ..... वें दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री "सन प्राईम होम इन्फ्रा एल. एल. पी. 103 जे डी आरकेड प्रथम मंजिल, जलजोग सर्कल के पास, जोधपुर जरिए पार्टनर राघव राठी

जाति माहेश्वरी

व्यवसाय व्यापार निवासी 05, गणपति नगर, जोधपुर (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुन्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना सन- समृद्धि राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 300/3 क्षेत्रफल 80.00 में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात :-

1. लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये 6400/- अंके छह हजार चार सौ मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक वार्षिय नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
2. एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दावी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
3. पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगें।
4. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल व्यावसायिक प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
5. इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावें, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
6. लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तें और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
7. उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी : परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।
8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति पश्यदेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
9. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुर्भिसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्व्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के

(कृ.प.ट.)

Partner.

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहृत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ.सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट देवें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : .....
राजस्व ग्राम : पाल
खसरा नम्बर : 300/3
योजना का नाम सन-सभारिया
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
16 X 45 = 80.00 वर्ग गज

सीमा पूर्व रोड 30 Ft सीमा पश्चिम प्लॉट नं. 43
सीमा उत्तर प्लॉट नं. 45 सीमा दक्षिण प्लॉट नं. 41 मानचित्र संलग्न है।
भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो 44

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 ..... माह के 12/4/18 वें दिन
श्री राकेश शर्मा (P.A)
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

नगर निकाय - प्रथम पक्ष
(सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

साक्षी :-

1. नाम .....
पिता/पति का नाम .....
व्यवसाय .....
निवास स्थान .....

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम .....
पिता/पति का नाम .....
व्यवसाय .....
निवास स्थान .....

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक ..... सन् 20 ..... के माह ..... के .....
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री .....
लीजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये गये।

Sunprime Home Infra LLP
Partner
लीजधारक -द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

1. नाम रघुलाल अग्रवाल
पिता/पति का नाम सत्यनारायण अग्रवाल
व्यवसाय व्यापार
निवास स्थान सरदारपुरा जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम पुखराराम मेघवाल
पिता/पति का नाम खीयाराम
व्यवसाय कृषि
निवास स्थान पाल गाव जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

" J.D.A. "

SITE PLAN FOR LEASE DEED FOR PLOT NO.44

KHASARA NO. 300/ 3 VILLAGE PAL AT JODHPUR

PLOT SIZE 16'X45 AREA = 80.00 SQYDS.

Scale :-1"30'



ROAD 30 FT WIDE

Other Land	P-46	P-45	P-44 (16' x 45')	P-43	P-42	P-8
Other Land	P-37	P-38	P-39	P-40	P-41	P-9
						P-10

ROAD 30 FT WIDE

ROAD 30 FT WIDE

उप नगर नियोजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

उपायुक्त (दक्षिण)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

Sunprime Home Infra LLP

Partner.

Registration Endorsement

आज दिनांक 17/04/2018 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 940 में
पृष्ठ संख्या 139 क्रम संख्या 201803053104164 पर पंजीबद्ध किया गया तथा
अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 3756 के
पृष्ठ संख्या 227 से 234 पर चस्पा किया गया ।

201801053006551

उप पंजीयक, JODHPUR(I)

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish ownership under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, institutional, Industrial, Tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month.

उप पंजीयक (तृतीय)
जोधपुर



Endorsement of Execution

अनु क्र.	पक्षकारों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	पक्षकारों का प्रकार
1	श्री/श्रीमती/सुश्री COMMISSIONER , पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री COMMISSIONER, व्यवसाय जाति Jodhpur Development Authority	[x]	[x]	Executant Age : 0 Signature :
2	श्री/श्रीमती/सुश्री SUNPRIME HOME INFRA LLP TH PARTNER RAGHAV RATHI, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री S/O INDER MAL RATHI, व्यवसाय Businessजाति MAHESWARI House No.:05, Colony: PRATAP NAGAR , Area: GANPATI NAGAR EXT, City: J, Pin code: 342001, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN			Claimant Age : 30 Signature :

ने लेख्यपत्र Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month. को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया ।

प्रतिफल राशि रु 8510/- पूर्व में / मेरे समक्ष / में से रु 8510/- पूर्व में ---------- ये मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया ।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान निम्न व्यक्तियों ने की है , जिनके हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान मेरे समक्ष लिए गए है।

अनु क्र.	गवाही का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	हस्ताक्षर
1	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री RAMESH KUMAWAT, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री MOHAN LAL KUMAWAT जाति KUMHAR Age: 37 Add: House No.:00, Colony: RHC, Area: RHC, City: JODHPUR, Pin code: 342001, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN			Signature

201801053006551

उप पंजीयक, JODHPUR(तृतीय)

उप पंजीयक (तृतीय)

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month.

उपपंजीयक एवं पदेन पंजीयक (तृतीय) जोधपुर

Under 54 Endorsement

धारा 54 के तहत प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि इस लेख पत्र की स्टाम्पित रु 453600 मानते हुए इस पर देय कमी मुद्रांक राशि रु 1702 पर कमी पंजीयन शुल्क रु 341, सरचार्ज राशि 340 कुल रु 2383 रसीद संख्या 201802053006210 दिनांक 17-04-2018 में जमा किये गये है।

अतः दस्तावेज को रु 1702 के मुद्रांकों पर निष्पादित माना जाता है।

201801053006551

उप पंजीयक, Joint-I-KUR-III

उप पंजीयक (तृतीय)
जोधपुर

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month.

Registration Endorsement

आज दिनांक 17/04/2018 को

पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 940 में

पृष्ठ संख्या 139 क्रम संख्या 201803053104164 पर पंजीबद्ध किया गया तथा

अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 3756 के

पृष्ठ संख्या 227 से 234 पर चस्पा किया गया ।

201801053006551

उप पंजीयक, Joint-I-KUR-III

उप पंजीयक (तृतीय)
जोधपुर

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month.

कार्यालय उप पंजीयक (तृतीय) जोधपुर

Presentation Endorsement

आज दिनांक 17 माह 04 सन् 2018 को 10:31 AM बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री SUNPRIME HOME INFRA LLP TH PARTNER
RAGHAV RATHI पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री S/O INDER MAL RATHI
उम्र 30 वर्ष, जाति MAHESWARI , व्यवसाय Business
निवासी House No.:05, Colony: PRATAP NAGAR , Area: GANPATI NAGAR EXT, City: J, Pin code: 342001, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया ।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता

हस्ताक्षर उप पंजीयक

201801053006551

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month.

Fees Receipt Endorsement

रसीद नं.	201802053006210
दिनांक	17-04-2018
पंजीयन शुल्क ₹	341
प्रतिलिपि शुल्क ₹	0
पृष्ठांकन शुल्क ₹	200
अन्य शुल्क ₹	0
कमी स्टाम्प शुल्क ₹	1702
कमी सरचार्ज शुल्क ₹	340
कुल योग	2583

उप पंजीयक (तृतीय) जोधपुर

201801053006551

उप पंजीयक,
JODHPUR-III

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month.

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : JODHPUR-III

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 151) Print Date : 17-04-2018 11:25 AM

Fee Receipt No	:	201802053006821	Receipt Date	:	17/04/2018
Name	:	SUNPRIME HOME INFRA LLP TH PARTNER RAGHAV RATHI.	Document S. No.	:	201801063006553
Address	:	06 ,PRATAP NAGAR ,JODHPUR ,JODHPUR			
Document Type	:	Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent			
Face Value	:	₹ 8510	Evaluated Value	:	₹ 453600
Onl-Registration Fee	:	₹ 341	Fee for Memorandum Us_64_67	:	₹
CSI	:	₹ 200	Certified copying fees Us_57	:	₹ 0
Stamp (Memorandum)	:	₹	Reg (memorandum)	:	₹
Surcharge	:	₹ 340	Stamp Duty	:	₹ 1702
Penalty	:	₹ 0	Inspection fee	:	₹ 0
Us_25_34	:	₹ 0	Commission	:	₹ 0
Custody	:	₹	Others	:	₹ 0
			Cash Amount Received	:	₹ 0
			Other than Cash	:	₹ 2593
			Total Amount	:	₹ 2593

Mode of Payment (#Mode Number Amount ₹)
e-Gras Challan 22383202 ₹ 2593

Signature of presenter or applicant for copy or Search certificate

Cashier

Signature of recipient and date of return receipt

SUB-REGISTRAR
उप पंजीयक (तृतीय
जोधपुर

(45)

क्रमांक : 2856

मूल्य : 100/-



जोधपुर विकास प्राधिकरण





जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

5041
13/7/18

पट्टा विलेख

यह विलेख आज वर्ष ..... के माह ..... के ..... वे दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री सन प्राईम होम इन्फ्रा एल.एल.पी. 103 जे.डी. आरकेड प्रथम मंजिल, जसणोश सर्कल के पास, जोधपुर जरिए पार्टनर राघव राठी

जाति गाहेश्वरी

व्यवसाय व्यापार निवासी 65, शक्तिपाली नगर, जोधपुर (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुन्तकिल अलेह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना सन-समृद्धि राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 300/3 क्षेत्रफल 80.00 में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात :-

1. लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रूपये 6400/- अंके छह हजार चार सौ मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक वार्षिय नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
2. एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
3. पट्टे की अवधि :- पट्टावृत्ति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगी।
4. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
5. इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावें, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
6. लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तें और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
7. उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य चुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी: परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।
8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/वाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
9. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दृष्टिसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्व्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के

(कृ.प.उ.)

Sunprime Home Infra LLP

Partner.

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहृत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ.सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट देवें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : .....
राजस्व ग्राम : पाल
खसरा नम्बर : 306/3
योजना का नाम : सन-सम्रद्धि
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर 16 X 45 = 80.00

सीमा पूर्व रोड 30 Ft सीमा पश्चिम प्लॉट नं० 38
सीमा उत्तर प्लॉट नं० 46 सीमा दक्षिण प्लॉट नं० 44 मानचित्र संलग्न है।
भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो 45

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 ..... माह के 13/4/18 वें दिन
श्री राकेश शर्मा (C.E.O.)
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

नगर निकाय की ओर से प्रथम पक्ष
उपायुक्त (दक्षिण)
(सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

साक्षी :-

1. नाम .....
पिता/पति का नाम LDC
व्यवसाय JDA
निवास स्थान .....

..... साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम .....
पिता/पति का नाम .....
व्यवसाय .....
निवास स्थान .....

..... साक्षी के हस्ताक्षर

Sunprime Home Infra LLP
Partner
लीजधारक द्वितीय पक्ष

दिनांक ..... सन् 20 ..... के माह ..... के .....
को दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री .....
लीजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये गये।

साक्षी :-

1. नाम रघुशाल अगपाल
पिता/पति का नाम सत्यनारायण अग्रवाल
व्यवसाय व्यापार
निवास स्थान सरदारपुरा जोधपुर

..... साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम पुरखाराम मेघवाल
पिता/पति का नाम रवीयाराम
व्यवसाय कृषि
निवास स्थान पाल गाव जोधपुर

..... साक्षी के हस्ताक्षर

" J.D.A. "

SITE PLAN FOR LEASE DEED FOR PLOT NO.45

KHASARA NO. 300/ 3 VILLAGE PAL AT JODHPUR

PLOT SIZE 16'X45 AREA = 80.00 SQYDS.

Scale :-1"30'

ROAD 30 FT WIDE

Other Land	P-46	P-45 (16' x 45')	P-44	P-43	P-42	ROAD 30 FT WIDE
Other Land	P-37	P-38	P-39	P-40	P-41	

P-8

P-9

P-10

ROAD 30 FT WIDE

उप नगर नियोजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

उपायुक्त (दक्षिण)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

Sunprime Home Infra LLP

Partner.

Registration Endorsement

आज दिनांक 17/04/2018 को

पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 940 में

पृष्ठ संख्या 175 क्रम संख्या 201803053104200 पर पंजीबद्ध किया गया तथा

अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 3757 के

पृष्ठ संख्या 49 से 56 पर चस्पा किया गया ।

201801053006553

उप पंजीयक/ JODHPUR (I)

उप पंजीयक (तृतीय)
जोधपुर

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industrial & tourism purpose) if the lease deed is presented for registration within two month.

कार्यालय उप पंजीयक (तृतीय)
जोधपुर

Endorsement of Execution

अनु क्र.	पक्षकारों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	पक्षकारों का प्रकार
1	श्री/श्रीमती/सुश्री COMMISSIONER , पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री COMMISSIONER, व्यवसाय जाति Jodhpur Development Authority	[x]	[x]	Executant Age : 0 Signature :
2	श्री/श्रीमती/सुश्री SUNPRIME HOME INFRA LLP TH PARTNER RAGHAV RATHI, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री S/O INDER MAL RATHI, व्यवसाय Businessजाति MAHESWARI House No.:05, Colony: PRATAP NAGAR , Area: GANPATI NAGAR EXT, City: JODHPUR, Pin code: 342001, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN			Claimant Age : 30 Signature :

ने लेखपत्र Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, institutional, industries, tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month. को पढ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया ।

प्रतिफल राशि रु 8510/- पूर्व मे / मेरे समक्ष / मे से रु 8510/- पूर्व मे ———— से मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया ।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान निम्न व्यक्तियों ने की है , जिनके हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान मेरे समक्ष किए गए है।

अनु क्र.	गवाहो का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	हस्ताक्षर
1	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री RAMESH KUMAWAT, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री MOHAN LAL KUMAWAT जाति KUMHAR Age: 37 Add: House No.:00, Colony: RHC, Area: RHC, City: JODHPUR, Pin code: 342001, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN			Signature

201801053006553

उप पंजीयन, JODHPUR-III

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, institutional, industries, tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month.

Under 54 Endorsement

धारा 54 के तहत प्रमाण पत्र प्रमाणित किया जाता है कि इस लेख पत्र की स्टाम्प ड्यूटी रु 453800 मानते हुए इस पर देय कमी मुद्रांक राशि रु 1702 पर कमी पंजीयन शुल्क रु 341, सरचार्ज राशि 340 कुल रु 2383 रसीद संख्या 201802053006211 दिनांक 17-04-2018 से जमा किये गये है।

अतः दस्तावेज को रु 1702 के मुद्रांकों पर निष्पादित माना जाता है।

201801053006553

उप पंजीयक, JODHPUR-III

उप पंजीयक (तृतीय)
जोधपुर

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establishment of township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, institutional, industries, tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month.

Registration Endorsement

आज दिनांक 17/04/2018 को

पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 940 में

पृष्ठ संख्या 175 क्रम संख्या 201803053104200 पर पंजीबद्ध किया गया तथा

अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 3757 के

पृष्ठ संख्या 49 से 56 पर चस्पा किया गया ।

201801053006553

उप पंजीयक, JODHPUR-III

उप पंजीयक (तृतीय)
जोधपुर

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establishment of township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, institutional, industries, tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month.



Presentation Endorsement

आज दिनांक 17 माह 04 सन् 2018 को 10:34 AM बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री SUNPRIME HOME INFRA LLP TH PARTNER
RAGHAV RATHI पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री S/O INDER MAL RATHI
उम्र 30 वर्ष, जाति MAHESWARI , व्यवसाय Business
निवासी House No.:05, Colony: PRATAP NAGAR , Area: GANPATI NAGAR EXT, City: JODHPUR, Pin code: 342001, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया ।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता
201801053006553

हस्ताक्षर उप पंजीयक
JODHPUR-III

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose). If the lease deed is presented for registration within two month.

Fees Receipt Endorsement

रसीद नं.	201802053006211
दिनांक	17-04-2018
पंजीयन शुल्क ₹	341
प्रतिलिपि शुल्क ₹	0
पृष्ठांकन शुल्क ₹	200
अन्य शुल्क ₹	0
कमी स्टाम्प शुल्क ₹	1702
कमी सरचार्ज शुल्क ₹	340
कुल योग	2583

201801053006553

उप पंजीयक,
JODHPUR-III

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose). If the lease deed is presented for registration within two month.

कार्यालय उप पंजीयक (तृतीय) जोधपुर

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : JODHPUR-III

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 17-04-2018 11:26 AM

Fee Receipt No	: 201802053006213	Receipt Date	: 17/04/2018
Name	: SUNPRIME HOME INFRA LLP TH PARTNER RAGHAV RATHI,	Document S. No.	: 2018010530090SS
Address	: 05 ,PRATAP NAGAR ,JODHPUR ,JODHPUR		
Document Type	: Lease granted for a fine orpremium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	: ₹ 8510	Evaluated Value	: ₹ 453600

Ord-Registration Fee	: ₹ 341	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 340	Stamp Duty	: ₹ 1702
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 2583
		Other than Cash	: ₹ 2583
		Total Amount	

Mode of Payment (#Mode Number Amount ₹)
e-Gras Challan 22383173 ₹ 2583

Signature of presenter or applicant for copy or Search certificate

Cashier

Signature of recipient and date of return receipt

SUB-REGISTRAR

उप पंजीयक (तृतीय)
जोधपुर

(46)

क्रमांक : 2857

मूल्य : 100/-



जोधपुर विकास प्राधिकरण







जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

5042
13/4/18

पट्टा विलेख

यह विलेख आज वर्ष ..... के माह ..... के ..... वे दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हे इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री सन प्राईम होम इन्फ्रा एल्प एस.पी. 103 जे.डी. आरकेड प्रथम भंजिल, जलजोग सर्कल के पास, जोधपुर जरिए पार्टनर राघव राठी जाति माहेश्वरी व्यवसाय व्यापार निवासी 65, गणपति नगर, जोधपुर (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इकरार में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुन्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का यह समाग भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना सन-समृद्धि राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 300/3 क्षेत्रफल 80.00 में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित समाग व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिषेधों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात :–

1. लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय–समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रेल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप–नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रूपये 6400/- अंके छः हजार चार सौ मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक बारीय नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
2. एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
3. पट्टे की अवधि :– पट्टाग्रहिति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगें।
4. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
5. इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम–26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावे, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
6. लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप–पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तें और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप–पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप–पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप–पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
7. उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी : परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।
8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू–राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
9. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख की मांग प्रस्तुति के समय उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्व्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है कि आवंटन या पट्टा विलेख के

(क्र.प.ड.)

Partner.

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहृत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ.सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट देवें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : .....
राजस्व ग्राम : पाल
खसरा नम्बर : 300/3
योजना का नाम स्व-स्पष्टि
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
16 x 36 = 80.00

सीमा पूर्व रोड 30 Ft सीमा पश्चिम प्लॉट नं० 37
सीमा उत्तर अन्य भूमि सीमा दक्षिण प्लॉट नं० 45 मानचित्र संलग्न है।
भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो 46

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 ..... माह के 13/4/18 वें दिन
श्री राकेश शर्मा (IAS)
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

नगर निकाय - प्रथम पक्ष
उपायुक्त (दक्षिण)
(सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

साक्षी :-

1. नाम .....
पिता/पति का नाम LIC
व्यवसाय JDA
निवास स्थान .....

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम .....
पिता/पति का नाम .....
व्यवसाय .....
निवास स्थान .....

साक्षी के हस्ताक्षर

Sunprime Home Infra LLP

आज दिनांक ..... सन् 20 ..... के माह ..... के .....
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री .....
लीजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये गये।

Partner

लीजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

1. नाम खुशाल अग्रवाल
पिता/पति का नाम सत्यनारायण अग्रवाल
व्यवसाय व्यापार
निवास स्थान सरदारपुरा जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम पुरखाराम मेघवाल
पिता/पति का नाम रणीयाराम
व्यवसाय कृषि
निवास स्थान पाल गाव जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

" J.D.A. "

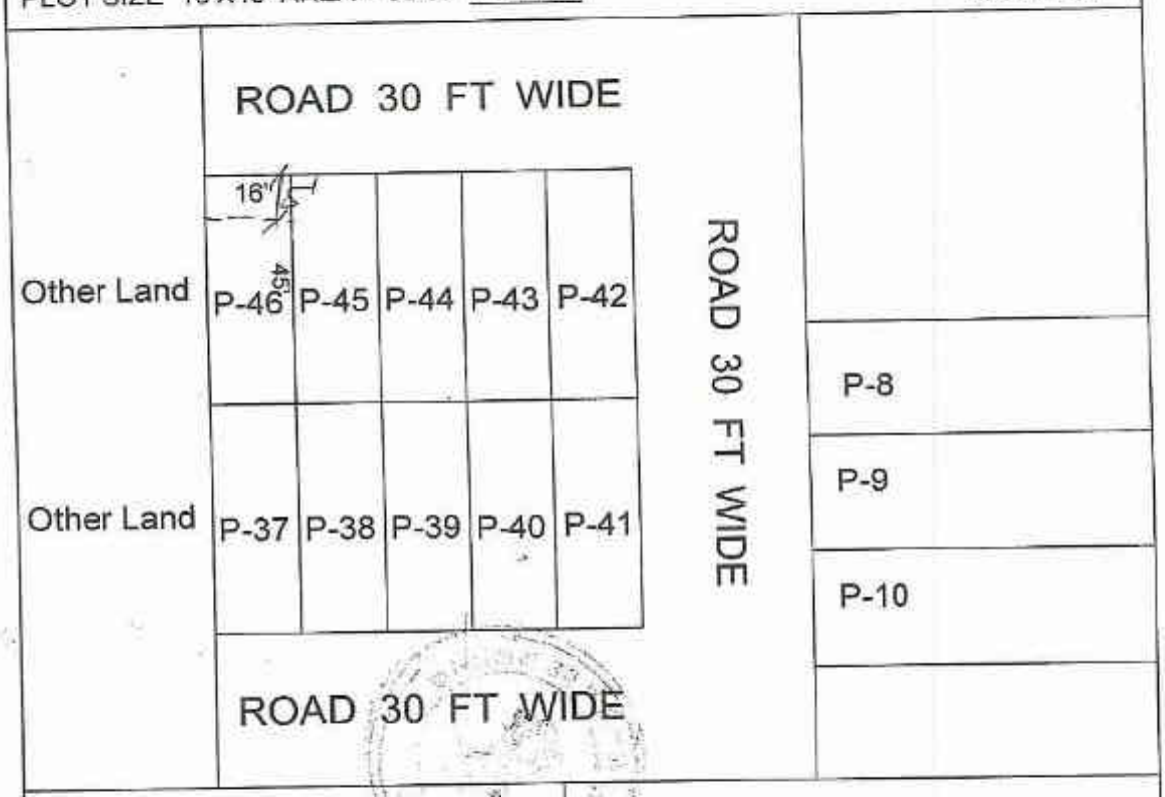
SITE PLAN FOR LEASE DEED FOR PLOT NO.46

KHASARA NO. 300/ 3 VILLAGE PAL AT JODHPUR

PLOT SIZE 16'X45 AREA = 80.00 SQYDS.

Scale :-1"30'





उपायुक्त (दक्षिण)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

Sunprime Home Infra LLP

Partner

Registration Endorsement

आज दिनांक 17/04/2018 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 940 में
पृष्ठ संख्या 163 क्रम संख्या 201803053104188 पर पंजीबद्ध किया गया तथा
अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 3756 के
पृष्ठ संख्या 419 से 426 पर चस्पा किया गया ।

201801053006555

उप पंजीयक, JODHPUR-III

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries township purpose), if the lease deed is presented for registration within two month.

उप पंजीयक (द्वितीय)
जोधपुर

Endorsement of Execution

अनु क्र.	पक्षकारों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	पक्षकारों का प्रकार
1	श्री/श्रीमती/सुश्री COMMISSIONER , पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री COMMISSIONER, व्यवसाय जाति Jodhpur Development Authority	×	×	Executant Age : 0 Signature :
2	श्री/श्रीमती/सुश्री SUNPRIME HOME INFRA LLP TH PARTNER RAGHAV RATHI, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री S/O INDER MAL RATHI, व्यवसाय Businessजाति MAHESWARI House No.:05, Colony: PRATAP NAGAR , Area: GANPATI NAGAR EXT, City: JODHPUR, Pin code: 342001, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN			Claimant Age : 30 Signature :

ने लेखपत्र Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month. को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया ।

प्रतिफल राशि रु 8510/- पूर्व में / मेरे समक्ष / में से रु 8510/- पूर्व में ---------- ये मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया ।"

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान निम्न व्यक्तियों ने की है , जिनके हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान मेरे समक्ष लिए गए है।

अनु क्र.	गवाहों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	हस्ताक्षर
1	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री RAMESH KUMAWAT, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री MOHAN LAL KUMAWAT जाति KUMHAR Age: 37 Add: House No.:00, Colony: RHC, Area: RHC, City: JODHPUR, Pin code: 342001, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN			Signature

201801053006555

उप पंजीयक, JODHPUR-III

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month.

Under 54 Endorsement

धारा 54 के तहत प्रमाण-पत्र प्रत्यांकित किया जाता है कि इस लेख पत्र की मालियत रु 453600 मानते हुए इस पर देय कमी मुद्रांक राशि रु 1702 पर कमी पंजीयन शुल्क रु 341, सरचार्ज राशि 340 कुल रु 2383 रसीद संख्या 201802053006213 दिनांक 17-04-2018 से जमा किये गये है।

अतः दस्तावेज को रु 1702 के मुद्रांकों पर निष्पादित माना जाता है।

201801053006555

उप पंजीयक, JODHPUR-III

उप पंजीयक (तृतीय)

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month.

Registration Endorsement

आज दिनांक 17/04/2018 को

पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 940 में

पृष्ठ संख्या 163 क्रम संख्या 201803053104188 पर पंजीबद्ध किया गया तथा

अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 3756 के

पृष्ठ संख्या 419 से 426 पर चस्पा किया गया ।

201801053006555

उप पंजीयक, JODHPUR-III

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month.

उप पंजीयक (तृतीय)
जोधपुर

Presentation Endorsement

आज दिनांक 17 माह 04 सन् 2018 को 10:35 AM बजे

श्री/श्रीमती/सुश्री SUNPRIME HOME INFRA LLP TH PARTNER

RAGHAV RATHI पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री S/C INDER MAL RATHI

उम्र 30 वर्ष, जाति MAHESWARI , व्यवसाय Business

निवासी House No. 05, Colony: PRATAP NAGAR , Area: GANPATI NAGAR EXT, City: JODHPUR, Pin code: 342001, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN

ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया ।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता

हस्ताक्षर उप पंजीयक, JODHPUR-III

201801053006555

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month.

Fees Receipt Endorsement

रसीद नं.	201802053006213
दिनांक	17-04-2018
पंजीयन शुल्क ₹	341
प्रतिलिपि शुल्क ₹	0
पृष्ठांकन शुल्क ₹	200
अन्य शुल्क ₹	0
कमी स्टाम्प शुल्क ₹	1702
कमी सरचार्ज शुल्क ₹	340
कुल योग	2583

201801053006555

उप पंजीयक, JODHPUR-III

उप पंजीयक (तृतीय)

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month.

क्रमांक : 2860

मूल्य : 100/-



जोधपुर विकास प्राधिकरण





जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

5012
13/11/18

पट्टा विलेख

यह विलेख आज वर्ष ..... के माह ..... के ..... वे दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कूटकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री सन प्राईम होम इन्फ्रा एल. एल. पी.; 103 जे.डी. आरकेड प्रथम मंजिल, अलजोआ स्कूल के पास, जोधपुर ....
....करिए पार्टनर राघव राठी ..... जाति माहेश्वरी .....
व्यवसाय व्यापार निवासी 05, गणपति नगर, जोधपुर (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुन्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना सन– समृद्धि 90 राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 300/3 क्षेत्रफल 90.66 में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इरतेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात :–

1. लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय–समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप–नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रूपये 7253/- अंके सात हजार दो सौ त्रेपन ..... मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक बारीय नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
2. एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
3. पट्टे की अवधि :– पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगें।
4. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
5. इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम–26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावें, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
6. लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप–पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तें और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप–पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप–पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप–पट्टे उक्त नियमों में विहित सामरत अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
7. उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य युक्तसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी: परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।
8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू–राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
9. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख किसी तथ्य या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्व्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के

Sanjeevani Home Infra LLP

Partner.

(कृ.प.उ.)

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहृत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ.सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट देवें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : .....
राजस्व ग्राम : पाल
खसरा नम्बर : 300/3
योजना का नाम : सन सभूहि
विस्तृत नापे सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
16 X 51 = 90.66

सीमा पूर्व प्लॉट नं० 54 सीमा पश्चिम रोड 30 Ft
सीमा उत्तर प्लॉट नं० 48 सीमा दक्षिण प्लॉट नं० 50 मानचित्र संलग्न है।
भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो 49

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 ..... माह के 13/4/18 वें दिन
श्री राकेश शर्मा (RAS)
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

नगर निकाय, प्रथम पक्ष
उपायुक्त (दक्षिण)
(सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

साक्षी :-

1. नाम .....
पिता/पति का नाम LIC
व्यवसाय .....
निवास स्थान .....

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम .....
पिता/पति का नाम .....
व्यवसाय .....
निवास स्थान .....

साक्षी के हस्ताक्षर

Sunprime Home Infra LLP
Partner.
लीजधारक - द्वितीय पक्ष

आज दिनांक ..... सन् 20 ..... के माह ..... के .....
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री .....
लीजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये गये।

साक्षी :-

1. नाम रघुशाल अग्रवाल
पिता/पति का नाम सत्यनारायण अग्रवाल
व्यवसाय व्यापार
निवास स्थान सरदारपुरा जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम पुरखाराम मेघवाल
पिता/पति का नाम खीयाराम
व्यवसाय कृषि
निवास स्थान पाल गाव जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

" J.D.A. "

SITE PLAN FOR LEASE DEED FOR PLOT NO.49

KHASARA NO. 300/ 3 VILLAGE PAL AT JODHPUR

PLOT SIZE 16'X51 AREA = 90.66 SQYDS.

Scale :-1"30'

ROAD 60 FT WIDE

Other Land	P-56	P-55	P-54	P-53	P-52	Park
Other Land	P-47	P-48	P-49 (16' × 51')	P-50	P-51	P-1
						P-2

ROAD 30 FT WIDE

ROAD 30 FT WIDE

उप नगर नियोजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

उपायुक्त (दक्षिण)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

Sunprime Home Infra LLP

Partner.

Registration Endorsement:

आज दिनांक 17/04/2018 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 940 में
पृष्ठ संख्या 156 क्रम संख्या 201803053104181 पर पंजीबद्ध किया गया तथा
अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 3756 के
पृष्ठ संख्या 363 से 370 पर चस्पा किया गया ।

201801053006556

उप पंजीयक, JODHPUR-III

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industrial, Tourism purpose) if the lease deed is presented for registration within two month.

उप पंजीयक (तृतीय)
जोधपुर

Endorsement of Execution

अनु क्र.	पक्षकारों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	पक्षकारों का प्रकार
1	श्री/श्रीमती/सुश्री COMMISSIONER , पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री COMMISSIONER, व्यवसाय जाति Jodhpur Development Authority			Executant Age : 0 Signature :
2	श्री/श्रीमती/सुश्री SUNPRIME HOME INFRA LLP TH PARTNER RAGHAV RATHI, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री S/O INDER MAL RATHI, व्यवसाय Businessजाति MAHESWARI House No.:05, Colony: PRATAP NAGAR , Area: GANPATI NAGAR EXT, City: jodhpur, Pin code: 342001, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN			Claimant Age : 30 Signature :

ने लेख्यपत्र Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month. को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया ।

प्रतिफल राशि रु 9650/- पूर्व में / मेरे समक्ष / में से रु 9650/- पूर्व में ———— से मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया ।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान निम्न व्यक्तियों ने की है , जिनके हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान मेरे समक्ष लिए गए है।

अनु क्र.	गवाहों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	हस्ताक्षर
1	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री RAMESH KUMAWAT, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री MOHAN LAL KUMAWAT जाति KUMHAR Age: 37 Add: House No.:00, Colony: RHC, Area: RHC, City: jodhpur, Pin code: 342001, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN			Signature

201801053006556

उप पंजीयक, JODHPUR-III

उप पंजीयक (तृतीय) जोधपुर

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month.

उप पंजीयक (तृतीय) जोधपुर

Under 54 Endorsement

धारा 54 के तहत प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि इस लेख पत्र को मालियत रु 514080 मानते हुए इस पर देय कमी मुद्रांक राशि रु 1930 पर कमी पंजीयन शुल्क रु 386, सरचार्ज राशि 386 कुल रु 2702 रसीद संख्या 201802053006214 दिनांक 17-04-2018 में जमा किये गये है।

अतः दस्तावेज को रु 1930 के मुद्रांकों पर निष्पादित माना जाता है।

201801053006556

उप पंजीयक, JODHPUR-III

उप पंजीयक (तृतीय)
जोधपुर

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, Tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month.

Registration Endorsement

आज दिनांक 17/04/2018 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 940 में
पृष्ठ संख्या 156 क्रम संख्या 201803053104181 पर पंजीबद्ध किया गया तथा
अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 3756 के
पृष्ठ संख्या 363 से 370 पर चस्पा किया गया ।

201801053006556

उप पंजीयक, JODHPUR-III

उप पंजीयक (तृतीय)
जोधपुर

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, Tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month.

Presentation Endorsement

आज दिनांक 17 माह 04 सन् 2018 को 10:37 AM बजे

श्री/श्रीमती/सुश्री SUNPRIME HOME INFRA LLP TH PARTNER

RAGHAV RATHI पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री S/O INDER MAL RATHI

उम्र 30 वर्ष, जाति MAHESWARI , व्यवसाय Business

निवासी House No.:05, Colony: PRATAP NAGAR , Area: GANPATI NAGAR EXT, City: jodhpur, Pin code: 342001, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN

ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया ।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता

हस्ताक्षर उप पंजीयक,
JODHPUR-III

उप पंजीयक (तृतीय)
जोधपुर

201801053006556

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose). If the lease deed is presented for registration within two month.

Fees Receipt Endorsement

रसीद नं.	201802053006214
दिनांक	17-04-2018
पंजीयन शुल्क ₹	386
प्रतिलिपि शुल्क ₹	0
पृष्ठांकन शुल्क ₹	200
अन्य शुल्क ₹	0
कमी स्टाम्प शुल्क ₹	1930
कमी सरचार्ज शुल्क ₹	386
कुल योग	2902

201801053006556

उप पंजीयक,
JODHPUR-III

उप पंजीयक (तृतीय)
जोधपुर

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose). If the lease deed presented for registration within two month.

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : JODHPUR-III

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 17-04-2018 11:27 AM

Fee Receipt No	: 2018022530006214	Receipt Date	: 17/04/2018
Name	: SUNPRIME HOME INFRA LLP TH PARTNER RAGHAV RATHI.	Document S. No.,	: 2018012530065/0
Address	: 05 ,PRATAP NAGAR ,jodhpur ,JODHPUR		
Document Type	: Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	: ₹ 9650	Evaluated Value	: ₹ 514360
Ord-Registration Fee	: ₹ 386	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹ 0
CSI	: ₹ 260	Certified copying fees Us_57	: ₹
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹ 1930
Surcharge	: ₹ 386	Stamp Duty	: ₹ 0
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 2902
		Other than Cash	: ₹ 2902
		Total Amount	

Mode of Payment (#Mode Number Amount)
e-Gras Challan 22375841 ₹ 2902 [illegible]

Signature of presenter or applicant for copy or Search certificate

Cashier

Signature of recipient and date of return receipt

SUB-REGISTRAR

उप पंजीयक (तृतीय
जोधपुर

(50)

क्रमांक : 2861

मूल्य : 100/-



जोधपुर विकास प्राधिकरण





जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

5044 13/9/18

पट्टा विलेख

यह विलेख आज वर्ष ..... के माह ..... के ..... वे दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री मेसर्स हेम इन्फ्रा प्रा. लि. 103, बे-डी आरकेड प्रथम मंजिल, अलंकार सर्कल के पास, जोधपुर जरिए पार्टनर राघव चारी

जाति माहेश्वरी

व्यवसाय व्यापार निवासी 85, गणपति नगर, जोधपुर (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुन्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना स्वप्न - स्मृति राजस्व ग्राम के खसरा संख्या 300/3 क्षेत्रफल 90.66 में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात :-

1. लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रूपये 7253/- अंके सात हजार दो सौ त्रेपन मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक बारीय नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
2. एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
3. पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगा।
4. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
5. इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जायें, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
6. लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तें और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
7. उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी: परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।
8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
9. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्व्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के

Supreme Home Infra LLP

(कृ.प.उ.)

Partner.

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहृत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ.सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट देवें।

परिशिष्ट

करबे का नाम : .....
राजस्व ग्राम : पाल
खसरा नम्बर : 300/3
योजना का नाम सब स्थापटी
विस्तृतांक सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर 16X51 = 90.66

सीमा पूर्व प्लॉट नं० 53 सीमा पश्चिम रोड 30 FT
सीमा उत्तर प्लॉट नं० 49 सीमा दक्षिण प्लॉट नं० 51 मानचित्र संलग्न है।
भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो 50

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 ..... माह के 13/4/18 को दिन
श्री राकेश शर्मा (टी.ए.)
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

नगर निकाय ...
(सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)
उपायुक्त (प्रशासन)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

साक्षी :-

1. नाम .....
पिता/पति का नाम .....
व्यवसाय .....
निवास स्थान .....

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम .....
पिता/पति का नाम .....
व्यवसाय .....
निवास स्थान .....

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक ..... सन् 20 ..... के माह ..... के ..... वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री ..... लौजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये गये।

Sunprime Home Infra LLP
Partner.
लौजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

1. नाम रघुलाल अगरवाल
पिता/पति का नाम सत्यनारायण अगरवाल
व्यवसाय व्यापार
निवास स्थान सरदारपुरा जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम पुरखाराम देदवाल
पिता/पति का नाम खीयाराम
व्यवसाय कृषि
निवास स्थान पाल गाव जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

" J.D.A. "

SITE PLAN FOR LEASE DEED FOR PLOT NO.50

KHASARA NO. 300/ 3 VILLAGE PAL AT JODHPUR

PLOT SIZE 16'X51 AREA = 90.66 SQYDS.

Scale :-1"30'



ROAD 60 FT WIDE

Other Land	P-56	P-55	P-54	P-53	P-52	Park
Other Land	P-47	P-48	P-49	P-50	P-51	P-1
						P-2

16'

51'

ROAD 30 FT WIDE

ROAD 30 FT WIDE

उप नगर नियोजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

उपायुक्त (दक्षिण)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

Sunprime Home Infra LLP

Partner

Registration Endorsement

आज दिनांक 17/04/2018 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 940 में
पृष्ठ संख्या 171 क्रम संख्या 201803053104196 पर पंजीबद्ध किया गया तथा
अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 3757 के
पृष्ठ संख्या 17 से 24 पर चस्पा किया गया ।

201801053006558

उप पंजीयक JODHPUR-III

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, Tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month.

कार्यालय उप पंजीयक (द्वितीय) जोधपुर

Endorsement of Execution

अनु क्र.	पक्षकारों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	पक्षकारों का प्रकार
1	श्री/श्रीमती/सुश्री COMMISSIONER , पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री COMMISSIONER, व्यवसाय जाति Jodhpur Development Authority	[x]	[x]	Executant Age : 0 Signature :
2	श्री/श्रीमती/सुश्री SUNPRIME HOME INFRA LLP TH PARTNER RAGHAV RATHI, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री S/O INDER MAL RATHI, व्यवसाय Businessजाति MAHESWARI House No.:05, Colony: PRATAP NAGAR , Area: GANPATI NAGAR EXT, City: jodhpur, Pin code: 342001, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN			Claimant Age : 30 Signature :

ने लेख्यपत्र Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month. को पढ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया ।

प्रतिफल राशि रु 9650/- पूर्व में / मेरे समक्ष / में से रु 9650/- पूर्व में ———— दे मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया ।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान निम्न व्यक्तियों ने की है , जिनके हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान मेरे समक्ष लिए गए है।

अनु क्र.	गवाही का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	हस्ताक्षर
1	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री RAMESH KUMAWAT, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री MOHAN LAL KUMAWAT जाति KUMHAR Age: 37 Add: House No.:00, Colony: RHC, Area: RHC, City: jodhpur, Pin code: 342001, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN			Signature

201801053006558

उप संभागीय अधिकारी (द्वितीय)
उप संभागीय, JODHPUR(RAJ.)

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month.

Under 54 Endorsement

धारा 54 के तहत प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि इस लेख पत्र की मालियत रु 514080 मानते हुए इस पर देय कमी मुद्रांक राशि रु 1930 पर कमी पंजीयन शुल्क रु 386, सरचार्ज राशि 386 कुल रु 2702 रसीद संख्या 201802053006218 दिनांक 17-04-2018 से जमा किये गये है।

अतः दस्तावेज को रु 1930 के मुद्रांकों पर निष्पादित माना जाता है।

201801053006558

उप पंजीयक, JODHPUR-III

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, industries, tourism purpose) if the lease deed is presented for registration within two month.

Registration Endorsement

आज दिनांक 17/04/2018 को

पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 940 में

पृष्ठ संख्या 171 क्रम संख्या 201803053104196 पर पंजीबद्ध किया गया तथा

अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 3757 के

पृष्ठ संख्या 17 से 24 पर चस्पा किया गया ।

201801053006558

उप पंजीयक, JODHPUR-III

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, industries, tourism purpose) if the lease deed is presented for registration within two month.

Presentation Endorsement

आज दिनांक 17 माह 04 सन् 2018 को 10:40 AM बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री SUNPRIME HOME INFRA LLP TH PARTNER
RAGHAV RATHI पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री S/O INDER MAL RATHI
उम्र 30 वर्ष, जाति MAHESWARI , व्यवसाय Business
निवासी House No.:05, Colony: PRATAP NAGAR , Area: GANPATI NAGAR EXT, City: jodhpur, Pin code: 342001, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया ।

हस्ताक्षर/अंगूठा प्रस्तुतकर्ता
201801053006558

हस्ताक्षर उप-पंजीयक,
JODHPUR-III

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose), if the lease deed is presented for registration within two month.

Fees Receipt Endorsement

रसीद नं.	201802053006216
दिनांक	17-04-2018
पंजीयन शुल्क ₹	386
प्रतिलिपि शुल्क ₹	0
पृष्ठांकन शुल्क ₹	200
अन्य शुल्क ₹	0
कमी स्टाम्प शुल्क ₹	1930
कमी सरचार्ज शुल्क ₹	386
कुल योग	2902

201801053006558

उप पंजीयक,
JODHPUR-III

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose), if the lease deed is presented for registration within two month.

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : JODHPUR-III

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 17.04.2018 11:28 AM

Fee Receipt No	: 2018020530006216	Receipt Date	: 17/04/2018		
Name	: SUNPRIME HOME INFRA LLP TH PARTNER RAGHAV RATHI,	Document S. No.	: 2019010530008503		
Address	: 05 ,PRATAP NAGAR jodhpur ,JODHPUR				
Document Type	: Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent				
Face Value	: ₹ 9650	Evaluated Value	: ₹ 514080		
Ord-Registration Fee	: ₹ 386	Fee for Memorandum Us_64_67	:	₹	
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	:	₹ 0	
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	:	₹	
Surcharge	: ₹ 386	Stamp Duty	:	₹ 1930	
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	:	₹ 0	
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	:	₹ 0	
Custody	: ₹	Others	:	₹ 0	
		Cash Amount Received	:	₹ 0	
		Other than Cash	:	₹ 2902	
		Total Amount	:	₹ 2902	

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)
e-Gras Challan 22376358 ₹ 2902

Signature of presenter or applicant for copy or Search certificate

Cashier

Signature of recipient and date of return receipt

SUB-REGISTRAR

(61)

क्रमांक : 2862

मूल्य : 100/-



जोधपुर विकास प्राधिकरण





जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

5015 / 13/11/18

पट्टा विलेख

यह विलेख आज वर्ष ..... के माह ..... की ..... वे दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हे इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री/श्रीमती प्राईम होम इन्फ्रा एल० एल० पी०, 103 जे०डी० आरकेड प्रथम मंजिल, जलदाय सर्कल के पास, जोधपुर जीए पार्टनर राघव शर्मा ..... जाति ब्राह्मण ..... व्यवसाय व्यापार ..... निवासी 05, जोधपति नगर, जोधपुर ..... (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुन्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना ..... राजस्व ग्राम ..... के खसरा संख्या 300/3 ..... क्षेत्रफल 90.66 ..... में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात :-

1. लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रूपये 7978/= अंके सात हजार नौ सौ अठहत्तर ..... मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक वार्षिय नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा कराई जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिय नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
2. एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये के 25 प्रतिशत होगी।
3. पट्टे की अवधि :- पट्टावृत्ति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगें।
4. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय ..... प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
5. इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावें, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
6. लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तें और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित रीतरत अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्ही पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
7. उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के सथ दस रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी: परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जावेगी।
8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति पराहेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
9. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दृष्टिसंगति या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्व्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या, आवंटन या पट्टा विलेख के

(क्र.प.उ.)

Sunprime Homes India LLP

Partner

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहृत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा सिलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ.सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट देवें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : .....
राजस्व ग्राम : पाल
खसरा नम्बर : 300/3
योजना का नाम : सनसनभूमि
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
1651 = 90.66

सीमा पूर्व प्लॉट नं० 52 सीमा पश्चिम रोड 30 Ft
सीमा उत्तर प्लॉट नं० 50 सीमा दक्षिण रोड 30 Ft मानचित्र संलग्न है।
भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो .....51.....

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 ..... माह के 17/4/18 वें दिन
श्री राहुल शर्मा (S.D.M.)
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

नगर निकाय - प्रथम पक्ष
(सक्षम प्राधिकारी (अधिकृत) का हस्ताक्षर एवं मोहर)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

साक्षी :-

1. नाम .....
पिता/पति का नाम LDC
व्यवसाय .....
निवास स्थान .....

.....
साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम .....
पिता/पति का नाम .....
व्यवसाय .....
निवास स्थान .....

.....
साक्षी के हस्ताक्षर

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी (द्वितीय) जोधपुर

Sunprime Home Infra LLP

आज दिनांक ..... सन् 20 ..... के माह ..... के .....
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री .....
द्वारा उपखण्ड अधिकारी कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये गये।

Partner
लीजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

1. नाम मनुशाल अजावाल
पिता/पति का नाम सत्यनारायण अजावाल
व्यवसाय व्यापार
निवास स्थान सरदारपुरा जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम पुरखाराम मेहावाल
पिता/पति का नाम रोपाराम
व्यवसाय कृषि
निवास स्थान पाल गाव जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

" J.D.A. "

SITE PLAN FOR LEASE DEED FOR PLOT NO.51

KHASARA NO. 300/ 3 VILLAGE PAL AT JODHPUR

PLOT SIZE 16'X51 AREA = 90.66 SQYDS.

Scale :-1"30'

ROAD 60 FT WIDE

Other Land	P-56	P-55	P-54	P-53	P-52	ROAD 30 FT WIDE	Park
Other Land	P-47	P-48	P-49	P-50	P-51 (16' × 51')		P-1
							P-2

ROAD 30 FT WIDE

उप नगर नियोजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

उपायुक्त (दक्षिण)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

Sunprime Home Infra LLP

Partner.

Registration Endorsement

आज दिनांक 17/04/2018 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 940 में
पृष्ठ संख्या 150 क्रम संख्या 201803053104175 पर पंजीबद्ध किया गया तथा
अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 3756 के
पृष्ठ संख्या 315 से 322 पर चस्पा किया गया ।

201801053006560

उप पंजीयक, JODHPUR-III

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establishment of township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, institutional, [illegible], tourism purpose) if the lease deed is presented for registration within two month.

कार्यालय उप पंजीयक (द्वितीय)
जोधपुर

Endorsement of Execution

अनु क्र.	पक्षकारों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	पक्षकारों का प्रकार
1	श्री/श्रीमती/सुश्री COMMISSIONER , पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री COMMISSIONER, व्यवसाय जाति Jodhpur Development Authority	[X]	[X]	Executant Age : 0 Signature :
2	श्री/श्रीमती/सुश्री SUNPRIME HOME INFRA LLP TH PARTNER RAGHAV RATHI, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री S/O INDER MAL RATHI, व्यवसाय OtherJाति MAHESWARI House No.:00, Colony: PRATAP NAGAR , Area: GANPATI NAGAR EXT, City: jodhpur, Pin code: 342001, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN			Claimant Age : 30 Signature :

ने लेख्यपत्र Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month. को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया ।

प्रतिफल राशि रु 9650/- पूर्व में / मेरे समक्ष / मैं ने रु 9650/- पूर्व में ---------- से मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया ।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान निम्न व्यक्तियों ने की है , जिनके हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान मेरे समक्ष किए गए है।

अनु क्र.	गवाहों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	हस्ताक्षर
1	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री RAMESH KUMAWAT, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री MOHAN LAL KUMAWAT जाति KUMHAR Age: 37 Add: House No.:00, Colony: RHC, Area: RHC, City: jodhpur, Pin code: 342001, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN			Signature

201801053006560

उप पंजीयक, JODHPUR-III

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month.

Under 54 Endorsement

धारा 54 के तहत प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि इस लेख पत्र की मालियत रु 585488 मानते हुए इस पर देय कमी मुद्रांक राशि रु 1930 पर कमी पंजीयन शुल्क रु 386, सरचार्ज राशि 386 कुल रु 2702 रसीद संख्या 201802053006217 दिनांक 17-04-2018 से जमा किये गये है।

अतः दस्तावेज को रु 1930 के मुद्रांकों पर निष्पादित माना जाता है।

201801053006560

उप पंजीयक, JODHPUR-III

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose), if the lease deed is presented for registration within two month.

Registration Endorsement

आज दिनांक 17/04/2018 को

पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 940 में

पृष्ठ संख्या 150 क्रम संख्या 201803053104175 पर पंजीबद्ध किया गया तथा

अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 3756 के

पृष्ठ संख्या 315 से 322 पर चस्पा किया गया ।

201801053006560

उप पंजीयक, JODHPUR-III

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose), if the lease deed is presented for registration within two month.

Presentation Endorsement

आज दिनांक 17 गाह 04 सन् 2018 को 10:45 AM बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री SUNPRIME HOME INFRA LLP TH PARTNER
RAGHAV RATHI पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री S/O INDER MAL RATHI
उम्र 30 वर्ष, जाति MAHESWARI , व्यवसाय Other
निवासी House No.:00, Colony: PRATAP NAGAR , Area: GANPATI NAGAR EXT, City: jodhpur, Pin code: 342001, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया ।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता

हस्ताक्षर उप पंजीयक,
JODHPUR-III (तृतीय)

201801053006560

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose), if the lease deed is presented for registration within two month.

Fees Receipt Endorsement

रसीद नं.	201802053006217
दिनांक	17-04-2018
पंजीयन शुल्क ₹	386
प्रतिलिपि शुल्क ₹	0
पृष्ठांकन शुल्क ₹	200
अन्य शुल्क ₹	0
कमी स्टाम्प शुल्क ₹	1930
कमी सरचार्ज शुल्क ₹	386
कुल योग	2902

201801053006560

उप पंजीयक (तृतीय)
JODHPUR-III

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose), if the lease deed is presented for registration within two month.

कार्यालय उप पंजीयक (तृतीय) जोधपुर

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : JODHPUR-III

Fee Receipt

Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 17-04-2018 11:29 AM

Fee Receipt No	: 201802053006217	Receipt Date	:	17/04/2018	
Name	: SUNPRIME HOME INFRA LLP TH PARTNER RAGHAV RATHI,	Document S. No.	:	201801053006560	
Address	: 00 ,PRATAP NAGAR Jodhpur ,JODHPUR				
Document Type	: Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent				
Face Value	: ₹ 9650	Evaluated Value	:	₹ 565488	
Ord-Registration Fee	: ₹ 366	Fee for Memorandum Us_64_67	:	₹	
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	:	₹ 0	
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	:	₹	
Surcharge	: ₹ 366	Stamp Duty	:	₹ 1930	
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	:	₹ 0	
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	:	₹ 0	
Custody	: ₹	Others	:	₹ 0	
		Cash Amount Received	:	₹ 0	
		Other than Cash	:	₹ 2902	
		Total Amount	:	₹ 2902	

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)
e-Gras Challan 22375932 ₹ 2902

Signature of presenter or applicant for copy or Search certificate

Cashier

Signature of recipient and date of return receipt

SUB-REGISTRAR

उप पंजीयक (तृतीय)
जोधपुर

(52)

क्रमांक : 2863 मूल्य : 100/-



जोधपुर विकास प्राधिकरण





जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

5046
12/4/18

पट्टा विलेख

यह विलेख आज वर्ष ..... के माह ..... के ..... वे दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री एन ग्रीन होम इन्फ्रा एल. एल. पी., 103 जे.डी. आरकेड प्रथम मंजिल, जलजोड़ा सर्कल के पास, जोधपुर अरिहंत पाटनर शैलेन्द्र राठी ..... जाति माहेश्वरी ..... व्यवसाय व्यापार ..... निवासी 85, जगदम्बा नगर, जोधपुर ..... (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्यातक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुन्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का यह समस्त भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना ..... एन-शक्तिदि ..... राजस्व ग्राम ..... मालवा ..... के खसरा संख्या ..... 300/3 ..... क्षेत्रफल ..... 90.66 ..... में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात :-

1. लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमावन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रूपये ..... 7978/- ..... अंके सात हजार नौ सौ अठहत्तर ..... मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक वार्षिय नगरीय निर्धारण (शहरी जमावन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

   एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।

3. पट्टे की अवधि :- पट्टावृत्ति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगा।

4. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल ..... आवासीय ..... प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।

5. इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावें, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।

6. लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तें और अन्य उपबंध, व्यावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित सामरस अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।

7. उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी : परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।

8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/वाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।

9. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख किसी तथ्यात्मक भूल या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्व्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के

(कृ.प.उ.)

Sunshine Homebuild LLP

Partner.

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहृत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट देवें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : .....
राजस्व ग्राम : पाल
खसरा नम्बर : 300/3
योजना का नाम सन सभृद्धि
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
16'x51 = 90.66

सीमा पूर्व रोड 60 Ft सीमा पश्चिम प्लॉट नं 51
सीमा उत्तर प्लॉट नं 53 सीमा दक्षिण रोड 30 Ft मानचित्र संलग्न है।
भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो 52

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 ..... माह के 13/4/18 वें दिन
श्री राकेश शर्मा (A.E.N)
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

आयुक्त (दक्षिण) प्रथम पक्ष
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

साक्षी :-

1. नाम .....
पिता/पति का नाम L.R.C
व्यवसाय J.D.A
निवास स्थान .....

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम .....
पिता/पति का नाम .....
व्यवसाय .....
निवास स्थान .....

साक्षी के हस्ताक्षर

कार्यालय उप प्रशासक (दक्षिण) जोधपुर

Sunprime Home Infra LLP
Partner
लीजधारक - द्वितीय पक्ष

अद्य दिनांक ..... सन् 20 ..... के माह ..... के .....
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री .....
लीजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये गये।

साक्षी :-

1. नाम रघुवाल अग्रपाल
पिता/पति का नाम सत्यनारायण अग्रवाल
व्यवसाय व्यापार
निवास स्थान सरदारपुरा जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम पुखराराम भेदवाल
पिता/पति का नाम रुपाराम
व्यवसाय कृषि
निवास स्थान पाल गाव जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

" J.D.A. "

SITE PLAN FOR LEASE DEED FOR PLOT NO.52

KHASARA NO. 300/ 3 VILLAGE PAL AT JODHPUR

PLOT SIZE 16'X51 AREA = 90.66 SQYDS.

Scale :-1"30'

ROAD 60 FT WIDE

Other Land	P-56	P-55	P-54	P-53	P-52	ROAD 30 FT WIDE	Park
Other Land	P-47	P-48	P-49	P-50	P-51		P-1
							P-2

16'

51'

5'

उप नगर नियोजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

उपायुक्त (दक्षिण)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

Sunprime Home Infra LLP

Partner

Registration Endorsement

आज दिनांक 17/04/2018 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 940 में
पृष्ठ संख्या 162 क्रम संख्या 201803053104187 पर पंजीबद्ध किया गया तथा
अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 3756 के
पृष्ठ संख्या 411 से 418 पर चस्पा किया गया ।

201801053006562

उप पंजीयक III-[illegible]-III

उप पंजीयक द्वितीय जोधपुर

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establishment/ownership under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month.

कार्यालय उप पंजीयक (द्वितीय) जोधपुर

Endorsement of Execution

अनु क्र.	पक्षकारों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	पक्षकारों का प्रकार
1	श्री/श्रीमती/सुश्री COMMISSIONER , पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री COMMISSIONER, व्यवसाय जाति Jodhpur Development Authority	[x]	[x]	Executant Age : 0 Signature :
2	श्री/श्रीमती/सुश्री SUNPRIME HOME INFRA LLP TH PARTNER RAGHAV RATHI, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री S/O INDER MAL RATHI, व्यवसाय Businessजाति MAHESWARI House No.:05, Colony: PRATAP NAGAR , Area: GANPATI NAGAR EXT, City: JODHPUR, Pin code: 342001, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN			Claimant Age : 30 Signature :

ने लेख्यपत्र Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month. को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया ।

प्रतिफल राशि रु 9650/- पूर्व में / मेरे समक्ष / में से रु 9650/- पूई में ———— ये मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया ।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान निम्न व्यक्तियों ने की है , जिनके हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान मेरे समक्ष लिए गए हैं।

अनु क्र.	गवाहों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	हस्ताक्षर
1	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री RAMESH KUMAWAT, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री MOHAN LAL KUMAWAT जाति KUMHAR Age: 37 Add: House No.:00, Colony: RHC, Area: RHC, City: JODHPUR, Pin code: 342001, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN			Signature

201801053006562

उप पंजीयक, JODHPUR-III

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month.

Under 54 Endorsement

धारा 54 के तहत प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि इस लेख पत्र की मालियत रु 565488 मानते हुए इस पर देय कमी तुद्रांक राशि रु 1930 पर कमी पंजीयन शुल्क रु 386, सरचार्ज राशि 368 कुल रु 2702 रसीद संख्या 201802063006218 दिनांक 17-04-2018 से जमा किये गये है।

अत: दस्तावेज को रु 1930 के मुद्रांकों पर निष्पादित माना जाता है।

201801053006562

उप पंजीयक, JODHPUR-III

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose). If the lease deed is presented for registration within two month.

Registration Endorsement

आज दिनांक 17/04/2018 को

पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 940 में

पृष्ठ संख्या 162 क्रम संख्या 201803053104187 पर पंजीबद्ध किया गया तथा

अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 8756 के

पृष्ठ संख्या 411 से 418 पर चस्पा किया गया ।

201801053006562

उप पंजीयक, JODHPUR-III

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose). If the lease deed is presented for registration within two month.

Presentation Endorsement

आज दिनांक 17 माह 04 सन् 2018 को 10:48 AM बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री SUNPRIME HOME INFRA LLP TH PARTNER
RAGHAV RATHI पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री S/O INDER MAL RATHI
उम्र 30 वर्ष, जाति MAHESWARI , व्यवसाय Business
निवासी House No.:05, Colony: PRATAP NAGAR , Area: GANPATI NAGAR EXT, City: JODHPUR, Pin code: 342001, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया ।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता

हस्ताक्षर उप पंजीयक, JODHPUR-III (तृतीय)

201801053006562

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose) if the lease deed is presented for registration within two month.

Fees Receipt Endorsement

रसीद नं.	201802053006218
दिनांक	17-04-2018
पंजीयन शुल्क ₹	386
प्रतिलिपि शुल्क ₹	0
पृष्ठांकन शुल्क ₹	200
अन्य शुल्क ₹	0
कमी स्टाम्प शुल्क ₹	1930
कमी सरचार्ज शुल्क ₹	386
कुल योग	2902

201801053006562

उप पंजीयक, JODHPUR-III (तृतीय) जोधपुर

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose) if the lease deed is presented for registration within two month.



Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : JODHPUR-III

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 17-04-2018 11:30 AM

Fee Receipt No	: 201802053006218	Receipt Date	: 17/04/2018
Name	: SUNPRIME HOME INFRA LLP TH PARTNER RAGHAV RATHI,	Document S. No.	: 2018013530063621
Address	: 05 ,PRATAP NAGAR ,JODHPUR ,JODHPUR		
Document Type	: Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	: ₹ 9650	Evaluated Value	: ₹ 565488

Ord-Registration Fee	:	₹ 386	Fee for Memorandum Us_64_67	:	₹
CSI	:	₹ 200	Certified copying fees Us_57	:	₹ 0
Stamp (Memorandum)	:	₹	Reg (memorandum)	:	₹
Surcharge	:	₹ 366	Stamp Duty	:	₹ 1930
Penalty	:	₹ 0	Inspection fee	:	₹ 0
Us_25_34	:	₹ 0	Commission	:	₹ 0
Custody	:	₹	Others	:	₹ 0
			Cash Amount Received	:	₹ 2902
			Other than Cash	:	₹ 2902
			Total Amount	:	

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)
e-Gras Challan 22375764 ₹ 2902

Signature of presenter or applicant for copy or Search certificate

Cashier

Signature of recipient and date of return receipt

SUB-REGISTRAR
उप पंजीयक (तृतीय
जोधपुर

(33)

क्रमांक : 2864

मूल्य : 100/-



जोधपुर विकास प्राधिकरण







जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

5047 13/7/18

पट्टा विलेख

यह विलेख आज वर्ष ..... के माह ..... के ..... वे दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री मेसर्स प्राईम होम इन्फ्रा एस.एस.पी. 103 जे.डी. आरकेड प्रथम मंजिल, जलजोग सर्कल के पास जोधपुर जरिए पार्टनर राघव राठी

जाति माहेश्वरी

व्यवसाय व्यापार निवासी 05, गणपति नगर जोधपुर (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुन्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्षांकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना स्व-समृद्धि राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 300/3 क्षेत्रफल 3.0.6.6 में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात :-

1. लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमावन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रूपये 7253/- अंके सात हजार दो सौ तिरपन ..... मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक वार्षिय नगरीय निर्धारण (शहरी जगावन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
2. एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
3. पट्टे की अवधि :- पट्टावृत्ति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगे।
4. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
5. इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावें, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
6. लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तें और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जाये, शासित होंगे।
7. उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी : परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।
8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/वाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
9. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्व्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के

(कृ.प.उ.)

Subprime Home Infra LLP

Partner.

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहृत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ.सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट देवें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : .....
राजस्व ग्राम : पाल
खसरा नम्बर : 300/3
योजना का नाम : स्वप्न स्वामित्व
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर 16X51 = 90.66

सीमा पूर्व रोड 60 फीट सीमा पश्चिम प्लॉट नं० 50
सीमा उत्तर प्लॉट नं० 54 सीमा दक्षिण प्लॉट नं० 52 मानचित्र संलग्न है।
भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो 53

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 ..... माह के 13/4/18 वें दिन
श्री राकेश रामी (S.R.S.)
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

उपाबद्ध (विक्रय) पक्ष
जोधपुर विकास प्राधिकरण (जोधपुर)

साक्षी :-

1. नाम .....
पिता/पति का नाम LIC
व्यवसाय .....
निवास स्थान .....

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम .....
पिता/पति का नाम .....
व्यवसाय .....
निवास स्थान .....

साक्षी के हस्ताक्षर

Supprime Home Infra LLP

आज दिनांक ..... सन् 20 ..... के माह ..... के .....
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री .....
लीजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये गये।

Partner
लीजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

1. नाम रघुपाल अग्रवाल
पिता/पति का नाम सत्यनारायण अग्रपाल
व्यवसाय व्यापार
निवास स्थान सरदारपुरा जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम पुरखाराम मेघवाल
पिता/पति का नाम रखीयाराम
व्यवसाय कृषि
निवास स्थान पाल गाम जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

" J.D.A. "

SITE PLAN FOR LEASE DEED FOR PLOT NO.53

KHASARA NO. 300/ 3 VILLAGE PAL AT JODHPUR

PLOT SIZE 16'X51 AREA = 90.66 SQYDS.

Scale :-1"30'

ROAD 60 FT WIDE

Other Land	P-56	P-55	P-54	P-53 (16' × 51')	P-52	ROAD 30 FT WIDE	Park
Other Land	P-47	P-48	P-49	P-50	P-51		P-2

उप नगर नियोजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

उपायुक्त (दक्षिण)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

Sunprime Home Infra LLP

Partner.

Registration Endorsement

आज दिनांक 17/04/2018 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 940 में
पृष्ठ संख्या 147 क्रम संख्या 201803053104172 पर पंजीबद्व किया गया तथा
अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 3756 के
पृष्ठ संख्या 291 से 298 पर चस्पा किया गया ।

201801053006565

उप पंजीयक, JODHPUR-III

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional-Industrial, tourism purpose), if the lease deed is presented for registration within two month.

उप पंजीयक द्वितीय
जोधपुर

Endorsement of Execution

अनु क्र.	पक्षकारों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	पक्षकार का प्रकार
1	श्री/श्रीमती/सुश्री COMMISSIONER , पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री COMMISSIONER, व्यवसाय जाति Jodhpur Development Authority			Executant Age : 0 Signature :
2	श्री/श्रीमती/सुश्री SUNPRIME HOME INFRA LLP TH PARTNER RAGHAV RATHI, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री S/O INDER MAL RATHI, व्यवसाय Otherजाति MAHESWARI House No.:09, Colony: PRATAP NAGAR , Area: GANPATI NAGAR EXT, City: JODHPUR, Pin code: 342001, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN			Claimant Age : 30 Signature :

ने लेखपत्र Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month. को पढ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया ।

प्रतिफल राशि रु 9650/- पूर्व में / मेरे समक्ष / में से रु 9650/- पूर्व में ---------- से मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया ।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान निम्न व्यक्तियों ने की है , जिनके हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान मेरे समक्ष लिए गए है।

अनु क्र.	गवाहों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	हस्ताक्षर
1	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री RAMESH KUMAWAT, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री MOHAN LAL KUMAWAT जाति KUMHAR Age: 37 Add: House No.:00, Colony: RHC, Area: RHC, City: JODHPUR, Pin code: 342001, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN			Signature

201801053006565

उपपंजीयक, JODHPUR-III

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month.

Under 54 Endorsement

धारा 54 के तहत प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि इस लेख पत्र की मालियत रु 514060 मानते हुए इस पर देय कमी मुद्रांक राशि रु 1930 एवं कमी पंजीयन शुल्क रु 386, सरचार्ज राशि 368 कुल रु 2702 रसीद संख्या 201802053006219 दिनांक 17-04-2018 से जमा लिये गये है।

अतः दस्तावेज को रु 1930 के मुद्रांकों पर निष्पादित माना जाता है।

201801053006565

उप पंजीयक, JODHPUR-III

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month.

Registration Endorsement

आज दिनांक 17/04/2018 को

पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 940 में

पृष्ठ संख्या 147 क्रम संख्या 201803053104172 पर पंजीबद्ध किया गया तथा

अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 3756 के

पृष्ठ संख्या 291 से 298 पर चस्पा किया गया ।

201801053006565

उप पंजीयक, JODHPUR-III

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month.

उप पंजीयक द्वितीय
जोधपुर

Presentation Endorsement

आज दिनांक 17 माह 04 सन् 2018 को 10:53 AM बजे

श्री/श्रीमती/सुश्री SUNPRIME HOME INFRA LLP TH PARTNER

RAGHAV RATHI पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री S/O INDER MAL RATHI

उम्र 30 वर्ष, जाति MAHESWARI , व्यवसाय Other

निवासी House No.:05, Colony: PRATAP NAGAR , Area: GANPATI NAGAR EXT, City: JODHPUR, Pin code: 342001, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN

ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया ।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता

हस्ताक्षर उप पंजीयक,
उप JODHPUR-III (तृतीय

201801053006585

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose) if the lease deed is presented for registration within two month.

Fees Receipt Endorsement

रसीद नं.	201802053006219
दिनांक	17-04-2018
पंजीयन शुल्क ₹	386
प्रतिलिपि शुल्क ₹	0
पृष्ठांकन शुल्क ₹	200
अन्य शुल्क ₹	0
कमी स्टाम्प शुल्क ₹	1930
कमी सरचार्ज शुल्क ₹	386
कुल योग	2902

201801053006585

उप पंजीयक (तृतीय
JODHPUR-III

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose) if the lease deed is presented for registration within two month.

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : JODHPUR-III

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 17-04-2018 11:31 AM

Fee Receipt No	: 201802053006219	Receipt Date	:	17/04/2018	
Name	: SUNPRIME HOME-INFRA LLP TH PARTNER RAGHAV RATHI	Document S. No.	:	201801053006565	
Address	: 05 ,PRATAP NAGAR JODHPUR JODHPUR				
Document Type	: Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent				
Face Value	: ₹ 9650	Evaluated Value	:	₹ 5143083	
Grd-Registration Fee	: ₹ 386	Fee for Memorandum Us_64_67	:	₹	
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	:	₹ 0	
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	:	₹	
Surcharge	: ₹ 386	Stamp Duty	:	₹ 1930	
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	:	₹ 0	
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	:	₹ 0	
Custody	: ₹	Others	:	₹ 0	
		Cash Amount Received	:	₹ 0	
		Other than Cash	:	₹ 2902	
		Total Amount	:	₹ 2902	

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)
e-Gras Challan 2237000# ₹ 2902

Signature of presenter or applicant for copy or Search certificate

Counter

Signature of recipient and date of return receipt

SUB REGISTRAR

उपपंजीयक (तृतीय
जोधपुर

(५५)

क्रमांक : 2865

मूल्य : 100/-



जोधपुर विकास प्राधिकरण





जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आयंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

5418
13/7/18

पट्टा विलेख

यह विलेख आज वर्ष ..... के माह ..... की ..... वे दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री सन प्राईम होम इन्फ्रा एल.एल.पी. 108 जे.डी. आरकेड प्रथम मंजिल, जलप्रदाय स्कीम के पास, जोधपुर जरिए पार्टनर राघव राही जाति ब्राह्मण (खंडेलवाल) व्यवसाय व्यापार निवासी 08, शक्तिपति नगर, जोधपुर (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुन्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इसके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह समस्त भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना सन - सागरिया राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 300/3 क्षेत्रफल 90.66 में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित समस्त व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात :-

1. लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमावन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रूपये 7253/2 अंके सात हजार दो सौ तेपन मात्र येशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक मासीय नगरीय निर्धारण (शहरी जमावन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
2. एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये की 25 प्रतिशत होगी।
3. पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगी।
4. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
5. इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावें, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
6. लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तें और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
7. उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।
8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
9. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्व्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटित या पट्टा विलेख के

(कृ.प.उ.)

Sunprime Homes Infra LLP

Partner.

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहृत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.जी.एफ.सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट देवें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : .....
राजस्व ग्राम : पाल
खसरा नम्बर : 300/3
योजना का नाम सन सम्पूर्ति
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
16×51 = 90.66

सीमा पूर्व रोड 60 FT. सीमा पश्चिम प्लॉट नं० 54
सीमा उत्तर प्लॉट नं० 55 सीमा दक्षिण प्लॉट नं० 53 मानचित्र संलग्न है।
भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो 54

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दस्त में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 ..... माह के 12/4/18 वें दिन
श्री राकेश शर्मा
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

नगर निकाय - प्रथम पक्ष
उपायुक्त (दक्षिण)
(प्रथम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

साक्षी :-

1. नाम .....
पिता/पति का नाम LDC
व्यवसाय JDA
निवास स्थान .....

.....
साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम .....
पिता/पति का नाम .....
व्यवसाय .....
निवास स्थान .....

.....
साक्षी के हस्ताक्षर

Sunprime Home Infra LLP

आज दिनांक ..... सन् 20 ..... के माह ..... के .....
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री .....
लौजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये

.....Partner
लौजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

1. नाम बपुशाल अग्रवाल
पिता/पति का नाम सत्यनारायण अग्रवाल
व्यवसाय व्यापार
निवास स्थान सरदारपुरा जोधपुर

.....
साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम पुरखाराम मेघवाल
पिता/पति का नाम रघीयाराम
व्यवसाय कृषि
निवास स्थान पाल गांव जोधपुर

.....
साक्षी के हस्ताक्षर

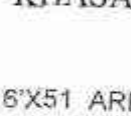
"J.I.A."

SITE PLAN FOR LEASE DEED FOR PLOT NO.54

KHASARA NO. 300/3 VILLAGE PALAT JODHPUR

PLOT SIZ 16'X51 AREA : 90.66 SQYDS.

Scale :-1"30'



उपायुक्त (सिविल)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

उप नगर नियोजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

Partner

Registration Endorsement

आज दिनांक 17/04/2018 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 940 में
पृष्ठ संख्या 161 क्रम संख्या 201803053104186 पर पंजीबद्ध किया गया तथा
अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 3756 के
पृष्ठ संख्या 403 से 410 पर चस्पा किया गया ।

201801053006567

उप पंजीयक (तृतीय)
JAIPUR-III

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month.



Endorsement of Execution

अनु क्र.	पक्षकारों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	पक्षकारों का प्रकार
1	श्री/श्रीमती/सुश्री COMMISSIONER , पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री COMMISSIONER, व्यवसाय जाति Jodhpur Development Authority	[x]	[x]	Executant Age : 0 Signature :
2	श्री/श्रीमती/सुश्री SUNPRIME HOME INFRA LLP TH PARTNER RAGHAV RATHI, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री S/O INDER MAL RATHI, व्यवसाय Businessजाति MAHESWARI House No.:05, Colony: PRATAP NAGAR , Area: GANPATI NAGAR EXT, City: jo, Pin code: 342001, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN			Claimant Age : 30 Signature :

ने लेखपत्र Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, institutional, industries, tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month. को पढ़ सुन व समझाकर निष्पादन करना स्वीकार किया ।

प्रतिफल राशि रु 9650/- पूर्व मे / मेरे समक्ष / मे से रु 9650/- पूर्व मे ———— से मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया ।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान निम्न व्यक्तियों ने की है , जिनके हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान मेरे समक्ष लिए गए है।

अनु क्र.	गवाहों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	हस्ताक्षर
1	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री RAMESH KUMAWAT, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री MOHAN LAL KUMAWAT जाति KUMHAR Age: 37 Add: House No.:00, Colony: RHC, Area: RHC, City: JODHPUR, Pin code: 342001, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN			Signature

201801053006567

उप पंजीयक, JODHPUR-द्वितीय

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, institutional, industries, tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month.

Under 54 Endorsement

धारा 64 के तहत प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि इस लेख पत्र की स्टाम्प ड्यूटी रु 514080 मानते हुए इस पर देय कमी मुद्रांक राशि रु 1930 पर कमी पंजीयन शुल्क रु 386, सरचार्ज राशि 386 कुल रु 2702 रसीद संख्या 201802053008220 दिनांक 17-04-2018 से जमा किये गये है।

अतः दस्तावेज को रु 1930 के मुद्रांकों पर निष्पादित माना जाता है।

201801053006567

उप पंजीयक, JODHPUR-III

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establishment township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month.

Registration Endorsement

आज दिनांक 17/04/2018 को

पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 940 में

पृष्ठ संख्या 161 क्रम संख्या 201803053104186 पर पंजीबद्ध किया गया तथा

अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 3756 के

पृष्ठ संख्या 403 से 410 पर चस्पा किया गया ।

201801053006567

उप पंजीयक, JODHPUR-III

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establishment township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month.

Presentation Endorsement

आज दिनांक 17 माह 04 सन् 2018 को 10:55 AM बजे

श्री/श्रीमती/सुश्री SUNPRIME HOME INFRA LLP TH PARTNER

RAGHAV RATHI पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री S/O INDER MAL RATHI

उम्र 30 वर्ष, जाति MAHESWARI , व्यवसाय Business

निवासी House No.:05, Colony: PRATAP NAGAR , Area: GANPATI NAGAR EXT, City: jo, Pin code: 342001, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN

ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया ।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता

हस्ताक्षर उप पंजीयक तृतीय JODHPUR-III

201801053006567

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, institutional, industries, tourism purpose), if the lease deed is presented for registration within two month.

Fees Receipt Endorsement

रसीद नं.	201802053006220
दिनांक	17-04-2018
पंजीयन शुल्क ₹	386
प्रतिलिपि शुल्क ₹	0
पृष्ठांकन शुल्क ₹	200
अन्य शुल्क ₹	0
कमी स्टाम्प शुल्क ₹	1930
कमी सरचार्ज शुल्क ₹	386
कुल योग	2902

201801053006567

उप पंजीयक, JODHPUR-III

उपपंजीयक (तृतीय

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, institutional, industries, tourism purpose), if the lease deed is presented for registration within two month.

कार्यालय उप पंजीयक (तृतीय) जोधपुर

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : JODHPUR-III

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 17-04-2018 11:32 AM

Fee Receipt No	: 2018022963036220	Receipt Date	: 17/04/2018		
Name	: SUNPRIME HOME INFRA LLP TH PARTNER RACHAV RATHI,	Document S. No.	: 2318010530006567		
Address	: 05 ,PRATAP NAGAR jo JODHPUR				
Document Type	: Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent				
Face Value	: ₹ 9650	Evaluated Value	: ₹ 514080		
Ord-Registration Fee	: ₹ 386	Fee for Memorandum Us_64_67	:	₹	
CSI	: ₹ 230	Certified copying fees Us_57	:	₹ 0	
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	:	₹	
Surcharge	: ₹ 386	Stamp Duty	:	₹ 1800	
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	:	₹ 0	
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	:	₹ 0	
Custody	: ₹	Others	:	₹ 0	
		Cash Amount Received	:	₹ 0	
		Other than Cash	:	₹ 2902	
		Total Amount	:	₹ 2902	

Mode of Payment (#Mode Number-Amount #)
e-Gras Challan 22375503 ₹ 2902

Signature of presenter or applicant for copy or Search certificate

Cashier

Signature of recipient and date of return receipt

SUB-REGISTRAR उप पंजीयक (तृतीय)

क्रमांक : 2866

मूल्य : 100/-



जोधपुर विकास प्राधिकरण





जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

5479
17/4/18

पट्टा विलेख

यह विलेख आज वर्ष ..... के माह ..... के ..... वे दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री सन प्राईम होम क्रेडा एल. एल. पी. 184 जे.डी. सारकेड प्रथम मंजिल, जलजोग सर्कल के पास, जोधपुर जरिए पार्टनर राघव राठी

जाति माहेश्वरी

व्यवसाय व्यापार निवासी 85, अपाला नगर, जोधपुर (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इमारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुन्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का यह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना सन सनराइज राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 300/3 क्षेत्रफल 90.66 में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात :-

1. लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन, उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रूपये 7253/- अंके सात हजार दो सौ तेपन मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक बारीय नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
2. एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण की दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
3. पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगें।
4. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
5. इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावें, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
6. लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तें और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अधिकारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
7. उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी: परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।
8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति पश्चादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
9. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्व्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है तो आवंटन या पट्टा विलेख के

(क्र.प.उ.)

Partner.

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहृत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ.सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट देवें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : .....
राजस्व ग्राम : पाल
खसरा नम्बर : 300/3
योजना का नाम सन सिटी
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर 16 x 51 = 90.66

सीमा पूर्व रोड 60 FT सीमा पश्चिम प्लॉट नं० 48
सीमा उत्तर प्लॉट नं० 56 सीमा दक्षिण प्लॉट नं० 54 मानचित्र संलग्न है।
भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो 55

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 ..... माह के 12/7/18 वें दिन
श्री राकेश शर्मा (R.A.S)
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

नगर निकाय - प्रथम पक्ष
उपायुक्त (दक्षिण)
(सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

साक्षी :-

1. नाम .....
पिता/पति का नाम L.D.C
व्यवसाय JDA
निवास स्थान .....

..... साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम .....
पिता/पति का नाम .....
व्यवसाय .....
निवास स्थान .....

..... साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक ..... सन् 20 ..... के माह ..... के .....
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री .....
लीजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये गये।

Sunprime Home Infra LLP
Partner
लीजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

1. नाम बसुशाल अग्रवाल
पिता/पति का नाम सत्यनारायण अग्रवाल
व्यवसाय व्यापार
निवास स्थान सरदारपुरा जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम पुरखाराम बेदवाल
पिता/पति का नाम रवीदाराम
व्यवसाय कृषि
निवास स्थान पालगाव जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

" J.D.A. "

SITE PLAN FOR LEASE DEED FOR PLOT NO.55

KHASARA NO. 300/ 3 VILLAGE PAL AT JODHPUR

PLOT SIZE 16'X51 AREA = 90.66 SQYDS.

Scale :-1"30'

ROAD 60 FT WIDE

Other Land	P-56	P-55	P-54	P-53	P-52	ROAD 30 FT WIDE	Park
Other Land	P-47	P-48	P-49	P-50	P-51		P-1
							P-2

16'

51'

उप नगर नियोजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

उपायुक्त (दक्षिण)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

Sunprime Home Infra LLP

Partner.

Registration Endorsement

आज दिनांक 17/04/2018 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 940 में
पृष्ठ संख्या 178 क्रम संख्या 201803053104203 पर पंजीबद्ध किया गया तथा
अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 3757 के
पृष्ठ संख्या 73 से 80 पर चस्पा किया गया ।

201801053006569

उप पंजीयक, JODHPUR-III

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establishment of township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose), if the lease deed is presented for registration within two month.

कार्यालय उप पंजीयक (तृतीय)
जोधपुर

Endorsement of Execution

अनु क्र.	पक्षकारों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	पक्षकारों का हस्ताक्षर
1	श्री/श्रीमती/कुमारी COMMISSIONER , पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री COMMISSIONER, व्यवसाय जाति Jodhpur Development Authority			Executant Age : 0 Signature :
2	श्री/श्रीमती/कुमारी SUNPRIME HOME INFRA LLP TH PARTNER RAGHAV RATHI, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री S/O INDER MAL RATHI, व्यवसाय Businessजाति MAHESWARI House No.:05, Colony: PRATAP NAGAR , Area: GANPATI NAGAR EXT, City: JODHPUR, Pin code: 342001, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN			Claimant Age : 30 Signature :

ने लेखपत्र Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month. को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया ।

प्रतिफल राशि रु 9650/- पूर्व में / मेरे समक्ष / मे से रु 9650/- पूर्व मे ———— से मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया ।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान निम्न व्यक्तियों ने की है , जिनके हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान मेरे समक्ष लिए गए है।

अनु क्र.	गवाहों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	हस्ताक्षर
1	Name: श्री/श्रीमती/कुमारी RAMESH KUMAWAT, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री MOHAN LAL KUMAWAT जाति KUMHAR Age: 37 Add: House No.:05, Colony: RHC, Area: RHC, City: JODHPUR, Pin code: 342001, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN			Signature

201801053005569

उप पंजीयक, JODHPUR-III

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month.

Under 54 Endorsement

धारा 54 के तहत प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि इस लेख पत्र की मालियत रु 514080 मानते हुए इस पर देय कमी मुद्रांक राशि रु 1930 पर कमी पंजीयन शुल्क रु 386, सरचार्ज राशि 386 कुल रु 2702 रसीद संख्या 201802053006221 दिनांक 17-04-2018 में जमा किये गये है।

अतः दस्तावेज को रु 1930 के मुद्रांकों पर निष्पादित माना जाता है।

उप पंजीयक, JODHPUR-III

201801053006569

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month.

Registration Endorsement

आज दिनांक 17/04/2018 को

पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 940 में

पृष्ठ संख्या 178 क्रम संख्या 201803053104203 पर पंजीबद्ध किया गया तथा

अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 3757 के

पृष्ठ संख्या 73 से 80 पर चस्पा किया गया।

उप पंजीयक, JODHPUR-III

201801053006569

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month.

Presentation Endorsement

आज दिनांक 17 माह 04 सन् 2018 को 10:58 AM बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री SUNPRIME HOME INFRA LLP TH PARTNER
RAGHAV RATHI पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री S/O INDER MAL RATHI
उम्र 30 वर्ष, जाति MAHESWARI , व्यवसाय Business
निवासी House No.:05, Colony PRATAP NAGAR , Area: GANPATI NAGAR EXT, City: JODHPUR, Pin code: 342001, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN
मेरे समक्ष दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया ।

हस्ताक्षरकर्ता प्रस्तुतकर्ता

हस्ताक्षर उप पंजीयक (तृतीय)
JODHPUR-II

201801053006569

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, institutional, industries, tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month.

Fees Receipt Endorsement

रसीद नं.	201802053006221
दिनांक	17-04-2018
पंजीयन शुल्क ₹	386
प्रतिलिपि शुल्क ₹	0
पृष्ठांकन शुल्क ₹	200
अन्य शुल्क ₹	0
कमी स्टाम्प शुल्क ₹	1930
कमी सरचार्ज शुल्क ₹	386
कुल योग	2902

201801053006569

उप पंजीयक,
JODHPUR-II

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, institutional, industries, tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month.

55

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : JODHPUR-III

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 17-04-2018 11:33 AM

Fee Receipt No	: 201802053006221	Receipt Date	: 17/04/2018
Name	: SUNPRIME HOME INFRA LLP TH PARTNER RAGHAV RATHI.	Document S. No.	: 2013010530066S9
Address	: 05 ,PRATAP NAGAR ,JODHPUR ,JODHPUR		
Document Type	: Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	: ₹ 9650	Evaluated Value	: ₹ 514080

Ord-Registration Fee	: ₹ 386	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 386	Stamp Duty	: ₹ 1530
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 2902
		Total Amount	: ₹ 2902

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)
e-Gras Challan 22375384 ₹ 2902

Signature of presenter or applicant for copy or Search certificate

Cashier

Signature of recipient and date of return receipt

SUB-REGISTRAR उपपंजीयक (तृतीय

(७०)

क्रमांक : 2867

मूल्य : 100/-



जोधपुर विकास प्राधिकरण





जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

5056 12/7/18

पट्टा विलेख

यह विलेख आज वर्ष ..... के माह ..... के ..... वे दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री सन प्राईम होम इन्फ्रा एल.एल.पी. 105 जे.डी. सर्कल प्रथम मंजिल जसवंत सर्किल के पास जोधपुर जरिए पार्टनर राघव राठी

जाति आदेश्वरी

व्यवसाय व्यापार निवासी 66, गणपति नगर, जोधपुर (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुन्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना सन - समृद्धि राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 300/3 क्षेत्रफल 90.66 में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात :-

1. लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रेल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये 1253/- अंके सात हजार दो सौ तेपन मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक वार्षिय नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
2. ऐसे आरंभ नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
3. पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगी।
4. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल व्यावसायिक प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
5. इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावे, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
6. लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तें और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
7. उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।
8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परदेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
9. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्व्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है तो आवंटन या पट्टा विलेख के

(कृ.प.ड.)

Partner

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहृत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ.सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट देवें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : .....
राजस्व ग्राम : पाल
खसरा नम्बर : 300/3
योजना का नाम स्वर्ण सम्पदा
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर 16×51 = 90.66

सीमा पूर्व रोड 60 फीट सीमा पश्चिम प्लॉट नं. 57
सीमा उत्तर अन्य भूमि सीमा दक्षिण प्लॉट नं. 55 मानचित्र संलग्न है।
भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो 56

इसके साक्षी के रूप में इसके पक्षकारों ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्दिष्ट स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 ..... माह के 12/4/19 वें दिन
श्री राकेश शर्मा (R.M.)
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।

उपायुक्त (प्रशिक्षु)
नगर निकाय - प्रथम पक्ष
जोधपुर विकास प्राधिकरण
(प्रशिक्षु अधिकारी के हस्ताक्षर)
जोधपुर

साक्षी :-

1. नाम .....
पिता/पति का नाम LRC
व्यवसाय .....
निवास स्थान .....

..... साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम .....
पिता/पति का नाम .....
व्यवसाय .....
निवास स्थान .....

..... साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक ..... सन् 20 ..... के माह ..... के .....
को दिये को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री .....
लीजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये

Sunprime Home Infra LLP
..... Partner
लीजधारक -द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

1. नाम रघुलाल अग्रवाल
पिता/पति का नाम सत्यनारायण अग्रवाल
व्यवसाय व्यापार
निवास स्थान सरदारपुरा जोधपुर

..... साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम पुरखाराम मोदावाल
पिता/पति का नाम रखीयाराम
व्यवसाय कृषि
निवास स्थान पाल गाव जोधपुर

..... साक्षी के हस्ताक्षर

" J.D.A. "

SITE PLAN FOR LEASE DEED FOR PLOT NO.56

KHASARA NO. 300/ 3 VILLAGE PAL AT JODHPUR

PLOT SIZE 16'X51 AREA = 90.66 SQYDS.

Scale :-1"30'

ROAD 60 FT WIDE

Other Land	P-56 (16' × 51')	P-55	P-54	P-53	P-52	ROAD 30 FT WIDE	Park
Other Land	P-47	P-48	P-49	P-50	P-51		P-1
							P-2

उप नगर नियोजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

उपायुक्त (दक्षिण)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

Sunprime Home Infra LLP

Partner

Registration Endorsement

आज दिनांक 17/04/2018 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 940 में
पृष्ठ संख्या 153 क्रम संख्या 201803053104178 पर पंजीबद्ध किया गया तथा
अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 3756 के
पृष्ठ संख्या 339 से 346 पर चस्पा किया गया ।

201801053006572

उप पंजीयक (तृतीय)
जोधपुर

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establishment of township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose), if the lease deed is presented for registration within two month.

कार्यालय उप पंजीयक (तृतीय)
जोधपुर

Endorsement of Execution

अनु क्र.	पक्षकारों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	पक्षकारों का प्रकार
1	श्री/श्रीमती/सुश्री COMMISSIONER , पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री COMMISSIONER, व्यवसाय जाति Jodhpur Development Authority	[x]	[x]	Executant Age : 0 Signature :
2	श्री/श्रीमती/सुश्री SUNPRIME HOME INFRA LLP TH PARTNER RAGHAV RATHI, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री S/O INDER MAL RATHI, व्यवसाय Businessजाति MAHESWARI House No.:05, Colony: PRATAP NAGAR , Area: GANPATI NAGAR EXT, City: jodhpur , Pin code: 342001, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN			Claimant Age :60 Signature :

ने लेख्यपत्र Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month. को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया ।

प्रतिफल राशि रु 9650/- पूर्व में / मेरे समक्ष / में से रु 9650/- पूर्व में ---------- से मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया ।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान निम्न व्यक्तियों ने की है , जिनके हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान मेरे समक्ष लिए गए है।

अनु क्र.	गवाहों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	हस्ताक्षर
1	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री RAMESH KUMAWAT, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री MOHAN LAL KUMAWAT जाति KUMHAR Age: 37 Add: House No.:00, Colony: RHC, Area: RHC, City: jodhpur , Pin code: 342001, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN			Signature

201801053006572

उप पंजीयक (तृतीय) JODHPUR-III
उप पंजीयक
जोधपुर

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month.

Under 54 Endorsement

धारा 54 के तहत प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि इस लैस पत्र की साबियत रु 5079500 मानते हुए इस पर देय कमी मुद्रांक राशि रु 1930 पर कमी पंजीयन शुल्क रु 386, सरचार्ज राशि 386 कुल रु 2702 रसीद संख्या 201802053006222 दिनांक 17-04-2018 में जमा किये गये है।

अतः दस्तावेज को रु 1930 के मुद्रांकों पर निष्पादित माना जाता है।

201801053006572

उप पंजीयक, JODHPUR-III

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month.

Registration Endorsement

आज दिनांक 17/04/2018 को

पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 940 में

पृष्ठ संख्या 153 क्रम संख्या 201803053104178 पर पंजीबद्ध किया गया तथा

अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 3756 के

पृष्ठ संख्या 339 से 346 पर चस्पा किया गया ।

201801053006572

उप पंजीयक, JODHPUR-III

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month.

Presentation Endorsement

आज दिनांक 17 माह 04 सन् 2018 को 11:00 AM बजे

श्री/श्रीमती/सुश्री SUNPRIME HOME INFRA LLP TH PARTNER

RAGHAV RATHI पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री S/O INDER MAL RATHI

उम्र 30 वर्ष, जाति MAHESWARI , व्यवसाय Business

निवासी House No..05, Colony: PRATAP NAGAR , Area: GANPATI NAGAR EXT, City: jodhpur , Pin code: 342001, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN

ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया ।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता

201801053006572

हस्ताक्षर उप पंजीयक (तृतीय)

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month.

Fees Receipt Endorsement

रसीद नं.	201802053006222
दिनांक	17-04-2018
पंजीयन शुल्क ₹	386
प्रतिलिपि शुल्क ₹	0
पृष्ठांकन शुल्क ₹	200
अन्य शुल्क ₹	0
कमी स्टाम्प शुल्क ₹	1930
कमी सरचार्ज शुल्क ₹	386
कुल योग	2902

201801053006572

उप पंजीयक,

JODHPUR-III

Lease deed issued in favour of first allotte for the purpose of establish township under the Rajasthan township policy, 2010 (for residential, Institutional, Industries, tourism purpose). if the lease deed is presented for registration within two month.

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : JODHPUR-III

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 8 (Rule 75 & 131) Print Date : 17-04-2018 11:34 AM

Fee Receipt No	: 2018I2053006222	Receipt Date	: 17/04/2018
Name	: SUNPRIME HOME INFRA LLP TH PARTNER RAGHAV RATHI,	Document S. No.	: 201801053006572
Address	: 05 ,PRATAP NAGAR Jodhpur JODHPUR		
Document Type	: Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	: ₹ 9650	Evaluated Value	: ₹ 6379500

Ord-Registration Fee	: ₹ 386	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 386	Stamp Duty	: ₹ 1930
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 2902
		Total Amount	: ₹ 2902

Mode of Payment (#Mode Number Amount #) :
e-Gras Challan 22378284 ₹ 2902

Signature of presenter or applicant for copy or Search certificate

Cashier

Signature of recipient and date of return receipt

SUB-REGISTRAR
उप पंजीयक (तृतीय
जोध